# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

[ दूसरा सत्र ]

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 51(7)2
Date 22.7.80

[ खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

# विषय-सूची

अंक 8, बुधवार, 19 मार्च, 1980/29 फाल्गुन, 1901 (शक)


| विषय | | |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर :** | | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 122 और 124 से 129 | ... | 1-20 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर :** | | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 123 और130 से 141 | | 20-28 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 989 से 1043 और 1045 से 1166 | ... | 28-132 |
| **सभा-पटल पर रखे गये पत्र** | ... | 132-136 |
| **राज्य सभा से संदेश** | ... | 137-139 |
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** | | |
| **देश में भूमि कटाव की समस्या** | ... | 139-143 |
| श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर | ... | 139-141 |
| श्री वीरेन्द्रसिंह राव | ... | 141-142 |
| श्री सुभाष चन्द्र यादव | ... | 142 |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | | |
| (एक) बिहार में पीने के पानी की समस्या | ... | 143 |
| श्री रामावतार शास्त्री | ... | 143 |
| (दो) जीवन रक्षक औषधियों की कमी और उसके कारण रोगियों को हो रही कठिनाइयों के समाचार | ... | 144-145 |
| डा. बसन्त कुमार पण्डित | ... | 144 |
| (तीन) अलीगढ़ में छात्रों के एक जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के समाचार | | 144 |
| श्री चन्द्रपाल शैलानी | ... | 143 |


किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

(चार) बारपेटा (असम) में असामाजिक तत्वों द्वारा दो विधान सभा सदस्यों और एक मुख्य पार्षद पर कथित आक्रमण ... 145

श्री संतोष मोहन देव ... 145

**स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन संशोधन विधेयक विचार का प्रताव** ... 145-158

श्री प्रकाश चन्द सेठी ... 145-157

श्री सोमनाथ चटर्जी ... 148-155

श्री इन्द्रजीत गुप्त ... 150-153

**खण्ड** 2 से 5 तथा संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... 158-163

श्री पी. सी. सेठी 158-163

श्री मूल चन्द डागा ... 158-163

श्री कमला मिश्र मधुकर ... 160-162

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के पच्चीसवें प्रतिवेदन पर विचार**

श्री योगेन्द्र मकवाना 163-171

श्री चन्द्रजीत यादव ... 167-172

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति ... 174-178

श्री एडुआर्डो फैलीरो ... 178-186

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर ... 186-188

श्री नरसिंह मकवाना 188-190

श्री सूरजभान ... 190-197

श्री अरविन्द नेताम ... 197-203

श्री डी० पी० यादव ... 200-203

श्री दिलीपसिंह भूरिया ... 203-206

श्री पी० के० कोडियन ... 206-208

**16 मार्च 1980 को प्रदर्शन के बाद दो नेत्रहीनों के लापता होने के बारे में वक्तव्य**

श्री योगेन्द्र मकवाना ... 173-174

कार्यमंत्रणा समिति-तीसरा प्रतिवेदन ... 208

# लोक सभा

बुधवार, 19 मार्च, 1980/29 फाल्गुन, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### सीमेंट के पैकिंग प्रभार में वृद्धि

*122. **श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सीमेंट के पैकिंग प्रभार में वृद्धि की है ।

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश में भी इन प्रभारों में वृद्धि की गई है ।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) और (ख) सीमेंट के पैकिंग प्रभार हर तिमाही में निर्धारित किए जाते हैं । तदनुसार चालू तिमाही (जनवरी, मार्च 1980) के सीमेंट पैकिंग प्रभार (चार्जेज) 31-12-79 को निर्धारित किये गये थे । इस प्रकार निर्धारित किए गये पैकिंग प्रभार की राशि प्रति मी. टन सीमेंट पर 66·94 रु० है जबकि पिछली तिमाही में 63·16 रु० प्रति मी. टन थी पैकिंग प्रभार में बढ़ोतरी जूट की कीमत में वृद्धि और पैकिंग के नये बोरों के उपयोग के प्रतिशत का 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाना है ।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित पैकिंग प्रभार मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों पर समान रूप से लागू होते हैं ।

**श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय हमारे देश में सीमेंट की कीमतों में काफी वृद्धि होती जा रही है और एक आम आदमी के लिए यह संभव नहीं है कि वह आसानी से अपने बजट के अन्तर्गत सीमेंट खरीद सके । इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि पिछली तिमाही के मुकाबले में जो 3 रुपये से ज्यादा पैकिंग चार्जज में प्रति मी. टन वृद्धि हुई है वह जो इतनी तेजी से हुई है । इसके क्या-क्या कारण हैं ।

**श्री चरनजीत चानना :** मैंने माननीय सदस्य का ध्यान उन कारणों की ओर खींचा है जो पहले ही दे दिये गए हैं। कारण तो वही हैं। मुख्य कारण प्रति टन 3·78 रुपये की वृद्धि, प्रति बोरी 90 पैसे की वृद्धि जिसमें से छः पैसे की वृद्धि पटसन के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण हुई है।

**अध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार से माननीय सदस्य को अभिप्राय कुछ मिला था और वह इस प्रश्न से पैदा नहीं होता। मुख्य प्रश्न पैकिंग प्रभार के बारे में है न कि सीमेंट के मूल्यों के बारे में। मंत्री महोदय इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं। माननीय सदस्य अब अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें।

**श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर :** मेरे पहले प्रश्न का जवाब नहीं आया।

**अध्यक्ष महोदय :** वह इस प्रश्न से पैदा नहीं होता है।

**श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर :** पैकिंग चार्जेज से ही यह सम्बन्धित है।

**अध्यक्ष महोदय :** तो पैकिंग चार्जेज के लिए पूछिये।

**श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर :** मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या शासन इन पैकिंग चार्जेज को कम करने के लिए कोई उपाय सोच रहा है ?

**श्री चरनजीत चानना :** सीमेंट की बोरियों के लिये पैकिंग प्रभार हर तिमाही निर्धारित किये जाते हैं जैसा कि 31 दिसम्बर 1979 को चालू तिमाही के लिये नियमित किये गये थे। उद्योग मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की थी जिसने एक सूत्र तैयार किया है जिसके आधार पर प्रति तिमाही लागत का ब्यौरा तैयार किया जाता है। अगली तिमाही के लिये भी हम ऐसा ही करेंगे। कुछ भिन्नतायें भी होती हैं जैसा कि मैंने अपने उत्तर में पहले ही जिक्र कर दिया है अर्थात् पटसन के मूल्य में वृद्धि और जब मैं वृद्धि बोलता हूँ तो जो कुछ भी पटसन का मूल्य होगा उसी के हिसाब से उक्त दर निश्चित होगी। ये कारण हैं दूसरे उपयोगिता के अनुपात को निरन्तर बढ़ाया जा रहा है। अब यह 75 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई है। वास्तव में, उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश है तो 100 प्रतिशत की बात कही गई थी। माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होगी कि यह सब कुछ उपभोक्ता के हित में किया जा रहा है ताकि उपभोक्ता तक पहुँचने वाला उत्पाद यथासभव अधिकतम तथा सर्वश्रेष्ठ किस्म का हो।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मेरे विचार से जब मंत्री महोदय पटसन के मूल्य की बात कर रहे थे तो उनका अभिप्राय पटसन की बोरियों से···

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** उसके लिए शब्द हैसियत है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** हैसियत नहीं सेकिंग (टाट) है। क्या यह सच नहीं है कि पटसन की इन बोरियों के मूल्य सरकार ने स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त समिति ने हासदेन जूट मिल्स एसोसिएशन द्वारा अभ्यावेदेन किये जाने पर नियमित किये थे। इस तथ्य के बावजूद कि वे टाट बनाने के कार्य में काफी लाभ कमा रहे हैं। सरकार ने पटसन की इन बोरियों के मूल्य क्यों बढ़ाये ?

**वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री (श्री आर. वेंकटारमन) :** हम पटसन के बाजार मूल्यों को हिसाब में लेते हैं और बाजार मूल्य बढ़ते जा रहे थे तथा बाजार मूल्यों के आधार पर दो···

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : पटसन की बोरियाँ अथवा कच्चा पटसन ?

**श्री आर. वेंकटारमन** : पटसन बना सामान जी हाँ। जब हम बोरियों की बात करते हैं तो वह पटसन की बोरियाँ ही हैं। इन पटसन की बोरियों को बनाने की लागत का ब्यौरा औद्योगिक तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। वह बाजार मूल्य उत्पादक की लागत को ध्यान में रखता है और फिर आंकड़े तैयार करता है और इस तरह ये मूल्य निश्चित होते हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : प्रश्न यह था कि क्या यह सच नहीं है कि इस समय उद्योग पटसन की बोरियों के मामले में काफी लाभ कमा रहा है। इस दृष्टि से सरकार ने पटसन की बोरियों के मूल्य में और वृद्धि की अनुमति क्यों दी ?

**श्री आर. वेंकटरमन** : वे पटसन निर्माताओं को नहीं दे रहे हैं। बोरियां विभिन्न सीमेंट मिलों द्वारा लाई जा रही हैं। वे बाजार से खरीदते हैं और फिर पैक करके विभिन्न क्षेत्रों को भेजते हैं। इसीलिये उन्हें उपलब्ध मूल्य पर बाजार से खरीदना पड़ता है। हमने उनके मूल्य कच्चे पटसन के बाजार मूल्यों तथा फिर उनको बोरियों में बदलने की लागत के आधार पर नियत किये हैं।

**श्री यू० एच० पटेल** : पैकिंग प्रचारों में इतनी बार तथा कितनी-कितनी वृद्धि की गई पैकिंग प्रचार में वृद्धि के कारण 1977 से सीमेंट के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई ?

**श्री चरनजीत चानना** : मैं आपको 1977-78 के 1979-80 तक के दौरान पटसन पैकिंग प्रचारों में द्वारा परिवर्तनों का ब्यौरा दूंगा। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें तो पढ़कर सुना सकता हूँ और यदि कहें तो सभा पटल पर रख सकता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह बेहतर होगा।

**श्री यू. एच. पटेल** : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सीमेंट के भाव पैकिंग प्रचारों के बढ़ने से बढ़ते हैं ताकि सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि के कारण ? मैं इसमें अन्तर जानना चाहता हूँ।

**श्री चरनजीत चानना** : बोरियाँ तो अलग-अलग होतीं हैं।

**श्री यू. एच. पटेल** : वर्ष 1977 से अब तक पैकिंग प्रचारों में कितनी वृद्धि हुई ? जो मूल्य आपने दिये हैं यह उनका एक भाग है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : वर्ष 1971 से अब तक का क्यों न बतायें।

**श्री चरनजीत चानन** : मेरे पास तो वस्तुतः 1977-78 से लेकर चालू तिमाही तक के आकड़े हैं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं यह देता हूँ।

**वर्ष** 1977-78

| | |
|---|---|
| अप्रैल से जून | 41.77 रुपये |
| जुलाई से सितम्बर | 41·62 रुपये |
| अक्तूबर से दिसम्बर | 41·65 रुपये |
| जनवरी से मार्च | 41·63 रुपये |

**वर्ष** 1978-79

| | |
|---|---|
| अप्रैल से जून | 47·34 रुपये |
| जुलाई से सितम्बर | 47·35 " |

| | |
|---|---|
| अक्तूबर से दिसम्बर | 47·27 " |
| जनवरी से मार्च | 50·79 " |
| **वर्ष** 1979-80 | |
| अप्रैल से जून | 52·50 रुपये |
| जुलाई से सितम्बर | 57·33 " |
| अक्तूबर से दिसम्बर | 63·16 " |
| जनवरी से मार्च | 66·94 " |

अब माननीय सदस्य इनके साथ नये तथा पुराने बोरों के अनुपातों का अनुपात जोड़ सकते हैं। मैं वह भी पढ़ देता हूँ। मैं आपको बताता हूं कि चालू तिमाही इस मामले में सबसे अच्छी रही है :

| | |
|---|---|
| अप्रैल से जून 1977-78 | 55·45 रुपये |
| जुलाई से सितम्बर | 60·40 " |
| अक्तूबर से दिसम्बर | 66·34 " |
| जनवरी से मार्च | 50·50 " |

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्योंकि यह सच है कि बिड़ला सिघानिया तथा जैन बन्धुओं जैसे बड़े व्यापार गृह पटसन का व्यापार करते हैं, पटसन का निर्माण करते हैं तथा सीमेंट संयंत्र भी चलाते हैं—सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं—और—"चित्त भी मेरी पट भी मेरी" की कहावत इन लोगों पर लागू होती है, क्या आप मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने कितनी बार इन मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दी थी ? श्रीमन्, पटसन तथा पटसन से बने सामान के बाजार माव 'पारा' तथा सट्टों जैसी विभिन्न बातों पर निर्भर करते हैं। क्या मंत्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि पटसन के बिक्री मूल्य लाभकारी मूल्यों से भी कम आने के कारण उन्होंने कितनी बार सीमेंट के मूल्यों में कमी की।

(ख) पुरानी बोरियों की पैकिंग का प्रतिशत कितना है जहाँ इसके मूल्य का प्राकूलन करने के लिये बाजार नहीं है तब आप पटसन की बोरियों के मामले में उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाने के लिये आप क्या करेंगे···(**व्यवधान**) और आप पुरानी बोरियों के मूल्यों तथा उनके उतार-चढ़ाव का कैसे पता करते हैं ?

**श्री आर वेंकटरामन** : एक बार में, पुरानी बोरियों में 50 प्रतिशत सीमेंट पैक किया गया था। उपभोक्ताओं तथा उपभोक्ताओं से इस आशय की बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि पुरानी बोरियों में सीमेंट निकल जाती है जिसके फलस्वरूप किस्म और मात्रा दोनों की हानि होती है।

इसीलिये पुरानी बोरियों का उपयोग निरन्तर घटाया गया है। उसके आप रात भर में तो कम कर नहीं करते क्योंकि मूल्यों में एकदम वृद्धि होती है। इस समय इसका अनुपात 80 : 20 है। 20 प्रतिशत पुरानी बोरियाँ और 80 प्रतिशत नई बोरियाँ। मुझे आशा है कि मेरे मित्र सन्तुष्ट हो गये हैं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : पटसन के मूल्यों में आपने कितनी बार उतार-चढ़ाव पाये अर्थात्

पटसन बाजार में सीमेंट की बोरियों के मूल्य घटाये हैं तथा उपभोक्ताओं को उनके लाभ पहुँचा है ? मेरे प्रश्न का यह पहला भाग है (व्यवधान) आपने उसका उत्तर नहीं दिया है। कितनी बार ऐसा हुआ तथा कितना उतार-चढ़ाव आया है ?

**श्री चरनजीत चानना :** उन्हें सन्तोष नहीं हो सकता। सीमेंट के मूल्यों तथा पैकिंग के मूल्यों के बीच सम्बन्ध का ब्यौरा बताने के लिये हमें सूचना चाहिये।

प्रश्न मूल्यों के बारे में है। हमें उसके लिये सूचना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय :** आप अपना प्रश्न दीजिये।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** मैं अभी अपना प्रश्न दे रहा हूँ। मैंने पूछा है कि भावों में कितनी बार उतार-चढ़ाव आये (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्नकाल है। यह चर्चा का प्रश्न नहीं है।

**: श्री ज्योतिर्मय बसु :** मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ। वह उसे टाल रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** आप उसके लिये नये सिरे से सूचना दे सकते हैं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** उन्होंने पटसन के मामले में ढाई करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिये हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** बस काफी हुआ। अगला प्रश्न संख्या 123।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** मैं आप से सुरक्षण चाहता हूँ। मेरा प्रश्न है कि कितनी बार···

**अध्यक्ष महोदय :** आपको सूचना देनी चाहिये और मैं उसकी अनुमति दे दूंगा।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** वह इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। कितनी बार सीमेंट के मूल्य ···

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं अगला प्रश्न उभार चुका हूँ। प्रश्न संख्या 123

कुमारी कमला कुमारी। वह यहां नहीं हैं। अगला प्रश्न 1 प्रश्न संख्या 124

**अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सैनानियों के एसोसिएशन से ज्ञापन**

*124. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दिन पूव अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सेनानियों के संगठन की ओर से उन्हें एक प्रतिनिधि मंडल मिला था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन व्यक्तियों ने उन्हें एक ज्ञापन दिया था;

(ग) यदि हाँ, तो ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा)** (क) तथा (ख) : जी हाँ, श्रीमान्।

(ग) तथा (घ) : विवरण संलग्न है :

**विवरण**

अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी संघ ने अपने ज्ञापन में निम्नलिखित माँगें है :

(i) जनता सरकार के शासन के दौरान स्थगित की गई स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन बहाल किया जाये।

(2) स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना को सांविधिक मान्यता दी जाये ।

(3) इस योजना का नाम बदल कर सम्मान पेंशन योजना नाम रखा जाये ।

(4) पेंशन की राशि 200 रु० से बढ़ाकर 500 रु० प्रतिमाह की जाये ।

(5) 5000 रु० की वार्षिक अधिकतम आय सीमा को हटाया जाए ।

(6) स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन की आयकर से मुक्त किया जाए ।

(7) कुछ विद्रोहों/मोर्चों/आन्दोलनों को मान्यता दी जाए ।

(8) राष्ट्रीय नेताओं के प्रमाण पत्रों के आधार पर भूमिगत पीड़ितों को पेंशन स्वीकृत दी जाए ।

उपर्युक्त मांगों की जाँच की गई है तथा उन पर सरकार की प्रतिक्रिया इस प्रकार है :

(1) बड़ी संख्या में निलम्बित की गई पेंशनों के बारे में आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। पेंशनें किन्हीं जाली अथवा क्षुद्र आधारों पर निलम्बित नहीं की गई है जैसाकि अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी संघ द्वारा बताया गया है वरन निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक आधारों पर निलम्बित की गई हैं :

(क) आवेदक एक वास्तविक स्वतन्त्रता सेनानी नहीं है ।

(ख) यातना छः महीने से कम है ।

(ग) यातना स्वतन्त्रता आन्दोलन से सबंधित नहीं है ।

(घ) झूठे दस्तावेजों साक्ष्य प्रस्तुत करना ।

(ङ) नजरबन्दी निष्कासन, फरार होना साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित नहीं है ।

(च) सभी साधनों से वार्षिक आय 5000 रु० से अधिक है ।

(2) पेंशन योजना को सांविधिक मान्यता देने से सम्बन्धित माँग पर अतीत में पूर्णतः, विचार किया गया था । एक असांविधिक योजना अधिक लचीली समझी गई थी और इसका स्वरूप प्रभावशाली होने और उचित कार्यान्वयन में बाधक नहीं रहा है ।

(3) पेंशन का नाम बदलकर सम्मान पेंशन रखने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया कि नाम में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है ।

(4) तथा (5) पेंशन की राशि बढ़ाने और वार्षिक अधिकतम आय सीमा हटाने की दोनों माँगों पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

(6) 200 रु० प्रतिमास पेंशन की वर्तमान राशि और 5000 रु० की आय की वार्षिक अधिकतम सीमा पर कर लगने का प्रश्न नहीं उठता ।

(7) इन मामलों की अतीत में बार-बार जाँच की गई थी परन्तु उनको मान्यता देना संभव नहीं पाया गया ।

(8) इस माँग की भी जाँच की गई थी परन्तु इसको स्वीकार करना संभव नहीं था ।

**श्री रामावतार शास्त्री** : अध्यक्ष जी, स्वतन्त्रता सेनानियों की कुर्बानियों की वजह से ही हम तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं । लेकिन दुख है कि उनकी समस्याओं के प्रति सरकार बहुत दिलचस्पी नहीं रखती ।...(व्यवधान) मैं बोल रहा हूँ, अगर यह सेनानियों के प्रति ऐसा रवैया अपनायेंगे तो कैसे काम चलेगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : शास्त्री जी, कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिये । मैं आप से कह

रहा हूँ कि आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिये ।

**श्री रामावतार शास्त्री** : कुछ भूमिका तो बतानी होगी । तो मैं यह कह रहा था कि स्वतन्त्रता सेनानी बूढ़े भी हैं और उनकी कठिनाइयाँ भी बहुत हैं, बुढ़ापे में जो होती हैं । इन्होंने कहा है कि हम उस पर विचार करेंगे । तो मैं कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी आप उनकी समस्याओं पर विचार करेंगे उतना ही उनका भला होगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी भी हैं, जिन्हें उस समय की सरकार ने, गाँधी इर्विन समझौते के बाद, सजा पूरी होने के पहले ही जेल से रिहा कर दिया था ? अगर ऐसे लोग हैं तो कितने लोग हैं और क्या उनको पेंशन देना स्थगित कर दिया गया है या बन्द कर दिया गया है ? अगर यह बात सत्य है तो इसका औचित्य क्या है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : कब बन्द कर दी गई, यह तो देखना पड़ेगा ।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : यह तो सवाल उठाया है, उसमें गाँधी-इर्विन पक्ट वाली बात उठती नहीं है । इस स्पैसेफिक क्वैश्चन का अलग नोटिस चाहिये ।

**श्री रामावतार शास्त्री** : स्वतन्त्रता सेनानियों से सारे सवाल सम्बन्धित हैं । मन्त्री जी अगर आज तैयार नहीं हैं जो दूसरे दिन इसका उत्तर दिलवाइये, लेकिन यह सम्बन्धित नहीं है, यह कहने से काम नहीं चलेगा । (**व्यवधान**) मैं उनके जवाब से सन्तुष्ट नहीं हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि हमारी आप मदद करें, यह सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है । मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि सारे स्वतन्त्रता सेनानी बूढ़े हो चुके हैं और धीरे-धीरे मरते जा रहे हैं ।

दूसरा सवाल यह है कि क्या ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी हजारों की संख्या में आज भी बाकी हैं जो किसी वजह से समय पर आवेदन-पत्र सरकार के पास नहीं भेज सके ? क्या सरकार ऐसे लोगों से फिर से आवेदन-पत्र लेकर पेंशन देने का विचार रखती हैं ?

इसके साथ ही यह बात भी है कि जनता पार्टी की सरकार ने ताम्र-पत्र देने की नीति को बन्द कर दिया था । जिन स्वतन्त्रता सेनानियों को ताम्रपत्र नहीं दिये गये हैं, क्या सरकार उन्हें फिर ताम्रपत्र देने का निर्णय लेगी ?

**गृह मन्त्री (श्री जैल सिंह)** : स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर का सुझाव भी है और सवाल भी है । मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि फ्रीडम-फाइटर्स की तरफ से जो मैमोरैंडम हमारे पास आया है, हम इसको देख रहे हैं और यह जो कहना है कि जनता की सरकार ने ताम्रपत्र देने का सिस्टम बन्द कर दिया, तो जिनको पहले ताम्रपत्र नहीं मिले होंगे, उस पर हम जरूर गौर करेंगे ।

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कुछ जोड़ना चाहती हूं । हम लोगों ने ही इस प्रश्न पर सबसे पहले विचार किया था । विपक्षी दल के माननीय सदस्यों को यह बात नहीं सूझी थी । तथापि प्रश्न यह नहीं है कि पहले किसने सोचा । यह एक अच्छा विचार है । परन्तु यह सच है कि हमारी पिछली सरकार के दौरान भी कुछ लोग छूट गए थे । गृह मंत्री द्वारा ज्ञापन वसूल किए जाने के पहले भी मैंने स्वतंत्रता सेनानियों को जो कि मुझे पिछले तीन वर्षों के दौरान मिलते रहे थे । यह आश्वासन दिया था कि जब कभी भी हमें अवसर मिला हम सारे मामले पर विचार करेंगे न केवल उनकी माँगों पर बल्कि उन बातों

पर भी जिन्हें उचित समझा जायेगा। वे भले ही हर चीज न मांगें और कुछ महत्वपूर्ण वर्ग को छूट भी गये थे। परन्तु सरकार की ओर से तथा विशेषत: नौकर शाही की दृष्टि से यह बड़ा कठिन है कि हर व्यक्ति को पात्र बना लिया जाएगा। कहां तक सीमा रख दी जाये। यदि विपक्ष के माननीय सदस्य के पास कोई सुझाव है तो उस पर सहर्ष विचार करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : कोई अन्य प्रश्न ? शायद कोई और प्रश्न नहीं है···

**प्रो० एन जी रंगा** : श्रीमन्, इस तथ्य की दृष्टि से कि नौकरशाही हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल सहयोगी नहीं रही है···

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : सहयोग न करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरा यह अभिप्राय नहीं था। उन्होंने सहयोग किया है।

**अध्यक्ष महोदय** : उनका अभिप्राय यह नहीं था।

**प्रो० एन. जी रंगा** : हालांकि प्रधान मन्त्री ने स्वाधीनता के इतने वर्षों के बाद सारी योजना को आरम्भ किया। फिर भी बहुत से मामले अभी तक निर्णयाधीन हैं। इतने मंत्रियों के पास नहीं जितने कि नौकरशाही के पास। अपने नौकरशाही को आड़ देने का कोई लाभ नहीं है। मैं सरकार से यह जानना चाहूँगा कि क्या वह सभी दलों के उन संसद सदस्यों की जोकि स्वाधीनता सेनानी हैं। एक समिति गठित करेंगे जो इस समय सरकार के विचाराधीन पड़े मामलों को निपटाने में सरकार की मदद करें क्योंकि 8 बरस बीत चुके हैं जब कि प्रधान मंत्री ने यह योजना आरम्भ की थी।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : मैं पहले ही कह चुकी हू कि यदि किसी के पास कोई सुझाव है तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूं। अब उन स्वाधीनता सेनानियों को जो इस श्रेणी में आते हैं हम एक साथ बुला सकते हैं और उनके सुझाव ले सकते हैं और मैं इस अवसर पर एक भ्रम दूर कर दूं जिसके बारे में मैंने कुछ देर पहले कहा है। मैं नौकरशाही पर इसका इल्जाम नहीं डाल रही हूं। मेरा मतलब यह था कि उन्हें क्रिया नीति के पक्ष को देखना है। इसीलिए यह सुनिश्चित करने के लिये हम योजना का दुरुपयोग न हो, कुछ मान दण्ड निश्चित किए गए थे।

**श्री एस बी. चह्वाण** : उनके ज्ञपान खण्ड 7 के लिए दिये गये उत्तर में मै और आगे यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि भूतपूर्व हैदराबाद में हुए आन्दोलन का स्वरुप देश के अन्य भागों में हुए आन्दोलनों से सर्वथा भिन्न था और क्या सरकार इस सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण अपने उत्तर में बताया है उस पर पुनर्विचार करेगी ?

**श्री योगेन्द्र मखवाना** : मैं कह चुका हूं कि यह विचाराधीन है और हम जल्द ही कोई निर्णय करने वाले हैं। इसमें उनकी इस मांग का एक भाग भी शामिल है जो उन्होंने पेश की है। यह मद संख्या 8 के अधीन है। अत: वह भी विचाराधीन है यह मैं पहले ही कह चुका हूं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या जिन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता सुभाष चन्द्र बोस द्वारा चलाये गये आन्दोलन में भाग लिया था तथा आजाद हिन्द फौज और 1946 में आर. आई. एन. में भाग लिया था उनके मामले पर भी विचार किया जायेगा क्योंकि रायल इंडियन रिवोदर के एक भी मामले को स्वीकार नहीं किया गया है ? मैं यह नहीं कहना चाहता कि ऐसा नौकरशाही अथवा किसी अन्य की वजह से हुआ

है। सरकार को यह हयमेत्व लेना ही है कि क्या इन दोनों वर्गों को शामिल किया जायेगा और क्या जिन्होंने अपात स्थिति के दौरान दूसरे स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था उन्हें भी शामिल किया जायेगा ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है श्रीमन्, हमने आजाद हिन्द फौज तथा आर. आई. एन. को पहले ही शामिल कर लिया है। अगर कुछ लोग शामिल नहीं हुए हैं हम उनके मामलों पर विचार करेंगे। जहाँ तक हनन के दूसरे भाग का सम्बन्ध है। ऐसा लगता है कि माननीय सदस्यो को काफी इनाम मिल चुका है। वे सभी सरकार में थे।

**"विदेशियों" के मामले को लेकर हुए आन्दोलन से प्रभावित राज्य**

*125. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी भारत में 'विदेशियों" के मामले को लेकर हुए आन्दोलन से कुछ राज्य प्रभावित हुए हैं;

(ख) उन राज्यों की सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपायों को ठीक, उचित और पर्याप्त समझती हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ने स्थिति सामान्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क), (ख), (ग),(घ)और (ङ) असम और मेघालय में "विदेशियों" के प्रश्न पर आन्दोलन हुए हैं। असम सरकार और मेघालय सरकार कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और अपने-अपने राज्यों में सभी वर्गों के लोगों में सुरक्षा की भावना को बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रही है।

2. भारत सरकार द्वारा समस्या के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए शुरू किए गए उपायों में असम बगलादेश सीमा पर अतिरिक्त बलों की तैनाती, सीमा के मेघालय त्रिपुरा क्षेत्र में सतर्कता की क्रमबद्ध रूप से कड़ा करना, नदी तटीय पुलिस को बढ़ाना और असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सभी मतदाताओं को फोटो लगा हुआ पहचान पत्र देने की शुरूआत करना, सम्मिलित है। असम सरकार से कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करें जिससे कि बन और अन्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को प्रभावकारी रूप से रोका जा सके और विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण को रोकने के लिए उचित कानूनी प्रस्ताव तैयार करें।

**श्री मुकुन्द मंडल** : मैंने माननीय मंत्री से एक स्पष्ट उत्तर मांगा है परन्तु उन्होंने मेरे प्रश्न का अस्पष्ट उत्तर दिया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार असम समस्या पर एक निःसहाय दर्शक की भाँति कार्य कर रही है। आसाम और मेघालय में नरमेद यक्ष हो रहा है। वहां आन्दोलन के नाम पर अन्धाधुन्ध लूट-पाट और आगजनी हो रही है। आसाम से भारतीय नागरिकों को बहुत ही अमानवीय ढग से निकाला जा रहा है। वास्तविकता तो यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार को·····का सामना करना पड़ रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको प्रश्न पूछना चाहिए और भाषण नहीं देना चाहिए।

**श्री मुकुन्द मण्डल** : आसामियों द्वारा राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाती है। कृपया यदि आपका कोई दूसरा पूरक प्रश्न है तो उसे पूछिए।

**श्री मुकुन्द मन्डल** : इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या रुख अपनाया है तथा इन अमानवीय गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति कब तक दी जाती रहेगी ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : भारत सरकार इस विषय में सतर्क है। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है इसके लिए कई उपाय किए गए हैं। प्रधान मंत्री ने सभी राजनैतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी और उसमें कुछ विचार विमर्श किया गया था। उस दृष्टि से आसाम के विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया गया था और उनके साथी इस प्रश्न पर गृह मंत्री तथा दूसरे सहयोगियों द्वारा विचार विमर्श किया गया था। हम उनके साथ बात-चीत कर रहे हैं और समस्या के समाधान का प्रयास कर रहे हैं। इस स्थिति में यह कहना बहुत ही कठिन है कि इसका समाधान कब तक हो जाएगा।

**श्री मुकुन्द मण्डल** : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि···(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : आप अपना प्रश्न पूछ चुके हैं···यदि आप उसी तरह से उसकी पुनरावृति करना चाहते हैं तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री मुकुन्द मण्डल** : मैं माननीय मंत्री का ध्यान आज के "**टाइम्स आफ इन्डिया**" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। इसमें कहा गया है कि प्रदेश कांग्रेस (ई०) समिति आसाम के रास्तों की नाकेबन्दी करके आन्दोलन को प्रारम्भ कर रही है और फिर कहा गया है कि आसाम को जाने वाली सड़कों की अपनी नाकेबन्दी योजना' को सोमवार से औपचारिक ढंग से प्रारम्भ करने के लिए श्री मुखर्जी इस सप्ताह के अन्त में सिलीगुड़ी जा रहे हैं जिससे कि कोई भी माल आसाम से बाहर न जा सके।

**अध्यक्ष महोदय** : हमें इससे कुछ नहीं लेना है। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इस प्रकार के भाषणों मे न जाइये। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : किसी को भी अनुमति नहीं दी जाती है। श्री मण्डल कृपया अपना प्रश्न पूछिए। आप अनावश्यक रूप से सदन का समय लेते जा रहे हैं।

**श्री मुकुन्द मण्डल** : पश्चिम बंगाल में कांग्रेस (इ०) द्वारा प्रारम्भ किए गए इस आन्दोलन के प्रति सरकार का क्या रवैया है ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : हमने समाचार पत्र में छपे समाचार को देख लिया है। मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है परन्तु मैं इसे प्राप्त करने का प्रयास कर रही हूं। तथापि, मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे तनाव बढ़े अथवा जो किसी भी रूप में इस स्थिति को बढ़ावा दे · (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया मौखिक बात-चीत मत कीजिए।

**श्री पी. के. थुंगोन** :क्या मंत्री महोदय को पता है कि इस आन्दोलन के कारण से अरुणाचल प्रदेश के सैंकड़ों विद्यार्थियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने जा रहा है क्योंकि गोहाटी

विश्वविद्यालय इस वर्ष की परीक्षाओं को समय पर नहीं ले रहा है। यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस विषय में क्या उपाय किये जा रहे हैं जिससे कि ये छात्र और छात्रायें समय पर परीक्षाओं में बैठ सकें।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : उन छात्र और छात्राओं को पर्याप्त संरक्षण दिया जाएगा जो परीक्षा में बैठना चाहेंगे। **(व्यवधान)** पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय ने इसकी व्यवस्था कर ली है ·· **(व्यवधान)**

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या मंत्री महोदय पूर्वांचल लोक परिषद् के नेता श्री निवारण बोरा द्वारा दिए गये वक्तव्य की जानकारी है जो उन्होंने यहां पर आयोजित बात-चीत में भाग लेने के पश्चात वापस जाने इस सम्बन्ध में दिया था कि विदेशी दबाव के कारण सरकार को उनकी माँगों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उनकी एक मांग यह है कि 1951 के वर्ष को विभाजन वर्ष माना जाय, यदि सरकार को इस वक्तव्य की जानकारी है तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

**गृह मंत्री (श्री जैल सिंह)** : अध्यक्ष महोदय, बोरा साहब दूसरे दिन आकर नेगोसिएशन्स में शामिल हुए थे और बातचीत खत्म करने के बाद यह फैसला हुआ कि प्रैस में कोई भी स्टेटमेन्ट नहीं दिया जायेगा। हो सकता है कि वे जाकर असम में अपने दूसरे दोस्तों से सलाह मश्विरा करके फिर दोबारा बात चीत शुरू करें इसलिए प्रेस को हमने अपना कोई स्टेटमेन्ट नहीं दिया। मगर उन्होंने जो स्टेटमेन्ट दिया हैं वह हमारी नोटिस में आया फिर भी उसका कोई कट्राडिक्शन या तस्दीक नहीं की। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि यह बात बिल्कुल निराधार है कि सरकार कोई भी फैसला किसी विदेशी ताकत की प्रेरणा से या दबाव से करना चाहती है बल्कि हम इस बात पर दृढ हैं कि कोई भी विदेशी ताकत वहां अपना दखल देगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

**शिविर में उपस्थित हुए बिना प्रादेशिक सेना में पदधारणाधिकार (लियन) का बने रहना**

*126. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक सेना में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों को प्रादेशिक सेना में पदधारणाधिकार (लियन) बनाए रखने की अनुमति दी जाती है भले ही उन्होंने कई वर्षों तक किसी शिविर में भाग न लिया हो; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त (क) भाग का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में लोगों ने प्रादेशिक सेना में अपना पदधारणाधिकार बनाए रखा है, हालाँकि उन्होंने गत अनेक वर्षों से किसी शिविर में भाग नहीं लिया है; और

(ग) उनका पदधारणाधिकार समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ताकि उनके नीचे वाले लोगों को पदोन्नति मिल सके ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री सी.पी.एन. सिंह )** : (क) जी नहीं। विशेष असम्बद्ध सूची (स्पेशल अनअटैच्ड लिस्ट) के कमीशन प्राप्त अफसरों अथवा उन कर्मचारियों, जिन्हें प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने से विशेष तौर पर छूट दी जाती है, को छोड़ कर प्रादेशिक

सेना में काम करने वाले अन्य असैनिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण शिविरों में भाग न लेने के कारण बरखास्त किया जा सकता है।

(ख) और (ग) जी हां, सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि एक जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर और 71 अन्य रैंकों ने तीन वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि तक दिल्ली में वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों में भाग नहीं लिया। जिन मामलों में शिविर में भाग न लेने के लिए वैध कारण नहीं हैं, उनमें संबंधित व्यक्तियों को प्रादेशिक सेना से बरखास्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

**श्री उत्तमराव पाटिल** : मैं मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ अधिकारियों को देश से बाहर स्थानान्तरित किया गया है और वे अब भी अपना लियन रखे हुए हैं? यदि हाँ, तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति किस आधार पर दी गई है? प्रादेशिक सेना के अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा दूसरे क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**श्री सी. पी. एन. सिंह** : जहाँ तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है तो मैं नहीं समझता हूं कि प्रादेशिक सेना के किसी अधिकारी को देश से बाहर स्थानान्तरित किया गया है, क्या स्थानान्तरण से आपका आशय दूसरे राज्यों अथवा देशों से तो नहीं है? मैं समझता हूँ कि यह सूचना सही नहीं है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहाँ तक पदोन्नति का सम्बन्ध है, वे अधिकारी जिन्हें विशेष असम्बद्ध सूची में रखा गया है, किसी भी रुप में दिल्ली में लगाई गई एकको की पदोन्नति में बाधा नहीं डालते हैं।

**श्री के.पी. सिंह देव** . मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे की एक जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा 71 अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को सेवा से निकाल देना काफी आसान है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि प्रादेशिक सेना के उन 96 अधिकारियों तथा कुछ व्यक्तियों को जिन्होंने 20 वर्ष से भी अधिक सेवा कर ली है तथा 1962 1965 और 1971 की लड़ाइयों में भाग लिया है, को पिछली सरकार द्वारा बिना किसी बात अथवा कारण के नौकरी से हटा दिया था यद्यपि उन्होंने सभी शिविरों में भाग लिया था तथा उन्हें 1962 से 1975 तक उन शिविरों में शामिल भी किया गया था। उन्हें उनके असैनिक व्यवसाय से उखाड़ दिया गया है। सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि जिन व्यक्तियों ने शिविरों में लगातार भाग लिया था उनकी सेवाओं तथा वेतन को सिविल विभागों में कायम रखा जायेगा?

**श्री सी.पी.एन. सिंह** : सरकार अवश्य ही इस मामले पर ध्यान देगी। जनता शासन के दौरान क्या-क्या हुआ वह और भी दिलचस्प है परन्तु मुझे पहले मामले की जाँच करनी होगी।

**श्री के.पी. सिंह देव** : परन्तु दो दिन पहले वे प्रधान मंत्री और आपसे मिले थे।

**डा० कर्ण सिंह** : प्रादेशिक सेना का सुरक्षा में सैनिक तथा अर्द्ध सैनिक शक्तियों के बाद तीसरा नम्बर आता है। परन्तु प्रत्यक्ष रुप में प्रादेशिक सेना के साथ पूर्ण रूप से अच्छा व्यवहार नहीं हो रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कुछ वर्षों से इसके अन्दर काफी लापरवाही आ गई है, क्या माननीय मंत्री हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रादेशिक सेना

कों अधिक प्रभावशाली बनाने तथा पिछले कुछ वर्षों की तुलना में उसके उद्देश्य को अच्छे ढंग से निभाने हेतु वे प्रादेशिक सेना की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने की कोई योजना बना रहे हैं ?

**श्री सी.पी.एन. सिंह** : माननीय सदस्य ने एक बहुत ही ठीक तर्क दिया है और सरकार अवश्य ही इस पर ध्यान देगी।

**उत्तर प्रदेश में आयुध कारखानों में उत्पादन में कमी**

*127. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : **क्या रक्षा मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली के कम उत्पादन के कारण उत्तर प्रदेश में स्थिति आयुध कारखानों में उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो कानपुर तथा शाहजहांपुर स्थित कारखानों में गत 6 मास में कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) इन फैक्टरियों के श्रमिकों कों खाली बैठे रहने पर कितनी राशि अदा की जा रही है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.पी.एन. सिंह)** : (क) जी हाँ।

(ख) आयुध कारखानों के उत्पादन के आंकड़ों का विवरण देना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) इस संबंध में उत्तर प्रदेश के आयुध कारखानों के कर्मचारियों को खाली बैठे रहने पर लगभग 13.8 लाख रुपये की राशि अदा की गई है।

**श्री जितेन्द्र प्रसाद** : बिजली की सप्लाई न मिलने के कारण उत्पादन में आई कमी में सुधार के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और उन सहायक उद्योगों की सहायता के लिए जो इन कारखानों को आवश्यक वस्तुएँ सप्लाई करते हैं, सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ? क्या यह सच है कि बिजली की सप्लाई न मिलने से केवल आवश्यक रक्षा उत्पादन पर ही विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन में भी कटौती होती है ?

**श्री सी० पी० एन० सिंह** : उत्तर प्रदेश में विशेषत: नवम्बर, 1979 के महीने में बिजली सप्लाई की स्थिति बड़ी खराब रही है। मैं आपको उत्तर प्रदेश की विशेषत: शाहजहाँपुर तथा कानपुर की बिजली से सम्बन्धित स्थिति के बारे में कुछ जानकारी दूँगा क्योंकि सदस्य ने विशेष रूप से इन दो स्थानों के बारे में पूछा है। शाहजहाँ पुर में एक महीने में 63 बार बिजली की सप्लाई में रुकावटें आईं। वास्तव में, शाहजहाँ पुर के मामले में गत छ महीनों में 234 अवसर ऐसे आये जब बिजली की सप्लाई में रुकावटें आईं जिनमें से 63 एक महीने में अर्थात् नवम्बर, 1979 के महीने में थी। कानपुर स्थित कारखानों में बिजली की सप्लाई में रुकावटों की संख्या प्रतिमास 35 से 60 के बीच में थी। प्रश्न का दूसरा भाग आयुध कारखानों को आवश्यक बिजली की सप्लाई के बारे में है। सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय के जरिए पहले ही एक आदेश जारी कर दिया है जिसमें उपभोक्ताओं की जाँच सूची में रक्षा उत्पादन यूनिटों को प्राथमिकता के आधार पर 7वें नम्बर पर रखा गया है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार दोनों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और उनसे अनुरोध किया है कि वे यह देखें कि बिजली के अभाव

में रक्षा उत्पादन यूनिटों को हानि न पहुँचे। मैं यहाँ यह उल्लेख करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ही ऐसे राज्य हैं जहाँ बिजली की सबसे अधिक कटौती हुई है जिसके कारण सारे कारखानों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

**श्री जितेन्द्र प्रसाद** : उन सहायक उद्योगों का क्या हुआ जो इन कारखानों को वे आवश्यक वस्तुएँ सप्लाई करते हैं जिनके बिना उनका काम नहीं चल सकता।

**श्री सी० पी० एन० सिंह** : जहाँ तक आयुध कारकानों की आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई का प्रश्न है, यह जाहिर है कि हम प्रयास करेंगे और हम उनके लिए भी उतना ही करेंगे जितना कारखानों के लिये क्योंकि उनके यहाँ कर्मचारी हैं।

**श्री संजय गांधी** : क्या यह सच है कि इन कारखानों के कर्मचारी बिजली की कमी के कारण बेकार नहीं है, बल्कि, पिछली सरकार की गलत योजना के कारण तथा इन कारखानों को मिले अपर्याप्त आर्डरों के कारण हैं ?

**श्री सी० पी० एन० सिंह** : माननीय सदस्य ने बहुत प्रासंगिक प्रश्न पूछा है···(**व्यवधान**) इस सदन में कुछ हंसी की आवाजें सुनकर प्रसन्नता होती है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : रिहर्सल बाहर की जा सकती है।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे हमेशा यह आश्चर्य होता है कि क्या श्री बसु सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्या यह उनका स्वैच्छिक प्रयास है ?···(**व्यवधान**)

**श्री सी० पी० एन० सिंह** : माननीय सदस्य ने उत्पादन न होने या उसमें कमी आने और जनता शासन के दौरान हुए अभावों के बारे में पूछा है। मुझे संदेह है कि ऐसा हर क्षेत्र में हुआ तथा आयुध कारखानों में भी हुआ (**व्यवधान**)

**श्री रामगोपाल रेड्डी** : इस गंभीर बिजली संकट का प्रभाव हमारे देश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य पर पड़ा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या बिजली की सप्लाई के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है जैसे तापीय बिजली घरों की स्थापना आदि ?

**श्री सी० पी० एन० सिंह** : इन आयुध कारखानों के लिए सरकार ने कुछ वैकल्पिक कदम उठाये थे, जैसे कि कुछ आयुध कारखानों में जेनरेटर लगाना।

**श्री एन० नीललोहिथा दसन** : क्या भारत सरकार के पास कोई नई रक्षा उत्पादन यूनिट आरम्भ करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ तो केरल सरकार ने एक अभ्यावेन दिया है··· (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : इतना ही पर्याप्त है।

**श्री हरिकेश बहादुर** : माननीय सदस्य को अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें दो पूरक प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूँ। अगला प्रश्न।

**कोहिनूर मिल्स के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में प्रतिनिधियों की नियुक्ति**

*128. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने (जून, 1976 में) कोहिनूर मिल्स के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में श्रमिकों के कुछ प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है,

(ख) बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के कारण क्या हैं, और

(ग) जून, 1976 में श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ किन-किन और व्यक्तियों की नियुक्ति हुई थी।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) और (ख) चूँकि यह एकक मूल रूप से गैर सरकारी है, अतः सरकार द्वारा किसी निदेशक की नियुक्ति किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी, प्रबंधकीय बोर्ड ने जो मुख्य रूप से सैंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा नियंत्रित है, नवम्बर, 1976 में एक श्रमिक नेता श्री वी० आर० होशिंग को उत्पादन में सुधार करने के लिये श्रमिकों के सहयोग का निश्चय करने की दृष्टि से बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में सम्मिलित होने के लिए नियत्रित किया था। श्री होशिंग बोर्ड में दिसम्बर, 1976 में शामिल हो गये थे तथा अन्ततोगत्वा मई, 1977 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था।

(ग) सर्व श्री एन. एल. हिंगोरानी, एच. एस. बापसना, एन. पी. पी. कपाड़िया को जून, 1976 में बोर्ड में सहयोजित किया गया था जब दिसम्बर, 1976 में श्री होशिंग बोर्ड में शामिल हुए थे तो उनके साथ अन्य कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया था।

**श्री प्रमिला दंडवते** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूँ कि मि० होशिंग ने जब 1977 में इस्तीफा दिया था, तो उसके बाद किसी लेबर रेप्रेजेन्टेटिव को बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स पर लिया गया था या नहीं और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ में 1977 से पहले जो लोग लिये जा रहे थे, क्या फिर उनको बोर्ड पर लेंगे ? वहाँ पर कांग्रेस का काम करवा लेने की पद्धति थी और वह सन् 1977 के बाद रुक गई थी। तो क्या फिर से 1980 में उसको शुरु करने वाले हैं और उन जगहों पर दूसरे किसी व्यक्ति की नियुक्ति होने वाली हैं ?

**श्री चरनजीत चानना** : माननीय सदस्या द्वारा पूछा गया प्रश्न वास्तव में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य को बताया गया है कि श्री होशिंग की नियुक्ति भारतीय सेन्ट्रल बैंक के प्रबन्धकों द्वारा की गई थी, सरकार द्वारा नहीं। दूसरे, उन्होंने यह पूछा है कि उनके हटाये जाने या त्याग पत्र देने के बाद किसी वैकल्पिक श्रमिक सदस्य की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। दरअसल उसका उत्तर रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक 'राजनीतिक, आधार' का सम्बन्ध है, यह बात माननीय सदस्यों को ज्यादा अच्छी तरह मालूम होगी क्योंकि वह उस समय भूतपूर्व सरकार का एक अंग थी।

**प्रो० मधु दंडवते** : वह किस प्रकार सरकार का एक अंग थीं ?

**अध्यक्ष महोदय** : अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा अनुपूरक प्रश्न। **(व्यवधान)**

**श्रीमती प्रमिला दंडवते** : 40 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्चा वहाँ के लिए सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया और आई० डी० बी० जो कि गवर्नमेंट का फाइनेंशयल इंस्टीच्युशन है उसका रखा गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह प्रश्न से सम्बद्ध है ?

**श्रीमती प्रमिला दंडवते** : लेकिन आज वहाँ की हालत ऐसी है कि वहाँ के मजदूर यह समझते हैं कि यह मिल बन्द हो जाएगी। जाज फर्नान्डीस जब पिछली सरकार में उद्योग मन्त्री थे तब उन्होंने इसे एन. टी. सी. के हाथ में···

**अध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से संबद्ध नहीं है। प्रश्न की अनुमति नहीं है। और कोई प्रश्न। श्री बारोट···(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : वह एक महिला है।

**श्रीमती प्रमिला दंडवते** : मेरा यह सवाल है कि वहाँ के मजदूरों के जो बेरोजगार हो जाने की संभावना है उसको देखते हुए क्या सरकार एन. टी. सी. से उस मिल को जारी रखने की व्यवस्था करने के बारे में सोचने वाली है या कुछ और करने वाली है ?

**श्री चरणजीत चानना** : माननीय सदस्य ने बहुत प्रासंगिक प्रश्न उठाया है। जहाँ तक उनके शासन में मिल के कुप्रबन्ध का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूँगा कि वर्तमान प्रबन्धात्मक प्रणाली के अन्तर्गत उस मिल के लिए यथा संभव अच्छे से अच्छा प्रबन्ध करने का विचार किया जा रहा है।

**श्री मगन भाई बारोट** : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या श्री होशिंग ने जो बम्बई के टैक्सटाइल मिल वर्कर्स की प्रतिनिधि यूनियन के नेताओं में से एक हैं और जिन्होंने उनके अनुसार 1976 में कार्यभार संभाला था, अपने पद से 1977 में त्याग पत्र दे दिया है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी गई थी कि उन्हें प्रतिनिधि यूनियन का सदस्य होने और एक लाभदायक भूमिका निभाने के बावजूद उन्हें जनता शासन के कारण अपने पद से त्याग पत्र देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। क्या उससे मिल के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ा या नहीं और क्या जिस परिस्थिति के बारे में माननीय सदस्य ने शिकायत की है, वह जनता शासन के दौरान मिल के प्रशासन द्वारा उत्पन्न की गई थी।

**वित्त और उद्योग मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : यह टिप्पणी करना हमारा काम नहीं है कि श्री होशिग ने क्यों त्याग पत्र दिया। हमारे रिकार्ड में केवल इतना ही है कि उन्होंने पद त्याग कर दिया और यह एक संजोग है कि उस समय जनता सरकार शासन में आई थी। मैं केवल इतना ही कह सकता हू। जहाँ तक प्रबन्ध···(**व्यवधान**) संजोग का संबंध है आप स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लोग अपनी···के अनुसार निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, प्रबन्ध बहुत खराब था। इस मिल में वास्तव में 8,000 से अधिक कर्मचारी हैं और यह बम्बई की सबसे बड़ी मिलों में से एक है जिसमें 1,30,000 तकलियां हैं। इसे पुन: संगठित करने और फिर से स्थापित करने की आवश्यकता थी। इसे चलाने, इसमें सुधार करने और पुन: स्थापित करने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार किया जा रहा है···(**व्यवधान**) इसे पुन: स्थापित करने तथा सुचारु ढंग से चलाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है।

**पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए शिक्षित बेरोजगार हरिजनों की सहायता**

*129. **श्री के. प्रधानी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए शिक्षित बेरोजगार हरिजनों तथा आदिवासियों को वित्तीय तथा अन्य सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु वित्तीय तथा अन्य सहायता देने के अनेक कार्यक्रम हैं। उपर्युक्त प्रकरणों में ये योजनाऐं शिक्षित बेरोजगार हरिजनों एवं आदिवासियों के लिये भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार की योजनाओं का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

**1. क्षेत्रोन्मुख कार्यक्रम**

1. औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों को वित्तिय संस्थाओं से मिलने वाला रियायती दर का वित्त।

2. औद्योगिक रूप से पिछड़े पात्र जिलों को उपलब्ध केन्द्रीय निवेश राजसहायता।

3. अधिसूचित पहाड़ी तथा दूरस्थ क्षेत्रों के लिये लागू परिवहन राज सहायता।

4. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (लाभान्वित होने वालों के लिए लागू 33 1/3 प्रतिशत की सामान्य राज सहायता दर जिसका अधिकतम 3000 रुपये है, इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले आदिवासियों के लिये राजसहायता की दर 50 प्रतिशत है।

**11. प्रशिक्षणोन्मुख कार्यक्रम :**

1. स्व नियोजन कार्यक्रमों के लिये ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण किया जाना,

2. उद्यमिता विकास कार्यक्रम

(i) केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतया सहायता प्राप्त लघु उद्योग सेवा संस्थान, भारतीय निवेश केन्द्र, एस.आई.ई.टी. आदि द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों में हरिजनों तथा जनजातियों के अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाती है।

(ii) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय स्वरोजगार तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उद्यमियों की प्रतिभा का सवंर्धन करने हेतु अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों सहित कमजोर वर्ग के विशिष्ट लक्ष्य समूहों के लिये विशेष उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाता है।

(iii) सभी प्रबंधकीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/आदिम जाति के प्रशिक्षणार्थियों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाता है।

(iv) लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे उद्यमिता कार्यक्रमों में 10 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों/आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित हैं।

3. संभाव्यता परियोजना रिपोर्टें बनाने तथा उनके सम्बन्ध में लगाये गये प्रभारों के विषय में सहायता करना।

4. उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित किये गये इंजीनियर उद्यमकर्त्ताओं के लिये ब्याज राज सहायता देना।

5. उद्यमकर्त्ताओं के लिये प्रारम्भिक धनराशि/सीमान्त धनराशि की व्यवस्था करने सम्बन्धी कार्यक्रम।

सामान्यतया उद्यमियों के लिये उनकी जरुरतों का 10 प्रतिशत तक प्रारम्भिक धनराशि सीमान्त धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, हरिजनों एवं जनजाति के लोगों के लिये इसे उदार

बना कर 15 प्रतिशत तक कर दिया गया है तथा प्रत्येक मामले में इसकी अधिकतम सीमा 20,000 रुपये है।

## 111. संस्था/क्षेत्रोन्मुख योजनाएं

उपर्युक्त सरकारी योजनाओं के अलावा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, विकास आयुक्त (हथकरघा) जैसे अभिकरण, तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के रेशम उद्योग तथा कयर अभिकरणों द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम हैं जो हरिजनों तथा आदिवासियों के लिये भी उपलब्ध हैं।

**श्री के. प्रधानी :** मैंने मंत्री महोदय द्वारा दियां गया वक्तव्य देख लिया है। उन्होंने कहा हैं

"वास्तव में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को उपलब्ध केन्द्रीय पूंजी निपेक्ष सहायता" मैं यह जानना चाहता हूँ कि औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों से उनका क्या तात्पर्य है और क्या इनमें आर्थिक रूप से पिछड़े जिले भी शामिल हैं।

**श्री चरनजीत चानना :** योजना आयोग ने कुछ वर्ष पहलें औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए उद्यम किया था और औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के अन्दर ही, उन्होंने औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का भी पता लगाया। इन जिलों में, विशेष रियायतें उपलब्ध हैं। वित्तीय संस्थाएं औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित पिछड़े इलाकों को विशेष रियायतें देती हैं। जो लोग जो उद्यमी वहाँ उद्योग स्थापित करते हैं उन्हें अतिरिक्त पूंजी-निवेश सुविधाएं दी जाती हैं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन में दिया गया ब्यौरा देखें।

**श्री के० प्रधानी :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उनके पास उन आदिवासियों तथा हरिजनों से संबंधित आँकड़े हैं जिन्हें इस वर्ष अथवा पिछले वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत सहायता दी गई है।

**श्री चरनजीत चानना :** वे आकड़े उपलब्ध नहीं है। यदि वह उसके लिए अलग से नोटिस दें, तो हम ये आँकड़े एकत्र कर सकते हैं और प्रस्तुत कर सकते हैं।

**श्री अनादि चरण दास :** ये जो मंत्री जी ने एरिया ओरियेन्टेड और ट्रेनिंग ओरियेन्टेड प्रोग्राम बताए हैं ये तो सब किताबों में भी दिए हुए हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सचमुच में यह देखा जाता है कि आदिवासिओं और हरिजनों को उनसे मदद मिलती है या नहीं हमारी स्टेट उड़ीसा में इनसे उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हरिजनों और आदिवासियों के लिए क्या वे कोई अलग से ट्रेनिंग बनाने के बारे में विचार करने जा रहे हैं ?

**श्री चरणजीत चानना :** मैं माननीय सदस्य का ध्यान माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इस सदन में दिए गए उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूँ। हाल ही में, श्रीमती एन. चन्द्रशेखर, संसद सदस्य से प्राप्त एक पत्र के बारे में प्रधान मंत्री ने यह कहा था :

"माननीय सदस्य ने जिस कठोर सीमा निर्धारण का सुझाव दिया है, उसकी अपेक्षा हमें

स्वंय ही कमजोर वर्गों के उद्यमियों पर विशेष ध्यान देकर तथा उन्हें प्रोत्साहन देकर अपनी सदशयता का परिचय देना चाहिए।"

दूसरे, योजना आयोग ने फ्री शिवरामन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है, जो उक्त योजना के अन्तर्गत दी गई सुविधाओं का इसके लाभ पाने वालों पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास कर रही है। वे अभी तक उस पर कार्य कर रहे हैं। जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होगा सरकार प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर विचार करेगी और औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, जिसमें पिछड़े लोग भी शामिल हैं, अवश्यक सुविधाएं देगी।

**श्री बाबू साहिब परुलेकर** : क्या मैं जान सकता हूँ कि बेरोजगारी के प्रश्न का एक बार हमेशा के लिए समाधान करने की दृष्टि से, सरकार संविधान के अनुच्छेद 19 में संशोधन करेगी और काम के अधिकार को उसमें मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करेगी और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

**वित्त और उद्योग मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन)** : यदि संविधान में एक अनुच्छेद शामिल करने से पी बेरोजगारी की समस्या हल हो जाए, तब तो यह सबसे अधिक आसान बात होगी। लेकिन हमारे जैसे बड़े देश में, हमारे सामने जो बृहत समस्या है उस पर विचार करते हुए, इसे कार्यान्वित करना बहुत कठिन होगा। अतः बेरोजगारी कम करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि बेरोजगारी की समस्या पूरी तरह और हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।

**श्री रामबिलास पासवान** : अध्यक्ष जी, माननीन सदस्य ने जो प्रश्न किया था वह प्रश्न अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है और मंत्री जी ने जवाब दिया है पिछले दिनों से संबंधित हैं। मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी प्रश्न था उस प्रश्न को टाल दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट पूछना चाहता हूँ···

**प्रो० मधुदंडवते** : आप जिसे रुलिंग पार्टी कहते हैं उसको हम अपोर्जिशन पार्टी कहते हैं।

**श्री राम विलास पासवान** : मैं जानना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्ज को आपने कितनी सहायता दी है और जिस तरह से गवर्नमेंटसर्विसेज में उनके लिए रिजर्वेशन है उसी तरह से इंडस्ट्रीज में भी उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था आप करेंगे ? इनके विकाश के लिए क्या अलग से एक मंत्रालय भी खोलेंगे ?

**श्री चरणजीत चानना** : इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ। परन्तु मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस प्रश्न का जो ए भाग है उस ओर दिलाना चाहता हूँ। उसमें यह लिखा हुआ है :

(क) "पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए शिक्षित बेरोजगार हरिजन और आदिवासी"

**श्री राम बिलास पासवान** : मैंने यह पूछा है कि रिजर्वेशन देंगे या नहीं ? मैंने यह भी पूछा है कि वित्तीय सहायता कितनी दी है और इनके विकास के लिए क्या अलग मंत्रालय खोलेंगे। इनका जवाब नहीं आया है। मेरा सवाल स्पष्ट है। मैंने पूछा है कि कितनी वित्तीय सहायता दी है।

**श्री चरनजीत चानना** : इस प्रश्न के लिए मुझे पूर्वसूचना चाहिए।

**श्री राम विलास पासवान**। इसमें नोटिस की क्या जरूरत है ?

**वित्त और उद्योग मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन)** : जब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्राथमिकता है, तो कोई विशेष राशि का आरक्षण नहीं किया गया है।

जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, राज्य मंत्री पहले ही बतला चुके हैं कि हमें उसके लिए नोटिस चाहिए।

**श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : कई सालों से यह व्यवस्था चली आ रही थी कि शिक्षित बेरोजगार जिन के पास ड्राइविंग लासेंस हो उन्हें बिना गारंटी या बिना सिक्योरिटी के टैक्सियों के लिए लोंप दे दिया जाता था या टैक्सियाँ दे दी जाती थीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस व्यवस्था को अब हटा दिया गया है ? मैं इसलिए यह जानना चाहता हूँ क्योंकि कई हरिजनों ने इधर मेरे अपने यहां एप्लाई किया है लेकिन उनको लोन नहीं मिला है।

**श्री आर. वेंकटरमान** : सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कठिनाइयों विशेष कर ऋण के लिए गारंटी अथवा सिक्योरिटी देने की उनकी असमर्थता का पता है। सरकार योजना की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए चयनात्मक आधार पर ऋण दे रही है। यदि योजना व्यवहार्य हो और यदि योजना को सफलतापूर्वक कार्य रूप दिया जा सके, तो बैंकों को योजना की व्यवहार्यता के आधार पर ऋण देने का स्वेच्छाधिकार दिया गया है। ऐसा कोई आदेश जारी करना सभव नहीं होगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसी अभ्यार्थी से कोई जमानत अथवा गारटी की मांग न की जाए। अतः जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिक से अधिक उद्यमियों को ऋण दिलाने के लिए यथा-संभव प्रयत्न किया जा रहा है, वहीं ऋण दिए जाने का मानदण्ड केवल जमानत नहीं बल्कि परियोजना की व्यवहार्यता को भी माना जाएगा।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### पंच वर्षीय योजना का पुनरीक्षण

*129. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **प्रधान मत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान केन्द्रीय सरकार के पांच वर्षीय कार्यकाल में निधियों के समुचित उपयोग हेतु 1980 से 1985 वर्ष के लिये समूची पचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख) जनता और लोकदल सरकारें अपनी कार्यकाल में किसी पचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दे सकीं। इसलिए योजना में सशोधन करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वर्तमान सरकार का योजना पर नए सिरे से विचार करने का प्रस्ताव है। नई योजना में वर्ष 1980-85 की अवधि का समावेश होगा और योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ब्यौरे उपलब्ध होगे।

**कोचीन हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन और कारों के खड़े करने का कम्पलैक्स बनाने के लिए भूमि का हस्तांतरण**

*130. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन और कार पार्किंग कम्प्लेक्स को विकसित करने हेतु नव सेना अधिकारियों से माँगी गई भूमि को हस्ताँतरित कर लिया गया है;

(ख) क्या बोइंग सेवा प्रारम्भ किये जाने को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने भूमि के शीघ्र हस्तान्तरण की आवश्यकता के विषय में रक्षा मंत्री को पत्र लिखा है; और

(ग) अपेक्षित भूमि के शीघ्र हस्तान्तरण के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह)** : (क) से (ग) फरवरी 1979 में 0·86 एकड़ भूमि हस्तान्तरित की गई थी। 2·65 एकड़ और भूमि हस्तांतरित करने के बारे में आदेश हाल ही में जारी किए गए हैं और उक्त क्षेत्र सिविल विमानन प्राधिकारियों को सौंपा जा रहा है।

**दंगों से प्रभावित हुये व्यक्तियों का पुनर्वास**

*131. **श्री राम स्वरूप राय**

**श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **गृह मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1977 से 31 दिसम्बर, 1979 के दौरान हुये साम्प्रदायिक दंगों अथवा अन्य दंगों में मारे गये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के आश्रितों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

जब कभी साम्प्रदायिक अथवा जातिय झगड़े होते हैं तो सम्बन्धित राज्य सरकारें पीड़ित व्यक्तियों के आश्रितों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत करती हैं। फिर भी राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृत करने का कोइ एक जैसा तरीका नहीं है। कुछ मामलों में सहायता प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष से भी दी जाती है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार तथा प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष से मार्च, 1977 से 31 दिसम्बर, 1979 तक की अवधि के दौरान हुए दंगों के पीड़ित व्यक्तियों को राहत के रूप में लगभग 35 लाख रुपये की धन राशि स्वीकृत की गई थी। विभिन्न स्वयं सेवी और अन्य एजेंसियों ने भी पीड़ितों अथवा उनके परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए लगभग 60 लाख रुपये का अंशदान दिया।

केन्द्रीय सरकार ने हाल में राज्य सरकारों को पत्र लिखा है जिसमें अनुसूचित जातियों पर हुए अत्याचारों के पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक योजना तैयार करने का सुझाव दिया गया है। योजना में शामिल करने के लिए सुझाई गई बातें इस प्रकार हैं :

(1) तुरन्त राहत।

(2) अत्याचारों में मारे गये अथबा असमर्थ हुए पीड़ितों के परिवारों की रोजगार और,

अथवा निजी रोजगार की व्यवस्था से पूर्ण आय अर्जन क्षमता बहाल करना ।

(3) जब तक आय अर्जन क्षमता पूर्णतः बहाल न हो, पीड़ित परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य की व्यवस्था अथवा अन्य सहायता ।

(4) जहां कोई रोजी कमाने वाला शेष नहीं रहा हो और रोजगार और/अथवा निजी रोजगार की व्यवस्था के माध्यम से आय अर्जन क्षमता बहाल करने का कोई अवसर न हो तो बच्चों की शिक्षा तथा उनका निर्वाह ।

(5) बलात्कार के पीड़ितों द्वारा सहन किये गये मानसिक आघात को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष व्यवस्था ।

(6) आगजनी के पीड़ितों के लिए पक्के मकान बनाना ।

(7) उनके द्वारा सहन किए गए अत्याचार को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त आर्थिक मुआवजा ।

(8) योजना के अनुसार सभी सहायता देने के लिए जिला समाहर्ताओं/उपायुक्तों/जिला मजिस्टेटों को पूरी शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

अल्प संख्यक समुदायों के पीड़ित व्यक्तियों से सम्बन्धित एक इसी प्रकार की योजना पर भी विचार किया जा रहा है जिसकी राज्य सरकारों को सिफारिश की जानी है ।

**अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कालोनाइजेशन ऋण का माफ किया जाना**

*132. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1976 में सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में 'कोलोनाइजेशन योजना के अन्तर्गत बसने वाले लोगों को दिए गए कोलोनाइजेशन ऋण माफ करने के आदेश दिये थे तथा मुख्य आयुक्त को एक फार्मूला बताया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उस फार्मूले का ब्यौरा क्या है तथा आदेश कब जारी किया गया था;

(ग) क्या अंडमान प्रशासन ने कोलोनाइजेशन ऋण माफ कर दिए थे और यदि हाँ, तो कितने; और

(घ) अब तक कितने मामले अनिर्णीत हैं; उनका कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है तथा विलम्ब होने के कारण क्या हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

**विवरण**

कोलोनाइजेशन योजना के अन्तर्गत बसने वालों से प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार पूर्ण अथवा आंशिक रूप से ऋणों की वसूली न करने के लिए मुख्य आयुक्त, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को अधिकृत करने के आदेश 30 मार्च, 1976 को जारी किये गये थे । मुख्य आयुक्त द्वारा कोई निर्णय लिये जाने के बारे में निम्नलिखित मार्गदर्शी निदेश निर्धारित किये गये थे :

(1) उन व्यक्तियों के मामले में जो सरकारी वृक्ष खड़े होने के कारण सारी भूमि पर खेती न कर सके, वसूली खेती किये जा रहे क्षेत्र के प्रतिशतक अनुपात में की जाये।

(2) उन मामलों में जहां पहाड़ी भूमि अथवा धान की भूमि का सारा क्षेत्र आवंटित करने में विलम्ब हुआ था, वसूली कुल भूमि आवंटित करने के समय से 5 से 6 वर्ष तक स्थगित की जा सकती है।

(3) उन व्यक्तियों के मामले में जो भूमि पर खेती नहीं कर सके परन्तु उसमें उनकी कोई गलती न थी और जिनकी भूमि पुनः ग्रहण कर ली गई थी, वसूली बिल्कुल न की जाए।

(4) भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त समझी जाती है, वहां ऋण की वसूली समाप्त की जा सकती है और सम्बन्धित व्यक्ति को कोई अन्य भूमि आवंटित की जा सकती है। अन्डमान व निकोबार प्रशासन का कृषि अधिकारी यह निर्णय करेगा कि क्या भूमि का कोई विशेष खंड कृषि के लिए उपयुक्त है अथवा अनुपयुक्त।

(5) बसने वाले उन व्यक्तियो के मामले में जिनके पशु एक वर्ष में मर गये हों, पशुओं की खरीद के लिए दिये गये ऋण का ऐसा भाग जो मुख्य आयुक्त उचित समझे। माफ किया जा सकता है। बशर्ते कि वह पशु की मृत्यु के कारणों के बारे में संतुष्ट हों।

(6) जहाँ मूल आबंटिती की मृत्यु हो गई हो तथा परिवार का अन्य कोई सदस्य ऐसा न हो जो भूमि पर खेती कर सके तो भूमि पुनः ग्रहण की जा सकती है तथा किसी अन्य पात्र व्यक्ति को आवंटित की जा सकती है। मूल आवंटिती से वसूली को पूर्णतः माफ किया जा सकता है।

(7) जहाँ मूल आबंटिती की अल्पवयस्क बच्चों को छोड़कर मृत्यु हो गई हो, वसूली पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से माफ की जा सकती है। जैसा कि मुख्य आयुक्त मामले की परिस्थितियों में उचित समझें।

(8) जहां मूल आबंटिती ने भूमि पर खेती करना बन्द कर दिया है और अन्य व्यक्ति इस पर खेती कर रहे हैं। उसे वर्तमान कृषक को भूमि हस्तान्तरण की अनुमति दी जा सकती है वशर्ते कि वर्तमान कृषक उस भूमि को कम से कम 3 वर्षों से जोत रहा हो और मूल आबंटिती के देयताओं का भुगतान करने के लिए सहमत हो।

*133. **श्री समर मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अराजपत्रित कर्मचारियों की बहुत समय से चली आ रही शिकायतों की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की कठिनाईयों के निवारण के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) सरकार ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों को पर्याप्त सुविधायें जैसे प्रति व्यक्ति, प्रतिमाह 50 रु० तक भोजन आर्थिक सहायता, जिन्हें किसी विशेष दिन में 9 घण्टे से अधिक समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है, उन्हें प्रति दिन 4 रु० की दर से जलपान भत्ता, छुट्टियों और राजपत्रित छुट्टियों के बदले में ड्यूटी करने के लिए वर्ष में 30 दिन की छुट्टियों के बदले में वेतन बीमारी और विवाह आदि जैसे अवसरों पर वर्ष में एक बार अतिरिक्त छुट्टी

यात्रा रियायत, ऋण शिक्षा भत्ता, कल्याण केन्द्रों आदि से सिलाई गई वर्दियों की सिलाई में वृद्धि स्वीकार करके, उनकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाने के लिए सुरक्षा गार्ड के लगभग 2370 पदों को वरिष्ठ सुरक्षा गार्ड के पदों में पदोन्नत किया गया है।

बल की कार्यकारी दशा को सुधारने के प्रस्तावों की भी सरकार समय समय पर समीक्षा करती रहती है।

**संगणक रख-रखाव और इनकी सेवा कुशलता में अन्तर**

*134. **श्रीमती मोहसिना किदवई :**

**श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन्स के चले जाने के परिणाम स्वरूप संगणक रख-रखाव और इनकी सेवा कुशलता के बीच अन्तर अब तक भरा नहीं गया है;

(ख) यदि हाँ, तो संगणक रखने वाले ग्राहकों में विश्वास उत्पन्न करने के लिये क्या तरीके अपनाये जाने का विचार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि आई०बी०एम० ने जिन संगणाकों और मशीनों को यहाँ पर छोड़ दिया है वे अब प्राय: बेकार है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या नये संगणकों और मशीनों का आयात किया जा रहा है अथवा इनका देश में निर्माण किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ग्राहकों (वर्तमान और भावी) की आवश्यकतायें किस प्रकार पूरी करने का विचार है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम लिमिटेड, जो इलेक्ट्रानिकी विभाग का एक उद्यम है, ऐसे प्रयोग कर्त्ताओं को अनुरक्षण सम्बन्धी सेवायें उपलब्ध कराता है जिन्होंने आई. बी. एम. कम्पनी द्वारा छोड़े गये कम्प्यूटरों के लिए कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम की सेवायें प्राप्त करने के पक्ष में अपना विकल्प दिया था। ये सेवाएं उन सेवाओं के ही समतुल्य हैं जो आई. बी. एम. कम्पनी मुहैय्या कराती थी।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता।

(ग) यह सच है कि देश में इस समय उपलब्ध आई. बी. एम. कम्पनी की अधिकांश मशीनें पुरानी और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अप्रचलित है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

**संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का सम्मेलन**

135. **डा. फारूक अब्दुल्ला :**

**श्री तारिक अनवर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) का नई दिल्ली में फरवरी, 1980 में आयोजित हुआ सम्मेलन असफल सिद्ध हुआ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण रहे ?

(ग) क्या कुछ देशों की ओर से सहयोग न मिलने के कारण भारत द्वारा रखे गए बहुत से प्रस्ताव या तो अस्वीकृत हो गये अथवा उन्हें अनुमोदित नहीं किया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या उक्त सम्मेलन आयोजित कराने का लक्ष्य बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सका था ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चरनजीत चानना)** : (क) और (ख) यूनिडो का तीसरा महासम्मेलन बहुमत बोट से नई दिल्ली घोषणा और कार्य-योजना स्वीकार करने के साथ समाप्त हो गया। सम्मेलन के समक्ष उपस्थित कुछ नाजुक मामलों में सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी वर्गों का एकमत होना संभव नहीं था। इस लिहाज से सर्वसम्मति से नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के उद्देश्य प्राप्त करने सम्बन्धी प्रयासों को धक्का लगा है।

(ग) औद्योगीकृत तथा विकास शील देशों की अलग-अलग स्थितियों में समझौता कराने के प्रयास में सम्मेलन के अध्यक्ष ने सभी पार्टियों के अनुरोध पर अध्यक्षीय प्रलेख में अनेक प्रस्ताव रखे थे। इन प्रस्तावों को वर्ग ख से सम्बन्धित विकसित देशों ने स्वीकार नहीं किया।

(घ) यूनिडो-3 का अपना ही महत्व था और इससे विभिन्न देशों के विभिन्न वर्गों के विचारों को भली प्रकार समझने में मदद मिली है। औद्योगिक क्षेत्र सहित विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विषय पर जो कि यूनिडो का प्रमुख विषय है अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा होती रहेगी।

**कम विकसित राज्यों को केन्द्रीय संसाधनों का अधिक आवंटन**

136. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम विकसित राज्यों को केन्द्रीय ससाधनों का और अधिक आवंटन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी)** : (क) और (ख) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्र से राज्यों को संसाधनो का अधिकांश आवंटन योजना द्वारा गाडगिल फार्मूले और आय समा-योजित कुल जनसंख्या फार्मूले के अंतर्गत किया जाता है। इन फार्मूलों में कम विकसित राज्यों की आवश्यकताओं को पहले से ध्यान में रखा गया है। इस समय उनमें आशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**कारों तथा अन्य वाहनों का उत्पादन**

*137. **श्री बालासाहिब विख पाटिल** :

**श्री एन. ई. होरो** : क्या **उद्योग मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गत चार वर्षो में (वर्ष-वार) कारों, तीन पहिये वाले स्कूटरों, वाणिज्यिक वाहनों तथा ट्रेक्टरों का (अलग-अलग) कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या वर्ष 1979 में उनके उत्पादन में कुछ कमी हुई;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चरणजीत चानना)** : (क) पिछले चार वर्षों में कारों, तिपहियों, स्कूटरों तथा वाणिज्यिक वाहनों और ट्रैक्टरों के उत्पादन के वर्ष वार आंकड़े निम्नलिखित हैं :

| उद्योग | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|---|---|---|---|---|
| वाणिज्यिक वाहन | 46709 | 41207 | 51560 | 58373 |
| यात्री कारें | 31707 | 38285 | 34630 | 29303 |
| तिपहिये | 18886 | 18396 | 19151 | 17117 |
| स्कूटर | 152560 | 160359 | 168032 | 153490 |
| ट्रैक्टर | 36675 | 34729 | 53046 | 60142 |

(ख) पिछले तीन वर्षों की तुलना में 1979 में वाणिज्यिक वाहनों तथा ट्रैक्टरों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। 1979 में यात्री कारों, तिपहियो तथा स्कूटरों के उत्पादन में गिरावट आई थी।

(ग) उत्पादन में कमी बिजली में कटौतियाँ, औद्योगिक सम्बन्धी की समस्याओं तथा बिजली में कटौतियों तथा श्रमिक समस्याओं के परिणाम स्वरूप मोटरगाड़ी सहायक सामान निर्माताओं से सहायक सामान की सप्लाई में रुकावट के कारण हुई बताई जाती है।

(घ) बिजली सप्लाई फिर से सामान्य हो जाने तथा औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार होने से स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है। न केवल मुख्य निर्माताओं के ही उत्पादन में वृद्धि करने बल्कि सहायक सामान के और आटोमोटिव क्षेत्र द्वारा अपेक्षित कास्टिगों तथा फोर्जिगों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

**पश्चिम बंगाल में स्थित संकट ग्रस्त उद्योग**

138. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **उद्योग मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकतम संख्या में संकटग्रस्त उद्योग पश्चिम बंगाल में स्थित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनमें से कितने उद्योगों ने संकट से मुक्ति पाने के लिए 1977 के बजट में दी गई कर में छूट की सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया था; और

(ग) कितने उद्योगों में यह छूट दी गई थी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चरनजीत चानना)** : (क) जी हाँ। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 31-12-78 को कुल 344 रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों में से पश्चिमी बंगाल में 82 एकक हैं।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72-क के अन्तर्गत 4 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ग) मैसर्स जे० के० स्टील इन्डस्ट्रीज लि० का मैसर्स जे० के० सिथेटिक्स लि० के साथ विलय करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 72-क के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए विशिष्ट प्राधिकरण द्वारा केवल एक आवेदन पत्र की संस्तुति की गई थी।

**पटियाला हाउस, तीस हजारी तथा शाहदरा स्थित अदालतों में हवालातें**

*139. **श्री झारखडे राय :**

**श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 फरवरी, 1980 के इंडियन एक्सप्रैस में, पटियाला हाउस, तीस हजारी तथा शाहदरा स्थित अदालतों में हवालातों के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उन हवालातों की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री योगेन्द्र मकवाना** : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : जहां तक पटियाला हाउस की हवालातों का संबंध है दिल्ली प्रशासन के लोक निर्माण विभाग ने पुरुष और महिला दोनों की हवालातों का विस्तार करने के लिए पहले ही एक योजना तैयार कर रखी है। योजना को उच्च न्यायालय को अनुमोदनार्थ 28-12-79 को भेज दिया गया है। तीस हजारी स्थित हवालातों में 6 महीने पहले सर्फेस कनडुयट में बिजली के तार दोबारा डाले गए थे और हाल ही के निरीक्षण से पता चला है कि वे बिल्कुल ठीक है। बल्ब भी बदल दिये गये हैं। जहाँ तक शाहदरा स्थिति हवालात का संबंध है यह इस समय एक किराये के भवन में है किन्तु चूंकि एक नया भवन तैयार किया जा रहा है अतः न्यायालय और उसके पश्चात् हवालात को वहां भेज दिया जायेगा।

**अनधिकृत निर्माण को गिराने के बारे में दिल्ली की स्वायत नागरिक निकायों को निदेश**

*140 श्री **अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय ने दिल्ली के सभी स्वायत नागरिक निकायों को यह निदेश दिया है कि अनधिकृत निर्माण को गिराना आरम्भ करने से पहले वे उप-राज्यपाल या मंत्रालय से अनुमति ले लें; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री योगेन्द्र मकवाना** : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के सभी नागरिक निकायों को यह निर्देश दिए हैं कि अनधिकृत निर्माण को गिराना आरम्भ करने से पहले गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी जाये। यह सम्बधित अधिकरणों द्वारा समस्या के प्रति समन्वित और पद्धति युक्त नीति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

**मेघालय में विदेशी राष्ट्रिक**

*141. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मेघालय के लोगों की इस आशका को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी राष्ट्रिकों के आगमन और अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण के कारण वे अल्प संख्या में हो जायेंगे, सरकार का निम्नलिखित विषयों के बारे में कार्यवाही करने का विचार है ?

(एक) मेघालय में 'इनर-लाईन रेगुलेशन्स' का कार्यान्वयन; और

(दो) मेघालय विधान सभा द्वारा पारित 'रेजीडेन्शियल परमिट बिल' 1973' का अनुमोदन ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री योगेन्द्र मकवाना** : ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मेघालय को विदेशी नागरिक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश 1963 के अधीन "प्रतिबन्धित क्षेत्र" घोषित किया गया है। विदेशियों को मेघालय में तब तक प्रवेश करने अथवा रहने दिया जाता है—जब तक वे विशेष परमिट प्राप्त न करें जो सामान्यत: राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है।

**हल्दिया में शुष्क गोदी**

989. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया में प्रस्तावित शुष्क गोदी से संबंधित कार्य ठप्प हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले पर उत्पन्न गतिरोध को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सी. पी. एन. सिंह** : (क) और (ख) सरकार ने हल्दिया में शुष्क गोदी स्थापित करने के लिए कोई परियोजना मंजूर नहीं की है। इसलिए काम ठप्प होने का प्रश्न नहीं उठता। मैसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ने हल्दिया में एक जहाज मरम्मत कम्पलेक्स के लिए एक परियोजना रिपोर्ट पेश की थी। सरकार ने रिपोर्ट की जाँच की थी और कम्पनी को सलाह दी है कि यह परियोजना की व्यवहार्यता और अन्य सुसंगत पहलुओं की फिर से जाँच करें और उसके बाद एक पूरक रिपोर्ट विचार किये जाने के लिए पेश करे।

**कोका कोला का भारत में गुण नियंत्रण व सप्लाई कार्यालय**

990. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :

**श्री चन्द्रदेव प्रसादवर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने कोका कोला कम्पनी द्वारा भारत में गुण नियंत्रण व सम्पर्क कार्यालय रखने पर किस कारणों से आपत्ति उठाई; और

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने कोका कोला कम्पनी द्वारा कोका कोला अथवा फैंटा से भिन्न अन्य नये पेय शुरू किये जाने पर किस कारण से आपत्ति की :

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री चरनजीत चानना** : (क) कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन का भारत में एक किस्म नियंत्रण सह संपर्क कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था क्योंकि वह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अनुरूप नहीं था।

(ख) कोका कोला अथवा फैंटा से भिन्न नये पेय पदार्थ प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी गई थी क्योंकि यह एक नये "कार्याकलाप" प्रारम्भ करना हो जाता जो विदेशी

मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29 (2) के अधीन दी गई अनुमति तथा विद्यमान नीति के अन्तर्गत नहीं आता था। निम्न प्राथमिकता वाले विदेशी मुद्रा व्यय के नये क्षेत्रों के लिए भी अनुमति नहीं थीं।

**मध्यम किस्म के कपड़े का उत्पादन**

991. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम आदमी के खपत के लिये मध्यम किस्म के कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है :

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1977-80 के दौरान, अलग-अलग देश में इस श्रेणी के कपड़े का कुल उत्पादन कितना हुआ।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) से (ग) माननीय सदस्य महोदय का तात्पर्य शायद निम्न मध्यम तथा उच्च मध्यम श्रेणियों में बनाये जाने वाले कपड़े से हैं। यद्यपि इन श्रेणियों के कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई विशेष अभ्युपाय नहीं किये गये हैं, फिर भी उनका उत्पादन संगठित वस्त्र उद्योग के सूती कपड़े के कुल उत्पादन का लगभग 78 प्रतिशत है। मध्यम श्रेणी के कपड़े के उत्पादन में औद्योगिक वृद्धि करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

गत तीन वर्षों में निम्न मध्यम तथा उच्च मध्यम श्रेणी के कपड़े का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है।

(दस लाख मीटर में)

| वर्ष | निम्न मध्यम | उच्च मध्यम | कुल |
|---|---|---|---|
| 1977 | 921 | 1600 | 2521 |
| 1978 | 910 | 1684 | 2594 |
| 1979 (जनवरी—अक्तूबर) | 789 | 1344 | 2133 |

**'दनिक्स' अधिकारियों की नियुक्ति**

992. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो बार स्थायी नियुक्ति के लिये मनोनीत 'दनिक्स' अधिकारियों (दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस के अधिकारियों) का भाग्य 'एस. एस. गौतम और अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन आदि' तथा 'जैकब और अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन आदि रिट याचिकाओं के निर्णय से जोड़ दिया और उन पर आश्रित कर दिया गया है।

(ख) यदि हाँ, तो उसके कारण क्या हैं और विशेष रूप से यह देखते हुये कि ऊपर सन्दर्भित अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी के चयन को याचिका-कर्त्ताओं ने चुनौती नहीं दी है।

(ग) क्या सरकार इस संभावना की कल्पना करती है कि हारने वाली पार्टी अपील

दायर करने के द्वारा न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित होने से रुकवा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप फिर से नये सिरे से गतिरोध उत्पन्न हो सकता है ; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का इस गतिरोध को कैसे समाप्त करने का विचार है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (घ) तक : एक विवरण संलग्न है ।

**विवरण**

दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के लिये चयन समिति की एक बैठक 1973 में हुई थी । चयन समिति ने दो पैनल, एक स्थायी नियुक्ति के लिए और दूसरा स्थानापन्न नियुक्ति के लिए तैयार किए गए थे । स्थायी नियुक्ति के लिए पैनल में 19 अधिकारी शामिल थे । पैनल के कार्यान्वित किए जाने से पहले ही दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा के ग्रेड-1 (कार्यकारी) के कुछ अधिकारियों ने रिट याचिकायें दायर कर दी । उच्च न्यायालय ने रद्द वरिष्ठता सूची के आधार पर स्थायी नियुक्ति करने के लिए सरकार को रोकते हुए अन्तरिम आदेश जारी किए । फलस्वरूप दिल्ली, अंडमान और निकोबार सिविल सेवा में स्थायी रूप में किसी भी अधिकारी को नियुक्ति नहीं किया जा सका । उच्च न्यायालय ने 1976 में रिटों पर अपने अन्तिम आदेश जारी किए और निदेश दिया कि दिल्ली प्रशासन रवि वर्मा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर वरिष्ठता सिद्धान्त के आधार पर वरिष्ठता सूची का संशोधन करे और 1973 के चयन का पुनरीक्षण करे और याचिका दायर करने वालों को ऐसे पुनरीक्षण के आधार पर जिस लाभ के वे हकदार हो दिया जाए ।

2. उसके बाद दिल्ली प्रशासन ने उच्च न्यायालय के निदेश के आधार पर ग्रेड-1 (कार्यकारी) की वरिष्ठता सूची को संशोधित किया और फरवरी, 1978 में 1973 के चयन का पुनरीक्षण किया गया । दुर्भाग्यवश इसी दौरान में दो रिट याचिकायें एक एस. एस. गौतम और अन्य द्वारा ग्रेड-1 (कार्यकारी) की वरिष्ठता को, चुनौती देते हुए और दूसरी जेकब और अन्य द्वारा ग्रेड-1 (मिनिस्टीरियल) वरिष्ठता को चुनौती देते हुए दायर की । मंत्रालय को अनेक अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि फरवरी, 1978 में पुनरीक्षण चयन समिति द्वारा तय किए गए पेनल को कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूचियाँ गलत थी । दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इन रिट याचिकाओं पर रद्द वरिष्ठता सूचियों के आधार पर स्थायी नियुक्ति करने से सरकार को रोकते हुए स्थगन आदेश भी जारी कर दिए हैं ।

3. कानूनी स्थिति यह है कि जब तक स्थगन आदेश लागू है, उन अधिकारियों को जो स्थायी नियुक्ति के लिए पेनल में शामिल किए गए हैं, स्थायी रूप से दिल्ली अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा में नियुक्त नहीं किया जा सकता हालांकि उनकी वरिष्ठता को इन रिटों में विशिष्ट रूप से चुनौती नहीं दी गई है क्योंकि रद्द वरिष्ठता सूचियों के संशोधन के बाद अधिकारियों की सम्बद्ध वरिष्ठता में परिवर्तन हो सकता है ।

4. सरकार के लिए इन रिटों के अन्तिम परिणामों के बारे में पहले ही अनुमान लगाना संभव नहीं है । यह एक काल्पनिक बात है कि क्या याचिका दायर करने वाले यदि वे इस दशा में हार जाते हैं तो अपील करेंगे ।

5. रिट याचिकाओं को शीघ्र निपटाए जाने की आशा है। सरकार को आशा है कि निकट भविष्य में इस पुराने प्रश्न को अन्तिम रूप से तय कर दिया जायेगा।

**केरल के विधेयकों पर सहमति**

993. **श्री ई. के. इम्बीची बाबा :**

**श्री जी. एन. बनात वाला :** क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की विधान सभा द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की सहमति के लिये सरकार को प्रेषित कितने विधेयकों पर अभी तक उक्त सहमति नहीं मिली है ; और

(ख) उनमें से प्रत्येक विधेयक किस-किस तिथि को प्राप्त हुआ था तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री वेंकट सुब्बय्या) :** (क) तथा (ख) : राज्य विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राष्ट्रपति की सहमति के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित निम्नलिखित केरल विधेयकों पर अभी अन्तिम निर्णय किये जाने हैं :

(1) केरल आकस्मिक, अस्थायी और बदली श्रमिक (मंजूरी) विधेयक, 1977 (अक्तूबर, 1977 से प्राप्त हुआ)।

(2) केरल भारवाहक श्रमिक विधेयक, 1978 (दिसम्बर, 1978 में प्राप्त हुआ)।

(3) सार्वजनिक सम्पत्ति (विनाश तथा हानि रोक विधेयक, 1978। (अक्तूबर, 1978 में प्राप्त हुआ)।

(4) केरल जिला प्रशासन विधेयक, 1979 (सितम्बर, 1979 से प्राप्त हुआ)

(5) केरल काजू मजदूर सहायता और कल्याण निधि विधेयक, 1979 (जनवरी, 1980 में प्राप्त हुआ)।

(1) **केरल आकस्मिक, अस्थायी और बदली श्रमिक (मजदूरी) विधेयक,** 1977

इसके कुछ उपबन्ध के सम्बन्ध में भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच पत्र व्यवहार होता रहा। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हो गया है और मामला सरकार के विचाराधीन है।

(2) **केरल भार-वाहक मजदूर विधेयक,** 1978

भारत सरकार की टिप्पणियाँ राज्य सरकार की प्रतिक्रियाओं के लिए उनके ध्यान में लाई गई हैं जिनकी प्रतीक्षा है।

(3) **सार्वजनिक सम्पत्ति (विनाश तथा हानि की रोक) विधेयक,** 1978

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय दण्ड संहिता संशोधन विधेयक 1978 की आलोचना हो रही थी और राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया था राज्य सरकार इस बात पर सहमत थी कि केरल विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सहमति रोक ली जाए। परन्तु छठी लोक सभा के भंग होने के साथ भा. दं. सं. संशोधन विधेयक समाप्त हो गया है। राज्य सरकार का ध्यान इस परिवर्तन की ओर दिलाया गया है और उनकी वर्तमान प्रतिक्रियाएं माँगी गई हैं।

(4) **केरल जिला प्रशासन विधेयक,** 1979

यह विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से भारत सरकार के विचाराधीन है।

(5) केरल काजू मजदूर सहायता तथा कल्याण निधि विधेयक, 1979

यह भारत सरकार के विचाराधीन है और सम्बन्धित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से परामर्श किया जा रहा है।

**गुजरात में उद्योगों का बन्द होना**

994. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान ढलवां लोहा (पिग आयरन) और कच्चे माल की कमी के कारण गुजरात राज्य में कुछ उद्योगों के बन्द होने के कुछ मामले हुए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना)** : (क) तथा (ख) : दुर्लभ देशी कच्चे माल की कुछ किस्मों तथा ढलवां लोहा (प्रिग आयरन), लोहा तथा इस्पात की वस्तुए कोयला तथा कोक एवं अलौह धातुएं खासतौर से अल्यूमीनियम जैसे आयातित कच्चे माल की इस समय कमी है। इसका गुजरात के औद्योगिक एककों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लेकिन सामान्य रूप से इस प्रकार की कमियों के कारण किसी भी औद्योगिक एकक के बन्द होने के बारे में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) पिछले वर्ष की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से उच्चस्तरीय उत्पादन करने के लिए आधारभूत कच्ची सामग्री का देश में ही उत्पादन बढ़ाने के अलावा, सरकार ने अधिक उत्पादन करने हेतु कच्चे माल की पूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त अभ्युपाय किया है :

(1) औद्योगिक कच्चे माल एवं वस्तुओं के वास्तविक उपयोगकर्त्ताओं के लिए आयात नीति को उदार बनाना।

(2) औद्योगिक उपयोग कर्त्ताओं में वितरण के लिए सम्भरण करने वाले अभिकरणों के माध्यम से लौह तथा अलौह एवं रसायन वस्तुओं के आधारभूत कच्चे माल के आयात में वृद्धि करना।

**बड़े बड़े उद्योग-गृहों को जारी किये गये लाइसेंस**

995. **श्री सी. टी. दंडपाणि** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पांच सबसे बड़े उद्योग गृहों के क्या नाम हैं जिन्हें पहली केन्द्रीय सरकार ने नये एकक स्थापित करने अथवा अपनी वर्तमान एककों को विस्तार करने के लिए लाइसैंस/आशयपत्र जारी किये थे;

(ख) उन लाइसैंसों/आशय पत्रों का ब्यौरा क्या है और उनमें कितना पूंजीगत परिव्यय अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) इन उद्योग गृहों से प्राप्त हुए उन आवेदनों का ब्यौरा क्या है जो 1 मार्च, 1980 तक विचाराधीन थे;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री चरनजीत चानना** : (क) कम्पनी कार्य विभाग द्वारा (31.12.78 को) क्रमबद्ध किये गए पांच सबसे बड़े औद्योगिक गृहों को। अप्रैल, 1977 से

31 दिसम्बर, 1979 तक की अवधि में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत स्वीकृत लाइसैंस सम्बन्धी विवरण निम्न प्रकार हैं :—

| औद्योगिक गृह का नाम | 1.4.77 से 31.12.79 की अवधि में जारी किये गये आशय पत्र | 1.4.77 से 31.12.79 तक की अवधि में जारी किए गये औद्योगिक लाइसैंस |
|---|---|---|
| | (संख्या) | (संख्या) |
| 1. बिड़ला | 16 | 8 |
| 2. टाटा | 9 | 5 |
| 3. मफ्तलाल | 3 | — |
| 4. जे. के. सिंघानिया | 122 | 7 |
| 5. थापर | 4 | 7 |

(ख) जारी किये सभी आशयपत्रों तथा/अथवा उन्हें औद्योगिक लाइसैंसों में बदलने सम्बन्धी विवरण "वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसैंसिज एक्सपोर्ट लाइसैंसिज एण्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज" में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

प्रत्येक मामले में वास्तविक पूंजी परिव्यय सम्बन्धी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) सरकार के पास विचाराधीन पड़े हुए किसी भी आवेदन पत्र के ब्यौरे तब तक प्रकाशित नहीं किये जाते हैं जब तक कि उन पर सरकार द्वारा विचार नहीं कर लिया जाता है।

**तमिलनाडु में भारी अथवा मध्यम उद्योगों की स्थापना**

996. **श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने वर्ष 1975-79 के दौरान तमिलनाडु में कोई भारी अथवा मध्यम उद्योगों की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना)** : (क) जी हां।.

(ख) ऐसी कुछ परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(1) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा तिरूचीपल्ली में स्टील की बिना जोड वाली छड़ों का उत्पादन करने के लिए 58.2 करोड़ रुपये राशि के निवेश से एक संयंत्र स्थापित किया गया है। सयंत्र नवम्बर, 1979 में शुरू हुआ था।

(2) निर्मित कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील की चद्दरों व पट्टियों का उत्पादन करने के लिए 126.81 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक परियोजना को मार्च, 1977 में स्वीकृति दी गई थी और जिसका क्रियान्वयन स्टील अथारिटी आफ इण्डिया द्वारा सेलम में किया जा रहा है। परियोजना वर्ष 1981 के अन्त तक शुरू हो जाएगी।

(3) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी द्वारा 210 लाख रुपये के विनियोग से औद्योगिक एक्स-रे व ग्रेफाईट आर्ट फिल्मों का उत्पादन करने के लिए अम्बत्तूर, मद्रास में एक संयंत्र स्थापित किया गया है। यह परियोजना सितम्बर, 1979 में चालू हो गई है।

(4) इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा मद्रास में 92.42 लाख रुपए के परियोजना परिव्यय से एक औषिधि बनाने का संयंत्र स्थापित करने के लिए जुलाई, 1977 में स्वीकृति दी गई थी। आशा है कि यह परियोजना मार्च, 1981 में शुरू हो जाएगी।

**नये रक्षा अनुसधान और विकास सेवा नियम, 1978 के विरुद्ध अभ्यावेदन**

997. **श्री आर. के. महालगी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नये रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1978 के बारे में रक्षा वैज्ञानिक कर्मचारी संगठन, अहमदनगर (महाराष्ट्र) से फरवरी, 1979 में और उक्त संगठन की केन्द्रीय संघर्ष समिति से जनवरी, 1979 में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) अन्य बातों के साथ साथ उनकी माँगें हैं : (क) उच्च अराजपत्रित संवर्ग, अर्थात वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों, फोरमैनों और चीफ ड्राफ्टसमैनों के लिए पदोन्नति के अवसर बनाए जाएं, और (ख) मौजूदा वैज्ञानिक कार्मिकों के हितो की रक्षा की जाए।

(ग) उपर्युक्त वर्गों के कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों के लिए एक तो कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के ग्रेड में व्यवस्था की गई है। दूसरे, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार स्वय इस संगठन के प्रतिनिधियोंसे मिले हैं और उन्हें यह बताया कि रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम बनाते समय मौजूदा वैज्ञानिकों के हितों का समुचित ध्यान रखा गया है।

**कानून और व्यवस्था पर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन**

998. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए तथा साथ ही आम जनता में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन कब बुलाने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (योगेन्द्र मकवाना)** : मुख्य मंत्रियों और राज्यपालों का ऐसा एक सम्मेलन करने का प्रस्ताव है किन्तु अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है।

**अन्तर्क्षेत्रीय (इन्टरसेक्टोरल) सहयोग के लिए योजना**

999. **श्री के. मालन्ना** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उत्पादन को अधिकतम बढ़ाने की दृष्टि से उत्पादन लागत घटाने और छोटे तथा बड़े एककों के बीच सदभावपूर्ण संबंध और सहयोग स्थापित करने के लिए अन्तर्क्षेत्रीय सहयोग संबंधी योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उस योजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) और (ख) कोई विशेष प्रस्ताव सरकार के विचाराधिन नही है।

फिर भी, औद्योगिक विकास के लिए सरकार की दिशा निर्धारण करने वाले मूलभूत सिद्धान्त औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 और 2 फरवरी, 1973 को दिए गए नीति संबंधी वक्तव्य तथा उसके पश्चात के अन्य वक्तव्यों में निर्दिष्ट कर दिए गए हैं। इन नीति संबंधी घोषणाओं में सरकार ने सरकारी क्षेत्र, बड़े औद्योगिक घरानों और संगठित क्षेत्रों की भूमिका एवं लघु क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र आदि की अलग-अलग भूमिकाओं को स्पष्ट कर दिया है। सरकार इस बात का सुनिश्चय करती है कि औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को कार्यान्वित करते समय लाइसेंस संबंधी निर्णय हमारी योजनाओं में किए गए विकास संबंधी ढांचे और परिमाण के अनुसार बचत करने, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, संतुलित क्षेत्रीय विकास और पिछड़े क्षेत्रों के विकास जैसे तकनीकी आर्थिक पहलुओं को पूर्णतः ध्यान में रखकर ही लिए जाए। आशा है कि इन नीति संबंधी सीमाओं में उद्योग के सभी क्षेत्र देशके औद्योगिक सामर्थ्य और उत्पादन समन्वित विकास अपना योगदान देगें।

**पिपरा की घटनाओं के अपराधियों का किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध होना**

1000. **प्रो. मधु दंडवते : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 फरवरी, 1980 को बिहार में ग्राम पिपरा में हरिजनों को मारे जाने से उत्पन्न मामलों के कुछ अपराधी व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के सम्बद्ध हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन अपराधियों के नाम क्या हैं और वे किस दल से सम्बद्ध हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री यागेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) बिहार सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**बढ़ती हुई गरीबी के आधारभूत कारणों का अध्ययन**

1001. **श्री जी. वाई. कृष्णन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विशेष रूप से शहरी निम्न मध्यम वर्ग के लोगों और ग्रामीण छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बावजूद इन लोगों में बढ़ती हुई गरीबी के आधारभूत कारणों का अध्ययन करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दीरा गाँधी)** : (क) और (ख) : योजना आयोग गरीबी और बेरोजगारी, जोत, मजदूरी की दरें, आदि जैसे अन्य कारकों के बीच सह संबध के बारे में अध्ययन करने का विचार कर रहा है। इसके साथ ही योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन कमजोर वर्गों के आर्थिक उन्ययन से संबंधित कुछ स्कीमों का और अधिक प्रभावी कार्यान्वियन के लिए आवश्यक उपाय निर्धारित किए जा सके।

**सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा सौर ऊर्जा पंपों का विकास**

1002. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने सिंचाई प्रयोजनों हेतु सौर ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए हाल में सौर ऊर्जा पंपों का विकास किया है,

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है,

(ग) क्या हाल में इन पंपों का विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किया गया था, यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले, और

(घ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में आने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी अनुमति देने का है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसका औचित्य क्या है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्द्रा गांधी)** : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रायोजन में सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (सी०ई०एल०) ने पीने के लिए और छोटे पैमाने के सिंचाई कार्यों के लिए पानी पम्प करने समेत बहुविध अनुप्रयोगों के लिए सौर प्रकाश-वोल्टीय माड्यूलों का विकास किया है। ब्यौरे सलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली, पुणे और बम्बई में आयोजित प्रदर्शनियों में इस पम्पों का प्रदर्शन किया गया। फिलहाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के परिसर में एक प्रदर्शन यूनिट का प्रदर्शन किया जा रहा है। अब तक पम्प का कार्य निष्पादन संतोषजनक पाया है। ऊर्जा संकट को देखते हुए सरकार आत्मनिर्भरता के आधार पर सौर प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास को प्रोत्साहन प्रदान करती रही है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में उपकरण की विभिन्न मदों के विनिर्माण के प्रश्न पर औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार कार्यवाई की जाएगी।

**विवरण**

1. प्रकाश-वोल्टीय पम्पन प्रणाली में प्रकाश-वोल्टीय पैनल, जो सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित कर देता है, तथा एक संचयन बैटरी तथा एक परम्परागत अपकेन्द्री पम्प होता है जो एक डी. सी. मोटर से जुड़ा होता है। एक विद्युत प्रानुकूलक (वैकल्पिक) पैनल की विशेषताओं का पम्प की विशेषताओं के साथ इष्टतम सुमेलन करने में सहायता करता है। सौर सैल प्रौद्योगिकी पूर्णतया स्वदेशी है सौर ग्रेड सिलिकान का फिलहाल आयात किया जा रहा है। सी० ई० एल० में परम्परागत एकाकी क्रिस्टलीय सिलिकान किस्म के सौर सैलों का पैनलों और माडयूलों में पूर्णतया प्रक्रियन एवं संविरचना की जाती है। सौर-सैलों की कार्यकुशलता विश्वसनीय है जो विदेशों में विकसित इसी प्रकार के सैलों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। पम्प स्वदेशी मूल के हैं।

2. सी० ई० एल. द्वारा निर्मित फोटो वोल्टीय पम्पन युनिट में फिलहाल 250 वाट का पैनल रेटिंग है और इससे प्रति दिन, जबकि सूर्य पूर्ण रूप से दीप्तिमान हो, 4 मीटर की कुल ऊंचाई पर 15-20,000 लीटर पानी प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि पैनल माड्यूलर किस्म के हैं, अतः सिचाई कार्यों के लिए प्रयोग करते समय अधिक पानी प्राप्त करने के लिए इन पम्पन यूनिटों की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

3. यूनिटों में परम्परागत किस्म की बैटरियां लगाई गई हैं जो बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। इन बैटरियों द्वारा ऊर्जा का संग्रह किया जा सकता है जिससे कि यदि आवश्यक हो तो पम्प को रात के समय और जिस दिन आकाश में बादल हों, चलाया जा सकता है।

**महाराष्ट्र में रेल सम्पर्कों को स्वीकृति के लिए महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव**

1003. **श्री विजय एन. पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में रेल सम्पर्कों के लिए सर्वेक्षण, लागत अनुमान और स्वीकृति के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजे गये वे नये प्रस्ताव क्या क्या हैं जो योजना आयोग के पास विचाराधीन हैं; और

(ख) इनमें से कौन-कौन से प्रस्ताव अगली पंच-वर्षीय योजना अवधि के लिए विचाराधीन हैं ?

**प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी** : (क) और (ख) नई रेल लाइनों के लिए प्रस्तावों को योजना आयोग को अनुमोदन के लिए भेजने से पहले इन्हें शुरू में सामान्य रूप से रेल मंत्रालय द्वारा प्राप्त किया जाता है और इन पर विचार किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य सरकार से पिछले तीन वर्षों में रेल मंत्रालय को प्राप्त हुए ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे और उनकी वर्तमान स्थिति विवरण में दी गई है। इनके अलावा महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित नई लाइनें इस समय निर्माणाधीन हैं :—

(1) **पश्चिम तट कोंकण रेल के भाग के रूप में आप्टा-रोहा रेल सम्पर्क लाइन** : आप्टा से मगलौर तक की पश्चिमी समुद्र तट रेलवे लाइन के लिए इंजीनियरी टोह और यातायात सर्वेक्षण वर्ष 1970-72 में किया गया था। आप्टा-रोहा-दसगाँव खाँड के लिए अवस्थिति सर्वेक्षण वर्ष 1974-75 में किया गया था और आप्टा-रोहा खंड में निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1978-79 में दी गई थी।

(2) **वसाइ रोड दिवा रेल संपर्क लाइन** : यह परियोजना रेल मंत्रालय द्वारा प्रचालन आधार पर शुरू की गई थी और इसे सरकार द्वारा वर्ष 1972-75 में मन्जूर किया गया था।

| परियोजना का नाम | स्थिति |
|---|---|
| 1. वानी-चानका | परियोजना मंजूर कर दी गई है और वानी पिम्पल कोटि खंड में प्रथम प्राकथना कार्य चल रहा है। |
| 2. मानिकगढ़-चाँदूर | यह अनुमोदित निर्माण कार्य है। अन्तिम अवस्थिति सर्वेक्षण चल रहा है। |
| 3. आमला-पुलगाँव<br>4. धूले-नरडाना<br>5. अमरावती-नारखेर<br>6. कोल्हापुर-पणजी | महत्वहीन यातायात की सम्भावनाओं के कारण रेल मंत्रालय द्वारा इनका सर्वेक्षण नहीं किया गया। |
| 7. धुयस-आदिलाबाद | यह प्रस्ताव परानी से आदिलाबाद तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने और चूमस तक नई लाइन का विस्तार करने के सम्बन्ध में था। इसका रेल मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण किया गया था परन्तु इसे वित्तीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं पाया गया था। |
| 8. मिरज-साँगली रेल सम्पर्क लाइन और नानद्रे और नई साँगली के मध्य लम्बी लाइन को पुन: व्यवस्था करना। | वर्ष 1980-81 के लिए इसका नए निर्माण-कार्य के रूप में अनुमोदन किया गया है। |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | मनयाड-औरंगाबाद-पुरली बेज नाथ लाइन को बड़ी लाइन में बदलना । | यह अनुमोदित कार्य है और मनमाड से औरगाबाद तक कार्य का पहला चरण चल रहा है । |

**मध्य प्रदेश में डाकुओं का खतरा**

1004. **श्री काली चरण शर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के भिण्ड और दतिया जिलों में डाकुओं का खतरा हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ।

(ग) क्या डाकुओं के खतरे को समूल नष्ट करने के लिए 1972 में डाकुओं के समर्पण के बाद कोई योजना बनाई गई थी;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई कार्यक्रम क्रियान्वित किया जायेगा ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ड़.) तक अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही हैं और प्राप्त होने पर तुरन्त सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

**गत्ता और माचिस बनाने वाली मशीनरी के लिये आयात लाइसेंस**

1005. **श्री के. राममूर्ति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिवकासी में हस्तनिर्मित लघु माचिस उद्योग ने विदेशों से गत्ते की माचिसें बनाने वाली मशीनरी प्राप्त करने के लिए एक करोड़ रुपये के आयात लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) जी नहीं,

किन्तु शिवकासी के एक मझौले पैमाने के औद्योगिक एकक से एक आवेदन-पत्र माचिस के लेबिल छापने के लिए लगभट 60 लाख रु० की कीमत की विशिष्ट आफसेट मशीन आयात करने हेतु प्राप्त हुआ है ।

(ख) उपर्युक्त आवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

**जनजातीय विकास को समवर्ती सूची में सम्मिलित करना**

1006. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय विकास को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने का विचार है;

(ख) क्या इस बारे में राज्यों के विचार भी पूछे गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) तक : इस आशय का सरकार को एक सुझाव दिया गया है और सम्पूर्ण मामला विचाराधीन है ।

**"77" का कार्यकरण**

1007. **श्री चन्द्रभान मणि तिवारी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डबल सेवन (77) कार्यकरण से संतुष्ट है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार डबल सेवन (77) के क्रियाकलापों का विस्तार करने का है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री चरनजीत चानना) :** (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हाँ। जिन क्षेत्रों में इसके प्रतिनिधि नहीं हैं उनमें बोतलें भरने की व्यवस्था करके "77" पेय की बिक्री बढ़ाने के अलावा माडर्न बेकरीज (इण्डिया लि०) ने देश के कुछ भागों में संतरे तथा नीबू के नये फलेवर वाले पेय बनाना शुरू कर दिया है।

**राजधानी के लिए सड़क-रेल परिवहन परियोजना का परित्याग**

1008. **श्री सी. टी. दण्डपाणि :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के लिए एकीकृत सड़क रेल परिवहन परियोजना के संबंध में विभिन्न अध्ययनों पर छह वर्ष लगाने और इसके लिए प्रारंभिक कार्य पर 2.5 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करने के बाद पिछले योजना आयोग ने पद छोड़ने से पूर्व इसका परित्याग करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और इसके असंतोषजनक परिवहन सेवा के वृहतर संदर्भ को देखते हुए इस परियोजना की पुन: जांच कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) से (घ) तक : यह सही है कि महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) दिल्ली ने, जो रेल मंत्रालय के अन्तर्गत एक संगठन है, पिछले छः वर्ष में अनेक अध्ययन किए हैं और अनेक रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं जिनमें विभिन्न समयावधियों से संबंधित दिल्ली क्षेत्र में महानगर परिवहन प्रणालियों के लिए प्रस्ताव दिए गए थे। इस संगठन पर अब तक लगभग 2.2 करोड़ रु० खर्च किए गए हैं। इस संगठन की अद्यतन रिपोर्ट दिल्ली शहरी क्षेत्र में बिजली चालित रेल यात्री सेवाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट है जो दिसम्बर, 1977 में प्रस्तुत की गई थी और जो रेल मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को अक्तूबर, 1978 में भेजी गई थी। यह सही नहीं है कि इस प्रस्ताव को योजना आयोग द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है या छोड़ दिया गया है क्योंकि यह प्रस्ताव अभी संबंधित अन्य मंत्रालयों/संगठनों के परामर्श से योजना आयोग के विचाराधीन है। प्रस्ताव से संबंधित कुछ विषयों की, विशेष रूप से (1) अन्य केन्द्रों का विकास करके, उद्योगों की अवस्थिति को विनियमित आदि करके, दिल्ली की जनसंख्या की सघनता को कम करने के लिए आवश्यक उपायों की, तथा

(2) प्रस्तावित सेवाओं के लिए अपनाए जाने वाले किराये के स्तर की ओर अधिक जाँच की जानी है। इस संबध में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति और रेल यातायात जाँच समिति की उन सिफारिशों के क्रमश: मार्च, 1980 के अन्त तक और अप्रेल, 1980 के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है उनको भी अन्तिम निर्णय करने से पहले ध्यान में रखा जायेगा।

**बिहार के धनबाद जिले में उद्योगों का बन्द होना**

1009. **श्री ए. के राय** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद जिले में कितने छोटे-बड़े उद्योग बन्द पड़े हैं, उनके नाम क्या हैं, कितनी पूंजी उनमें लगी हुई है, उनके बन्द होने के कारण कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं और उनके बन्द किये जाने के कारण क्या हैं तथा अन्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन कारखानों को खोलने के लिए क्या कोई कार्यवाही करने का विचार है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना)** : (क) राज्य सरकार द्वारा 20.6.79 को दी गई सूचना के अनुसार सविवरण सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। ग्रथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.—612/80)।

(ख) राज्य सरकार केवल धनबाद जिले के ही नहीं बल्कि राज्य के सभी जिलों के बन्द एककों को पुन: चालू करने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है।

**रंगीन टेलीविजन का प्रोटोटाईप**

1010. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत ने पहला रंगीन टेलीविजन तैयार कर लिया है;

(ख) आरम्भ में इसके लिये कितने मूल्य का आयात किया जाना है और बाद में यह किस सीमा तक देशीय उत्पादन हो जायेगा ; और

(ग) रंगीन टेलीविजन की निर्यात-संभाव्यतायें क्या हैं ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) दिल्ली की एक प्राईवेट फर्म ने दावा किया है कि उन्होंने देश में बनाए जाने वाले प्रथम रंगीन दूरदर्शन सेट का निर्माण कर लिया है।

(ख) निर्माणकर्त्ता के अनुसार, इसमें आरम्भत: आयातित कलपुर्जों की मात्रा 60 प्रतिशत होगी, किन्तु 3 वर्षों के बाद इसे घटा कर 20 प्रतिशत किया जा सकता है।

(ग) इसके निर्यात की प्रचुर संभावनाएं हैं, बशर्ते इनकी कीमतें और क्वालिटी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कीमतों और क्वालिटी के मुकाबले प्रतियोगी हों।

**भास्कर की प्रगति**

1011. **श्री एन. के. शेजवलकर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर, राजस्थान में लूनी नदी की बाढ़ का अध्ययन करने तथा अन्य आंकड़े भेजने के सफल प्रयास कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपग्रह द्वारा वातावरण के अन्य तत्वों का भी अध्ययन किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उपग्रह की संशोधित क्षमता क्या है ;

(ग) क्या उपग्रह में प्रयुक्त स्वदेशी पुर्जों का स्तर आयातित पुर्जों के मुकाबले का पाया गया है ; और

(घ) क्या निकट भविष्य में एक और उपग्रह छोड़ने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हाँ, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, हाँ। उपग्रह में रखे हुए उपग्रह माइक्रोवेव रेडियोमीटर (समीर) द्वारा लूनी नदी घाटी में आई बाढ़ के दौरान पर्यवेक्षण किये गये थे।

(ख) समुद्री क्षेत्रों के ऊपर वायुमंडल में जल-वाष्प की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए भी समीर के आँकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। उपग्रह की पहले की अवस्थिति, जिसमें प्रचक्रण अक्ष कक्षीय तल की और लम्बत: था, की तुलना में कक्षीय तल में इसके प्रचक्रण अक्ष सहित उपग्रह का पुन: अनुस्थापन किया गया है। इस स्थिति में अब उपग्रह के समीर नीत भार से समस्त भारत को प्रत्येक दो दिनों के अन्तराल में एक बार आवृत करने में सहायता मिली है, जबकि पहले यह 9 दिनों के अन्तराल में केवल एक बार ही आवृत कर पाता है।

(ग) उपग्रह के महत्वपूर्ण गौण परीक्षणों में इस्तेमाल किए गए स्वदेशी रूप में विकसित सफेद तापीय रंग और सौर सैलों का कार्य-निष्पादन सन्तोषप्रद रहा। उपग्रह के निर्माण में प्रयोग किए गए अन्य स्वदेशी साज-सामानों का भी कार्य-निष्पादन सन्तोषप्रद रहा है।

(घ) भास्कर उपग्रह के पुन: सज्जित आदि-प्ररूप (प्रोटो-टाइप) के 1981 के पूर्वार्ध में छोड़े जाने की संभावना है।

**रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण**

1012. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :**

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :**

**श्री डी. पी. जदेना :**

**श्री के. लक्कप्पा :**

**श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**

**श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में कितना समय लगने की संभावना है ;

(ग) इस पर अनुमानतया कितना अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है ; और

(घ) क्या देश की वर्तमान खराब आर्थिक दशा को देखते हुए इस बात की जाँच की गई है कि उपरोक्त अतिरिक्त व्यय उचित हैं ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी)** : (क) रंगीन दूरदर्शन लागू करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है।

(ख), (ग) तथा (घ) : यह प्रश्न ही नहीं उठता।

**न्यायालयों से मुकद्दमों को वापस लेना**

1013. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मुकदमा चलाने वाली एजेन्सियों को न्यायालयों से कुछ मामलों को वापस लेने के लिये आदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इन मुकद्दमों का ब्यौरा क्या है और इन मुकद्दमों को वापस लेने के लिये दिये गये तर्क के प्रति न्यायालय की प्रतिक्रिया क्या है ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री : (श्री पी. वेंकटसुब्बया)** : (क) तथा (ख) : सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों को न्यायालयों से कोई मामला वापस लेने के आदेश नहीं दिए हैं। किन्तु दो मामलों में जहाँ (1) भिवानी में श्री मनोहर लाल की सम्पत्ति का विध्वंश किये जाने और (11) श्री बन्सीलाल द्वारा अपनी पुत्रियों के नाम पर प्लाटों के अधिग्रहण करने से सम्बन्धित श्री बंसीलाल, श्री सुरिन्दर सिंह तथा अन्यों के विरुद्ध हरियाणा सरकार द्वारा आरोप पत्र दायर किये गये थे, जिन्हें बाद में राज्य सरकार के अभियोजक द्वारा वापस ले लिया गया था। विचारण न्यायालयों द्वारा इन दो अभियोजनों को वापस लेने की अनुमति देने के आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार की ओर से नवम्बर, 1979 में आपराधिक पुनरीक्षा याचिकायें दायर की गई थी। बाद में उपर्युक्त दो आपराधिक पुनरीक्षा याचिकाओं के वापस लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों पर केन्द्रीय सरकार के स्थायी वकील द्वारा 15 जनवरी, 1980 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में आवेदन पत्र दिए गए थे। हरियाणा और पंजाब के उच्च न्यायालय ने अब प्रश्नाधीन दो आपराधिक पुनरीक्षा याचिकाओं को वापस ले लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया है।

**राजस्थान के जिला पाली के गांव बिनजोवा में एक परिवार की हत्या**

1014. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान के जिला पाली के गाँव बिनजोबा में 2 जनवरी, 1980 को 6 सदस्दीय सीरवी परिवार की हत्या कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मुख्य दोषी, श्री नारायण सिंह चारण को, जो करार थे, गिरफ्तार कर लिया है और यदि नहीं तो सरकार द्वारा उसको तत्काल गिरफ्तार करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) क्या मुख्य दोषी को भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों तथा पुलिस स्टेशन रानी (जिला पाली) का संरक्षण प्राप्त है और फिर भी इन अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है और यदि हाँ, तो इस मामले को तत्काल निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जानी है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना राजस्थान सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

**अलीगढ़ तथा जमशेदपुर के दंगों के सम्बन्ध में अध्ययन समिति**

1015. **श्री जैनुल बशीर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजनैतिक दलों द्वारा भेजी गई अध्ययन समितियों तथा

अधिकतर समाचार पत्रों के संवाददाताओं का यह विचार था कि पिछले वर्ष के अलीगढ़ तथा जमशेदपुर के दगों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हाथ था; और

(ख) क्या इसको देखते हुए और पिछले अनुभव को देखते हुए सरकार का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) अक्तूबर-नवम्बर, 1978 के साम्प्रदायिक दंगों के बाद अलीगढ़ में स्थिति का अध्ययन करने के लिए राजनैतिक दलों द्वारा भेजी गई कुछ अध्ययन समितियों ने साम्प्रदायिक दंगों के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को दोषी ठहराया था।

सरकार को, राजनैतिक दलों द्वारा जमशेदपुर को भेजी गई अध्ययन समितियों की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु उसने प्रेस के ऐसे समाचार देखें हैं जहाँ उन्होंने अप्रैल, 1979 में साम्प्रदायिक दंगे के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को उत्तरदायी ठहराया था।

सरकार ने कुछ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के विभिन्न स्थानीय तथा विशेष संवाददाताओं द्वारा अलीगढ़ और जमशेदपुर दंगों के विवरण देखें हैं जहाँ इन दंगों के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को दोषी ठहराया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों ने क्रमश: अलीगढ़ और जमशेदपुर में हुए साम्प्रदायिक दंगों की जाँच करने के लिए जाँच आयोग नियुक्ति किये हैं। सरकार मामले में इन दो जाँच आयोग के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करना चाहेगी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार के विचाराधीन इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

**दिल्ली क्लाथ मिल्स के अन्तर्गत कार्यरत उद्योग**

1016. **श्री निहाल सिंह** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लि० के अधीन कार्य कर रहे उद्योगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ स्थित हैं तथा उनका उद्योगवार ब्यौरा क्या है, और

(ख) उनमें से प्रत्येक उद्योग द्वारा किन-किन उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा है तथा कितनी-कितनी पूँजी लगाई है तथा उनमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) तथा (ख) कम्पनी कार्य विभाग को प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड के नियंत्रणाधीन 14 एककों के नाम, स्थापना-स्थल तथा उत्पाद के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। एकक वार पूँजीगत निवेश तथा रोजगार सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है। कम्पनी कार्य विभाग के अनुसार 30 जून, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लि० की कुल मिलाकर परिसम्पत्तियों 149·26 करोड़ रु० है।

**विवरण**

दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लिमिटेड के स्वामित्व वाले एककों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण :

| क्र० सं० | एकक का नाम | स्थापना स्थल | उत्पाद |
|---|---|---|---|
| 1. | दिल्ली क्लाथ मिल्स | दिल्ली | सूती कपड़े |
| 2. | दौराला सुगर वर्कस | दौराला | शुगर अल्कोहल शराब |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | डी.सी.एम. कैमिकल वर्कस | नई दिल्ली | औद्योगिक रसायन, सुपर फास्फेट वनस्पति, खाने का तेल, ब्लीचिंग पाउडर, |
| 4. | स्वतन्त्र भारत मिल्स | दिल्ली | तौलिए, सूती कपड़े |
| 5. | मवाना शुगर वर्कस | मवाना | चीनी |
| 6. | हिसार टैक्सटाइल मिल्स | हिसार | सूती तथा मिश्रित धागा, सिलाई के धागे |
| 7. | डी.सी.एम. सिल्क मिल्स | नई दिल्ली | संशलिस्ट तथा मिश्रित सूटिंग तथा शर्टिंग |
| 8. | डी.सी.एम. मिनिंग फैक्टरी | हिसार | डी. सी. एम. सिल्क मिल्स के कैप्टिल |
| 9. | डी.सी.एम. मिनिंग फैक्टरी | मलौत | एकक |
| 10. | श्रीराम रेग्रन्स | कोटा | रेग्रन टायर कोर्ड |
| 11. | श्रीराम कैमिकल इंडस्ट्रीस | कोटा | यूरिया, कास्टिक सोडा पी. वी. सी. रेजिने एवं मिश्रण |
| 12. | डी. सी. एम. डाटा प्रोडक्टस | नई दिल्ली | इलैक्ट्रिक डाटा प्रोसेसिंग एण्ड बिजनेस मशीनें |
| 13. | हिण्डन रीवर मिल्स | डासना | मिश्रित तथा सुथर फाइन सूती कपड़े |
| 14. | डी.सी.एम. इंजीनियरिंग | प्रोडक्टस एसरान, रोपड़ | एलाथ एण्ड ग्रे आयरन कास्टिंग |

**राज्य विधान सभाओं का भंग किया जाना**

1017. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1952 से 1980 की अवधि के दौरान राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कितने अवसरों पर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं और सरकारों को भंग करने और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 306 का उपयोग वर्षवार कितनी बार किया गया;

(ख) प्रत्येक मामले में विधान सभा तथा सरकार किस तारीख को भंग की गई;

(ग) क्या अपने संविधान के संघीय ढांचे को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस अनुच्छेद को संविधान से हटाने अथवा समुचित रूप से संशोधित करने के लिए सरकार का उपयुक्त विधान बनाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) 1952 और 1980

के बीच इस अनुच्छेद के अधीन जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा पहले ही सदन के पटल पर रख दी गई है। यह अनुच्छेद संघ शासित क्षेत्र अथवा इसकी विधान सभा पर लागू नहीं होता है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**उत्तर प्रदेश में सीमेंट के मूल्य में वृद्धि**

1018. **श्री रामलाल राही** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सीमेंट का मूल्य उसके निर्धारित मूल्य की तुलना में काफी बढ़ गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मूल्य वृद्धि की रोकथाम के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चरनजीत चानना)** : (क) सीमेंट में कालाबाजारी के बारे में समय-समय पर शिकायतें मिलती रही हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को निश्चित मूल्य पर सीमेंट उपलब्ध कराने का सुनिश्चय करने के लिए अभ्युपाय किये हैं। उत्तर प्रदेश सीमेंट नियंत्रण आदेश के अधीन सीमेंट डीलरों को प्रतिदिन अपनी दुकानों पर सीमेंट के स्टाक की स्थिति और मूल्य-सूची दिखानी होती है। जिला प्राधिकारियों को डीलरों की दुकानों की नियमित जांच करने के अनुदेश दिए गए हैं। डीलरों को सीमेंट की जमाखोरी और कालाबाजारी करने से रोकने का सुनिश्चय करने के लिए संगठित छापे भी मारे जाते हैं।

**भारतीय कपड़ा नियम द्वारा कपड़े की खरीद और कपड़े की दर में वृद्धि करने का प्रस्ताव**

1019. **श्री अमर सिंह वी राठवा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कपड़ा उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या-क्या हैं ?

(ख) भारतीय कपड़ा निगम प्रत्येक राज्य से कपड़े की खरीद किस-किस दर पर करता है ?

(ग) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में भारतीय कपड़ा निगम की दरें अत्याधिक कम हैं; और

(घ) क्या उत्पादकों के लाभ के लिए सरकार कपड़े की दर में वृद्धि करने का विचार कर रही है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) देश में रूई का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं :

1. आन्ध्र प्रदेश
2. गुजरात
3. हरियाणा
4. कर्नाटक
5. महाराष्ट्र
6. मध्य प्रदेश

7. पंजाब

8. राजस्थान तथा

9. तमिलनाडु

(ख) भारतीय रूई निगम बाजार की प्रचलित दरों पर रूई की खरीद करता है। यह महाराष्ट्र में कार्य नहीं करता है क्योंकि वहां पर राज्य सरकार की रूई एकाधिकार विपणन योजना लागू है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**लड़ाकू विमान और हेलीकाप्टरों को अन्य देशों को बेचा जाना**

1020. **श्री चित्त बसु :**

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स का अन्य देशों को लड़ाकू विमान और हेलीकाप्टर बेचने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितने लड़ाकू विमान और हेलीकाप्टर बेचे जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इनको खरीदने वाले देशों के नाम क्या हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह)** : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाये गये विभिन्न विमानों और हेलीकाप्टरों की बिक्री के बारे में कुछ देशों ने उनसे पूछताछ की है। किन्तु अभी तक किसी भी आर्डर पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) पूछताछ करने वाले देशों के नाम बताना लोक हित में नहीं होगा।

**ग्रामीणों की मूल सुविधायें**

1021. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ग्रामीणों को अभी तक मूल सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्रामीणों को अब तक उपलब्ध कराई गई मूल सुविधाओं का क्या ब्यौरा है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) से (ग) तक : ग्रामीणों के लिए मूल सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता के प्रति सरकार जागरुक है। सम्पर्क सड़कें, पीने का पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इन्हें योजना के कार्यकलापों के भाग के रूप में शुरू किया गया था। वर्ष 1974-75 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आरंभ करने के समय इस कार्य की गति तेज की गई थी। इस सम्बन्ध में प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं :

(1) देश में कुल 5,75,936 गांवों में से 2,54,285 गांवों में, अर्थात् 44 प्रतिशत गाँवों में चालू वर्ष के अन्त तक बिजली लग जाने की आशा है।

(2) 2,61,466 गांवों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ दिए जाने की आशा है।

(3) वर्ष 1977-78 के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में 4,53,185 प्राइमरी स्कूल थे। इसके अलावा 83,438 मिडिल स्कूल और 33,175 हाई/हायर सैंकडरी स्कूल थे।

(4) निम्नलिखित आँकड़ों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएँ जुटाने के बारे में हुई प्रगति का पता चलेगा :

| कार्यक्रम | 1-4-1979 को सभावित संख्या |
|---|---|
| 1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 5475 |
| 2. उप केन्द्र | 45671 |
| 3. उन्नत किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 471 |
| 4. सहायक स्वास्थ्य केन्द्र | 1003 |
| 5. प्रशिक्षित किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य स्वय सेवक | 142000 |

(5) वर्ष 1971-72 में किए गए सर्वेक्षण में लगभग 1,52,475 गाँवों की समस्या गाँवों के रूप में निर्धारित किया गया, जहाँ उचित दूरी के भीतर या तो जल की पूर्ति का साधन नहीं था या मौजूदा साधन से पीने के योग्य पानी प्राप्त नहीं होता था। इनमें से लगभग 95,000 से 97,000 गाँवों के वर्ष 1979-80 के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाने की सम्भावना है।

वर्तमान सरकार का एक बार फिर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जाएगा।

**किसानों से कपास की खरीद**

1022. **श्री नर सिंह मकवाना** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों से कपास की खरीद के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं, और वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां इस तरह का प्रबंध किया गया है.

(ख) कपास की खरीद किस दर पर की जाती है, और

(ग) उस एजेंसी का नाम क्या है जिसके माध्यम से कपास खरीदी जाती है और क्या इसकी खरीद पर्याप्त मात्रा में की जाती है ?

**उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) से (ग) रूई का खुला हुआ व्यापार होता है तथा रूई की खरीदारी और बिक्री में सरकारी क्षेत्र में काटन कारपोरेशन आफ इंडिया, भिन्न-भिन्न राज्यों में सहकारी क्षेत्र के अभिकरण तथा निजी व्यापारी हिस्सा लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र स्टेट को अपरेटिव काटन मार्केटिंग फेडरेशन केवल एक राज्य कानून के अन्तर्गत एक एकाधिकार को आधार पर कच्ची रूई की खरीद और बिक्री करता है। काटन कारपोरेशन आफ इंडिया जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, महाराष्ट्र को छोड़कर सभी रूई उत्पादक राज्यों में खरीदारी करता है। काटन कारपारेशन आफ इंडिया विनियमित बाजारों में होने वाली खुली नीलामी में सीधे ही उत्पादकों से रूई खरीदता है। वह बाजार मूल्यों पर सहकारिता विपठान संघों, प्राथमिकता सहकारी समितियों तथा तालु का संघों से भी कच्ची रूई खरीदता है। जो क्षेत्र विनियमित बाजारों के अन्तर्गत नहीं आते उनमें

कारपोरेशन सीधे ही उत्पादकों से कपास खरीदता है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सीधे खरीदारी की जाती है और काटन कारपोरेशन आफ इंडिया के पास कोई भी अभिकरण व्यवस्था नहीं है।

जहाँ तक काटन कारपोरेशन आफ इंडिया की खरीदारी का सम्बन्ध है अभी तक उसने लगभग 8 लाख गाँठें खरीदी हैं और इस कपास वर्ष के दौरान उसका 15 लाख गाठें खरीदने का एक कार्यक्रम है जो पिछले वर्ष की गई खरीदारी से डेढ़ गुणा बड़ा होगा।

**पाकिस्तान द्वारा भातीय वायु सीमा का उलंघन**

1023. **श्री शिवकुमार सिंह : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों के दौरान पाकिस्तान के जासूसी करने वाले विमानों ने कितनी बार भारतीय वायु सीमा का उलंघन किया ; और

(ख) यदि हाँ, तो भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.पी.एन. सिंह)** : (क) पिछले छः महीनों के दौरान पाकिस्तान के विमानों ने तीन बार भारतीय वायु सीमा का उलंघन किया। सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है कि ये उलंघन जासूसी करने वाले विमानों ने किए।

(ख) पाकिस्तान सरकार से इस बारे में विरोध प्रकट किया जा चुका है।

**अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षित उम्मीदवारों को रोजगार**

1024. **श्री राम स्वरूप राम : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवाओं में आरक्षण होने के बावजूद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को समुचित अनुपात में नियुक्त नहीं किया जाता है,

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हाँ' में हो तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षित उम्मीदवारों को एक निश्चित अवधि में रोजगार देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षित उमिदवारों को उनके आवेदन पत्र देने की तिथि से अधिकतम कितने समय के अन्दर उन्हें रोजगार दिया जाता है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) निर्धारित प्रतिशतता तक आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को भर्ती करने के पूरे प्रयत्न किए जाते हैं। ऐसा केवल तभी होता है जब कि संगत आदेशों तथा अनुदेशों के अधीन ऐसे उम्मीदवारों को दी गई मानकों में ढील तथा अन्य रिआयतों के आधार पर भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने से ऐसी आरक्षित रिक्तियाँ बिना भरी रह जाती हैं। फिर भी उन्हें उन प्रवर्गों में से भरे जाने के लिए उन्हें बाद के तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रेषित किया जाता है। उक्त स्थिति की लगातार पुनरीक्षा की जाती है और उनके प्रतिनिधित्व में कमी को पूरा करने के प्रयत्न किए जाते हैं।

(ख) गृह मंत्रालय अनुसूचित जाती/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु 21 पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है। इसके अतिरिक्त श्रेणी III नौकरियों के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीकृत अनुसूचित जाती/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा साक्षात्कारों के

लिए तैयार करने के लिए चार शिक्षण एवम् मार्ग निर्देशन केन्द्र भी है। लिपिक वर्गीय/आशुलिपि ग्रेडों में लगभग 500 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली तथा गाजियाबाद में कुछ शैक्षिक संस्थाओं में एक विशेष शिक्षण योजना भी चलाई जा रही है।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं है।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिकी करण के लिए अध्ययन दल**

1025. **श्री पी.ए. संगमा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है,

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के शीघ्र औद्योगिकीकरण के बारे में क्या बाधायें हैं,

(ग) क्या इस क्षेत्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए नीति का अध्ययन करने हेतु सरकार ने हाल में कोई अध्ययन दल नियुक्त किया है, और

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) असम के तीन जिलों अर्थात् सिबसागर, दारंग व डिब्रूगढ़ को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के सभी जिलों को रियायती वित्त पाने के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है। इसके अलावा चार जिलों अर्थात् सिबसागर "दारंग, डिब्रूगढ़ और नार्थ कछार हिल को छोड़कर क्षेत्र के अन्य सभी जिले केन्द्रीय निवेश राज सहायता पाने के पात्र हैं।

(ख) (ग) और (घ) संभवतया इसका तात्पर्य राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के सहयोग से पिछले वर्ष तैयार की गई अध्ययन दल की रिपोर्ट से है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के त्वरित औद्योगीकरण के मार्ग में आने वाली निम्नलिखित बाधाओं का पता लगाया गया था ,—

(क) अवस्थापना सुविधाओं की कमी,

(ख) सक्षम उद्यमियों का अभाव,

(ग) औद्योगिक क्रियाकलाप के लिए अपर्याप्त तकनीकी और प्रबन्धकीय विशेषज्ञता,

(घ) इस क्षेत्र में तैयार माल के लिए विपणन संबंधी समस्या,

(ङ) परिवहन लागतों, कुछ निविष्टियों की अपर्याप्त उपलब्धता तथा अलाभकर अर्थ व्यवस्था के कारण आने वाली ऊँची लागत।

अध्ययन दल की सिफारिशों और निष्कर्षों में सम्पूर्ण क्षेत्र को पिछड़ा हुआ घोषित करना, निवेश की ऊँची दरें तथा विशेष मापदण्ड के आधार पर परिवहन राज सहायता विपणन हेतु संस्थागत अवस्थापना ढाँचे को सुदृढ़ बनाना, तकनीकी प्रशिक्षण तथा निवेश संबंधी पूर्ति और प्राथमिकता के आधार पर इस क्षेत्र को अधिक ऋण देना उल्लेखनीय है।

**नालंदा जिला, बिहार में उद्योगों की स्थापना**

1026. **श्री विजय कुमार यादव** : **क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में नालंदा जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है, और

(ख) यदि हां, तो इस जिले के विकास के लिए इसमें उद्योगों का जाल बिछाने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मत्री (डा० चरनजीत चानना)** : (क) जी, हां। नालन्दा जिला रियायती वित्त प्रदान करने के लिए चुने गए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची में शामिल है।

(ख) नालन्दा जिले को वर्ष 1978-79 में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम में शामिल किया गया था। जिला उद्योग केन्द्र लघु एवं कुटीर एककों की स्थापना में निवेश पूर्व, निवेश करने और निवेश किए जाने के बाद की अवस्थाओं में सहायता करते हैं। नालन्दा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा तैयार की गई कार्य-योजना में उद्यमियों को सिफारिश किए गए स्थानीय कच्चे माल और मांग पर आधारित प्रार्थी उद्योग शामिल हैं।

**सीमा पार करके आने वाले व्यक्तियों के लिये बाघा सीमा पर सुविधाएँ**

1027. **श्री ए० सेनापति गोंडर** : **क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मत्री ने भूतपूर्व गृह मंत्री और भूतपूर्व रक्षा मंत्री के इस आशय के पत्र लिखे थे कि सीमा पार करके भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए बाघा सीमा पर पर्याप्त सुविधायें दी जायें; और

(ख) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) भूतपूर्व उप-प्रधान मंत्री और गृहमंत्री को बाघा अटारी सीमा पर यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार के संबंध में पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ था। इस सबध में प्रस्तावों पर राज्य सरकार समेत संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श करके कारवाई की जा रही है।

**अमृतसर और फीरोजपुर जिलों के उन ग्रामीणों की समस्याएं जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाये गये नाले के आर-पार रहते हैं**

1028. **श्री एल. एस. तुर** : क्या **रक्षा मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पंजाब में अमृतसर और फीरोजपुर जिलों के उन ग्रामीणों की समस्याओं की जानकारी है जो रक्षा की दृष्टि से बनाए गए उस नाले के आर-पार रहते हैं जिस पर कोई पुल नहीं हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो असैनिक उद्देश्यों के लिए वहाँ आवश्यक पुलों का तुरंत निर्माण करने के लिए भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन सिंह)** : (क) और (ख) पंजाब में अमृतसर और फिरोजपुर जिलों में रक्षा की दृष्टि से बनाए गए नालों पर उचित दूरियों पर कई पुल बनाए गए हैं ताकि ग्रामीण उन नालों को आसानी से पार कर सकें। जिन स्थानों पर ऐसे निर्माण कार्य राष्ट्रीय हित में न हों उन स्थानों पर न तो पुल बनाए जाते हैं और न पुल बनाने की अनुमति दी जाती है।

**अधिकारियों की समय पर उपस्थिति की जांच**

1029. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्र तथा राज्यों में अधिकारियों और कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति की जाँच करने की कोई प्रणाली नहीं है जैसे 1977 से पूर्व के समय में थी ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया)** : सरकार, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति पर सदैव जोर देती रही है और इसके अतिरिक्त कार्यालय के कर्मचारियों के लिए कार्यालय में आने और जाने के समय पर हाजिरी लगाने की भी एक प्रणाली विद्यमान है। उपस्थिति में समय की पाबन्दी का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए समय-समय पर अनुदेश भी जारी किए गए हैं। ऐसे अन्तिम अनुदेश अप्रैल, 1978 में जारी किए गए थे।

**जाँच करने वाली एजेंसियों के अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक शिकायतों की जांच**

1030. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो, अनुसंधान तथा विश्लेषण विभाग आदि जैसी केन्द्रीय जाँच एजेंसियों के अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक शिकायतों की जाँच करने में पुलिस ने यदि कोई सिद्धाँत तया नियम अपनाये हैं तो वह क्या है;

(ख) क्या हाल में इन नियमों तथा सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन किये गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो और अनुसंधान तथा विश्लेषण विभाग के किन अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक शिकायतों की जाँच की जा रही है और इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : केन्द्रीय जाँच करने वाली एजेंसियों जैसे आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो, अनुसन्धान तथा विश्लेषण विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच करते समय उन्हीं मानकों और नियमों का पालन किया जाता है जिनका अन्य सरकारी कर्मचारियों के मामले में किया जाता है। ऐसी आपराधिक शिकायतों की जाँच पड़तालों का विनियमन दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों द्वारा किया जाता है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के उपमहानिरीक्षक श्री एन. के. सिंह से गुडगांव के रामचन्द्र द्वारा दर्ज की गई उस शिकायत के सम्बन्ध में गुडगांव पुलिस द्वारा पूछताछ की गई थी जिसमें 26-5-77 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कुछ अन्य अधिकारियों के साथ षडयंत्र में श्री सिंह द्वारा उसके अपहरण और गैर कानूनी रूप से नजरबन्द करने का आरोप लगाया गया था। आसूचना ब्यूरो के 10 कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक शिकायतों की उनके द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता से न कि अपने सरकारी कर्तव्य पालन के दौरान उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए पुलिस/केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के द्वारा जाँच की गई है; अनुसंधान तथा विश्लेषण विभाग के एक ड्राइवर पर न्यायालय में मुकद्दमा चल रहा है और उस संगठन के चार अन्य सदस्यों पर व्यक्तिगत रूप से मामला चल रहा है।

**राज्यों को 20 सूत्री कार्यान्वित करने के आदेश**

1031. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को स्पष्ट आदेश भेजे गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कब, और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने हेतु इस बात की निगरानी की जा रही है कि कार्यान्वयन की प्रक्रिया उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में वास्तव में आरम्भ् की जाए ?

**प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी** : (क) से (ग) तक केन्द्रीय मंत्रालयों से 20-सूत्री कार्यक्रम की प्रगति का ब्यौरा देने के लिए कहा गया था। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, इस कार्यक्रम के अनेक विषयों को कार्यान्वित किया जा चुका है जैसा कि हाल ही में संसद में दिये गये राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है, सरकार का इस कार्यक्रम को गत्यात्मक तरीके से पुन: गतिशील करने और कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है तथा उपयुक्त उपायों पर विचार किया जा रहा है।

**नरोरा परमाणु बिजली परियोजना को पूरा किया जाना**

1032. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरोरा परमाणु बिजली परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी, उस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है और इस पर हो रहे कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस परियोजना के पूरा होने के बाद बिजली का कितना उत्पादन होगा और इसकी प्रति यूनिट अनुमानित लागत क्या होगी ?

**प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी** : (क) वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के पहले यूनिट का निर्माणकार्य सन 1984 में तथा दूसरे का सन 1985 में पूरा हो जायेगा। इस परियोजना का संस्वीकृत लागत अनुमान 209-89 करोड़ रुपये हैं, जो कि सन् 1972 की कीमतों पर आधारित है। सन् 1978 के मध्य की कीमतों के आधार पर सशोधित लागत अनुमान लगभग 327.40 करोड़ रुपये बैठेगा। संयंत्र के मुख्य भवनों के सिविल निर्माणकार्य में काफी प्रगति हुई है। नेचुरल ड्राट कूलिंग टावरों का निर्माणकार्य चल रहा है। संयंत्र के मुख्य उपस्करों का निर्माणकार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है।

(ख) ये दोनों यूनिट 470 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। 75 प्रतिशत क्षमता गुणांक पर बिजली की उत्पादन लागत 26.40 पैसे प्रति किलोवाट घंटा होने का अनुमान है।

**कलकत्ता स्थित आर्डनेंस डिपो का बन्द किया जाना**

1033. **श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता स्थित आर्डनेंस डिपो को, जिसमें 700 कर्मचारी काम पर लगे हैं, 30 जून, 1980 से बन्द किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त रक्षा प्रतिष्ठान को, जो 200 वर्ष पुराने रक्षा एककों में से एक है, बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार, कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत किये गये कई अभ्यावेदनों के आधार पर मामले पर पुन: विचार कर रही है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह)** : (क) से (ग) सरकार ने

आर्डनेंस डिपो, कलकत्ता को बन्द करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। किसी आर्डनेंस डिपो का एक विशेष स्थान पर बने रहना, अन्य कारणों के अलावा, युद्ध सम्बन्धी अनिवार्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सम्भरण तन्त्र की व्यवस्था करने की उसकी उपयोगिता के बने रहने पर निर्भर करता है। जब भी आर्डनेंस डिपो, कलकत्ता को बन्द करने की बात उठेगी तो उसे बन्द किये जाने के खिलाफ अभ्यावेदनों समेत सभी सुसंगत पहलुओं पर समुचित विचार किया जाएगा।

**एच. एम. टी. घड़ियों का मूल्य**

1034. **श्री ओस्कार फर्नान्डीस :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग सभी प्रकार की एच० एम० टी० घड़ियों के मुल्य में पिछले एक वर्ष में दूसरी बार वृद्धि की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एच. एम. टी. घड़ियों की मांग में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हाँ, तो प्रत्येक बार विभिन्न प्रकार की घड़ियों के मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार एच० एम० टी० घड़ियों के मूल्य कम करने का है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) :** (क) जी, नहीं। एच० एम० टी० की कुछ घड़ियों की कीमतें पिछली बार केवल 15 अप्रैल, 1979 से संशोधित की गई थी।

(ख) एच. एम. टी. की घड़ियों की मांग अब भी अधिक है।

(ग) एच. एम. टी. द्वारा बेची जा रही लगभग 60 प्रकार की घड़ियों में से 35 प्रकार की घड़ियों के मूल्यों में 15 अप्रैल, 1979 से संशोधन किया गया था। यह वृद्धि घड़ियों के आयतित हिस्से-पुर्जों पर से बराबर के शुल्क की छूट वापिस लेने के कारण आवश्यक हो गई थी। विभिन्न प्रकार की घड़ियों के मूल्यों में वृद्धि हाथ से चाबी दी जाने वाली पुरुष घड़ियों के मामले में ८% से 8% तक, हाथ से चाबी दी जाने वाली महिला घड़ियों के मामले में 1.5% से 8% तक और स्वचालित घड़ियों के मामले में 1.5% से 6% तक हुई है।

(घ) उत्पादन लागत को न्यूनतम स्तर तक रखने के लिए एच. एम. टी. निरन्तर प्रयत्न करता है।

**विद्रोही नागाओं और मीजों लोगों का बर्मा के अन्दर घुसने का प्रयास**

1035. **श्री चन्द्रजीत यादव :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागा और मीजो लोगों के गिरोहों ने गुरीला प्रशिक्षण तथा शस्त्र और गोला बारूद प्राप्त करने के लिये अरुणाचल प्रदेश के तिराम जिले से होकर चीन होते हुए बर्मा में घुसने के अपने आन्दोलनों को हाल ही में तेज कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने बर्मा और चीन की सरकारों के साथ इस मामले पर विचार विमर्श किया है और उस पर उन सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) तक : अरुणाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्रोही नागा और मिजो लोगों के गिरोहों के अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले से होकर चीन हाते हुए वर्मा में चोरी छिपे जाने की कोई विशिष्ट घटना ध्यान में नहीं आई है। परन्तु 1979 के उत्तरार्ध और बाद में भी तिराप जिले के विभिन्न स्थानों पर कुछ नागा विद्रोही पकड़े गये थे। पकड़े गये इन लोगों की पूछताछ करने से यह प्रकट हुआ कि वे वर्मा से तिराप जिले के रास्ते नागालैंड जा रहे थे। तिराप जिले से होकर आने जाने वाले विद्रोहियों को रोकने के लिये वर्मा सीमा से लगे इस जिले में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के उपाय किये गये हैं।

**आगरा के विक्रमपुर गांव में परिवार की हत्या**

1036. **श्री बाबूलाल सोलंकी** : क्या **गृह मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत माह आगरा जिले में तहसील बाह के विक्रमपुर गाँव में डाकुओं के एक गिरोह ने एक परिवार के, छोटे बच्चों और महिलाओं सहित, नौ सदस्यों की नृशंष हत्या कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो डाकुओं के इस गिरोह को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है; और

(ग) क्या दो महीनों के भीतर डाकुओं के गिरोहों को समाप्त करने के लिए आगरा, इटावा, मैनपुरी, भिन्ड, मुरैना, ग्वालियर और धौलपुर तथा भरतपुर जिलों में सीमा सुरक्षा बल अथवा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात की जाएगी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हाँ, श्रीमान्, डकैतों द्वारा 3 पुरुष और छः बच्चे मारे गये थे। घटना में कोई महिला नहीं मारी गई थी।

(ख) पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो डकैत मारे गये थे और चार अन्य ने आत्मसमर्पण किया था। सारे गिरोह का सफाया करने के लिये प्रभावशाली प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) पी. ए. सी. और पुलिस प्रभावित क्षेत्रों में गश्त लगा रही है और इस समय सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात करने का कोई विचार नहीं है।

**ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन**

1037. **श्री के. लकप्पा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन कम्पनी में सरकार के कितनी प्रतिशत शेयर हैं; और

(ख) क्या सरकार को ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन एम्पलाईज यूनियन की तरफ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर की इक्विटी पूंजी में सरकार के 22·49 प्रतिशत प्रत्यक्ष अंश (शेयर) हैं।

(ख) जी हाँ, ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन एम्प्लोईज यूनियन से प्राप्त ज्ञापन में निगम की कुछ प्रबन्ध व वित्तीय समस्याओं को उठाया गया है।

**देश में योजना-संकट विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श**

1038. **श्री चित्त महाटा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में योजना-सकट विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर का विचार-विमर्श आयोजित करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख) नई सरकार सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए योजना को आवश्यक साधन के रूप में मानने को अपनी बचन-बद्धता की पहले ही पुन: पुष्टि कर चुकी है और इस विषय पर फिर से बहस किए जाने को आवश्यक नहीं समझती।

**मैसर्स शार्पएज लिमिटेड का विस्तार करने की अनुमति**

1039. **श्री सारिक अनवर** : क्या **उद्योग मन्त्री** 23 मार्च, 1979 के आतरांकित-प्रश्न संख्या 5106 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान लीवन की एक सहायक कम्पनी मैसर्स शार्पएज लिमिटेड को विस्तार करने की अनुमति देने का निर्णय कर लिया है और क्या इससे कई मामलों में सरकारी नीति में छूट देनी पड़ेगी;

(ख) इस पर छूट दिए जाने के यदि कोई कारण हों, तो वे क्या हैं,

(ग) क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय ने पश्चिमी बंगाल की एक भारतीय कंपनी को ब्लेड बनाने के लिए एक नये एकक को लगाने के मामले में किसी भी प्रकार की छूट देने से मना कर दिया था; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का बहुराष्ट्रीय कम्पनी के मामले में विस्तार के लिए दी गई छूट को वापस लेने तथा भारतीय कम्पनियों को उत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चरनजीत चानना)** : (क) तथा (ख) मैसर्स शार्पएज लि. का आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है।

(ग) पश्चिमी बंगाल की एक भारतीय कम्पनी का ब्लेड बनाने के लिए एक नए एकक की स्थापना का प्रस्ताव शर्तें उपयुक्त न पाये जाने के कारण रद्द कर दिया गया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों और केलक्यूलेटर चिप्स के सरकारी माध्यम से आयात और सप्लाई को समाप्त करना**

1040. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों और केलक्यूलेटर चिप्स के सरकारी माध्यम से आयात और सप्लाई की व्यवस्था को समाप्त करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि यह कार्यवाही लघु निर्माताओं के हित में नहीं है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

**मिर्जापुर में कुटीर उद्योगों के समक्ष संकट**

1041. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिर्जापुर तथा वाराणसी में कुटीर उद्योगों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ उद्योगपतियों को गलीचें, दरियाँ आदि मशीनों पर बनाने के लिये लाइसेंस दे दिये गये हैं।

(ख) यदि हां, तो कुटीर उद्योगों को सम्बन्धित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं तो इसके क्या कारण हैं।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**फिल्म के मूल्य में वृद्धि**

1042. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्म संघ के अध्यक्ष ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्म लिमिटेड द्वारा हाल ही में फिल्म के मूल्य में की गई वृद्धि को अनुचित बताया है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) कुछ समाचार पत्रों ने सूचना प्रकाशित की है कि भारतीय फिल्म संघ (फिल्म फेडरेशन आफ इंडिया) के अध्यक्ष ने यह वक्तव्य दिया था।

(ग) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि० द्वारा निर्मित उत्पादों के मूल्य सरकार द्वारा नियंत्रित न होकर बल्कि कम्पनी द्वारा निश्चित किये जाते हैं। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो कम्पनी के मूल्य ढांचे का अध्ययन किया है कम्पनी ने स्पष्टीकरण किया है कि माल तैयार करने की लागत में वृद्धि हो जाने से जिसमें चांदी के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि शामिल है, उनके मूल्यों में समायोजन करना पड़ा था।

**केरल में नारियल जटा उद्योग**

1043. **श्री के. ए. राजन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने राज्य में नारियल जटा उद्योग का विकास करने हेतु एक योजना फरवरी, 1979 में किसी दिन केन्द्रीय सरकार को उसकी स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता के लिए भेजी थी,

(ख) क्या भारत सरकार से चालू वर्ष में योजना की क्रियान्विति हेतु 659·21 लाख रुपये रिलीज करने का अनुरोध किया गया है, और

(ग) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार का क्या निर्णय है;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मत्री (डा० चरनजीत चानना)** : (क) से (ग) केरल सरकार ने 1978-79 से लेकर 1982-83 तक। पाँच वर्षों की अवधि के दौरान कयर उद्योग का विकास करने की एक योजना भेजी है जिसमें केन्द्र से सहायता के रूप में 24·24 करोड़ रुपये, संस्थागत वित्त के रूप में 32·38 करोड़ रुपये, तथा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के योगदान स्वरूप 5 करोड़ रुपये और इस प्रकार कुल मिलाकर 61.62 करोड़ रुपये का परिव्यय अंतर्गस्त है। योजना का उद्देश्य 600 नई प्राथमिक सहकारी समितियों, 10 निर्माणकारी समितियों, एक विपणन संघ की स्थापना करना, बिक्री डिपो खोलना, केरल राज्य केयर कारपोरेशन को वित्तीय सहायता देना कल्याणकारी अभ्युपाय आदि करना है।

सरकार ने इन समस्याओं के निदान हेतु उपयुक्त उपाय सुझाने/कयर उद्योगों को तेजी से स्वस्थ विकास करने के लिये श्री बी० शिवरामन, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में कयर उद्योग के सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय अध्ययन दल का गठन किया है। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उसकी विभिन्न सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

कयर उद्योग का विकास करना/पुन: सरचना करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की अपनी राज्य योजनाओं के अंतर्गत जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सहायता की मात्रा अध्ययन दल की सिफारिशों पर लिये गये निर्णयों पर निर्भर करेगी।

**कम विकसित राज्यों के नाम**

1045. **श्री डी. पी. जदेजा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में कम विकसित राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) राज्यों का विकास करने की वर्तमान व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कम विकसित राज्यों का विकास करने के लिये इस सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन लाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) राज्य योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता के आवंटन के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित राज्यों को कम विकसित माना जाता है :

(1) वे राज्य जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है : आध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।

(2) विशेष श्रेणी के राज्य :

असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।

(ख) राज्य योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता गाडगिल फार्मूला और आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूला के आधार पर दी जाती है। इसके अलावा विशेष श्रेणी के राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के आशोधन/समाप्ति के कारण सहायता प्राप्त होती है क्योंकि उनका समावेश आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूला के अन्तर्गत नहीं होता। सभी राज्यों को बाहरी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है; इस समय यह अतिरिक्त सहायता राज्य योजना परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता संवितरण का 70

प्रतिशत है। पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी परिषद् के कार्यक्रम के लिए भी अतिरिक्त सहायता दी जाती है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**उड़ीसा में 'बुलेट मोटर साईकिल' का कारखाना**

1046. **श्री रासबिहारी बेहेरा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायल इफील्ड ग्रुप आफ मद्रास को उड़ीसा में 'बुलेट मोटर साईकल' कारखाने की स्थापना करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना के लिए कोई ऋण दिया है;

(ग) यदि हां, तो कितना; और

(घ) क्या संयंत्र में उत्पादन शुरु हो गया है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

**पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई**

1047. **डा०फारूक अब्दुला** :

**श्री पी० के० कोडियन** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को गत दो महीनों के दौरान बहुत बड़ी संख्या में चीन के हथियार और अमरीका के हथियार प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार को उनको अब तक मिले कुल हथियारों और गोला-बारूद के बारे मे कोई जानकारी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अमरीका की ओर से पाकिस्तान को हथियारों की इस सहायता से हमारी शक्ति और रक्षा संतुलन कमजोर पड़ गया है ?

(ङ) यदि ऐसा है तो इस बारे में क्या आवश्यक उपाय किए जाने का विचार किया जा रहा है ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह)** : (क) से (ग) सरकार को मालूम है कि पिछले दो महीनों के दौरान हथियारों और गोला-बारूद की कुछ मदें चीन ने पाकिस्तान को दी हैं। उनके बारे में ब्यौरे देना लोक हित में नहीं होगा। जहाँ तक अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार देने का सम्बन्ध है, हम यह जानते हैं कि इस मामले पर अभी दोनों देशों की सरकारों में विचार विमर्श जारी है।

(घ) और (ङ) पाकिस्तान में हथियारों और गोला-बारूद के जमाव का हमारी सुरक्षा पर असर पड़ता है। किन्तु ऐसी सभी घटनाओं पर बराबर नजर रखी जाती है तथा समय पर यथावश्यक उपयुक्त उपाय किये जाते हैं ताकि रक्षा-तैयारी पूरी तरह बनी रहे।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

**पुस्तकों तथा कापियों के लिये कागज की कमी**

1048. **श्री टी.आर. शमन्ना** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि छात्रों के उपयोग के लिए किताबें और कापियां छापने के लिए उचित मूल्य के कागज की भारी कमी है, और

(ख) यदि हाँ, तो कागज का उत्पादन बढ़ाने अथवा अपेक्षित कागज का आयात करने तथा उपर्युक्त उपयोग के लिए कागज सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना)** : (क) तथा (ख) कागज की समग्र रूप से कोई कमी नहीं है यद्यपि कुछ मिलों के उत्पादन पर समय-समय पर बिजली की कमी, औद्योगिक अशान्ति तथा अन्य कारणों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सरकार ने मुद्रकों प्रकाशनों तथा अन्य उपभोक्ताओं की अवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कागज आयात करने की व्यवस्था की है। जहाँ तक शैक्षिक क्षेत्र का सबंध हैं, पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन तथा कापियाँ बनाने के लिए छपाई का सफेद कागज 3000 रु० प्रति मी.टन की रियायती दर पर दिया जा रहा है।

**आसाम में भारतीयों वापस जाओ नारे**

1049. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में "भारतीयों वापस जाओ" नारे लगाये गये;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार के राष्ट्र-विरोधी प्रचार के स्रोतों का पता लगाने की कोशिश की है; और

(ग) यदि हाँ तो इस मामले में यदि कोई जांच की गई है, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क), (ख) और (ग) : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उल्लिखित नारे के सम्बन्ध में बिना नाम के पोस्टर और दीवार लेख राज्य में कुछ स्थानों पर दिखाई दिए हैं। अब तक किए गए प्रयत्नों से स्रोतों से पता नहीं लगा है। मामले की जाँच की जा रही है।

**राज्यस्थान के बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में खातेदारी भूमि के अधिग्रहण के लिये मुआवजा**

1050. **श्री विरधी चन्द जैन** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) राजस्थान के बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों के उन सीमावर्ती क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहाँ सैनिक मकानों के निर्माण के लिऐ खातेदारी भूमि/गैर खातेदारी भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा उक्त ग्रहण कब किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान के राजस्व विभाग द्वारा बार बार ध्यान दिलाये जाने के बावजूद भी रक्षा विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इसमें विलम्ब के लिये कौन अधीकारी जिम्मेवार हैं; और

(ग) रक्षा विभाग द्वारा वहां से निकाले गये भू-स्वामियों को सही सही किस तारीख तक मुआवजा अदा कर दिया जायेगा ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह)** : (क) से (ग) बाड़मेर और

जैसलमेर जिलों में निम्न प्रकार से रक्षा आवश्यकताएं पूरी करने के लिए लगभग 328 एकड़ गैर सरकारी भूमि अधिग्रहीत की गई है और लगभग 84 एकड़ गैर-सरकारी भूमि अर्जित की गई है :—

(1) मार्च, 1976 में बाड़मेर जिले के मीठरी खुर्द गांव में 133.20 एकड़ गैर-सरकारी भूमि अधिग्रहीत की गई थी। मुआवजे की मात्रा के बारे में उक्त जिले के कलक्टर तथा रक्षा भूमि और छावनी प्राधिकारियों के बीच मतभेद होने के कारण आवर्ती मुआवजा अदा नहीं किया गया है। मामले के ब्यौरे मंत्रालय को प्राप्त हो गए हैं। वित्त (रक्षा) मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा करने के बाद उचित मुआवजा तय किया गया है और इस संबंध में भुगतान करने के लिए कलक्टर को आदेश भेजे जा रहे हैं।

(2) सितम्बर, 1978 में जैसलमेर जिले के डबला और दरबारी का गाँव/नामक गावों में 4.2 एकड़ खातेदारी भूमि अधिग्रहीत की गई थी। जिले के कलक्टर, जो इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी हैं, ने आवर्ती मुआवजे की राशि निर्धारित नहीं की है। उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वे इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करें।

(3) दिसम्बर, 1972 में बाड़मेर में 190.68 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी। दिसम्बर, 1979 तक का वार्षिक आवर्ती मुआवजा अदा किया जा चुका है। इस भूमि को अर्जित करने के लिए अब मंजूरी मिल गई है।

(4) सन् 1967 में जैसलमेर में 83.72 एकड़ भूमि अर्जित की गई थी। 85,972 रु० की राशि मुआवजे के रूप में पहले ही वितरित की जा चुकी है और 13,288 रुपए की बकाया राशि तीन भू-स्वामियों में अभी वितरित की जानी बाकी है। मुआवजे के निर्धारण में कुछ अनियमितताओं की शिकायतों के कारण बकाया राशि का वितरण रोक दिया गया है। राज्य सरकार उन शिकायतों की जाँच-पड़ताल कर रही है। माननीय सदस्य के साथ-साथ सरकार को भी इस विलम्ब के लिए चिन्ता है और सरकार ने राज्य सरकार से अलग से अनुरोध किया है कि इस मामले में राज्य सरकार का निर्णय शीघ्र भेजा जाए।

**परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के प्रतिष्ठान सबंधी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन**

1051. **श्री पी. राजगोपाल नायडू :**

**श्री आर.पी. गोयकवाड :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के प्रतिष्ठापन के बारे में किसी विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने इस प्रयोजन के लिए आंध्र प्रदेश में किसी स्थल की सिफारिश की है ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, हां। उपयुक्त स्थलों का चुनाव करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई स्थल चयन समिति ने उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी विद्युत क्षेत्रों के बारे में अपनी रिपोर्ट दे दी है।

(ख) परमाणु बिजलीघर स्थापना के बारे में विचारार्थ समिति ने जिन स्थानों की सूची प्रस्तुत की है, उनमें आँध्र प्रदेश के कुछ स्थल भी शामिल हैं।

**बसोहली, जम्मू में सीमेंट परियोजना की स्थापना**

1052. **डा. कर्ण सिंह** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू क्षेत्र के बसोहली स्थान में एक सीमेंट परियोजना के निर्माण का कोई प्रस्ताव लम्बे समय से विचाराधीन पड़ा है;

(ख) क्या निकट ही बनने वाले थीन बाँध पर होने वाले निर्माण को देखते हुए यह और भी अधिक आवश्यक है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि बसोहली का यह सीमेंट कारखाना जितना जल्दी संभव हो, कार्य करना प्रारम्भ कर दे।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनजीत चानना)** (क) से (ग) जम्मू तथा काश्मीर मिनरल लि० को बसोहली में 2 लाख मी०टन की क्षमता वाला सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए 21.4.1971 को एक आशय पत्र को फिर से वैध करने के लिए मंत्रालय में कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। अतः यह बताना कठिन है कि यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी।

**परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों के वैज्ञानिकों में असतोष**

1053. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों में काम कर रहे युवा वैज्ञानिकों में असंतोष व्याप्त है क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने तथा स्वतंत्र रूप से अनुसंधान गतिविधियों के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया गया है कि इन प्रतिष्ठानों में एक कर्मचारी को अगली पदोन्नति प्राप्त करने में प्रायः कितना समय लगता है; और

(ग) इन संगठनों में ऐसा कौन सा तन्त्र है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक तथा कर्मचारी अपनी शिकायतें बता सकते हैं और उनको दूर करने के लिये क्या अनुचित कार्यवाही की गई है ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दीरा गांधी)** : (क) से (ग) परमाणु उर्जा विभाग में पदोन्नतियाँ मेरिट प्रमोशन स्कीम के अनुसार की जाती हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत, जब कोई वैज्ञानिक किसी पद पर लगभग 4 से 7 वर्ष तक सेवा कर चुका होता है तब उसके कार्यानिपादन को ध्यान में रख कर, उसकी पदोन्नति अगले ऊँचे ग्रेड में करने के बारे में विचार किया जाता है तथा यदि कोई रिक्ति न हो, तो ऐसी पदोन्नति के लिए नए पद का सृजन किया जाता है।

वैज्ञानिकों को स्वतंत्र रूप से अनुसंधान करने का हर अवसर प्रदान किया जाता है और हर तरह से अनुचित प्रोत्साहन दिया जाता है। विभाग के वैज्ञानिक भारत में और विदेशों में आयोजित अनेक संगोष्ठियों में भाग लेते हैं। विभाग उनके शोध संबंधी प्रतिवेदनों/बिन्वों आदि के प्रकाशन की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त, शोध-कार्य को सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार, सामान्य स्थिति काफी संतोषजनक है। तथापि, असंतोष के इक्के-दुक्के मामले हो सकते हैं। ऐसे मामलों पर उपयुक्त स्तर पर विचार किया जाता है और यदि कोई शिकायत सही पाई जाती है तो उसे दूर किया जाता है।

कार्यालय के निर्धारित माध्यम से अपनी शिकायतें पेश करना है सामान्य प्रक्रिया का

लाभ वैज्ञानिक उठा सकते हैं। इसके अलावा ट्राम्बे परिषद और ट्राम्बे वैज्ञानिक परिषद नामक दो निकाय भी हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वर्गों के निदेशक, प्रभागाध्यक्ष तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक इन निकायों के सदस्य हैं तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक इनके अध्यक्ष है। ये निकाय स्टाफ की समस्याओं और वैज्ञानिकों की शिकायतों पर गौर करते है।

**छोटे पैमाने पर साबुन तथा डेटरजेंट उद्योग**

1054. **श्री पी जे. कुरियन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोडा एश तथा काष्टिक सोडा न मिलने के कारण छोटे पैमाने के साबुन तथा डेटरजेंट उद्योग को भारी क्षति पहुंची है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग की जरुरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) सोडा ऐश न मिलने के कारण वर्ष 97 के बाद लघु क्षेत्र में स्थापित किये गये एककों पर अत्याधिक प्रतिकूल प्रभाव पडा। इसके अलावा वर्ष 1979 से कास्टिक सोडे की कमी के कारण साबुन के छोटे उद्योगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) देशी सोडा ऐश के वितरण के लिए रासायनिक तथा उर्वरक विभाग द्वारा मार्ग दर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं जिनके अनुसार निर्यात वर्ष 1977 में उपभोक्ताओं द्वारा की गई खरीद के अनुपात उन्हें सोडा ऐश का संभरण करेंगा। इसके अलावा सरकार ने 20,000 मी०टन सोडा ऐश आयात करने की व्यवस्था की है। यह मात्रा पहले ही आयात की जा चुकी है और राज्य सरकारों को लघु एककों में संभरण करने के लिये दी जा चुकी है। सोडा ऐश का आयात सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत करने की अनुमति दी गई हैं और लाइट सोडा ऐश पर आयात शुल्क भी 75 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। इसकी माँग को देखते हुए और अधिक आयात करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। सोडा ऐस की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने भारतीय राज्य रसायन एवं भेषज निगम को 20,000 मां० टन सोडा ऐश का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया है। इसमें 8,000 मी० टन सोडा ऐश पत्तन पर पहुंच चुका है। 6,000 मी० टन सोडा ऐश का सरकारी क्षेत्र तथा लघु क्षेत्र के एककों में संभरण करने हेतु राज्यवार आवंटन पहले ही किया जा चुका है।

सरकार ने इस 20,000 मी०टन कास्टिक सोडा के आयात को शुल्क से छूट दे दी है ताकि इसे उचित कीमतों पर बेचा जा सके।

**राष्ट्रीय ऊर्जा नीति संबंधी समिति**

1055. **डा फारुक अब्दुल्ला** :
**श्री लक्ष्मण मलिक** :
**श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** :
**श्री के. पी. सिंह देव** :
**श्री के. राममूर्ति** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने एक समिति गठित की है जिसकी आवश्यकताओं,

प्राथमिकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखकर एक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति बनाने का काम सौंपा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी;

(ग) यदि प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) समिति की सिफारिशों को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) जी, हाँ। योजना आयोग द्वारा ऊर्जा नीति से संबधित एक कार्यकारी दल बनाया गया था।

(ख) कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) कार्यकारी दल ने अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में शताब्दी के अन्त तक ऊर्जा की भावी माँग का अनुमान लगाया तथा ऊर्जा की वर्तमान और भावी पूर्तियों की समीक्षा की। ऊर्जा की पूर्ति और मांग के बीच अधिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से कार्यकारी दल ने निम्नलिखित आधार पर नीति सबंधी सिद्धान्तों के सुझाव दिए हैं:—

(1) तेल की खपत पर न्यूनतम संभव स्तर तक नियंत्रण रखना;

(2) ऊर्जा के उपयोग में दक्षता में वृद्धि के द्वारा ऊर्जा के उपयोग का संरक्षण करना;

(3) अर्थ-व्यवस्था, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा की खपत की गहनता को कम करके ऊर्जा की समग्र मांग को कम करना;

(4) ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता में वृद्धि करना; और

(5) भविष्य में ऊर्जा की पूर्ति और मांग की नई जानकारी के संदर्भ में, हमारे आर्थिक विकास की कार्यनीतियों का; विशेषकर ऊर्जा की खपत से सीधे संबद्ध कार्यनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना, जैसे शिल्प विज्ञान के चयन, अवस्थिति संबंधी नीतियां, शहरी विकास और कृषि में यंत्रीकरण आदि।

(घ) कार्यकारी दल की सिफारिशों के दूरगामी प्रभाव हैं, इसलिए उन सभी मंत्रालयों द्वारा इन पर सावधानी से विचार किए जाने की आवश्यकता है और यह रिपोर्ट उन्हें विचार करने के लिए भेजी गई है।

**शांत घाटी (साइलैंट वैली) परियोजना**

1056. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यावरण योजना तथा समन्वय संबंधी राष्ट्रीय समिति ने केरल में शांत घाटी परियोजना का अनुमोदन इस शर्त पर किया था कि राज्य सरकार 18 सूत्री सुरक्षा कार्यक्रम पर सहमत होगी, और

(ख) यदि हां, तो 18 सूत्री सुरक्षा कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय पर्यावरणीय आयोजना एवं समन्वय समिति (एन. सी. ई. पी. सी.) ने पश्चिमी घाटों का परिस्थितिकीय आयोजना के लिये एक कार्य बल की स्थापना की थी। कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जोरदार सिफारिश की है कि शांत घाटी (साइलैंट वैली) जल विद्युत परियोजना को छोड़ दिया जाना चाहिए।

यदि सरकार यह अनुभव करती है कि किसी कारणवश इस परियोजना को नहीं छोड़ा

जा सकता तो इसके लिए कार्य बल ने अनेक सुरक्षा उपायों का सुझाव दिया है। अप्रैल, 1978 में तत्कालीन प्रधान मंत्री ने विधायी उपाय के अधिनियमन के तहत, जो कि उनके सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करेगा, इस परियोजना को अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया था। वर्तमान सरकार ने इस मामले पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है और वह पहले ही इस बारे में राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं।

**विदेशों में चाकलेट का निर्यात करने वाली कम्पनियां**

1057 **श्री निहाल सिंह** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय और विदेशी चाकलेट निर्माता उड़ीसा के आदिवासियों से बहुत सस्ती दर पर 'साल' पेड़ के बीज खरीद रहे हैं और इस बीज का इस्तेमाल ऐसा पदार्थ तैयार करने के लिए किया जाता है जो चाकलेट में मिलाया जाता है तथा इससे चाकलेट को मुंह में घुलने में सहायता मिलती है और इस तरह से चाकलेट तैयार करके वे बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन बीज इकट्ठे करने वालों को उचित मूल्य दिलवाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जो विदेशों को चाकलेट का निर्यात कर रही हैं।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अपेक्षित जानकारी 'न' में है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई कम्पनी नहीं है जो इस समय विदेशों को चाकलेट का निर्यात कर रहीं हैं।

**दिल्ली प्रशासन द्वारा 'डेनिक्स' अधिकारियों की विशेष वेतन पदों पर नियुक्ति**

1058. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा नियमित तथा हस्थनापन्न रूप से 'डेनिक्स' अधिकारियों की विशेष वेतन पदों पर नियुक्ति करने के लिए क्या सिद्धान्त नीति बनाई गई है और पालन की जाती है;

(ख) कितने अधिकारियों को 1979 में प्रथम बार इस प्रकार नियुक्त किया गया था और प्रत्येक की नियुक्ति की तारीखें क्या हैं;

(ग) क्या कुछ अधिकारियों को जिन्हें पहले उनके क्रमिक विभाग प्रमुखों की प्रतिकूल रिपोर्टों पर बिक्री कर विभाग तथा भूमि और भवन विभाग आदि से स्थानान्तरित किया गया था उन्हें क्रमश: 1978 तथा 1979 में विशेष वेतन पद दिये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (घ) नियमित तथा स्थानापन्न डी० ए० एन० आई० सी० एस० अधिकारियों का आन्तरिक स्थानान्तरण दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जाता है बिशेष वेतन पदों पर नियुक्ति सामान्यत: इन पदों की आवश्यकता तथा ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए की जाती

है। किन्तु जहां तक सम्भव हो ऐसी नियुक्तियाँ करने के लिए अधिकारियों की वरिष्ठता पर भी विचार किया जाता है।

2. विशेष वेतन के पदों पर 1979 में पहली बार नियुक्त किए गए अधिकारियों की संख्या 5 थी, उनकी नियुक्ति की तारीख 6-2-79, 4-4-79, 2-7-79, 3-7-79 तथा 25-10-79 है।

3. एक अधिकारी श्री ओ० एन० मेहरोत्रा को 20-1-76 की बिक्री कर विभाग से स्थानान्तरण किया गया था क्योंकि उसके विरुद्ध कुछ शिकायतें थीं। यद्यपि इस अधिकारी के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए किन्तु बिक्री कर आयुक्त ने अपने विभाग से श्री मेहरोत्रा का स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया था जैसा कि उनके अनुसार इस अधिकारी की वहाँ प्रतिष्ठा नहीं है, श्री मेहरोत्रा को बिक्री कर अधिकारी, के पद से स्थानान्तरण किये जाने पर शिक्षा निदेशालय में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात किया गया, यह विशेष वेतन पद नहीं है। उनको 25-10-78 से सहायक निदेशक (रोजगार कार्यालय) के विशेष वेतन पद पर नियुक्त किया गया था जहां 100 रु० मासिक विशेष वेतन है। श्री मेहरोत्रा की विशेष वेतन पद पर नियुक्त रोजगार कार्यालय में कार्य करने के उसके 18 वर्ष के अनुभव के कारण उस पद के लिए उसकी उपयुक्तता को ध्यान में रख कर की गई थी।

4. दूसरा अधिकारी श्री आर० बी० एस० त्यागी है जिसको भूमि तथा भवन विभाग से 1978 में स्थानान्तरित किया गया था। उसका स्थानान्तरण किसी खराब रिपोर्ट के कारण नहीं किया गया था किन्तु उसमें प्रशासनिक कारण थे। उसको 15-10-79 (पूर्वाहन) से डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के विशेष वेतन पर तैनात किया गया था।

**किसानों द्वारा कपास की बिक्री**

1059. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कपास उत्पादन राज्य किसानों द्वारा मंडियों में कपास की विवशतापूर्ण बिक्री से अत्यधिक चिन्तित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में मंत्री महोदय को अपनी समस्यायें बता दी हैं और स्थिति में सुधार के लिए तुरन्त ही केन्द्र के हस्तक्षेप की मांग की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनजीत चानना)** (क) से (ग) : कृषकों द्वारा रूई की विवशतापूर्ण बिक्री करने के बारे में इस मंत्रालय को कोई सूचना नहीं मिली है। वस्तुतः सभी किस्मों की रूई के बाजार मूल्य औसत अच्छी किस्म के सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों से अधिक हैं रहे हैं। भारतीय रूई निगम द्वारा बड़े पैमाने पर की गई खरीद से कृषकों को अपने उत्पादन के उचित मूल्य मिलने में सहायता मिली है तथा जो अनिवार्य रूप से पिछले वर्ष के मूल्य से भी अधिक या तुलनीय हैं। केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप किये जाने सम्बन्धी कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

**दिल्ली में अपराधों के बारे में विचार गोष्ठी**

1060. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में दिल्ली में आयोजित उस विचार-गोष्ठी में हुए

विचार विमर्श की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें प्रख्यात वक्ताओं ने अपराध सम्बन्धी आंकड़ों को जनता से छिपाने के लिए स्पष्ट रूप से और दावे के साथ प्राधिकारियों को दोषी ठहराया;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में किस तरह की कार्यवाही की गई है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क), (ख) और (ग) 5-3-1980 को विट्ठल भाई पटेल हाउस में महिला दक्षता समिति द्वारा एक विचार गोष्ठी की गई थी जिसमें पुलिस के उपायुक्त ने भी भाग लिया था। किन्तु इस विचार गोष्ठी में अपराध सम्बन्धी आंकड़ों को जनता से छिपाने का कोई आरोप नहीं लगाया गया था। पहले की तरह दिल्ली पुलिस द्वारा अपराध पत्रिकायें प्रकाशित की जाती हैं।

**बड़े एककों द्वारा पुर्जों का आयात**

1061. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि देश के अधिकतर बड़े उत्पादन एकक अपने लिए पुर्जे और अन्य आनुषगिकों को स्थानीय लघु एककों से खरीदने की बजाय उनका आयात करने को प्राथमिकता देते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनके ध्यान में ऐसे कितने मामले लाए गए; और

(ग) इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं।

**उद्योग मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) से (ग) वर्ष के लिए बनाई गई आयात नीति के ढांचे के अन्तर्गत ही हिस्से पुर्जों तथा फालतू पुर्जों के आयात की अनुमति दी जाती है। नीति निर्धारित करते समय देशी उत्पादों की उपलब्धता पर सावधानी से विचार किया गया है। हिस्से पुर्जों तथा फालतू पुर्जों के आयात के लिए दिए गए आवेदन पत्रों पर नीति के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

**केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के अधिकारियों का एक कार्यालय से दूसरे में भेजा जाना**

1062. **श्री सी० टी० दंडपाणि** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी पद्धति है जिसके अन्तर्गत अवर सचिव/उप सचिव/निर्देशक के रूप में काम कर रहे केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के अधिकारियों को स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए एक मत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जो लगातार उद्योग मंत्रालय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में, जो मुख्य रूप से औद्योगिक घरानों से सम्बद्ध हैं, उप सचिव/निर्देशक के रूप में 3 वर्षों से अधिक समय से और अवर सचिव के रूप में 5 वर्ष से अधिक समय से (विभाग अधिकारी के रूप में उनकी सेवा को मिलाकर) कार्य करते रहे हैं ?

**गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बया)** : (क), (ख) तथा (ग) : अधिकारियों के कैरियर विकास तथा प्रशासन की कार्य कुशलता के लिए

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उन अधिकारियों को, जिन्होंने अवर सचिव/उप सचिव के स्तर पर किसी मंत्रालय/विभाग विशेष में लगातार पांच से अधिक वर्षों तक सेवा कर ली हो, सम्पूर्ण प्रशासनिक अपेक्षाओं के अध्यधीन स्थानांतरित किए जाने के प्रयास किए जाते हैं।

(घ) 42 (उप सचिव/निदेशक···10
अवर सचिव·····32)।

**बम्बई का नाम बदल कर मुम्बई करना**

1063. **श्री आर. के. महालगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'बम्बई का मूल देशी नाम' मुम्बई है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार को बम्बई का नाम बदल कर 'मुम्बई' रखने के बारे में अब से काफी पहले, यानी दिसम्बर, 1977 में महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

(ग) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार ने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, और यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क), (ख), (ग) और (घ) : महाराष्ट्र सरकार से दिसम्बर, 1977 में प्राप्त बम्बई का नाम बदल कर मुम्बई रखने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

**कपड़े के उत्पादन में कमी**

1064. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान कपड़े के उत्पादन में कुछ कमी आई है जिसके फलस्वरूप कपड़े के मूल्यों में कई गुना वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कपड़े के उत्पादन को बढ़ाने और कीमतों में कमी लाने के लिए क्यों कदम उठाये जाने का विचार है।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना)** : (क) और (ख) वर्ष 1978-79 में वास्तविक उत्पादन, उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ लेकिन 1979-80 में अनुमानित उत्पादन के उत्पादन लक्ष्य से कम होने की संभावना है। क्षेत्र-वार कपड़े का उत्पादन और उसके लक्ष्य का विवरण नीचे दिया जाता है :

(10 लाख मीटरों में)

| क्षेत्र | 1978-79 | | 1979-80 | |
|---|---|---|---|---|
| | वास्तविक उत्पादन | लक्षित उत्पादन | अनुमानित उत्पादन | लक्षित उत्पादन |
| मिल क्षेत्र | 4328 | 4250 | 4041 | 4379 |
| हथकरघा क्षेत्र | 2432 | 2700 | 2450 | 2780 |
| विद्युत करघा क्षेत्र | 3948 | 3050 | 3903 | 3861 |
| योग : | 10708 | 10000 | 10394 | 11020 |

अप्रैल, 1978 और जनवरी, 1980 की अवधि के दौरान सूती वस्त्र मिलों के थोक मूल्य सूचकांक की संख्या में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गई है। सूचकांक संख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण कच्चे माल की लागत में वृद्धि होना है जो कपड़े की उत्पादन लागत में जोड़ी जाती हैं।

(ग) ऊर्जा (विद्युत शक्ति, कोयला तथा डीजल तेल) के प्रावधान हेतु अपेक्षित दिशा में स्थिति निर्माण द्वारा वस्त्रों के उत्पादन स्तर ठीक किया जा सकता है। उन क्षेत्रों में जहाँ वस्त्र एकांक सकेन्द्रित हैं। बिजली कटौती में कमी करने से उत्पादन में स्वत: ही वृद्धि हो सकती है। वस्त्र मिलों सहित औद्योगिक एककों को बिजली, कोयला तथा डीजल तेल की सप्लाई में सुधार करने हेतु अनेक कदम उठाने का सरकार का इरादा है। वस्त्र उद्योग आधुनिकी-करण योजनाओं के माध्यम से प्रगति कर रहा है जिससे केवल प्रभावित उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी बल्कि उत्पादन लागत में भी महत्वपूर्ण ढंग से कमी आएगी।

**अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में सरकारी नौकरियों में जनजातीय कोटे को भरा जाना**

1065. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान तथा निकोबार द्वीप संघ क्षेत्र में सरकारी नौकरियों में जनजातीय कोटा जनजातीय उम्मीदवारों से भरा जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का निकोबारी जनजातीय लोगों को अन्यों के बराबर लाने हेतु विशेष रूप से तीसरी श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में सरकारी नौकरियों में उनके दावों पर विचार करने का है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) अण्डमान और निकोबार प्रशासन के अन्तर्गत, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटा निम्न प्रकार से हैं :

| | |
|---|---|
| (1) ग्रुप क और ख श्रेणी 1 और 2) पद | 7-1/2% |
| (2) ग्रुप ग (श्रेणी-3) पद | 16% |
| (3) ग्रुप घ (श्रेणी-4) पद | 16% |

जनजाति के पात्र उम्मीदवारों को सेवा में लिया जाता है। जब पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पदों को अनारक्षित कर दिया जाता है।

नियमों के अनुसार सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निकोबारी जनजातियां उतनी ही पात्र हैं जितनी अन्य जनजातियाँ हैं।

**अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में जेल सुधार की मांग**

1066. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संघ शासित क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जेल सुधार की माँग पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो 90 सूत्री माँग-पत्र में उल्लिखित माँगें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए वैसा ही नवीनतम जेल मैनुअल लागू करने का है जो मुख्य भूमि में लागू किया गया है यदि है तो कब से ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) अण्डमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में जेल सुधारों की माँगों की जाँच की जा रही है। प्रशासन ने कैदियों को छुट्टी, मेरोल, आपातकालीन रिहाई स्वीकृत करने, कैदियों को छूट देने, कैदियों की सजाओं तथा जेलों में अनुशासन का पुनरीक्षण करने के लिए मानक जेल मैनुअल में तत्सम्बन्धी अध्यायों पर आधारित नियम लागू किये हैं।

2. माँगों की 90 सूत्री सूची में अन्य मांगों के साथ निम्नलिखित मांगें की गई थीं :

(1) जेल मैनुअल लागू किया जाय।

(2) इस समय वार्डनों और हैड वार्डनों के वेतनमान एक जैसे हैं। हैड वार्डनों की तनखा वेतमान दिया जायें। इसके अतिरिक्त उनके वेतनमान पुलिस में सदृश्य पदों के स्तर तक लाये जायं। जेल कर्मचारियों की निःशुल्क क्वार्टर दिये जायें। जैसा सम्पूर्ण देश के अन्य भागों में दिये जा रहे हैं।

(3) यहाँ की जेलों में सजायाफता कैदियों द्वारा किये गये श्रम के लिए मजदूरी की प्रथा शुरु की जाय जैसी देश के अन्य सभी भागों की जेलों में व्यवस्था है।

3. अखिल भारतीय जेल मैनुअल समिति द्वारा बनाये गये माडल जेल मैनुअल पर आधारित जेल मैनुअल लागू करने के उपाय किये जा रहे हैं। परन्तु यह बताना अभी संभव नहीं है कि जेल मैनुअल को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। यह तथ्य नहीं है कि वार्डनों और हैड वार्डनों के वेतमान एक जैसे हैं। वार्डनों का वेतमान पुलिस कांस्टेबल के वेतनमान जैसा है, हालांकि हैड वार्डनों के वेतनमान और पुलिस विभाग में हैड कांस्टेबलों के वेतनमान के बीच असमानता है। हैड वार्डनों के वेतनमान के पुलिस विभाग में 'हैड कांस्टेबलों के वेतनमान के बराबर करना संभव नहीं पाया गया है। सीमित स्थान और वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए जेल कर्मचारियों को निःशुल्क आवास प्रदान करना संभव नहीं है। जहाँ तक किये जाने वाले कार्य के लिए मजदूरी की प्रथा लागू करने का सम्बन्ध है, जेल में लम्बी अवधि के दोषियों की संख्या अत्यधिक कम होने के कारण कोई ऐसी प्रणाली लागू करना व्यवहार्य नहीं होगा।

## रक्षा विभाग के असैनिकों को पेंशन में दी गई राहत

1067. **श्री एन. ई. होरो** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों के मामले में सेवा निवृत हुये पुराने पेंशन भोगियों को 1 दिसम्बर, 1979 से पांच प्रतिशत की सहायता मंजूर की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि रक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों को अभी तक उसका कोई भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बैंकों अथवा खजानों में भुगतान की अदायगी के प्राधिकार पत्र अभी तक नहीं पहुँचे है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार इस बारे में क्या प्रयास कर रही है क्योंकि विलम्ब के कारण अकारण ही कठिनाईयाँ बढ़ रही हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.पी.एन. सिंह)** : (क) रक्षा सिविलियनों सहित सभी सिविलियन पेंशन-भोगियों को। दिसम्बर 1978 से पेशन का पाँच प्रतिशत, जो कम से कम 5.00 रु० और अधिक से अधिक 25·00 रु० प्रति माह होगा, राहत के रूप में दिए जाने के बारे में आदेश 31 मई 1979 को जारी किए गए थे।

(ख) और (ग) ट्रेजरी/डाक/घर/पेंशन पे मास्टर्स के जरिए पेंशन प्राप्त करने वाले रक्षा सिविलियन पेंशन-भोगियों को राहत के रूप में दी गई वृद्धि की राशि का भुगतान 1-12-1978 से किए जाने के बारे में नियंत्रक, रक्षा लेखा (पेंशन) ने उक्त एजेंसियों को जुलाई 1979 के दौरान अनुदेश जारी कर दिए थे। भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों के जरिए पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन-भोगियों को राहत के रूप में दी गई वृद्धि की राशि का भुगतान 1-12-1978 मे किए जाने के बारे में रक्षा मन्त्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को सितम्बर 1979 में अनुदेश जारी कर दिये थे और उसने उपरोक्त राहत की राशि का भुगतान करने के लिए सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को सितम्बर 1979 में ही अनुदेश जारी कर दिए थे।

(घ) रक्षा सिविलियन पेंशन-भोगियों को राहत के रूप में दी गई वृद्धि की राशि का भुगतान 1-12-1978 से किए जाने के बारे में कार्रवाई पूरी हो चुकी है इसलिये इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

**पश्चिम बंगाल में सीमेंट के कारखाने की स्थापना**

1063. **श्री नीरेन घोष** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बगाल में एक भी सीमेंट कारखाना नहीं हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य सरकार को सीमेंट एककों की स्थापना के लिए सहायता देने पर विचार कर रही हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्रश्न अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगी।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) इस समय 6 लाख मी० टन वार्षिक पोर्टलैंड ब्लास्ट फरनेस स्लैग सीमेंट अधिष्ठापित क्षमता वाला मैसर्स दुर्गा सीमेंट वर्क्स, दुर्गापुर नाम का केवल एक सीमेंट पिसाई संयन्त्र है।

(ख) तथा (ग) : सीमेंट एककों को मिलाकर सभी औद्योगिक एककों को निर्दिष्ट मानकों के अनुसार वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके सामान्य कार्यों के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकार के अनुरोध पर उन्हें यथासंभव अन्य सहायता भी दी जायेगी।

**भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और साइमन्स के बीच सहयोग**

1069. **श्री नीरेन घोष** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार सचिवों यथा डा० राजा रमन्न, श्री मंतोष सोंधी श्री मेंजीज और श्री एन०बी० प्रसाद की समिति ने यह बताया कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और साइमंस के बीच प्रस्ताविक व्यापक सहयोग राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल था; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे सौदे के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार को क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**उद्योग मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) चार सचिवों की समिति

की रिपोर्ट तथा बी. एच. ई. एल. और सीमेंस के बीच प्रस्तावित व्यापक सहयोग करार की सरकार अभी जाँच कर रही है और इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**हिन्दी परीक्षा पास करने के लिये प्रोत्साहन**

1070. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **गृह मन्त्री** केन्द्रीय सरकार कार्यालयों में हिन्दी के उपयोग के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 86 दिनांक 30 जनवरी, 1980 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी परीक्षा पास करने तथा सरकारी कार्य हिन्दी में करने पर क्या प्रोत्साहन दिये जाते हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार अलग-अलग किन संस्थानों अधिकारियों को ये प्रोत्साहन प्राप्त हुये हैं और ;

(ग) क्या प्रोत्साहनों में वृद्धि करने का विचार है ताकि हिन्दी के प्रयोग की गति बढ़ाई जा सके ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) हिन्दी परीक्षाएँ पास के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं :

(1) 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर व्यक्तिक वेतन की स्वीकृति,

(2) अच्छे अंकों से हिन्दी परिक्षाएँ पास करने के लिए नकद पुरस्कार,

(3) किसी के अपने ही प्रयासों से हिन्दी परीक्षाएँ पास करने पर एक मुश्त पुरस्कार। ये उन कर्मचारियों को उपलब्ध हैं जो संचालन स्टाफ के सदस्य हैं या ऐसे स्थानों पर नियुक्त हैं जहाँ सरकार के कोई हिन्दी शिक्षण केन्द्र कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ख) सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिये निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं :

(1) टिप्पणियाँ और मसौदा हिन्दी में लिखने के लिए प्रतियोगी आधार पर कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिये जाते हैं। ये उनके द्वारा किये गये काय की मात्रा का मूल्यांकन करने के बाद दिये जाते हैं,

(2) जो मंत्रालय/विभाग सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग में विशिष्ट प्रगति दिखाते हैं, उनको शील्डें/टाफियाँ देने के लिए एक योजना शुरु की गई है। ये पुरस्कार प्रतियोगी आधार पर शुरु किये गये हैं,

(3) जो टाइपिस्ट हिन्दी अंग्रेजी दोनों की टाइपराईटिंग में न्यूनतम निर्धारित दक्षता बनाये रखते हैं, उनके लिए दक्षता बोनस।

(ख) जिन संस्थाओं ने गत तीन वर्षों में पारितोषिक/पुरस्कार प्राप्त किये हैं, उनके बारे में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी। परन्तु जिन व्यक्तियों ने गत तीन वर्षों में ये पुरस्कार प्राप्त किये हैं, उनके बारे में सूचना एकत्र करने में लगने वाला समय सम्भवत: प्राप्त होने वाले उद्देश्य के अनुरुप नहीं होगा।

(ग) इन प्रोत्साहनों में सुधार के लिए कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

**'गोआ' दमन और दीव द्वारा पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग**

1071. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दमन और दीव के लोगों ने उक्त राज्य क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की माँग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी माँग पर विचार किया है;

(ग) इन संघ क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क), (ख), (ग) और (घ) : जबकि अतीत में गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के लिए मांगें होती रही थीं किन्तु हाल ही में ऐसी कोई माँग प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी राज्यों के पुनर्गठन के विस्तृत प्रश्न के संदर्भ में सम्पूर्ण मामले का पुनरीक्षण किया जाना है। सरकार के पास इस समय किसी राज्य का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**होम गार्डों की सेवा शर्तें**

1072. **श्री काली चरण शर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में होम गार्डों की सेवा शर्तों में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कब तक कार्यवाही किए जाने का विचार है।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस सम्बन्ध में बहुत प्रस्तावों पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इसके लिये लगातार पुनरीक्षण की आवश्यकता होगी। अतः कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं होगा।

**राज्यों को विशेष अथवा अतिरिक्त केन्द्रीय वित्त**

1073. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा राज्यों की योजना और गैर योजना परियोजनाओं एवं गतिविधियों के लिए उनको कोई विशेष अथवा अतिरिक्त केन्द्रीय वित्त उपलब्ध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार की और वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया जा रहा है; और यदि हां, तो उसका मुख्य संकेत क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) से (ग) तक योजना आयोग द्वारा राज्यों को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता योजना कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए होती है। केन्द्रीय सहायता का अधिकांश भाग योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा तथा निर्णीत गाडगिल फार्मूला और आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूला के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कुछ मामलों में राज्य सरकारें और अधिक वित्तीय आवंटन के लिए अनुरोध तो करती हैं परन्तु ऐसे अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं रहा है।

**बेरोजगार युवकों के स्वनियोजन के लिए प्रस्ताव**

1074. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार युवकों के स्वनियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या बेरोजगार युवकों को वित्तीय सहायता दिये जाने की सभी योजनाओं के निराशाजनक पहलुओं के बारे में कोई अध्ययन किया गया है जैसा कि योजना के क्रियान्वयन के बारे में धारणा निराशाजनक है; और

(ग) बेरोजगार युवकों के स्वनियोजन हेतु वर्ष 1979-80 में कितने व्यक्तियों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा ?

**प्रधान मत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी** (क) और (ख) : सरकार बेरोजगारों की समस्या के बारे में बहुत अधिक चिन्तित है। सरकार की योजना पर नये सिरे से विचार करने का प्रस्ताव है और ऐसा करते समय रोजगार के लिए स्कीमों की विषय-वस्तु और निष्पादन की जाँच की जाएगी। बेरोजगार युवकों की समस्या को हल करने के लिए आवश्यक विशिष्ट उपायों पर भी विचार किया जाएगा।

(ग) स्वरोजगार के लिए बेरोजगार युवकों को बिना ब्याज ऋण देने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास इस समय कोई योजना स्कीम नहीं है। राज्यों से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।

**'77' का विक्रय, उससे लाभ तथा फरीदाबाद स्थित कोका कोला संयंत्र की खरीद**

1075. **श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977 के बाद डबल सेवन (77) 'केसेन्ट्रेट' की बिक्री कितनी हुई है;

(ख) सोफ्ट ड्रिंक डिवीजन से मार्डन बेकरीज को कितना लाभ हुआ :

(ग) क्या मार्डन बेकरी ने फरीदाबाद स्थिति कोकाकोला सयंत्र खरीदने की गारंटी दी है; और

(घ) मार्डन बेकरी को कोका कोला के फरीदाबाद संयंत्र का कब्जा कब मिलेगा।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनचीत चानना)** : (क) 1979-80 की अनुमानित बिक्री को मिलाकर, 1977 से 'डबल सेवन' सान्द्रण (कन्सेंट्रेट) की बिक्री 97.08 लाख रुपये की हुई।

(ख) वर्ष, 1979-80 के अनुमादित लाभ मिलाकर 1977 से 'डबल सेवन' एकक के शुद्ध लाभ 1.70 लाख रुपये के हुए।

(ग) जी हां।

(घ) कोका कोला निर्यात निगम से प्रस्ताव की स्वीकृति अभी प्रतिक्षित है।

**धनबाद बिहार में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना**

1076 **श्री ए० के० राय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता शासन के दौरान बिहार में कितने जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए गए और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान सरकार का जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का विचार है, और

(ग) क्या धनबाद में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने का कोई कार्यक्रम है और यदि हाँ, तो कब, यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना)** : (क) जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार राज्य के सभी 31 जिले आते हैं। 18 जिला उद्योग केन्द्रों का 22 अप्रैल, 1978 को तथा शेष को 15 मार्च, 1979 को स्वीकृति दी गई थी।

(ख) विद्यमान योजना में कोई परिवर्तन करने से पूर्व सरकार जिला उद्योग कार्यक्रम के अब तक के कार्य-निष्पादन के आधार पर उस कार्यक्रम के कार्यकरण की समीक्षा करना चाहती है।

(ग) धनबाद में एक जिला उद्योग केन्द है।

**हरिजनों तथा कमजोर वर्गों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करना**

1077. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों और कमजोर वर्गों के भोले-भाले जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए सरकार किन रक्षात्मक उपायों को उचित समझती है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : गृह मंत्री ने हाल ही में उन राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों, राज्यपालों और उपराज्यपालों को, जहां अनुसूचित जातियों आदि के सदस्यों के विरुद्ध अपराध होते रहे हैं अपराधों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए एहतियाती तथा निरोधात्मक दण्डात्मक और पुनर्वास उपाय करने के वास्ते व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त सूचित करने के लिए पत्र लिखा है। उस पत्र की एक प्रतिलिपि उसके अनुलग्नक के साथ सदन के पटल पर रखी जाती है। (ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल टी—613/80)

**इलेक्ट्रानिक उद्योग की प्रगति के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को निमंत्रण**

1078. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हमारे विकासशील इलेक्ट्रानिक उद्योग क्षेत्र की प्रगति और विकास के लिए बड़े पैमाने पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमन्त्रित करने पर विचार कर रही है,

(ख) अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की इस बारे में सिफारिशों के प्रति सरकार का क्या रवैया है कि न केवल अनुसंधान और विकास बल्कि उत्पादन का नियंत्रण भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंप दिया जाना चाहिए; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर सकारात्मक हो, तो क्या इन उपायों से केरल में केल्ट्रन जैसे उद्यमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्म-निर्भरता की क्या सम्भावना है।

**प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी** : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार इस राय से सहमत नहीं है।

(ग) यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

**संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन सम्मेलन**

1079. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 में भारत में आयोजित हुए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) सम्मेलन से क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई; और

(ख) कुछ समाचार पत्रों द्वारा/व्यक्त किये गये इस आशय के विचारों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं कि 'यूनिडो' सम्मेलन से कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं हो सकी।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) यूनिडो का तृतीय महासम्मेलन 9 फरवरी, 1980 को समाप्त हुआ था जिसमें नई दिल्ली उदघोषणा तथा कार्य योजना को हेवमियत से पारित किया गया, इसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। यह देखा जा सकता है कि उद्घोषणा तथा कार्य योजना में समुन्नत तथा विकासशील देशों तथा अन्तराष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा विकासशील देशों का तेजी से औद्योगीकरण करने के लिए राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न अभ्युपायों का समावेश किया गया है।

सम्मेलन के समक्ष आये कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर सभी भाग लेने वाले समूहों का एकमत होकर सहमत होना सम्भव नहीं हो सका था। नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों को सहमति से प्राप्त करने के प्रयास में इतनी कमी रहीं।

**मोटर-कारों की कीमत घटाने के लिए प्रीमियर आटोमोबाइल्स को निदेश**

1080. **श्री विजय एन. पाटिल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रीमियर आटोमोबाइल्स और अन्य कम्पनियों को मोटर-कारों की कीमत कम करने के लिए निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि इन निदेशों के विपरीत फिएट कारों की कीमत में 3,000/- रु० से 6,000/- रु० तक की वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चरणजीत चानना)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**उड़ीसा में निर्धनता को रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत**

1081. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में निर्धनता को रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है;

(ख) राष्ट्रीय औसत क्या है; और

(ग) उड़ीसा में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख) वर्ष 1972-73 के संदर्भ में जो पिछली सूचना संकलित की गई थी वह अब पुरानी हो चुकी है। अब वर्ष 1978-79 के संदर्भ में सूचना संकलित करने का काम शुरू किया गया है और यह संकलन पूरा होते ही सूचना सभा पटल प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) उड़ीसा में गरीबी को कम करने के लिए परिकल्पित कार्यक्रम आंशिक रूप में राज्यों के सामान्य आर्थिक विकास (जैसे कृषि, उद्योग, विद्युत्) से संबन्धित हैं और आँशिक रूप में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहित विशिष्ट अलग-अलग लाभग्राही-प्रधान स्कीमों से सम्बन्धित हैं। मौजूदा सरकार का 20-सूत्री कार्यक्रम को पुनः गतिशील और कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है जो समाज के गरीब वर्गों के लिए एक वरदान के रूप में था। इसके अलावा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को भी उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। जनजातीय विकास पर भी जोर दिया जाएगा।

**राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि**

1082. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1978-79 वर्ष 1977-78 की अपेक्षा राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो दोनों में वृद्धि की प्रतिशतता क्या थी और वृद्धि के कारण क्या थे; और

(ग) राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में और अधिक वृद्धि लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी हाँ।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा 7-2-1980 को जारी किए गए वर्ष 1978-79 के लिए राष्ट्रीय आय के शीघ्र अनुमानों के अनुसार स्थिर भावों (1970-71) के आधार पर राष्ट्रीय आय में 1977-78 की तुलना में 1978-79 में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में तदनुरूप वृद्धि 2·1 प्रतिशत थी। 1978-79 के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि में रेलवे को छोड़कर सभी क्षेत्रों का योगदान था। जिन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई वे थे। पंजीकृत विनिर्माण-कारी उद्योग (8·0 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जलपूर्ति (11.4 प्रतिशत), बैंकिंग एवं बीमा (17.0 प्रतिशत) और गैर पंजीकृत विनिर्माणकारी उद्योग, संचार, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह और प्रशासन एवं प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में 6 से 7 प्रतिशत।

(ग) राष्ट्रीय आय का लगभग आधा भाग कृषि से आता है। सरकार कृषि तथा ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने के लिए बचनबद्ध है। किसानों को उर्वरक, जल, विद्युत, डीजल आदि जैसे अन्तर्निविष्ट साधनों की समुचित एवं सामयिक पूर्ति सुनिश्चित करते हुए सभी सहायता दी जाएगी जिससे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। उन आधार भूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जायेगा और उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जो बिगड़ गई थीं जिनसे परिवहन सम्बन्धी बाधायें उत्पन्न हो गई थीं तथा इस्पात, सीमेंट, कोयला तथा विद्युत जैसे महत्वपूर्ण अन्तर्निविष्ट साधनों की पूर्ति अपर्याप्त हो गई थी। औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान क्षमता के बेहतर उपभोग, श्रमिक सम्बन्धों में सुधार और बेहतर प्रबन्ध विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के बेहतर प्रबन्ध के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि पर जोर दिया जायेगा।

**सूती धागे के मूल्य में वृद्धि**

1083. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूत धागा के मूल्यों में काफी वृद्धि हो जाने के कारण करघा बुनकरों की वित्तीय स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी वित्तीय सहायता के अभाव में उद्योग को अत्यधिक संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो करघा बुनकरों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चरनजीत चानना)** : (क) अक्तूबर, 1978 से सूती धागे की कीमतों में लगातार वृद्धि होती रही है। किन्तु अप्रैल-मई, 1979 में अनेक कताई मिलों में लम्बी अवधि तक हड़ताल होने और बिजली की कटौती एवं कई राज्यों में डीजल की कमी के कारण स्थिति और अधिक खराब हुई है। इससे बुनकरों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कोई कमी नहीं हुई है।

(ग) धागे की कीमतों में वृद्धि होने के फलस्वरुप मई, 1979 में "रोल बैक" योजना लागू की गई थी। इस योजना के अनुसार 59 नम्बर तक के धागे की कीमतों को अक्तूबर, 1978 तथा 89 नम्बर तक के धागे की कीमतों को अप्रैल, 1979 के बीजक की कीमतों से 5 प्रतिशत अधिक तक के स्तर तक लाया गया था। यह योजना 1 सितम्बर, 1979 तक लागू रही। सितम्बर, 1979 में एक नई योजना बनाई गई थी। जिसमें बाद में अक्तूबर, 1979 में संशोधन किया गया था। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है :

(1) धुने हुए 60 एस तक के धागे सहित कीमतों को सितम्बर के पहले सप्ताह की बीजक कीमतों से 10 प्रतिशत कम करके निर्धारित कर दी गई थी,

(2) कॉम्ब किये हुए 60 एस के धागे की कीमतों को सितम्बर के पहले सप्ताह की कीमतों से 15 प्रतिशत कम करके निर्धारित किया गया,

(3) 40 एस काऊंट तथा उससे कम काऊंट वाले धागे की 20,000 गांठों और 60 एस, 80 एस तथा 100 एस (धुने हुए, काम्ब, और हैंक यार्न के दोहरे करके) काऊंट की 3000 गाँठों की कुल मात्रा विभिन्न राज्यों के हथकरघा निदेशकों को उपलब्ध कराई गई थी।

यह योजना राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन सभी मिलों, सहकारी कताई मिलों और राज्य वस्त्र नियमों की मिलों पर लागू होती है और नवम्बर, 1979 के अन्त तक वैद्य थी। इस योजना को मॉनिटर करने का दयित्व वस्त्र आयुक्त का है।

उपर्युक्त योजना स्वत: इंडियन कॉटन मिल्स फेडरेशन द्वारा जनवरी, 1980 के अन्त तक बढ़ा दी गई थी। फरवरी, 1980 से इन्डियन काटन मिल्स फेडरेशन इस योजना को विद्यमान अवस्था में जारी रखने के लिए सहमत हो गया है किन्तु वह प्रचलित बाजार कीमतों पर धागा देगा।

**सकटग्रस्त मिलों की संख्या**

1084. **श्री मूलचन्द डागे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे संकटग्रस्त मिलों की संख्या क्या है जो सरकार के पर्यवेक्षण में चल रही हैं और ये मिलें कब से चल रही हैं।

(ख) इसमें कुल कितनी राशि लगी है और क्या इस बारे में सूचना सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) उनमें से कितनी संकटग्रस्त मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और ये मिलें कब तक आत्म निर्भर हो जायेंगी।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : संभवत: माननीय सदस्य का आशय ऐसे औद्योगिक एककों से है जिनका प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे एकक एकसठ (61) हैं। संलग्न विवरण में सम्बन्धित तारीखें दी गई हैं।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखदी जाएगी।

**विवरण**

| क्रमांक | उद्योग का नाम | अभिग्रहण की अवधि |
|---|---|---|
| 1. | मैसर्स आन्ध्रा साइटिफिक क० (प्रा.) लि., पो. बा. नं. 26, रवीन्द्र नाथ टैगोर रोड, मचीली पट्टनम (म. प्र.) | 27-6-72 से 26-6-80 |
| 2. | मैसर्स कैटर पोलर एण्ड कं. (प्रा.) लि., 1, काशी नाथन दत्ता रोड, कलकत्ता-700086 | 24-10-72 से 23-10-80 |
| 3. | मैसर्स कोन्टेनर एण्ड क्लोजर्स लि., 6 ए, राजा सुबोध मल्लिक स्कवेअर (6 वी मंजिल) कलकत्ता-700013 | 29-1-72 से 28-11-80 |
| 4. | मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स, पो. बा. नं. 2182, सब्जी मण्डी, दिल्ली-110007 | 3-11-72 से 2-11-80 |
| 5. | मैसर्स इण्डियन रबर मैन्यू. लि., 9, 11 एण्ड 12, एसप्लेन्डड मानसनस, पो. बा. नं 6614, कलकत्ता-700069 | 18-9-72 से 17-9-81 |
| 6. | मैसर्स इण्डिया मशीनरी कं. लि., दासनगर, हावरा-5 | 25-11-72 से 24-11-80 |
| 7. | मैसर्स श्री जानकी शूगर मिल्स एण्ड क., दोयवाल, डिस्ट्रक्ट देहरादून, देहरादून | 15-1-73 से 14-1-80 |
| 8. | मैसर्स कृष्णा सिलीकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लि., 17, राधा बाजार, स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 | 5-3-73 से 4-3-80 |
| 9. | मैसर्स हिन्द साईकिल लि., 250, बर्ली, बम्बई-25 डी डी | 3-1-74 से 2-1-81 |
| 10. | मैसर्स इण्डिया बैलटिंग एण्ड काटन मिल्स लि., सतीश चन्द्र घोष लेन, सीरमपुर, डिस्ट्रीक्ट हुगली | 6-9-74 से 5-9-80 |
| 11. | मै. ईस्टर्न डिसटिलिरीज (प्राईवेट) लि., बी. एल. साह रोड, टोलीगुर्वेज, कलकत्ता | 8-10-74 से 7-10-80 |
| 12. | मै. विजय मैन्युफैक्चरिंग कं. (प्राईवेट) लि., वैशनी चैम्बर्स, 47, न्यू मारिन लेनस, बम्बई-400020 | 6-11-74 से 5-11-79 |

| क्र.सं. | उद्योग का नाम | अभिग्रहण की अवधि |
|---|---|---|
| 13. | मै. एसोशियेटिड इंडस्ट्रीज (आसाम) लि. (कैमिकल युनिट), पी. ओ. चन्द्रापुरा, जिला कामरुप (आसाम) | 8-7-74 से 7-7-80 |
| 14. | मै. अमृतसर आयल वर्कस, चेहराता, अमृतसर | 13-9-74 से 12-9-81 |
| 15. | मै. मोटर एण्ड मशीनरी मैन्यूफैक्चरिंग लि., 10, जाबपुर रोड, कलकत्ता-700020 | 9-10-74 से 8-10-81 |
| 16. | मै. गलूकोनेट लि., 28, कैमक स्ट्रीट, कलकत्ता-700016 | 22-7-75 से 21-7-80 |
| 17. | मै. इंगिल इण्डिया मशीन्स एण्ड टूल्स लि., 1, टाराटाला रोड, कलकत्ता-700053 | 5-8-75 से 4-8-80 |
| 18. | मै. सैन रैले लि., 1, मिडलटन स्ट्रीट, कलकत्ता-700071 | 8-9-75 से 7-9-80 |
| 19. | मै. एन्सीलियेरी इंडस्ट्रीज (क्रैंकस) (प्राईवेट) लि., मरकन्टाइल बिल्डिग, लाल बाजार, कलकत्ता-1 | उपरोक्त |
| 20. | मै. एन्सीलियेरी इंडस्ट्रीज (लग्स) (प्राईवेट) लि., उपरोक्त | उपरोक्त |
| 21. | मै. एन्सीलियेरी इंडस्ट्रीज (फोरजिंग्स) (प्राईवेट) लि., उपरोक्त | उपरोक्त |
| 22. | मै. सैन एण्ड पंडित इन्डस्ट्रीज लि., उपरोक्त | उपरोक्त |
| 23 | मै. प्लाईबोर्ड इन्डस्ट्रीज लि., पामपोर, श्री नगर (जे. एण्ड के.) | 27-4-76 से 26-4-81 |
| 24. | मै. ब्रिटानिया इन्जीनियरिंग कं. लि., (टीटागढ़ एकक) (अधिकृत नियंत्रक) वार्स्टिग हाऊस सेक्सबाई फार्मर लि., 17, कान्वेंट रोड, एंटली कलकत्ता-700014 | 22-5-76 से 21-5-81 |
| 25. | मै. नेशनल कं. लि., पी. ए. बी. हाउस, 13 ए बारबारन रोड, कलकत्ता | 30-7-76 से 29-7-81 |
| 26. | मै. बंगाल पोटरीज, लि. थापड़ हाउस, 25, बारबोरन रोड, पो. बा. नं. 2196 कलकत्ता | 15-9-76 से 14-9-81 |
| 27. | मै. पुलगाँव काटन मिल्स लि., 50, बाम्बे समाचार मार्ग, द्वितीय मंजिल फोर्ट बम्बई-23 | 25-11-76 से 24-11-71 |
| 28. | मै. काबेरी स्पी. एण्ड पी. वि. मिल्स, पुडकोट्टाई जिला, कावेरी नगर-622501 | 23-12-76 से 22-12-81 |
| 29. | मै. वैस्टर्न इण्डिया स्पी. एण्ड वी वि. कं. दाताराम लेड पाथ (कला चौक), टैंक रोड, बम्बई-33 | 11-3-77 से 10-3-81 |
| 30. | मै. यूनियन जूट कं. लि., कार्टड बैंक बिल्डिग, कलकत्ता-700001 | 16-5-77 से 15-5-82 |
| 31. | मै. खादी कं. लि., वेलेस्ली प्लेस, पो. बा. नं. 140, कलकत्ता-700001 | वही |

| क्र. सं | उद्योग का नाम | अभिग्रहण की अवधि |
|---|---|---|
| 32. | मै. अलैक्जंडर जूट मिल्स | 18-7-77 से 17-7-82 |
| 33. | मै. श्री शुभालक्ष्मी मिल्स लि., केम्बी | 10-8-77 से 9-8-82 |
| 34. | मै. प्रिया लक्ष्मी मिल्स, बड़ौदा | 23-7-77 से 22-7-82 |
| 35. | मै. इन्दौर टैक्सटाइल लि., उज्जैन | 12-8-77 से 11-8-82 |
| 36. | मै. सोमा सुन्दरम सुपर स्पीनिंग मिल्स, मथानन्दत, जिला रामानाथपुरम | 4-11-77 से 3-11-82 |
| 37. | मै. बंगाल केमिल एण्ड फारमेक्युटीकल वर्क्स, कलकत्ता | 15-12-77 से 14-12-79 |
| 38. | मै. नेशनल रबर मैन्यु. लि., कलकत्ता | 23-12-77 से 22-12-82 |
| 39. | मै. श्रीरामा शुगर एण्ड इन्डस्ट्रीज लि., बाबीली (आन्ध्र प्रदेश) | 4-2-78 से 3-2-81 |
| 40. | मै. कोट्टयम टैक्सटाइल लि. इत्तामानूर (केरल) | 6-2-78 से 5-2-81 |
| 41. | मै. प्रभुराम मिल्स लि., चेंगानूर, (केरल) | 9-2-78 से 8-2-83 |
| 42. | मै. मालाबार स्पीनिंग एण्ड वीविंग मैन्यु. लि., कालीकट | 9-2-78 से 9-2-83 |
| 43. | म. नेशनल रबर मैन्यु. लि., (कल्याणी एकक) | 10-2-78 से 9-2-83 |
| 44. | मै. अलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाईवूड लि., कलकत्ता | 29-3-78 से 28-3-83 |
| 45. | मै. इनसेक टायर लि., कलकत्ता | 13-4-78 से 12-4-83 |
| 46. | मै. स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर | 13-4-78 से 12-4-83 |
| 47. | मै. श्री दुर्गा काटन एण्ड वीविंग मिल्स लि., हुगली | 13-4-78 से 30-4-80 |
| 48. | मै. अल्युमीनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लि., कलकत्ता | 1-5-78 से 17-5-80 |
| 49. | मै. बंगाल इमयुनिटी, कलकत्ता | 18-5-78 से 17-5-80 |
| 50. | मै. केनीसन जूट मिल्स लि., कलकत्ता | 29-5-78 से 28-5-83 |
| 51. | मै. आर. बी. एच.एम. जूट मिल्स, कटिहार | 9-10-78 से 8-10-81 |
| 52. | डा. पाल लोहामन (आई) लि., कलकत्ता | 10-11-78 से 9-11-81 |
| 53. | मै. अपोलो टायर्स लि., चेलाकुड़ी | 12-9-78 से |
| 54. | मै. ब्रेंटफोर्ड इलैक्ट्रिक (आई) लि., कलकत्ता | 26-2-79 से |
| 55. | मै. श्रीरामा शुगर और इन्डस्ट्रीज लि., (सीतानगरम एकक) | 6-1-79 से 5-1-82 |
| 56. | मै. लिल्ली बिस्कुटस लि., कलकत्ता | 27-3-79 से 26-3-82 |
| 57. | मै. अपोलो जिप्पर प्रा. लि., कलकत्ता | 26-5-79 से 25-5-82 |
| 58. | मै. महादेव टेक्सटाईलस मिल्स, हुबली | 30-3-79 से 29-3-81 |
| 59. | मै. इण्डिया हेल्थ इन्स्टीटयूट एण्ड लेबोरेटरीज (प्रा.) लि., कलकत्ता | 4-9-79 से 3-4-81 |
| 60. | मै. नेशनल आयरन एण्ड स्टील कं. कलकत्ता | 22-9-79 से 21-9-82 |
| 61. | मै. श्री सरस्वती प्रेस, कलकत्ता | 31-10-79 से 30-10-82 |

**राजधानी में सीमेंट का संकट**

1085. **श्री रामगोपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी को सीमेंट के भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन ने स्थिति में सुधार करने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का निर्णय क्या है।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) दिल्ली संघ क्षेत्र सहित देश में सीमेंट मिलने विषयक एक सामान्य कमी चल रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली संघ क्षेत्र के लिये राजस्थान के सीमेंट कारखानों की थोक सप्लाई की जाती है। चूँकि राजस्थान में गंभीर रूप से बिजली की कटौती हुई है वहां सीमेंट का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली के लिये कम सीमेंट दिया गया है। दिल्ली संघ क्षेत्र में सीमेंट मिलने बिषयक स्थिति को आसान करने हेतु मध्य प्रदेश व तमिलनाडु स्थित कारखानों से सीमेंट की सप्लाई किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

**कच्ची जूट को प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने हेतु पश्चिम बँगाल सरकार का अनुरोध**

1086. **श्री चित्त बसु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्पादकों से पंचायतों के माध्यम से उचित मूल्य पर कच्चो जूट को खरीदने के लिये केन्द्र से हाल ही में वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**आर्क फ्लक्सेस के उत्पादन के लिए लाइसेंस हेतु इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड का आवेदन**

1087. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आक्सीजन लिमिटेड ने सबमर्जड आर्क फ्लक्सेस और वेल्डिंग के लिए निरन्तर उपयोग में आने वाली वस्तुओं को बनाने हेतु लाइसेंस दिए जाने के लिए आवेदन किया है और मामला अब एम० आर० टी० पी० सी० के विचाराधीन पड़ा हुआ है,

(ख) क्या यह भी सच है कि तारों और फ्लक्सेस के विनिर्माण में लगी एककों ने इंडियन आक्सीजन लिमिटेड को ऐसे लाइसेंस दिये जाने का तीव्र अनुरोध किया है,

(ग) इन लघु एककों ने अपने विरोध के समर्थ में क्या कारण दिए हैं,

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया है, और

(ङ) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) लघु एककों ने अभ्यावेदन दिया है कि यदि इंडियन आक्सीजन लि० को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है तो उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(घ) और (ङ) : एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग जो इस समय इस मामले की जाँच कर रहा है, की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। भारत सरकार द्वारा मैसर्स इंडियन आक्सीजन लि० के आवेदन पत्र पर अन्तिम निर्णय इस रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर ही लिया जाएगा।

**हैदराबाद में सौर बिजली केन्द्र की स्थापना**

1088. **श्री पी. के. कोडियन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बहु-राष्ट्रीय निगमों के सहयोग के साथ हैदराबाद में एच. डब्ल्यू. सौर बिजली केन्द्र की स्थापना करन का विचार है,

(ख) यदि हाँ, तो सौर विद्युत केन्द्र की स्थापना में सहयोग करने वाले पाँच बहु-राष्ट्रीय निगमों के नाम क्या है,

(ग) इन निगमों को सहयोग के लिए आमन्त्रित करने के क्या कारण है,

(घ) सहयोग की शर्तें क्या हैं, और

(ङ) इस केन्द्र की स्थापना पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी नहीं।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

**लघु और कुटीर उद्योगों के लिये पूँजी निवेश और कच्चा माल**

1089. **श्री के० प्रधानी : क्या उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों के लिये प्रत्येक राज्य के लिये अनुमोदित पूंजी निवेश की राशि क्या है और

(ख) इस क्षेत्र को कच्चे माल की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना)** : (क) प्रत्येक राज्य लघु व कुटीर उद्योगों में स्वयं एककों द्वारा अपने स्रोतों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर राशि विनियोग की जाती है। अत: प्रत्येक राज्य में इन एककों में विनियोग की स्वीकृति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) अनेक मूलभूत कच्चे माल का देश में उत्पादन बढ़ाने के अलावा सरकार ने वास्तविक उपयोगकर्ताओं के इस्तेमाल के लिए औद्योगिक कच्चे माल का आयात सम्बन्धी नीति को उदार बना दिया है और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं में वितरण के लिए विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से लौह एवं अलौह तथा रसायनिक वस्तुओं का आयात बढ़ा दिया है।

लघु क्षेत्र के एककों को किए जाने वाले कच्चे माल का संभरण बढ़ाने के लिए वर्ष 1979-80 की आयात नीति में निम्नलिखित नए प्रावधान किए गए हैं :

1. लघु क्षेत्र के वास्तविक उपयोगकर्ता स्वत: लाइसेंस प्रणाली के अधीन अपनी वास्तविक खपत के आधार पर आयात कर सकते हैं। लघु एककों द्वारा माँग की जाने पर उनकी पिछली खपत से 10 प्रतिशत अधिक आयात करने की अनुमति भी दी जाती है।

2. जिन लघु एककों ने पिछले वर्षों में 50,000/-रुपए से कम मूल्य के कच्चे माल का आयात करने के लिए लाइसेंस मांगा हो वे एकक पिछली खपत का प्रमाण दिए बिना पुनरावृत्ति के आधार पर स्वत: लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3. प्रायोजित प्राधिकरण की सिफारिश पर नए लघु एकक अधिक से अधिक 3 लाख रुपए तक के मूल्य के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। पिछड़े क्षेत्रों में स्थित तक एककों व व्यवसायिक योग्यता प्राप्त बेरोजगार उद्यमियों के लिए इस सीमा को 5 लाख रुपए बढ़ाया जा सकता है।

4. लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा अधिकतर उपयोग में लाई जाने वाली पीतल की छीजन, जस्ते की छीजन, अल्युमिनियम की छीजन, फिलामेंट यार्न जैसे कच्चे माल को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत लाया गया है ताकि वास्तविक उपयोगकर्ता लाइसेंस सम्बन्धी औपचारिकता के बिना उनका आयात कर सकें।

देशी कच्चे माल के सभरण के मामले में लघु एककों का वरीयता प्राप्त उद्योगों के रूप में समझा जाता है जिसके कारण कमी के समय भी उनकी आवश्यकताओं को सबसे पहले पूरा किया जाता है।

**मध्य प्रदेश में विद्युत चालित करघों के लिये लाइसेंस देना**

1090. **श्री शिवकुमार सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विशेष रूप से बुराहनपुर में विद्युतचालित करघों के लिये नये लाइसेंस देने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) वर्तमान विद्युतचालित करघों को कब तक नियमित कर दिया जायेगा।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना)** : (क) जी नहीं।

(ख) आशा है कि देश में पात्र अनधिकृत शक्ति चालित करघों को विनयमित करने का कार्य जून 1980 के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

**दिल्ली में महिलाओं के अपहरण के मामले**

1091. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1977 से 1979 के वर्षों में तथा 1980 में भी महिलाओं के अपहरण के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या अपराधियों को दण्ड दिया गया है और यदि हाँ, तो कितने अपराधियों को दण्ड दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि 1980 में डिफेंस कालोनी और लोदी रोड क्षेत्र में अपहरण के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) दिल्ली में महिलाओं के अपहरण के मामले जिनकी रिपोर्ट की गई थी, की संख्या नीचे दी गई है :

| वर्ष | मामलों की संख्या |
|---|---|
| 1977 | 362 |
| 1978 | 512 |
| 1979 | 439 |
| 1980 (29-2-80 तक) | 82 |

(ख) 976 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें 40 व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया गया है और 462 व्यक्तियों के विरुद्ध मामले न्यायालयों में अनिर्णित पड़े हैं।

(ग) वर्ष 1979 के प्रथम दो महीनों से इस वर्ष के प्रथम दो महीनो की तुलना करने पर पता चलता है कि लोदी कालोनी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किए मामलों में कमी हुई हैं जबकि डिफेंस कालोनी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किए गए मामलों में वृद्धि हुइ है। 1979 के प्रथम दो महीनों में लोदी कालोनी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में एक मामले की रिपोर्ट की गई थी। जबकि इस वर्ष 29-2-80 तक ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है। वर्ष 1979 के प्रथम दो महीनों में, डिफेंस कालोनी पुलिस स्टेशन में ऐसे दो मामलों की रिपोर्ट की गई थी जबकि इस वर्ष के प्रथम दो महीनों में ऐसे 4 मामलों की रिपोर्ट की गई है :

(घ) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) समाज विरोधी तत्वों पर निगरानी।

(2) लड़कियों के स्कूलों, कालेजों, बस-स्टापों और सिनेमा-घरों पर पुलिस कर्मचारियों की तैनाती।

(3) मामलों को फौरन दर्ज करना, जब उनकी रिपोर्ट की जाय, और अपराधियों को खोजने के और उन पर मुकदमा चलाने के लिए लापता व्यक्तियों के दस्ते और पुलिस नियंत्रण कक्ष आदि को तुरन्त सूचना भेजना।

(4) उपलब्ध स्रोतों से गश्त को बढ़ाना।

(5) भीख मंगवाने/फिरौती प्राप्त करने के उद्देश्य से नाबालिगों के अपहरण में अंतर्गत संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखना।

**स्वतन्त्रता सैनानियों को पेंशन**

1092. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कुल कितने स्वतन्त्रता सैनानियों को पेंशन मिलती है;

(ख) कुल कितने स्वतन्त्रता सैनानियों के पेंशन के आवेदन पत्र रद्द किये गये थे; और

(ग) जिन स्वतन्त्रता सेनानियों को वास्तव में पेंशन मिल रही है उनकी राज्यवार संख्या कितनी है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) 1,17,925

(ख) 94,451

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | स्वीकृत पेंशन |
|---|---|
| अंडमान और निकोबार | 3 |
| आन्ध्र प्रदेश | 6055 |
| अरुणाचल प्रदेश | — |
| असम | 3909 |
| बिहार | 19155 |
| चण्डीगढ़ | 64 |
| दिल्ली | 1564 |
| गोवा | 543 |
| गुजरात | 2869 |
| हरियाणा | 1281 |
| हिमाचल प्रदेश | 372 |
| जम्मू और कश्मीर | 779 |
| केरल | 2132 |
| कर्नाटक | 7250 |
| मध्य प्रदेश | 2733 |
| महाराष्ट्र | 9994 |
| मणिपुर | 58 |
| मेघालय | 67 |
| मिजोरम | — |
| नागालैंड | 7 |
| उड़ीसा | 3521 |
| पांडिचेरी | 221 |
| पंजाब | 5048 |
| राजस्थान | 581 |
| तमिलनाडु | 3518 |
| त्रिपुरा | 640 |
| उत्तर प्रदेश | 15429 |
| पश्चिम बंगाल | 14699 |
| कुल स्वतन्त्रता सेनानी | 102482 |
| भारतीय आजाद हिन्द फौज के कार्मिक | |
| सैनिक | 13117 |
| सिवलियन | 2326 |
| कुल आजाद हिन्द फौजी | 15443 |
| कुल जोड़ | 117925 |

**गांधी इर्विन संधि के पश्चात् रिहा किये गये स्वाधीनता सेनानियों की पेंशन**

1093. **रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन स्वाधीनता सेनानियों को पैन्शन नहीं दे रही है जो गाँधी इर्विन संधि के पश्चात् रिहा किये गये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है;

(ग) क्या उक्त आधार पर बहुत से स्वाधीनता सेनानियों को पेन्शन देना बन्द कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क), (ख), (ग) से (घ)। केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के अन्तर्गत वे आवेदक जिन्हें 6 महीने या इससे अधिक की जेल हुई थी और जो कम से कम पांच महीने तक जेल में रहे थे लेकिन गांधी-इर्विन समझौते और अन्य राजक्षमा आदेशों के कारण बाद में रिहा कर दिए गए थे, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति के पात्र हैं। अन्य मामलों में जहाँ वास्तविक जेल 5 महीनों से कम रही हो, पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है। ऐसे मामलों की संख्या सुलभता से उपलब्ध नहीं है। इस सूचना को एकत्रित करने में जो समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा।

**जाली स्वाधीनता सेनानियों का पता लगाया जाना**

1094. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जाली स्वाधीनता-सेनानियों का पता लगाने के लिये कोई नीति निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक जिन जाली स्वाधीनता सेनानियों का पता चला है उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ संसद सदस्यों तथा विधायकों को स्वाधीनता सेनानियों के संबंध में अपनी सिफारिशें करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और उनके रज्य-वार नाम क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) स्वतंत्रता सेनानियों की यातनाओं के दावो का सत्यापन करने के लिए सरकार के पास अपनी कोई स्वतंत्र मशीनरी नहीं है और ऐसे सत्यापन के लिए सरकार को पूर्ण रूप से राज्य सरकार की मशीनरी पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार को जनता के सहयोग पर भी निर्भर रहना पड़ता है और वास्तव में लोगों की शिकायत के आधार पर बड़ी संख्या में पेंशन रोक दी गई है। किन्तु जाली पेंशन का पता लगाने के लिए कोई सुस्पष्ट सरकारी मशीनरी नहीं। स्वतत्रता सेनानियों के विरुद्ध प्राप्त सभी शिकायतों की तत्काल जाँच की जाती है और उन्हें सत्यापन तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाता है। जहाँ पेंशन रोकने के लिए पुष्ट आधार तथा उपरी तौर पर मामला बनता हैं ऐसे मामलों पर राज्य सरकार द्वारा आगे जांच करने तक पेंशन रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।

(ग) प्राप्त शिकायतों, पेंशन रोकने, सत्यापन के बाद पेंशन रद्द करने तथा पुनः देने के मामलों की संख्या का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ भूतपूर्व विधायकों ने अपना साथी कैदी होने के अन्धाधुन्ध प्रमाण पत्र दिए हैं। कुछ राज्य सरकारों ने रिपोर्ट दी है कि वे कुछ भूतपूर्व विधायकों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं करते हैं जहाँ इन भूतपूर्व विधायकों द्वारा दिए गए साथी कैदी होने के प्रमाण पत्रों के आधार पर पहले पेंशन रोक दी गई थी। वहाँ राज्य सरकार द्वारा सत्यापन किए जाने तक पेंशन रोक दी गई है। जहां प्रमाण पत्र दाता स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करता है वहाँ उनके द्वारा प्रमाणित यातना का उनके स्वयं की यातना के दावों के साथ दुहरी जांच की जाती है और उनका प्रमाण पत्र तब स्वीकार किया जाता है जब उनके द्वारा प्रमाणित अवधि उनकी यातना के दावों के साथ मेल खाती है। जब कि केन्द्रीय सरकार ने स्वयं कोई स्वतंत्र जाँच नहीं की है इसलिए उन्हें राज्य सरकार की सलाह पर निर्भर रहना पड़ता है। उनके नाम प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

| क्रम स० | राज्य/सघ शासित क्षेत्र का नाम | उन मामलों की संख्या जिनमें शिकायत की गई है | उन मामलों की संख्या जिनमें पेंशन रोक दी गई है | ऐसे मामलों जिनमें पेंशन बन्द/रद्द कर दी गई | की संख्या जिनमें पेंशन पुनः स्वीकृत की गई | ऐसे मामलों कि संख्या जिनमें निर्णय होन है |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 140 | 107 | 30 | 12 | 107 |
| | आजादहिन्द फौज | — | 1 | — | — | 1 |
| 2. | असम | 1926 | 1597 | 17 | 312 | 1297 |
| 3. | बिहार | 1391 | 187 | 67 | 34 | 1290 |
| 4. | चण्डीगढ़ | 2 | 2 | — | — | 2 |
| 5. | दिल्ली | 130 | 74 | 27 | 29 | 74 |
| | आजादहिन्द फौज | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| 6. | गुजरात | 84 | 75 | 9 | — | 75 |
| | आजादहिन्द फौज | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| 7. | हरियाणा | 66 | 42 | 4 | 20 | 42 |
| | आजादहिन्द फौज | 23 | 15 | 2 | 6 | 15 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 18 | 13 | 2 | 3 | 13 |
| | आजादहिन्द फौज | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 |
| .9 | जम्मू तथा कश्मीर | 1 | — | 1 | — | — |
| | आजाद हिन्द फौज | 1 | 1 | — | — | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. कर्नाटक | 1712 | 1599 | 102 | 11 | 1599 |
| 11. केरल | 178 | 74 | 81 | 23 | 74 |
| आजाद हिन्द फौज | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 12. महाराष्ट्र | 358 | 206 | 53 | 9 | 296 |
| 13. मध्य प्रदेश | 127 | 63 | 50 | 14 | 63 |
| आ०हि० फौज | 2 | 1 | 1 | — | 1 |
| 14. उड़ीसी | 249 | 20 | 88 | 141 | 20 |
| आ०हि० फौज | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 15. पंजाब | 85 | 70 | 15 | — | 70 |
| आ०हि० फौज | 377 | 272 | 47 | 58 | 272 |
| 16. पाण्डिचेरी | 62 | 15 | 37 | 10 | 15 |
| 17. राजस्थान | 26 | 17 | 7 | 2 | 17 |
| आ०हि० फौज | 4 | 4 | — | — | 4 |
| 18. तामिल नाडु | 308 | 142 | 116 | 50 | 142 |
| आ०हि० फौज | 5 | 5 | — | — | 5 |
| 19. उत्तर प्रदेश | 659 | 530 | 98 | 31 | 530 |
| आ०हि० फौज | 16 | 12 | 2 | 2 | 12 |
| 20. पश्चिम बगाल | 659 | 508 | 120 | 31 | 508 |
| आ०हि० फौज | 4 | 3 | — | 1 | 3 |
| 21. त्रिपुरा | 251 | 202 | 34 | 15 | 202 |
| 22. मणिपुर | 7 | — | 7 | — | — |
| आ०हि फौज | 4 | 4 | — | — | 4 |
| 23. मेघालय | 29 | 15 | 13 | 1 | 15 |
| 24. गोवा | 11 | 11 | — | — | 11 |
| जोड़ | 8960 | 5999 | 1036 | 822 | 7102 |

**पूर्वी भारत में विदेशी व्यक्तियों के मामले पर आन्दोलन के कारण जान-माल की हानि**

1095. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी भारत में विदेशी व्यक्तियों के मामले के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में जान माल की कितनी-कितनी हानि हुई;

(ख) राज्यों में कितने परिवारों ने (कैम्प-वार) राहत कैम्पों में आश्रय लिया; और

(ग) कितने परिवारों को (राज्य-वार) अपने गृह-राज्य छोड़ने पड़े।

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) तक : राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना माँगी गई है और सदन के सटल पर रख दी जायेगी।

**विदेशी व्यक्तियों के मामले पर आन्दोलन**

1096. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पूर्वी भाग के कुछ राज्यों में विदेशी व्यक्तियों के मामले पर कब और कैसे आन्दोलन शुरू हुआ;

(ख) क्या सरकार का पूरे मामले की जाँच करवाने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) तक 1979 के उत्तरार्ध से असम में प्रारंभ में मतदाता सूचियों से विदेशियों के नाम हटाने तथा बाद में जनवरी 1980 के प्रथम सप्ताह में होने वाले चुनावों को स्थगित करने तथा पुन: विदेशी नागरिकों का पता लगाने तथा उन को निकालने के लिए लगातार आन्दोलन किया जा रहा है। आन्दोलन के कार्यक्रम में विरोध दिवस मनाने, सामूहिक सत्याग्रह करने तथा सरकारी कार्यालयों तथा सरकारी उपक्रमों जिनमें तेल प्रतिष्ठान शामिल हैं जहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी, के आगे सामूहिक धरना देना शामिल है।

मेघालय में भी मतदाताओं की सूचि से विदेशियों के नाम हटाने की माँग को लेकर आन्दोलन हुआ है।

इश संबंध में सरकार स्थिति से पूर्ण रूप से जागरूक है और उपयुक्त उपाय प्रारंभ कर दिए हैं।

**पश्चिम बंगाल का सुन्दरवन क्षेत्र**

1097. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले के सुन्दर बन क्षेत्र को एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानती है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : पिछड़े क्षेत्रों का वर्गीकरण और विकास राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुन्दरवन को पिछड़े क्षेत्र के रुप में वर्गीकृत किया है।

(ख) उसके पिछड़ेपन के लिए कारण है बाढ़, खारेपन का अन्त: क्रमण और बहुत कम प्राकृतिक जल निकासी, जिसके परिणामस्वरूप पीने के पानी की कमी है, संचार में कठिनाइयाँ हैं और बहुत कम कृषि है।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**भंग विधान सभा वाले राज्यों में महिलाओं, हरिजनों और कमजोर वर्गों के लोगों पर अत्याचार**

1098. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 फरवरी 1980 तक राष्ट्रपति शासन के अधीन लिए गए नौ राज्यों में महिलाओं, हरिजनों और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों पर जब से अब तक अत्याचार के कितने मामले घटित हुए हैं; और

(ख) महिलाओं हरिजनों और कमजोर वर्गों के अन्य लोगों से सम्बिन्धित पृथक-पृथक वर्ग-वार आँकड़े क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) और (ख) : राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**निर्धनता से नीचे के स्तर की दशा वाले पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या**

1099. **श्री के० प्रधानी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक ऐसे पूर्वोत्तर राज्य हैं जहाँ के लोग निर्धनता से नीचे के स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या उन राज्यों में यह स्थिति उन्हें पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान निधियों के कम नियतन और राज्यों द्वारा उक्त निधियों के अनुचित उपयोग के कारण व्याप्त हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक निधियां प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

**प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी** : (क) से (घ) तक : वर्ष 1972-73 के संदर्भ में किए गए संकलन के अनुसार उत्तर-पूर्वी राज्यों में गरीबी के स्तर से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 20. 64 प्रतिशत से 48, 24 प्रतिशत था और शहरी क्षेत्रों में 3.33 प्रतिशत से 33, 78 प्रतिशत था, जब कि अखिल भारतीय आंकड़े क्रमश: 54. 09 प्रतिशत और 41. 22 प्रतिशत थे। तथापि, ये आंकड़े अब पुराने हो गए हैं और अब वर्ष 1978-79 के संदर्भ में नया संकलन तैयार किया जा रहा है।

केन्द्रीय सहायता के आवंटन के प्रयोजन के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य माना जाता है। उत्तर-पूर्वी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए वास्तव में केन्द्रीय सरकार से पूरी तरह से सहायता दी जाती है। इन राज्यों को केन्द्रीय सहायता का 90 प्रतिशत भाग अनुदानों के रूप में दिया जाता है और केवल 10 प्रतिशत भाग ऋणों के रूप में दिया जाता है, जबकि अन्य राज्यों को 70 प्रतिशत भाग ऋण के रूप में और 30 प्रतिशत भाग अनुदान के रूप में दिया जाता है ।

2. उत्तर-पूर्वी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए औसत योजना परिव्यय 327.31 करोड़ रु० है जो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 167 रु० का औसत होता है जबकि यह अखिल भारतीय 114 रु० होता है। इसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है। सूचित किये गए व्यय के आधार पर क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में राज्यों द्वारा धनराशि का उपयोग काफी संतोषजनक रहा है।

3. इसके अलावा उत्तर-पूर्वी परिषद् की विकास योजनाओं के अन्तर्गत इस क्षेत्र में एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों में से किसी एक राज्य के समान हित वाली स्कीमों के लिए भी धनराशि आवंटित की जाती है।

**विवरण**

करोड़ रु०

| | 1978-79 | | 1979-80 | | 1980-81 | | प्रति वर्ष औसत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अनुमोदित परिव्यय | प्रति व्यक्ति परिव्यय | अनुमोदित परिव्यय | प्रति व्यक्ति परिव्यय | अनुमोदित परिव्यय | प्रति व्यक्ति परिव्यय | कुल | प्रति व्यक्ति |
| उत्तर-पूर्वी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र | 299,66 | 153 | 315,68 | 161 | 366,58 | 187 | 327.31 | 167 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सभी राज्य मिलकर | 5799,20 | 106 | 5965,82 | 109 | 6977,76 | 127 | 6247,59 | 114 |

**विद्युतचालित करघा उद्योग के विकास के लिए अशोक मेहता आयोग का प्रतिवेदन**

1100. **श्री शिवकुमारसिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युतचालित करघा उद्योग के विकास के लिए अशोक मेहता आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया है,

(ख) यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश में विद्युत चालित करघों के बुनकरों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है, और

(ग) मध्य प्रदेश में विद्युत चालित करघों के श्रमिकों/बुनकरों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) अशोक मेहता समिति द्वारा 1964 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की सिफारिशें सरकार ने सामान्यत: स्वीकार कर ली थीं।

(ख) तथा (ग) अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के विद्युत करघा बुनकरों को वित्तीय सहायता देने के बारे में कोई विशेष सिफारिश नहीं है।

**भटिन्डा तथा जिला पूर्वी चम्पारन में मारे गये हरिजन**

1101. **डा० फारुक अब्दुल्ला** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 फरवरी, 1980 को भटिन्डा में दो हरिजन मारे गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिला पूर्वी चम्पारन में गोरासाहन पुलिस थाना के अन्तर्गत गांव फुलकार में और 27 फरवरी, 1980 को मोतीहारी में हरिजनों की कम से कम 15 झौंपड़ियों को आग लगा दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने देश में उक्त स्थिति पैदा करने वाले तत्वों का नाश करने के लिए युद्धस्तर पर कोई उपाय किये गये हैं अथवा किन्हीं उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी नहीं श्रीमान। गाँव के दो मजहबी (अनुसूचित जातियाँ) परिवारों के बीच झगड़े के परिणाम स्वरूप तारीख 27-2-1980 को गाँव फेल्लर, थाना संगत, भटिण्डा में केवल एक हरिजन मारा गया था।

(ख) बिहार सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायगी।

(ग) हाल ही में गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों/उपराज्यपालों को हरिजन आदि लोगों पर अत्याचारों की बुराई को रोकने के लिए कड़े उपाय करने के लिए लिखा है।।

**कागज की मांग, उत्पादन और आयात**

1102. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कागज की कुल माँग कितनी है और गत चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में कागज का उत्पादन हुआ।

(ख) प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में कागज का आयात किया गया तथा किन देशों में इसका आयात किया गया तथा गत चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष इसके आयात पर कितना धन व्यय किया गया, और

(ग) देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना)** : (क) पिछले चार वर्षों में कागज तथा गत्ते का कुल उत्पादन निम्न प्रकार हुआ था :—

| वर्ष | उत्पादन (लाख मी० टनों में) |
|---|---|
| 1976 | 8.80 |
| 1977 | 9.37 |
| 1978 | 10.06 |
| 1979 | 10.40 (अन्तिम) |

इलैक्ट्रिकल इन्सुलेशन पेपर तथा फिल्टर पेपरों आदि जैसी कागज की कुछ विशेष किस्मों को छोड़ कर देशी मांग को पूरा करने के लिये कागज तथा गत्ते का उत्पादन बहुत कुछ पर्याप्त था। केवल वर्ष 1978 और 1979 के दौरान मांग अधिक बढ़ गई जिससे लिखाई व छपाई कागज न मिलने के बारे में शिकायतें मिली थी। अनुमान है कि इन वर्षों में मांग और उपलब्ध कागज का अन्तर लगभग 50,000 से 7,0000 मी० टन तक रहा था।

(ख) पिछले चार वर्षों में प्रमुख देशों से आयात किए गए कागज तथा गत्ते के स्त्रोत, परिमाण व मूल्य सम्बन्धी ब्यौरा बताने वाला एक विवरण अनुबंध के रूप सलग्न है।

(ग) देश की कागज सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमता की स्थापना की जा रही है। विद्युत तथा कोयले की उपलब्धता में प्रत्याशित सुधार हो जाने से क्षमता का अधिक उपयोग करना संभव हो सकेगा तथा इसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हो जायेगी।

**विवरण**

**कागज तथा गत्ते का प्रमुख देशों से भारत में आयात**

परिणाम : लाख किलोग्राम में

मूल्य : लाख रु० में

| क्रम सं० | देश | 1978-79 | | 1977-78 | | 1976-77 | | 1975-76 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1 | कनाडा | 1356 | 5079 | 1063 | 3966 | 699 | 2721 | 509 | 2064 |
| 2 | सोवियत रूस | 417 | 1340 | 458 | 1572 | 411 | 1506 | 287 | 1053 |
| 3 | जापान | 22 | 320 | 31 | 332 | 100 | 523 | 193 | 766 |
| 4 | ब्रिटेन | 23 | 318 | 28 | 458 | 14 | 282 | 25 | 433 |
| 5 | जर्मन का संघीय गणराज्य | 17 | 317 | 20 | 239 | 10 | 171 | 29 | 330 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | फिनलैंड | 181 | 624 | 85 | 337 | 42 | 164 | 8 | 40 |
| 7 | स्वीडन | 110 | 551 | 89 | 456 | 38 | 198 | 52 | 239 |
| 8 | संयुक्त राष्ट्र अमेरिका | 92 | 226 | 7 | 106 | 12 | 97 | 26 | 167 |
| 9 | बंगला देश | 64 | 171 | 38 | 110 | 10 | 25 | — | — |
| 10 | नार्वे | 31 | 187 | 17 | 96 | 17 | 111 | 6 | 38 |
| 11 | फ्रांस | 8 | 133 | 10 | 219 | 18 | 235 | 12 | 252 |
| 12 | न्यूजीलैंड | 7 | 20 | 20 | 55 | — | — | — | — |
| 13 | यूगोस्लाविया | 11 | 61 | 1 | 36 | 2 | 27 | 1 | 11 |
| 14 | रुमानिया | 59 | 208 | — | — | — | — | — | — |
| | अन्य | — | 927 | — | 187 | — | 158 | — | 375 |
| | योग | | 10483 | | 8169 | | 6218 | | 5768 |

स्त्रात: डी० जी० एस० आई० एण्ड एस० कलकत्ता ।

**महिलाओं के साथ बलात्कार और छेड़खानी की घटनाओं में वृद्धि**

1103. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल :**

**श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विशेषकर पुलिस वालों अथवा गुण्डों अथवा पुलिस अधिकारियों की शह पाए हुए किराए के गुन्डों द्वारा बलात्कार और छेड़खानी की घटनाओं में पिछले कुछ महीनों में वृद्धि हुई है; और

(ख) इस बुराई को दूर करने और पुलिस के अच्छे नाम की रक्षा करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई अथवा पूछताछ के लिए रोकी गई महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के बारे में लगातार आरोपों को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को दंड प्रक्रिया संहिता, एवं राज्य पुलिस मैनुअल में दी गई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे आगे पूरक अनुदेश जारी करें कि सभी स्तर के पुलिस कर्मचारियों द्वारा महिलाओं का सम्मान और उनके साथ सद्व्यवहार किया जाए नए सिरे से अनुदेश जारी किए गए हैं।

**जादवपुर विश्वविद्यालय के अहाते में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस**

1104. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जादवपुर विश्वविद्यालय के अहाते में 1 फरवरी, 1980 से आयोजित की गई भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 67वें सत्र के निर्णय और सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख) 1-5 फरवरी, 1980 के दौरान जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 67वें अधिवेशन के केन्द्रीय भाव 'भारत के लिए ऊर्जा संबंधी नीतियाँ' पर समेकित सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई है।

इन सिफारिशों के बारे में सरकार में संबंधित मंत्रालयों द्वारा ब्यौरेवार विचार किया जाएगा।

**विवरण**

'भारत के लिए ऊर्जा संबधी नीतियों' के केन्द्रीय भाव पर अनुभागों/समितियों/मंच से प्राप्त समेकित सिफारिशें।

1. क्योंकि जल से हाइड्रोजन उत्पादन के परम्परागत तरीकों की गंभीर सीमायें हैं, अतः सौर ऊर्जा की तुरन्त उपलब्धता और सौर ऊर्जा के आधिक्य के कारण उनकी कम कुशलता के बावजूद प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उपयोग में लाना चाहिए। जल से हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रकाश विद्युत रासायनिक विधि उपयुक्ततम प्रक्रिया होगी।

2. निम्न ऊर्जा अन्तराल अर्द्धचालक इलैक्ट्रोडो पर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को हाथ में लिया जाना चाहिए ताकि हाइड्रोजन उत्पादन की कुशलता पाइपलाइन के व्यास, कुल क्षेत्रफल, दाब, अन्तरों आदि के संबंध में हाइड्रोजन की परिवहन और भण्डार समस्याओं की आवश्यकता और अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना कर सके।

3. ऊर्जा रोपणों की स्थापना के लिए सिफारिश किए गए अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नलिखित शामिल होंगे—(क) क्षेत्र और अनुसंधानों में तकनीकी कार्मिकों की सहायता के लिए अत्यधिक उत्पादक प्रणालियों के अनुरक्षण के लिए सिद्धांतों वाली नियम पुस्तिका का संकलन, (ख) फसल अवशिष्टों सहित स्थानीय स्रोतों की सूचियाँ तैयार करना और अन्य क्षेत्रों से संभावी फसलों की सूचियाँ तैयार करना जो कि ऊर्जा स्रोतों के रूपों में उपलब्ध होंगे, (ग) उपयुक्त आग जलाने की लकड़ी की किस्मों का अभिनिर्धारण, बह फसल योजनाओं के लिए समूहों का चयन, अत्यधिक उत्पादकता के लिए प्रबन्ध योजनाओं का विकास, उर्वरकों का कुशल उपयोग और ईंधन और खाद्यान की फसलों के संयोजन का निर्धारण करना, (घ) विशेषकर के निम्न उर्वरकता के स्थलों में बागानों की देखरेख के लिए दीर्घकालीन प्रबन्धन प्रौद्योगिकियों का विकास।

4. सीमाँत मृदाओं, जो कि इस समय परती हैं, में ऐसी स्पीशीज को उगाकर जो कि इस प्रकार का न्यून मृदाओं के लिए सहिष्णु/प्रतिरोधी हैं लेकिन जो कि लघु घूर्णी चक्रों के साथ तीव्रवृद्धि कर सकते हैं, कोष्ठ जीवभार के उत्पादन के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस कार्यक्रम से वातावरण में स्थिरता और सुधार आयेगा, इससे जल का संरक्षण होगा और इससे एक नया पूर्ण पारितंत्र उत्पन्न होगा।

5. नाभिकीय शक्ति उत्पादन के लिए तुरंत भारहीन जल रिएक्टरों को तुरंत अपनाया जाना चाहिए।

6. विशेष रूप से ईंधन पारिष्करण, ईंधन के लिए सामग्री अनुसंधान (मैटीरियल

रिसर्च) और संरचनात्मक सामग्रियों के लिए भारहीन जल रिएक्टरों के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास किया जाना चाहिए ।

7. नाभिकीय इत्तर ईंधन स्रोतों का विशद सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ।

8. कोयले के तरलीकरण के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए ।

9. शुरू में मोटरगाड़ियों के लिए गैसोलीन के अंग के रूप में शक्ति-अल्कोहल का तब तक अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए जब तक कि उपयुक्त इंजन उपलब्ध नहीं हो जाता ।

10. गोबर, जैव गैस आदि पर विशेष बल सहित विभिन्न प्रकार के कृषि-मानव और पशु-अपशिष्टों के पुनः चक्रीयन की वर्तमान प्रथा का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण किए जाने चाहिए ।

11. खाना पकाने के दौरान ईंधन पर ऊर्जा के व्यय को कम करने की दृष्टि से सामुदायिक रसोई की संभावना का अन्वेषण करना चाहिए और घरेलू और सार्वजनिक स्तरों पर इस प्रकार के अपव्यय का मानीटरन करने के लिए सर्वेक्षण किए जाने चाहियें ।

12. गृह विज्ञान का कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को परिवार/घर की देखरेख के लिए आवश्यक भोजन/आहार चारा और ईंधन के लिए ऊर्जा आगम/निर्गम की कुल ऊर्जा गतिकी का अध्ययन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और अपशिष्टों के पुनः चक्रीयण की वर्तमान प्रथा का अध्ययन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ।

13. प्रगामी कमी और कृषि के लिये ऊर्जा की आवश्यकताओं की लागत को ध्यान में रखते हुये, कृषिसंक्रियाओं के लिये ऊर्जा के सस्ते साधन प्राप्त करने के लिये सघन प्रयास किये जाने चाहियें । समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर सौर ऊर्जा, पशु और कृषि अपशिष्टों का उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए ।

14. ऊर्जा के उच्च निवेश की अपेक्षा करते हुए रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए, फसली पोदों द्वारा बातावरणीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण पर किए जा रहे अनुसंधानों को तीव्र किया जाना चाहिए ।

15. खरीफ के धान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्न प्रकाश की स्थिति के अधीन उच्च स्थानांतरण योग्यता सहित उच्चतर प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कर पाने वाले प्रभेदों की संवीक्षा की जाए और उनका अभिनिर्धारण किया जाना चाहिए ।

16. अधिक कुशल कार्य उत्पादन के लिए मनुष्यों और पशुओं की जैव ऊर्जा के उत्पादन और संरक्षण पर सघन अनुसंधान की सिफारिश की जाती है । विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, शरीर और भू-जलवायु संबंधी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए काम करने के औजारों को सुधारा जाना चाहिए, तथा, मानव और पशु ऊर्जा स्रोतों का प्राकृतिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ।

17. ग्रामीण समुदायों में ईंधन, उर्वरकों और सफाई की समस्याओं का समाधान करने के लिए समुदायों के गोबर गैस संयंत्रों का विस्तृत उपयोग किया जाना चाहिए ।

18. आर्थिक योजना और अत्यावश्यक ऊर्जा योजना के बीच एक प्रभावी और यथार्थ-वादी समन्वय को तुरंत कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

19. (क) ऊर्जा माँग के पूर्वानुमान, (ख) विभिन्न ऊर्जा स्रोतों पर निवेश की योजना और (ग) वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी नीतियों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन करने के लिए संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर उपयुक्त ऊर्जा प्रतिमानों का विकास किया जाना चाहिए।

20. जैव-औजिकी, पारि-औजिकी तथा पर्यावरणीय ऊर्जा अध्ययनों को गणितीय व्यवहार के अधिकार क्षेत्र में लाना चाहिए।

21. ग्रामीण क्षेत्र में और अधिक ऊर्जा का विनिधान किया जाना चाहिए ताकि लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठाया जा सके।

22. मनोविज्ञान की तकनीक का उपयोग करते हुए अपने लोगों की बौद्धिक और व्यवहारिक योग्यताओं का लेखा जोखा करने के लिए कदम उठाए जाने चाहियें ताकि योग्यताओं और आवश्यक कार्यों का सुमेलन किया जा सके और इस प्रकार मानव ऊर्जा और स्रोतों के अपव्यय को समाप्त किया जा सके।

23. भारत की ग्रामीण जनता को ऊर्जा के अधिक अच्छे और उपयुक्त उपयोग के लिए आधुनिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय नवीन्मेशो को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

24. इंजीनियरी में विशेष योग्यता का समूहन किया जाना जाहिए और उन्हें संयंत्रों और उपकरण के मानकीकरण के लिए मुख्य संयंत्र विनिर्माताओं के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए जिससे अग्रता काल कम हो सकेगा और निवेश का इष्टतमीकरण हो पाएगा।

25. राज्य बिजली बोर्डों को केन्द्रीय नीति निर्माण स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। बिजली प्रणाली के सभी स्तरों यथा, विनिर्माताओं, उत्पादन एककों, अनुरक्षण, वितरण और पारेषण स्कन्धों को संयंत्रों के सुचारु रूप से संचालन के लिए सारी समस्या का एहसास होना चाहिए।

26. ग्रामीण विद्युतीकरण को उपयुक्त रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और पारेषण हानियों को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लघु संयंत्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

27. बिजली उत्पादन के लिए ईंधन सैलों पर अनुसंधान और विकास को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।

## पूर्वोत्तर क्षेत्र की पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों के लिए एकीकृत बहुचैनल दूर-संचार व्यवस्था की योजना

1105. **श्री पी. ए. संगमा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों के लिए एकीकृत बहु-चैनल दूर-संचार व्यवस्था की योजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या अपेक्षित धन के अभाव में उक्त योजना क्रियान्विति हेतु रुकी हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त योजना के लिए जारी लाइसेंस सितम्बर, 1980 को समाप्त हो जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस परियोजना पर कार्य आरम्भ करने का है और इसकी तत्काल क्रियान्विति हेतु अपेक्षित धन उपलब्ध जिया जाएगा ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) भारत सरकार ने सिद्धांत रूप में योजना को स्वीकार कर लिया है।

(ख), (ग) और (घ) : संचार मत्रालय ने यह योजना दो वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत की थी। सितम्बर, 1980 के बाद इसका पुनरीक्षण किया जाएगा। अभी कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। इस बीच कुछ तकनीकी औपचारिकता के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। धन की व्यवस्था करने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

**असम में विदेशी लोग**

1106. **श्री पी. जे. कुरियन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असम में विदेशियों की परिभाषा क्या है और उनकी वास्तविक संख्या कितनी है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 की धारा 2 (क) जो सारे भारत में लागू होती है में की गई परिभाषा के अनुसार विदेशी का अर्थ वह व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है। असम में विदेशी लोगों की संख्या के बारे में कोई विश्वस्त सूचना उपलब्ध नहीं है।

**ऊर्जा संकट**

1107. **श्री सी. टी. दण्डपाणि** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय का कोई विशेषतापूर्ण अध्ययन किया गया है कि बम्बई के निकट तारापुर परमाणु बिजलीघर तथा राजस्थान में कोटा परमाणु बिजलीघर ने इन राज्यों में बिजली का संकट हल करने में क्या सहायता की है;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशों में कुछ पर्यावरण-विशेषज्ञों ने परमाणु घरों से विद्युत-प्रजनन के और आगे विस्तार के विरुद्ध एक योजनाबद्ध अभियान आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो विशेष रूप से कोटा परमाणु संयंत्र में हाल ही में हुई खराबी तथा तारापुर संयंत्र में हुई दुर्घटना को देखते हुए, जिसके फलस्वरूप एक विद्युत रियेक्टर में कूलेंट पाइप ने रिसना शुरू कर दिया था, इन सयंत्र के कार्यकरण के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) पिछले 10 वर्षों में तारापुर परमाणु बिजलीघर ने, जिसमें 210 मेघावाट प्रत्येक के दो यूनिट हैं, महाराष्ट्र के पिड की बिजली संबंधी आवश्यकता के 7 से 8% और गुजरात के ग्रिड की बिजली संबंधी आवश्यकता के 10 से 15% भाग की पूर्ति की है। यह बिजलीघर, पश्चिमी क्षेत्र के विद्युत् ग्रिड की 5.7% आवश्यकता पूरी करता है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर का 220 मेगावाट क्षमता का एक यूनिट जो इस समय बन्द है, बन्द होने से पहले, राजस्थान की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकता के लगभग 40% भाग की पूर्ति कर रहा था। सन् 1979 में तारापुर परमाणु बिजलीघर ने 1958.90 मिलियन यूनिट

और राजस्थान परमाणु बिजलीघर ने 1251.55 मिलियन यूनिट बिजली का सफल उत्पादन किया।

(ख) और (ग) जी, हाँ। तथापि, सरकार का मत यह है कि चिंता का कोई कारण नहीं है और भविष्य की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में न्यूक्लीय ऊर्जा की भूमिका उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण होती रहेगी। राजस्थान परमाणु बिजलीघर में हाल ही में हुई खराबी के कारण या तारापुर परमाणु बिजलीघर में ईंधन बदलते समय रिसर्कुलेशन लूप की बाई-पास लाईनों में दिए गए दोषों के कारण कोई भी उल्लेखनीय रेडियोसक्रियता मुक्त नहीं हुई है।

**राजधानी के लिए सड़क रेल परिवहन परियोजना का परित्याग**

1108. **श्री सी. टी. दण्डपाणि** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के लिए एकीकृत सड़क रेल परिवहन परियोजना के सम्बन्ध में विभिन्न अध्ययनों पर छह वर्ष लगाने और इसके लिए प्रारंभिक कार्य पर 2.5 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करने के बाद पिछले योजना आयोग ने पद छोड़ने से पूर्व इसका परित्याग करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके असंतोषजनक परिवहन सेवा के वृहत्तर संदर्भ को देखते हुए इस परियोजना की पुनः जांच कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) से (घ) तक : यह सही है कि महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) दिल्ली ने, जो रेल मंत्रालय के अन्तर्गत एक संगठन है, पिछले छः वर्ष में अनेक अध्ययन किए हैं और अनेक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिनमें विभिन्न समयावधियों से सम्बन्धित दिल्ली क्षेत्र में महानगर परिवहन प्रणालियों के लिए प्रस्ताव दिए गए थे। इस संगठन पर अब तक लगभग 2.2 करोड़ रु० खर्च किए गए हैं। इस संगठन की अद्यतन रिपोर्ट दिल्ली शहरी क्षेत्र में बिजली चालित रेल यात्री सेवाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट है जो दिसम्बर, 1977 में में प्रस्तुत की गई थी और जो रेल मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को अक्तूबर, 1978 में भेजी गई थी। यह सही नहीं है कि इस प्रस्ताव को योजना आयोग द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है या छोड़ दिया गया है। क्योंकि यह प्रस्ताव अभी भी सम्बन्धित अन्य मंत्रालयों/संगठनों के परामर्श से योजना आयोग के विचाराधीन है। प्रस्ताव से सम्बन्धित कुछ विषयों की, विशेष रूप से (1) अन्य केन्द्रों का विकास करके, उद्योगों की अवस्थिति को विनियमित आदि करके, दिल्ली की जनसंख्या की सघनता को कम करने के लिए आवश्यक उपायों की तथा (2) प्रस्तावित सेवाओं के लिए अपनाए जाने वाले किराए के स्तर की और अधिक जांच की जानी है। इस संबंध में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति और रेल यातायात जांच समिति की जिन सिफारिशों के क्रमशः मार्च, 1980 के अन्त तक और अप्रैल, 1980 के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है उनको भी अन्तिम निर्णय करने से पहले ध्यान में रखा जाएगा।

**गुजरात में हथकरघा की संख्या**

1109. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात राज्य में जिलावार, कार्यरत हथकरघों की संख्या क्या है ?

(ख) क्या राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में और हथकरघों की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क)गुजरात सरकार द्वारा राज्य आर्थिक तथा सांख्यिकीय ब्यूरो के माध्यम से हाल ही में हथकरघा सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में लगभग 20,471 करघे हैं । बताया गया है कि इन करघों में से 16.548 करघे चल रहे हैं और 3.923 करघे बेकार पड़े हैं । गुजरात राज्य में जिलावार चल रहे तथा बेकार पड़े करघों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) तथा (ग) भारत सरकार को राज्य सरकार से इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

**विवरण**

| क्र०सं० | जिले का नाम | करघों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | चल रहे | बेकार | योग |
| 1. | जामनगर | 400 | 0 | 400 |
| 2. | राजकोट | 700 | 127 | 827 |
| 3. | सुरेन्द्र नगर | 4313 | 570 | 4883 |
| 4. | भावनगर | 1177 | 663 | 1840 |
| 5. | अमरेली | 673 | 347 | 1020 |
| 6. | जूनागढ़ | 1047 | 740 | 1787 |
| 7. | कच्छ | 1393 | 67 | 1460 |
| 8. | बाँसकंठा | 1820 | 133 | 1953 |
| 9. | साबरकंठा | 47 | 0 | 47 |
| 10. | गाँधी नगर | 27 | 0 | 27 |
| 11. | महेसाना | 1547 | 53 | 1600 |
| 12. | अहमदाबाद | 1930 | 217 | 2147 |
| 13. | खेड़ा | 1000 | 620 | 1620 |
| 14. | पंचमहाल | 60 | 293 | 353 |
| 15. | भड़ौच | 260 | 53 | 313 |
| 16. | सूरत | 87 | 0 | 87 |
| 17. | बालसाद | 67 | 40 | 107 |
| | योग | 16,548 | 3,923 | 20,471 |

**कोका कोला का पुनः आरम्भ करने का प्रस्ताव**

1110. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कोका कोला की पुनः बिक्री आरम्भ किये जाने, किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मत्री (डा० चरनजीत चानना)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से रोजगार**

1111. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से कुटीर उद्योगों में रोजगार प्रदान करने हेतु जिला स्तर पर एक योजना शुरू की है।

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अधीन, प्रत्येक राज्य में तथा विशेषतया गुजरात, राज्य में कितने लोगों को रोजगार दिया जा चुका है; और

(ग) लोगों को इस योजना की ओर आकर्षित करने के लिये क्या विशेष प्रयास किये गये हैं।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना)** : (क) जी हाँ।

(ख) सभी जिला उद्योग केन्द्रों से जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम द्वारा पैदा किए गए रोजगार के अवसरों के वर्ष 1978-79 के आँकड़े उपलब्ध हैं। 228 जिला उद्योग केन्द्रों ने वर्ष 1978-79 में 2.74 लाख व्यक्तियों के लिए अर्थात् प्रति जिला उद्योग केन्द्र द्वारा औसतन 1202 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की सूचना भेजी थी। विवरण 1 में राज्यवार जानकारी दी गई है।

वर्ष 1979-80 (दिसम्बर, 1979 तक) के दौरान जिन जिला उद्योग केन्द्रों ने प्रगति सबंधी जानकारी भेजी है उनकी संख्या अलग-अलग माह में अलग-अलग है। सूचना भेजने वाले जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर, 1979 में कुल 2.14 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर अर्थात् प्रति जिला उद्योग केन्द्र द्वारा औसतन 1147 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए गए। गुजरात राज्य सहित राज्यवार जानकारी अनुबध-2 में दी गई है।

(ग) इस योजना की ओर लोगों को आकृष्ट करने के लिए पहले अनेक कदम उठाए गए थे। इनमें जिला उद्योग केन्द्रों के अधिकारियों द्वारा व्यापक फील्ड दौरे, ग्रुप विचार-विमर्श संगोष्ठियां, क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तिकाएं व पर्चे बाटना, स्टाक-प्रदर्शन, एककों का पंजीकरण, संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करना, परियोजना-खाके तैयार करना, निवेशों की व्यवस्था करना और बैंक से ऋण प्राप्त कराने में सहायता देना आदि शामिल है। इस कार्यक्रम में जनता की सहभागिता का सुनिश्चय करने के लिए प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र के साथ एक जिला स्तरीय सलाहकार समिति स्थापित की गई थी जिसमें स्थानीय संसद सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों और उद्योग एसोसिएशनों आदि जैसे प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था।

**विवरण**

| क्रम सं० | राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम | सूचना भेजने वाले जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या | पैदा किये गये रोजगार के अवसर (व्यक्तियों की संख्या) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 11 | 12594 |
| 2. | आसाम | 3 | 713 |
| 3. | बिहार | 29 | 46375 |
| 4. | गुजरात | 15 | 31800 |
| 5. | हरियाणा | 5 | 5441 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 12 | 2812 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 10 | 4305 |
| 8. | कर्नाटक | 7 | 8627 |
| 9. | केरल | 11 | 9829 |
| 10. | मध्यप्रदेश | 22 | 26416 |
| 11. | महाराष्ट्र | 14 | 31091 |
| 12. | मनीपुर | — | सूचित नहीं किया गया |
| 13. | मेघालय | 1 | 2500 |
| 14. | नागालैंड | 4 | 98 |
| 15. | उड़ीसा | 13 | 21658 |
| 16. | पंजाब | 7 | 5869 |
| 17. | राजस्थान | 9 | 11603 |
| 18. | सिक्किम | 1 | 45 |
| 19. | तामिलनाडू | 9 | 20292 |
| 20. | त्रिपुरा | 3 | 1469 |
| 21. | उत्तरप्रदेश | 23 | 15513 |
| 22. | प० बंगाल | 15 | 13464 |
| 23. | अण्डमान और निकोबार दीपसमूह | 1 | 45 |
| 24. | अरुनाचलप्रदेश | 1 | 87 |
| 25. | चंडीगढ़ | — | सूचित नहीं किया गया |
| 26. | दादरा और नगर हवेली | 1 | 500 |
| 27. | गोआ, दमन और दीव | — | सूचित नहीं किया गया |
| 28. | मिजोरम | — | उपरोक्त |
| 29. | पांडेचेरी | 1 | 839 |
| | | योग . 229 | 273985 |

सूचना भेजने वाले जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अप्रैल-दिसम्बर, 1979 के दौरान पैदा किए गए अतिरिक्त रोजगार के अवसर ।*

| क्रम सं० | राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम | पैदा किए गए अतिरिक्त रोजगार के अवसर (व्यक्तियों की संख्या) |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | आंध्रप्रदेश | 9098 |
| 2. | आसाम | 1592 |
| 3. | बिहार | 30313 |
| 4. | गुजरात | 28220 |
| 5. | हरियाणा | 3029 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 2105 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 2781 |
| 8. | कर्नाटक | 5397 |
| 9. | केरल | 12617 |
| 10. | मध्यप्रदेश | 16346 |
| 11. | महाराष्ट्र | 17040 |
| 12. | मनीपुर | 586 |
| 13. | नागालैंड | 143 |
| 14. | उड़ीसा | 23711 |
| 15. | पंजाब | 8320 |
| 16. | राजस्थान | 9792 |
| 17. | सिक्किम | 26 |
| 18. | तामिलनाडु | 20744 |
| 19. | उत्तरप्रदेश | 12601 |
| 20. | प० बंगाल | 9386 |
| 21. | अण्डमान और निकोबार दीपसमूह | 65 |
| 22. | अरुनाचलप्रदेश | 50 |
| 23. | पांडिचेरी | 1079 |
| | योग | 214803 |

*सूचना भेजने वाले जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या अलग-अलग माह में अलग-अलग थी ।

**अस्पृश्ता उन्मूलन की योजना**

1112. **श्री छोतु भाई गामित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिये कोई नई योजना बनाई है;

(ख) क्या कोई ऐसा राज्य है जहां सभी तरह की अस्पृश्यता को जड़ से समाप्त किया जा चुका है; और

(ग) देश में अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त करने के लिये सरकार ने इस समय किस तन्त्र को यह कार्य सौंपा हुआ है;

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) सरकार अस्पृश्ता उन्मूलन के लिए आर्थिक विकास पर आधारित और सामाजिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों द्वारा समर्थित व्यापक कार्य योजना पर विचार कर रही है।

(ख) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

(ग) सरकार इस समय अस्पृश्ता उन्मूलन के लिए सरकारी तन्त्रों और स्वयं-सेवी संगठनों, दोनों का प्रयोग कर रही है। अस्पृश्यता को दूर करने के लिए स्वयं सेवी संगठनों के प्रसार और प्रचार कार्य के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है। भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक योजना शुरु की है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विशेष तन्त्र बनाने और अन्य उपायों को करने हेतु वर्तमान तन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है।

**पांच पंचवर्षीय योजनाओ के पूर्ण हो जाने के बावजूद भी आर्थिक विषमताओं में वृद्धि**

1113. **श्री मूलचंद डागा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांच पंचवर्षीय योजनाओं के पूर्ण हो जाने बाद भी आर्थिक विषमतायें बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिये सरकार ने कोई विशेष योजना बनाई है; और

(ग) क्या सरकार आर्थिक विषमताओं के कारणों की जांच कर रही है ताकि भविष्य में इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया जा सके ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दरा गांधी)** : (क) से (ग) तक : उपभोक्ता व्यय के वितरण और पारिवारिक परिसम्पत्तियों के वितरण जैसे जिन सूचकों को आर्थिक केन्द्रीयकरण को अभिव्यक्त करने वाला समझा जाता है उनके कुछ अध्ययन से यह दिखाई नहीं देता कि क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में इस प्रकार के सूचकों के संदर्भ में आर्थिक असमानता बढ़ती रही है। फिर भी आय और संपत्ति के वितरण में वर्तमान असमानताएँ चिन्ता का विषय है। असमानताओं में कमी करना इस सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है और यह सरकार इसे वित्तीय और ऋण नीतियों, भूमि सुधारों, औद्योगिक नीति और समाज के कमजोर वर्गों के लिए अन्य विकासोन्मुख उपायों के जरिए प्राप्त करना चाहती है।

**राज्यों की प्रस्तावित योजनाओं को तैयार करने में ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों से सलाह मशविरा करने की योजना**

1114. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भविष्य में ऐसी योजना बनाने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत

विभिन्न राज्यों के लिये योजनाओं को केवल ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों के साथ सलाह मशविरा के आधार पर तैयार किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख) ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों को स्थानीय स्तर पर योजना-निर्माण में भूमिका निभानी होती है। तथापि किसी राज्य की योजना निर्माण का काम, अंतर-जिला, क्षेत्रीय तथा विभिन्न आधारित संरचनात्मक और समष्टि विकासात्मक विचारों को ध्यान में रखते हुए, तथा उपलब्ध संसाधनों के भीतर निवेश की संतुलित स्कीम विकसित करते हुए राज्य के कुल परिप्रेक्ष्य पर आधारित होना होता है।

**जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना**

1115. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे जिलों की कुल संख्या कितनी है जहां जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई है और स्थापना का उद्देश्य क्या है, और

(ख) ऐसे स्थान कौन-कौन से हैं जहाँ 1980 के दौरान इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी और केन्द्रों की स्थापना के लिये दिये जाने वाली अनुमति का आधार क्या होगा।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) भारत में कुल 382 जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई है। जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि जिले में एक ही स्थान पर लघु तथा कुटीर एककों द्वारा निवेश पूर्व निवेश करने, तथा निवेश के बाद की अवस्थाओं में अपेक्षित सभी सेवाएँ व सहायता जैसे उपयुक्त औद्योगिक योजना का पता लगाना, संभावनता प्रतिवेदन को तैयार करना. मशीनों तथा उपकरणों की सप्लाई के लिये व्यवस्था करना, कच्चे माल जैसी निविष्टयों की व्यवस्था करना और उधार की सुविधा तथा सामग्री के विपणन में सहायता आदि मिल सके।

(ख) पिछली सरकार द्वारा चलाये गए जिला उद्योग केन्द्रों के कार्य संचालन की समीक्षा योजना के प्रारम्भ से लेकर इसके कार्य निष्पादन के आधार पर की जायेगी। इसे ध्यान में रखते हुए नए जिला उद्योग केन्द्र खोलने के बारे में अभी कुछ कहना समय पूर्व होगा।

**अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार**

1116. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977 से 1979 तक तथा जनवरी और फरवरी 1980 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों पर अत्याचार किए जाने की राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी घटनायें हुई हैं और उनमें हिंसात्मक घटनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन घटनाओं में राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी मौतें हुई हैं;

(ग) इस अवधि के दौरान राज्य-वार कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई है;

(घ) हरिजन और आदिवासी महिलाओं से मार-पीट किए जाने की घटनाओं की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ङ) हिंसात्मक घटनाओं के लिए दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या विशेष कदम उठाये हैं;

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) : सूचना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

**सरकारी कार्यालयों में विशिष्ट व्यक्तियों के चित्रों का प्रदर्शन**

1117. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालयों में विशिष्ट व्यक्तियों के चित्र लगाए जाने के बारे में सरकार द्वारा कोई नियम अथवा मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) सरकार का विचार है कि कोई अनुदेश जारी करना आवश्यक नहीं है और यह मामला राज्य सरकारों अथवा विभागाध्यक्षों के निर्णय के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि क्या उन्हें कार्यालयों के कमरों में चित्र लगाना भी चाहिए और यदि हाँ तो किस नेता विशेष का यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी चित्र को लगाने से कोई विवाद खड़ा न हो जाए ।

**ग्रीनपार्क, नई दिल्ली स्थित शिव मन्दिर में डकैती**

1118. **श्री एन० ई० होरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 फरवरी, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि 21 फरवरी, 1980 को रात 9-30 बजे कुछ डाकुओं ने ग्रीनपार्क, नई दिल्ली स्थिति शिव मंदिर पर डाका डाला और पुजारी का मुंह बाँध कर उसकी पिटाई करके एक किलोग्राम चांदी के आभूषण लेकर चम्पत हो गये; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है;

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) थाना हौजखास में भा. दं. सं. की धारा 394/34 के अधीन एफ. आई. आर. सं. 165 दिनांक 21-2-1980 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। शिव मन्दिर के पुजारी श्री प्रमोद कुमार के अनुसार रात्रि के लगभग 9-15 बजे मंदिर का ताला लगाने के बाद जब वह अपनी झुग्गी के लिए जा रहा था, तो 3 अज्ञात व्यक्ति आये और उन्होंने मन्दिर का द्वार खोलने को कहा क्योंकि वे दर्शन करना चाहते थे । क्योंकि समय समाप्त हो गया था, उसके मना करने पर उनमें से एक अपराधी ने उससे चाबियाँ छीन ली और अपने एक साथी को दे दीं और उसे ताला खोलने का निदेश दिया । उसने अपना हाथ पुजारी के मुँह पर रख दिया । और उसे घसीट कर मंदिर के अन्दर ले गया और उसे पीटा भी । उन्होंने "दरबार" के शीशे तोड़कर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों से चांदी के तीन मुकुट उतार लिये । जब वे लूटे गये सामान को लेकर बचकर भाग रहे थे, तो पुजारी ने शोर मचाया, जिसके परिणाम-स्वरूप घटना स्थल पर जो एकत्र हो गये थे, उन्होंने उनमें से एक अभियुक्त व्यक्ति को पकड़ लिया ।

उस अभियुक्त से सतत पूछताछ करते रहने के बाद एक अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष एक अभियुक्त, जो लूट के सामान के साथ फरार है, को पकड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं।

**वर्ष 1980-81 के लिए राज्यों की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिया जाना**

1119. **श्री चित्त बसु :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने राज्यों के लिए वर्ष 1980-81 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता दी जा रही है; और

(ग) यदि इस सहायता की राशि का निर्धारण करने के लिए कोई मानदंड है, तो वह क्या है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) 1980-81 की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए राज्यों के साथ अधिकारी स्तर पर विचार-विमर्श पूरा हो चुका है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा किए गए निर्णयों के अनुसार दी जा रही है। यह गाडगिल फार्मूला और आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूला के अन्तर्गत दी जा रही है। इसके अलावा, विशेष श्रेणी के राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के आशोधन/समाप्ति के कारण सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूला के अंतर्गत उनका समावेश नहीं होता है। सभी राज्यों को बाहरी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है; इस समय यह अतिरिक्त सहायता राज्य योजना परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता संवितरण का 70 प्रतिशत है। पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी परिषद के कार्यक्रम के लिए भी अतिरिक्त सहायता दी जाती है।

**विवरण**

| राज्य | (करोड़ रु०) |
|---|---|
| **1. विशेष श्रेणी के राज्य** | |
| 1. असम | 121·86 |
| 2. हिमाचल प्रदेश | 74·23 |
| 3. जम्मू और कश्मीर | 145·52 |
| 4. मणिपुर | 32·00 |
| 5. मेघालय | 31·00 |
| 6. नागालैंड | 33.75 |
| 7. सिक्किम | 19·49 |
| 8. त्रिपुरा | 29·02 |

2. अन्य राज्य

| | |
|---|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 173·20 |
| 2. बिहार | 213·38 |
| 3. गुजरात | 102·14 |
| 4. हरियाणा | 46·06 |
| 5. कर्नाटक | 96·04 |
| 6. केरल | 75·25 |
| 7. मध्य प्रदेश | 161·30 |
| 8. महाराष्ट्र | 189·20 |
| 9. उड़ीसा | 136·90 |
| 10. पंजाब | 52·24 |
| 11. राजस्थान | 114·82 |
| 12. तमिलनाडु | 125·36 |
| 13. उत्तर प्रदेश | 347·53 |
| 14. पश्चिम बंगाल | 130·97 |

**त्रिपुरा में एक कागज मिल की स्थापना**

1120. **श्री चित्त बसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस के सहयोग से त्रिपुरा में एक कागज मिल की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो यह अभी किस चरण पर है, और

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क), (ख) तथा (ग) त्रिपुरा सरकार ने राज्य के बाँस के साधन के आधार पर कागज/लुगदी मिल स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने से पूर्व योजना की तकनीकी आर्थिक संभाव्यता का विस्तार से अध्ययन किया जाना है। परियोजना के वित्तीयन की विधि उचित समय पर निर्धारित की जायेगी।

**राज्यों के प्रबन्ध के संबंध में किया गया अध्ययन**

1121. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर के निदेशक द्वारा राज्यों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में किए गए उस अध्ययन के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है जो हाल ही में प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के निष्कर्ष क्या है; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है;

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) तथा (ख) सरकार ने "राजनैतिक प्रणालियों का प्रबन्ध" शीर्षक वाली संबद्ध पुस्तक देखी है जिसमें एक अध्याय राज्य

प्रणाली के प्रबन्ध विश्लेषण के सम्बन्ध में दिया गया है। इस अध्याय में लेखक ने अन्य बातों के साथ 10 नगर राज्यों सहित देश का 50 राज्यों में पुनर्गठन करने का सुझाव है।

(ग) सरकार का इस समय किसी राज्य पुनर्गठन का कोई विचार नहीं है।

**भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा में हुआ घाटा**

1122. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 दिसम्बर, 1977 को बड़ौदा स्थित भारी पानी परियोजना को कितना घाटा हुआ और इस संयंत्र की मरम्मत पर कितना धन व्यय किया गया और यह कब से चालू हो जाएगा ; और

(ख) उक्त परियोजना की स्थापना पर कितनी लागत आई ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) 3 दिसम्बर, 1977 को हुई दुर्घटना के कारण बड़ौदा स्थित भारी पानी संयंत्र की अनुमानत: 270 लाख रुपये की क्षति पहुँची है। इस संयंत्र की मरम्मत पर अब तक 110 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, स्थापना कार्यालय संबंधी आकस्मिक व्यय, उपयोगी सुविधाओं तथा सेवाओं पर 145 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

आशा है कि यह संयंत्र अप्रैल 1980 से फिर से उत्पादन करने लगेगा।

(ख) संयंत्र को स्थापित करने पर 34.17 करोड़ रुपये पूंजीगत लागत आई है।

**यूरेनियम आक्साइड पाउडर तैयार करने के लिए वैकल्पिक तरीका**

1123. **श्री दयाराम शाक्य** : **क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरेनियम आक्साइड पाउडर तैयार करने का वैकल्पिक तरीका निकालने हेतु यूरेनियम आक्साइड प्लांट के द्वारा परीक्षण किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सफलता प्राप्त हुई ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रायोगिक स्तर पर किए गए उत्पादक के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। आगे और अध्ययन किये जा रहे हैं।

**देश में दंगे**

1124. **श्री दयाराम शाक्य** : **क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन स्थानों पर दंगे हुए और 1 जनवरी, से 29 फरवरी, 1980 की अवधि के दौरान इन दंगों में कितने व्यक्ति मारे गए तथा घायल हुए; और

(ख) इन दंगों के क्या कारण हैं और सरकार ने हिंसा की प्रवृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं;

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल हर रख दी जाएगी।

(ख) मजदूर, छात्र, कृषक अशान्ति और साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय अथवा जात-पात की भावनायें, भूमि/सम्पत्ति विवादों अथवा अन्य विविध तत्वों जैसे विभिन्न कारणों से दंगे हो सकते हैं। राज्य सरकारें हिंसक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने और उन्हें दबाने के लिए उपयुक्त

उपाय करती हैं, फिर भी यदि इन उपायों के बावजूद हिंसा होती है, तो तुरन्त जांच पड़ताल, अभियोजन और सजायें स्वयं हिंसा की प्रवृत्ति के लिए निवारक उपाय का काम करती है

**महिला पुलिस कर्मचारी तैनात करके महिलाओं के साथ छेड़खानी के खिलाफ अभियान**

1125. **श्री दयाराम शाक्य:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामलों का पता लगाने के लिये महिला पुलिस कर्मचारियों को छात्राओं और काम-काजी महिलाओं की वेश-भूषा में बस स्टापों पर तैनात किया गया था और वे छेड़खानी करने वाले बहुत से व्यक्तियों और गुन्डों का पता लगाने और उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने में सफल हुई थीं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार गुंडागर्दी को खत्म करने के लिये दिल्ली में ऐसे और अधिक अभियान चलाने और अन्य बड़े शहरों में इसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिये राज्यों को सुझाव देने का है;

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा यह अभियान चुनिंदा तरीके से जारी रखा जा रहा है । अन्य राज्य इस तरीके को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं ।

**अर्थ व्यवस्था के विकास में जनता का सहयोग**

1126. **श्री के. कोडियन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न योजना दस्तावेजों में अर्थ-व्यवस्था के सुनियोजित विकास की प्रक्रिया में जनता के सहयोग को सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिए जाने के बावजूद प्राय: पंच वर्षीय योजनाओं का तैयार किया जाना और कार्यान्वियन केवल अफसरशाही के हाथों में रहा है;

(ख) अधिकतर क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में पंच वर्षीय योजनाओं को असफलता के लिए मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का पंचवर्षीय योजनाओं के तैयार करने एवं कार्यान्वयन में जनता के वास्तविक सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी)** : (क) पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में अधिकारी वर्ग को एक भूमिका निभानी होती है, फिर भी यह कहना सही नहीं है कि योजनाओं का निर्माण केवल अधिकारी वर्ग के अधिकार क्षेत्र में है । जिन सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया जाता है, वे राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त, पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए जो विभिन्न कार्यकारी दल बनाए जाते हैं उनमें गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल किए जाते हैं ।

(ख) योजना लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में अलग-अलग क्षेत्रों में पंचवर्षीय योजनाओं की मिश्रित उपलब्धि रही है । लक्ष्यों के प्राप्त न होने के जो कारण हैं वे अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हैं ।

(ग) देश की आयोजन प्रक्रिया में विकास योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वित के विभिन्न स्तरों पर लोगों को सहभागिता की परिकल्पना की गई है। बहु-स्तरीय योजना इस प्रक्रिया का एक अंग है जो स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों को आयोजन के कार्य से सम्बद्ध होने के अवसर प्राप्त कराने के उद्देश्य से बनाई जाती है।

**जिला उद्योग केन्द्रों में किया गया परिवर्तन और व्यय**

1127. **श्री पी.के. कोडियन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला उद्योग केन्द्रों को स्थापित किये जाने में अब तक कुल कितना व्यय किया गया है,

(ख) क्या सरकार का वर्तमान योजना में कोई परिवर्तन लाने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) केन्द्रीय सरकार के बजट में वर्ष 1978-79 तथा वर्ष 1979-80 की पहली दो तिमाहियों के दौरान जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना के लिये लगभग 3637.57 लाख रु० का कुल व्यय स्वीकृत किया गया है।

(ख) तथा (ग) सरकार विद्यमान योजना में कोई परिवर्तन करने से पहले उनके द्वारा अब तक किये गये कार्य के आधार पर जिला उद्योग केन्द्र के कार्यक्रम के संचालन की समीक्षा करना चाहती है।

**ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन कानपुर में घाटा**

1128. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** :

**श्री के. लकप्पा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन कानपुर में भारी घाटा होने के कारण 25,000 कर्मचारियों को छंटनी का खतरा पैदा हो गया है,

(ख) यदि हां, तो उक्त निगम की स्थिति में सुधार लाने के प्रयोजन से सरकार का विचार क्या द्रुत उपाय करने का है, और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त निगम को अपने अधिकार में लेने का है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चरनजीत चानना)** : (क) से (ग) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि०, कानपुर कपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीयत एक लिमिटेड कंपनी है और सरकार का इसके कार्यों पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण नहीं है। किन्तु सरकार तथा सरकारी वित्तीश संस्थानों के निगम में, काफी शेयर हैं। कारपोरेशन के कार्य इसके ज्ञापन और नियमावली के अनुसार गठित निदेशक मंडल (जिसमें उपर्युक्त शेयर-धारकों का प्रतिनिधित्व होता है) द्वारा चलाये जाते हैं। ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि० के प्रबन्ध वर्ग ने सूचित किया है कि ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन में 8247 कर्मचारी हैं और किसी कर्मचारी की छंटनी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार निगम की वर्तमान वित्तिय कठिनाइयों से अवगत है। निगम के प्रस्ताव पर सरकार ने सरकारी हित तथा समस्या के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को देखते हुए तत्काल अभ्युपाय के तौर पर निगम की कार्यकाकी पूंजी की तत्काल आवश्यकताओं के लिए 189 लाख रु० से अनधिक राशि की हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक को गारंटी दी है।

**हरिजनों पर अत्याचार के संबन्ध में सामाजिक-आर्थिक अध्ययन**

1129. **श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार का विचार देश में संघर्ष तथा सामाजिक तनाव के न्युनतम करने के प्रयोजन से, हरिजनों पर किये जा रहे अत्याचारों के संदर्भ में एक सामाजिक आर्थिक अध्ययन करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) सरकार को अनुसूचित जातियों के सदस्यों पर किए जाने वाले अत्याचारों के पीछे सामाजिक आर्थिक कारणों की जानकारी है। अतः सरकार अनुसूचित जाति के सदस्यों का आर्थिक विकास इस प्रकार से करने के लिए सभी उपाय कर रही है कि उन्हें अपनी मूल सामाजिक, कानूनी और मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए मजबूत आधार प्रदान हो सके।

**देश में अविकसित क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन**

1130. **अमर राय प्रधान : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश में अविकसित क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख) योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री बी. शिवरामन् की अध्यक्षता में पिछड़े क्षेत्रों के विकास से संबधित राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। इस समिति से संबंधित संकल्प और इसके विचारार्थ विषयों की प्रतिलिपि संलग्न है। (ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल टी 614/80)

**दो पहियों वाले स्कूटरों की कमी**

1131 **श्री जी वाई० कृष्णन : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दो पहियों वाले स्कूटरों की विभिन्न किस्मों की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में दो पहियों वाले स्कूटरों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न किस्मों के कितने स्कूटरों का उत्पान हुआ; और

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) देश में दो पहियों वाले स्कूटरों की वर्तमान माँग 225,000 नग होने का अनुमान लगाया गया है और 1982-83 तक मांग बढ़ कर 395,000 नग तक होने की आशा है।

(ख) यद्यपि बजाज और प्रिया स्कूटरों जो ग्राहकों द्वारा अधिक पसन्द किये जाते हैं, की सप्लाई कम है लेकिन अन्य मेक के स्कूटर आसानी से उपलब्ध हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में मे० बजाज आटो

लिमिटेड की क्षमता को 86,000 नग से 160,000 नग तक बढ़ाना और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पुन: स्थापन तथा आधुनिकीकरण हेतु सरकारी क्षेत्र के उद्यम स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को धन का प्रावधान करना सम्मिलित है ।

**विवरण**

| क्रमांक | फर्म का नाम | स्कूटरों का मेक | 1976-77 | 1977-78 | 1978-79 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | में उत्पादन (नगों में) | |
| | **गैर-सरकारी क्षेत्र** | | | | |
| 1. | बजाज आटो लिमिटेड पूना | बजाज सुपर | 85134 | 84134 | 81422 |
| 2. | आटोमोबाइल प्रोडेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, बम्बई | लैम्बी | 32704 | 20474 | 26844 |
| 3. | एस्कार्टस लिमिटेड, फरीदाबाद | राजदूत | 676 | 676 | 221 |
| | **सरकारी/राज्यक्षेत्र के उपक्रम** | | | | |
| 4. | स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ | विजय सुपर | 24358 | 16717 | 23101 |
| 5 | अरावली स्वचालित वाहन लि०, जयपुर | | — | 965 | 424 |
| 6. | आंध्र प्रदेश स्कूटर्स लिमिटेड, | आल्विन पुष्पक | 5173 | 8133 | 10265 |
| 7. | पंजाब स्कूटर्स लिमिटेड, | केसरी विजय | — | 2573 | 1666 |
| 8. | कर्नाटक स्कूटर्स | फाल्कन 150 | 542 | 3523 | 3690 |
| 9. | बिहार औद्योगिक विकास निगम लि० | | — | 75 | — |
| 10. | पश्चिम बंगाल स्कूटर्स लिमिटेड | | — | 610 | — |
| 11. | महाराष्ट्र स्कूटर्स | प्रिया | 8541 | 27382 | 27279 |
| 12. | गुजरात लघु उद्योग लिमिटेड | गिरनार | 204 | 222 | 291 |
| | | | 1,57,132 | 1,66,484 | 1,75,203 |

**कपड़े की कुछ किस्मों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध**

1132. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों द्वारा उत्पादित कपड़े की किस्मों की संख्या सीमित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) और (ख) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

**पश्चिम बंगाल की वार्षिक योजना का आकार**

1133. **श्री चित्त महाटा** :

**श्री अमर राय प्रधान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार वर्ष 1980-81 के लिए पश्चिम बंगाल की वार्षिक योजना का आकार क्या है;

(ख) उस राज्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक योजना का आकार क्या है; और

(ग) क्या उन दोनों में कोई अन्तर है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) 592 80. करोड़ रु०

(ख) योजना आयोग में हुए विचार-विमर्श के अनुसार पश्चिम बंगाल की योजना का आकार 554.14 करोड़ रु० है।

(ग) जी, हाँ। अन्तर 38.66 करोड़ रु० का है। यह अन्तर इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल द्वारा प्रस्तावित योजना की राशि योजना की वित्त-व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से अधिक है।

**परमाणु के क्षेत्र में आत्मनिर्भता**

1134. **श्री चित्त महाटा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने परमाणु के क्षेत्र में अन्तिम निर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) तथा (ख) सरकार की नीति यह है कि अन्य अनेक क्षेत्रों की भाँति परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भता प्राप्त की जाए। इस नीति को अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से अनेक प्रकार से कार्यान्वित किया जाता है। इस सम्बन्ध में किसी विशेष योजना का उल्लेख करना संभव नहीं है।

**सीमेंट की मांग और उसका उत्पादन**

1135. **श्री चित्त महाटा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में गत एक वर्ष में सीमेंट का वास्तविक उत्पादन और उसकी माँग कितनी थी।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री चरनजीत चानना)** : वर्ष 1978-79 में देश में सीमेंट का उत्पादन तथा उसकी अनुमानित मांग क्रमश: 194.2 लाख मी० टन तथा 240.0 लाख मी० टन रही है।

**नारायणपुर तथा पारसवीघा घटनाओं की जांच**

1136. **श्री निहाल सिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के लिए देवरिया में नारायणपुर तथा बिहार में पारसवीघा, आदि की घटनाओं की जाँच में क्या प्रगति हुई है,

(ख) अब तक कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाई की गई है तथा उक्त कार्रवाई का ब्यौरा क्या है, और

(ग) जाँच कब तक पूरी कर ली जायेगी,

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क), (ख) और (ग) : नारायणपुर : पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध 5 मामले दर्ज किए गए हैं और उत्तर प्रदेश सी० आई० डी० द्वारा उनकी जाँच की जा रही है। तीन पुलिस अभियुक्त कर्मचारी 4.3.80 को

न्यायालय में उपस्थित हुए थे और उन्हें जमानत पर छोड़ा गया था। आशा है इन मामलों की जांच शीघ्र ही पूरी हो जाएगी।

इस घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जाँच आयोग नियुक्त किया है और जाँच पूरी करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।

गोरखपुर के पुलिस उप महा निरीक्षक तथा देवरिया के पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया था। कप्तान गंज तथा हाटा पुलिस थानों के थानेदारों को निलंबित कर दिया गया था और इन दो थानों के सभी पुलिस कर्मचारियों का तबादला करके बाहर भेज दिया गया था।

**पारसबीघा :** 38 अभियुक्त व्यक्तियों को या तो गिरफ्तार किया गया है या उन्होंने न्यायालय में आत्म समर्पण किया है। 17 फरार अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। इन मामलों में आरोप पत्र सम्भवत: एक सप्ताह में प्रस्तुत किये जायेंगे।

मगध क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक, गया के जिला मजिस्ट्रट तथा पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद के सब डिवीजन अधिकारी तथा पुलिस सहायक अधीक्षक का स्थानान्तरण किया गया है। राजस्व बोर्ड का एक सदस्य इस घटना के सम्बन्ध में कथित प्रशासनिक गलतियों की जाँच कर रहा है।

**भारतीय सांख्यिकी सेवा में ग्रेड IV में रिक्त पदों का भरना**

1137. **श्री चन्द्रभालमणि तिवारी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार में कितने रिक्त पदों को फीडर सर्विस आफिसर्स को पदोन्नत करके भरने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि चयन सूची तैयार करने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा संकलित की जा रही संयुक्त वरीयता सूची में विभिन्न विभागों में इन पदों पर नियुक्ति सभी अधिकारियों के साथ, वरीयता सूची में उनको स्थान देने के मामले में, एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन पदों का मंत्रालयवार ब्यौरा क्या है जिनको अन्यों की तुलना में वरीयता दी जा रही है तथा इन पात्र पदाधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया) :** (क) भारतीय सांख्यिकी सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार फीडर पदों के रूप में मान्य पदों के पदाधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भारतीय साँख्यिकी सेवा के ग्रेड IV में 20 रिक्तयों को भरने का प्रस्ताव है।

(ख), (ग) तथा (घ), वे पद, जिन्हें भारतीय साँख्यिकी सेवा के ग्रेड IV के फीडर पदों के रूप में मान्यता दी गई है, मोटे तौर पर उनसे सम्बन्ध वेतनमानों के आधार पर दो अलग अलग प्रवर्गों में आते हैं; अर्थात (1) वे, जो रु० 650-1200/- के वेतनमान में हैं; और (2) वे जो रु0 550-900 के वेतनमान में हैं। ऐसे व्यक्ति जो रु० 650-1200/- के उच्चतर वेतनमान के पदों पर हैं, निश्चित रूप से उन व्यक्तियों की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, जो रु० 550-900/- के निम्नतर वेतनमान के पदों पर कार्य कर

रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिन कार्यालयों में दोनों ग्रेड विद्यमान है, वहां रु० 500-900/- के वेतनमान के निम्नतर पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए रु० 650-1200/- के वेतमान में पदोन्नति का नियमित मार्ग (लाइन) है। अत: उच्चतर पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को उन व्यक्तियों से वरिष्ठ समझना होगा जो नियमित आधार पर निम्नतर पदों पर काम कर रहे हैं। इसलिए रु० 550-900/- के वेतनमान में फीडर पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों को रु० 650-1200/- के उच्चतर वेतनमान में कार्य करने वाले व्यक्तियों के बराबर समझे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रु० 650-1200/-के वेतनमान वाले 20 पद हैं, जिन्हें निम्नतर प्रवर्ग के 321 फीडर पदों की तुलना में उच्च पद समझा जाता है। रु० 650-1200/- के उच्चतर वेतनमान में पदों के मंत्रालय वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

| क्रम संख्या | मंत्रालय/विभाग का नाम | पद का नाम | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय | सांख्यिकीविद् भारत का नृवेज्ञानिक सर्वेक्षण | 2 |
| 2. | राजस्व विभाग | सहायक सांख्यिकीविद् निरीक्षण निदेशालय | 1 |
| 3. | कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय | मार्केट आसूचना अधिकारी | 1 |
| 4. | कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय | सांख्यिकी अधिकारी. विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय | 1 |
| 5. | सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय | सांख्यिकी अधिकारी, आकाशवाणी महानिदेशालय | 1 |
| 6. | सिंचाई विभाग | सहायक अनुसन्धान अधिकारी, गंगा-बेसिन संगठन | 1 |
| 7. | सिंचाई विभाग | अतिरिक्त सहायक निदेशक, सिन्धु जल संगठन | 1 |
| 8. | यथोपरि | अरिक्त-सहायक निदेशक (सांख्यकी) केन्द्रीय जल आयोग | 2 |
| 9. | यथोपरि | सहायक अनुसंधान अधिकारी (सांख्यिकी) केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे । | 2 |
| 10. | खान विभाग | खनिज अधिकारी (सांख्यिकी), भारतीय खान व्यूरो नागपुर। | 8 |
| | | | 20 |

**पिपरा गाँव, पटना पर हुए आक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास**

1138. **श्री तारिका अनवर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि पिपरा गांव पर आक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों का तेजी से पुनर्वास हो;

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : पीड़ितों में उचित रूप से बाँटने के लिये प्रधान मंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पिपरा हत्याकांड के पीड़ितों के लिए उनके द्वारा राहत उपायों की व्यवस्था की गई

है । एक सप्ताह के निशुल्क राशन, कपड़ों और कम्बलों के अतिरिक्त निम्नलिखित अनुग्रहपूर्वक अनुदान स्वीकृत किए गए थे :

(क) मृतकों के परिवारों और घटना में घायल दो व्यक्तियों के लिए कुल 35,000 रु० पैंतीस हजार रुपए ।

(ख) प्रत्येक प्रभावित परिवार को 200/-(दो सौ रुपये) की दर से नकद भुगतान ।

(ग) आग में नष्ट हुई प्रति भैंस 1,500/-रुपये (एक हजार पाँच सौ रुपए) और प्रति बकरी 150/-रुपए (एक सौ पचास रुपए) आग में नष्ट हुए मुर्गियों के लिए मंडलीय आयुक्त को आवश्यक अनुदान देने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

(घ) प्रत्येक प्रभावित परिवारों को 100 रुपए (सौ रुपये) के मूल्य के बर्तन ।

(ङ) क्षतिग्रस्त मकानों का सरकारी खर्चे पर छप्पर की छतों के बजाय टाइल की छतों द्वारा पुनर्निर्माण किया जा रहा है ।

(ङ) मंडलीय आयुक्तों से प्रत्येक प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की एक योजना तुरन्त तैयार करने और प्रधान मन्त्री राहत कोष से स्वीकृत 2 लाख रुपए के अनुदान से इस गाँव में विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है ।

2. गाँव में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है । प्रत्येक मजदूर को प्रतिदिन 4 किलोग्राम गेहूँ दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त कुटीर उद्योगों आदि में अन्य लाभपूर्ण रोजगार प्रदान करने के लिये एक योजना आरम्भ की जा रही है ।

**एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए स्वचालित संगणक**

1139. **श्री के० मालन्ना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय वैज्ञानिक एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद का कार्य करने के लिए एक स्वचालित संगणक बना रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रयासों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सफलता कहाँ तक मिली है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) देश के विभिन्न अनुसंधान तथा शैक्षणिक संस्थानों के वैज्ञानिक वर्तमान कम्प्यूटरों का उपयोग करते हुए एक भाषा से दूसरी भाषा में मशीनी अनुवाद करने की कार्य-प्रणाली विकसित कर रहे हैं और वे इन कार्यविधियों का सम्पादन पहले और बाद में करते हैं ।

**सरकारी उपक्रमों में हानि**

1140. **श्री के० मालन्ना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन किन-किन सरकारी उपक्रमों को हानि हो रही है,

(ख) यह हानि कब से हो रही है, और

(ग) हानि का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**वैज्ञानिकों की कमी**

114'. **श्री के. मालन्ना :**

**श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार, डा० राजा रमन्ना ने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्रति प्रतिभावान व्यक्तियों के झुकाव पर रोक नहीं लगाई गई तो 15 वर्षों में देश में वैज्ञानिकों की भारी कमी हो जायेगी,

(ख) क्या उन्होंने देश में वैज्ञानिकों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसरों के अभाव तथा भारतीय वैज्ञानिकों की उपेक्षा कर तकनीकी जानकारी का आयात करने की प्रवृत्ति के कारण गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाने के बारे में चेतावनी दी है,

(ग) यदि हां, तो उन्होंने सरकार को क्या-क्या सुझाव दिए हैं, और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख) सरकार ने समाचार पत्रों में डा० राजा रमन्न के इन विचारों के बारे में रिपोर्टें देखी है।

(ग) इस बारे में सरकार को कोई विशिष्ट सुझाव नहीं प्राप्त हुए हैं।

(घ) सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जनशक्ति के निर्माण, नियोजन और उपयोगीकरण से सम्बन्धित समस्याओं के प्रति जागरूक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने विज्ञान शिक्षा के मुद्दे पर और आजीविका (कैरियर) के रूप में विज्ञान को और अधिक आकर्षक बनाने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया है। विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मानव शक्ति से सबम्न्धित विभिन्न पहलुओं पर इंस्टीट्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च के माध्यम से एक समेकित अध्ययन कराया है। शिक्षा संस्थाओं, अनुसंधान और विकास स्थापनाओं और औद्योगिक उपक्रमों के सहयोग से इस अध्ययन निष्कर्षों पर छः क्षेत्रीय कार्य-शालाओं में चर्चा की जा रही है। इनमें से पाँच कार्यशालाओं का अब तक आयोजन किया जा चुका है। इन समस्याओं का विश्लेषण करने और उनके बारे में समाधानों के निर्धारण के लिए एक दल की स्थापना की गई है जिन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

वर्तमान सरकार की इस बारे में नीति उसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप होगी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को दृढ़ किया जायेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जायेंगे कि अनुसंधान और विकास को राष्ट्रीय प्रयास के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इनका उपयुक्त स्थान प्राप्त हो।

**बस्ती जनपद में कागज बनवाने का कारखाना स्थापित करना।**

1142. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या बस्ती जनपद में कागज बनाने के लिये कच्ची सामग्री उपलब्ध है और इस जिले में पेपर मिल स्थापित करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव काफी लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो सरकार वहां किस समय तक सरकारी क्षेत्र में एक पेपर मिल की स्थापना करेगी, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि बस्ती जनपद देश का पिछड़ा जिला है और उस जिले में मुश्किल से ही कोई ऐसा उद्योग है, जो उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को समाप्त कर सके ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) और (ख) हाल ही में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 8200 मीट्रिक लिखाई एवं छपाई का कागज बनाने के लिये एक नया प्रस्ताव मिला है। बस्ती जिले में सरकारी क्षेत्र में एक कागज मिल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस क्षेत्र में केवल कृषीय छीजन पर आधारित छोटे-छोटे कागज मिलों की स्थापना हो सकती है।

(ग) बस्ती जिले को रियायती दर पर वित्तीय सुविधा तथा केन्द्रीय निवेश राजसहायता के लिये प्राप्त औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया गया है। अक्तूबर, 1970 से लेकर 30 जून, 1978 की अवधि में केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बस्ती जिले में स्थापित किये गये थे। औद्योगिक एककों को राजसहायता वितरित की गई है।

**केन्द्रीय सतर्कता आयोग दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों की जाँच**

1143. **श्री निहाल सिंह** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के विरुद्ध कितने मामलों की जाँच केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशक द्वारा की जा रही है तथा ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनकी 1979 से जाँच की जा रही है तथा यद्यपि उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध हो गये थे किन्तु उन्हें सेवा से नहीं हटाया गया; और

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के कुछ व्यक्तियों ने जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर रोजगार प्राप्त किया है तथा उन्हीं कर्मचारियों को विभागीय कदाचारों के मामले में दोषी पाया गया किन्तु उनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम में दो मामले हैं जिनमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों पर विभागीय जांच आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऐसे मामलों की संख्या दो है जिनके लिए विभागीय जाँच आयुक्त किया गया है। ऐसे मामलों की संख्या दो है जिनके लिए दिल्ली प्रशासन में जाँच के लिए विभागीय जाँच आयुक्त नियुक्त किए गए हैं।

इन मामलों में से केवल एक मामला दिल्ली प्रशासन के सम्बन्ध में 1979 के पूर्व की अवधि का है। अन्य तीन मामले 1979 में प्रारम्भ किए गए हैं।

दिल्ली प्रशासन के सम्बन्ध में तीन मामले हैं जहाँ आरोप सिद्ध होने के बाद भी अधिकारियों को सेवा से नहीं निकाला गया है। इन मामलों में से दो में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा रिट याचिका प्रस्तुत किए जाने पर वे निर्णयाधीन हैं। तीसरा मामला गृह मंत्रालय में विचाराधीन है।

एक सहायक अध्यापक द्वारा जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नियुक्त होने की शिकायत के एक मामले की जाँच दिल्ली नगर निगम का सतर्कता विभाग कर रहा है। एक स्कूल इंसपेक्टर के विरुद्ध अन्य शिकायत जिसमें स्थानान्तरण के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है उस पर दिल्ली नगर निगम जाँच कर रहा है और जांच की जा रही है कि क्या स्कूल इंसपैक्टर जाली प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त किया गया था।

**"साफ्टवेयर" के निर्यात के बदले में संगणकों का आयात**

1144. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी विभाग ने साफ्ट वेयर के निर्यात के बदले में संगणकों के आयात की अनुमति देने की योजना को स्थगित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) तथा (ख) इस योजना पुनरीक्षण होने तक, आयात सम्बन्धी अनुमोदनों को रोक रखा गया है।

**केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड की महासभा की वार्षिक बैठक**

1145. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली की महासभा की वार्षिक बैठक अभी तक नहीं की गई है;

(ख) क्या केवल निदेशकों का चुनाव करने के लिए बुलाई गई महासभा की विशेष बैठक 10 दिसम्बर, 1979 को होनी थी परन्तु उसे बाद में चुनाव अधिकार द्वारा रद्द कर दिया गया था ;

(ग) क्या चुनाव अधिकारी बैठक को रद्द करने के लिए सक्षम अधिकारी था ;

(घ) क्या निदेशकों के बोर्ड ने केवल महासभा की विशेष बैठक बुलाने और चुनाव करवाने तथा किसी अन्य कार्य को न किये जाने का निर्णय किया था; और

(ङ) क्या समिति की महासभा की विशेष बैठक में प्रतिनिधियों को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दी गई थी ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)** : (क) वर्ष की पहली जुलाई से 30 जून तक सहकारी समितियों के लिए सहकारी वर्ष माना जाता है। पिछले सहकारी वर्ष 1978-79 के दौरान, पिछली महासभा की वार्षिक बैठक 30 मई, 1979 को हुई थी। समिति के निदेशकों के बोर्ड के 8 निदेशकों के पदों का चुनाव कराने के लिए महासभा की एक बैठक 7 मार्च, 1980 को हुई थी। महासभा की एक बैठक चालू सहकारी वर्ष समाप्त होने से पहले होने की आशा है।

(ख) तथा (ग) चुनाव कराने के लिए एक महा सभा की विशेष बैठक 10 दिसम्बर, 1979 को होनी निश्चित हुई थी, परन्तु सहकारी समिति दिल्ली के पंजीयक (रजिस्ट्रार) को लिखे गए एक प्रतिनिधि की शिकायत प्राप्त होने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था।

(घ) जी हां, श्रीमान्।

(ङ) जी हां, श्रीमान्।

**कागज की कमी और मूल्य वृद्धि**

1146. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कागज की अत्यधिक कमी और इसके मूल्यों में हो रही वृद्धि की जानकारी है,

(ख) क्या सरकार उचित मूल्य पर कागज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये इसका आयात करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) से (ग) वर्ष 1978-79 में सरकार को लिखाई एव छपाई के कागज की कमी इसकी कीमतों में वृद्धि होने के बारे में कुछ रिपोर्टें मिली थी। मुद्रकों, प्रकाशकों एवं अन्य उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिखाई एवं छपाई का कागज आयात करने का निर्णय लिया गया था। लिखाई एवं छपाई का 54,000 मी० टन की मात्रा का आयात करने हेतु संविदा की गई थी जिसमें से 24,000 मी० टन जहाज द्वारा भेजा जा चुका है। आयातित कागज का वितरण हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की विपणन व्यवस्था के माध्यम से किया जा रहा है। कागज की उपलब्धता में वृद्धि हो जाने से बाजार कीमतों में गिरावट होने का पता चला है।

**रक्षा कर्मचारियों में असन्तोष**

1147. **श्री के. ए. राजन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अगस्त, 1979 में रक्षा मंत्रालय और रक्षा कर्मचारी संघ के बीच हुए समझौतों के कार्यान्वयन में विलंब के कारण रक्षा कर्मचारियों में व्यापक असंतोष व्याप्त है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रक्षा कर्मचारियों ने वेतन-मानों के मामले में रेल कर्मचारियों के साथ समानता के बारे में ओबराय समिति प्रतिवेदन के तत्काल कार्यान्वयन की मांग के पक्ष में आन्दोलन शुरू करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह)** : (क) सरकार को एसी कोई जानकारी नहीं है कि रक्षा कर्मचारियों में व्यापक असंतोष है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार को ऐसी किसी कार्रवाई की जानकारी नहीं है। समिति की रिपोर्ट सरकार को 8 फरवरी 1980 को ही प्राप्त हुई है। समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई शीघ्र की जा रही है।

**गुजरात को योजना परिव्यय का अनुमोदन**

1148. **श्री अहमद एम. पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के लिये वर्ष 1980-81 को योजना परिव्यय का अनुमोदन कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) प्रत्येक क्षेत्र के लिये कितनी राशि प्रदान की गई है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, हां ।

(ख) 50250 करोड़ रु० ।

(ग) विकास के प्रमुख शीर्षों के अनुसार क्षेत्रकीय आंकड़ों का विवरण संलग्न है ।

**विवरण**

(करोड़ रु०)

| विकास का शीर्ष | अनुमोदित परिव्यय |
|---|---|
| कृषि और सम्बद्ध सेवाएं | 74.46 |
| सहकारिता | 5.81 |
| सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण | 126.09 |
| विद्युत् | 110.00 |
| उद्योग और खनिज | 28·43 |
| परिवहन और संचार | 49.40 |
| शिक्षा | 8.45 |
| स्वास्थ्य | 11.20 |
| जल व्यवस्था और जलपूर्ति | 19.40 |
| आवास, शहरी विकास और राज्य राजधानी परियोजना | 23.20 |
| पिछड़े वर्गों का कल्याण | 11.80 |
| अन्य | 6.26 |
| विकेन्द्रित जिला आयोजन | 28.00 |
| जोड़ | 502.50 |

**भारत में आत्म हत्यायें**

1149. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 1979 में हुई आत्म हत्याओं की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने (एक) 20 वर्ष से कम आयु के बच्चे (दो) कितनी महिलायें तथा (तीन) कितने पुरुष थे;

(ग) उपरोक्त में से (एक) डूबकर, (दो) आग से, (तीन) फांसी लगाकर, (चार) अग्नेय अस्त्रों से और (पाँच) जहर अथवा रसायनिक पदार्थों के कारण हुई मौतों की संख्या कितनी-कितनी थी; और

(घ) क्या सरकार ने आत्म हत्याओं के कारणों की जांच कर ली है;

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जायेगा ।

**केलविनेटर्स द्वारा थर्मोस्टैट्स का विनिर्माण**

1150. **डा. वसन्त कुमार पंडित** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थर्मोस्टैट्स बनाने का कोई लाइसेंस केलविनेटर्स के पक्ष में मंजूर किया गया है,

(ख) यदि हां, तो कब और कितनी क्षमता के लिए,

(ग) अन्य कितने औद्योगिक एकक भारत में पहले से ही थर्मोस्टैटस का उत्पादन कर रहे हैं; और

(घ) भारत में थर्मोस्टैट्स की कुल मांग कितनी है और उत्पादन कर रहे एककों की उत्पादन क्षमता क्या है;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) तथा (ख) जी, नहीं । किन्तु, कैप्टिव आवश्यकता को पूरा करने के लिए थर्मोस्टेट्टस का निर्माण करने के लिए कोई लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है ।

(ग) तथा (घ) देश में थर्मोस्टेटस बनाने वाले 3 एकक हैं । वर्ष 1979-80 के लिए 3.5 लाख थर्मोस्टेटस की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है, वर्ष 1982-83 तक इसके बढ़कर 6 लाख संख्या तक ही जाने की आशा हैं । सँगठित क्षेत्र के दो एककों की लाइसेंसीकृत/पंजीकृत क्षमता 4,40,000 संख्या है जिसमें अभी कार्यान्वित की जाने वाली 2 लाख संख्या की क्षमता भी शामिल है । वर्ष 1979 में इन दो एककों का उत्पादन 2.51 लाख सख्या था । लघु क्षेत्र के एकक की क्षमता का अनुमान 2 लाख संख्या लगाया है और वर्ष 1979 में इसका उत्पादन 82,000 संख्या में हुआ बताया गया है ।

**पिपरा गांव में प्रभावित व्यक्तियों को एक ही स्थान पर बुसाया जाना**

1151. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त अन्य कार्यवाही की है कि पिपरा गाँव में प्रभावित व्यक्तियों को एक ही स्थान पर बसाया जाये और उन्हें जमींदारों की जमीन पर से होते हुए न जाना पड़े जो कि दो समुदायों के बीच झगड़े की मुख्य जड़ है;

(ख) क्या उन लोगों के परिवारों को पूरा मुआवजा देने के लिये कार्यवाही की गई है जो मारे गये थे;

(ग) क्या सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश में एसे क्षेत्रों का पता लगाया है जहाँ इसी प्रकार का तनाव है ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की कार्यवाही करने पर विचार हो रहा है;

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) (ख) (ग) और (घ) : बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

**जूट विनिर्माताओं के लाभांश और मूल्य**

1152. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट विनिर्माताओं के लाभांशों और मूल्यों में वर्ष 1979-80 के दौरान काफी चढ़ाव आया है,

(ख) क्या इसी अवधि के दौरान उत्पादकों को दिये गये कच्चे जूट की कीमतों में कमी आई थी जिसके कारण उनमें काफी असन्तोष उत्पन्न हो गया था, और

(ग) क्या भारतीय जूट निगम के कार्य संचालन की निरन्तर असफलता को देखते हुए कच्चे जूट को लाभप्रद मूल्यों पर प्राप्त करने हेतु एकाधिकार खरीद व्यवस्था को लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) जी हां।

(ख) पिछले वर्ष की फसल से कच्चे जूट के पर्याप्त मण्डार होने तथा चालू वर्ष में अच्छी फसल होने के कारण कच्चे जूट के मूल्यों में कमी आई है। किन्तु उत्पादकों पर कम मूल्यों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय जूट निगम ने कच्चे जूट की 8.42 लाख गाठें खरीदी हैं।

(ग) इस ससय ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**बाडमेर जिले के मीलहरी गांव में अधिग्रहीत भूमि के लिये मुआवजा**

1153. **श्री विरधी चन्द जैन : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा विभाग ने सैनिकों के मकान तथा प्रशिक्षण केन्द्र भवन के निर्माण के लिये राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले के मीलहरी गाँव में खसरा संख्या 34 तथा खसरा संख्या 76 के अधीन 133.20 एकड़ खातेदारी भूमि का वर्ष 1975 में अधिग्रहण किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त भूमि से निकाले गये भू-स्वामियों द्वारा बार-बार दावा किये जाने और राज्य के राजस्व विभाग द्वारा रक्षा विभाग का ध्यान बार-बार आकर्षित किये जाने के बावजूद भी रक्षा विभाग ने इन लोगों को कोई मुआवजा अदा नहीं किया है; और यदि हाँ, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं और इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं; और

(ग) उक्त खातेदारी भूमि के लिये आवश्यक मुआयजा सही सही किस तारीख तक भू-स्वामियों को अदा कर दिया जायेगा ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.पी.एन. सिंह)** : (क) से (ग) मार्च, 1976 में बाड़मेर जले के मीठरी खुर्द गाँव में 133.20 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी। आर. ए- आई. पी. ऐक्ट के अधीन अधिग्रहीत भूमि प्राप्त करने के लिए सरकारी मंजूरी दिसम्बर, 1977 में दी गई थी। उक्त भूमि अभी तक अर्जित नहीं की गई है।

2. यद्यपि भूमि का अर्जन किया जाना अभी बाकी है, लेकिन भूमि के स्वामी जनवरी, 1976 में भूमि अधिग्रहण के बाद से आवर्ती मुआवजों के हकदार हैं। यह आवर्ती मुआवजा अभी तक अदा नहीं किया गया है। उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्रधिकारी, बाड़मेर के कलक्टर ने नवम्बर, 1976 में आवर्ती मुआवजे का निर्धारण किया था. परन्तु सैनिक सम्पदा अधिकारी,

जयपुर और निदेशक, रक्षा भूमि और छावनियां, दक्षिणी कमान ने कलक्टर द्वारा निर्धारित मुआवजे को अत्यधिक पाया। कलक्टर द्वारा निर्धारित की गई लागत और स्थानीय रक्षा भूमि और छावनी प्रधिकारियों द्वारा उचित समझी गई लागत के बीच का यह अन्तर कलक्टर तथा रक्षा भूमि और छावनी प्राधिकारियों के बीच विचार-विमर्श और पत्राचार का विषय रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आवर्ती मुआवजे के भुगतान में विलम्ब हुआ है। माननीय सदस्य के साथ-साथ सरकार को भी इस विलम्ब के लिए चिंता है। मामले के ब्यौरा मंत्रालय को प्राप्त हो गए हैं। वित्त (रक्षा) मंत्रालय के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद उचित मुआवजा तय किया गया है और इस संबंध में भुगतान करने के लिए कलक्टर को आदेश भेजे जा रहे हैं।

**हथकरघा उद्योग में कारघों की संख्या**

1154. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार, हथकरघा उद्योग में करघों की संख्या क्या है;

(ख) इस समय इस उद्योग में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं;

(ग) सरकार ने इस उद्योग को क्या रियायत दी है; और

(घ) उनको कच्चे माल देने और तैयार माल खरीदने के लिये क्या व्यवस्था की गई है;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) देश में कुल हथकरघों की राज्यवार सख्या संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ख) इस समय इस उद्योग में लगे लोगों की संख्या 67 लाख है।

(ग) हथकरघों में स्लेनी रील हेंक यार्न के रूप में उपयोग में आने वाले धागे को पूर्णतया उत्पादन शुल्क से छूट दे दी गई है। दोहरे हेंक क्रास रील यार्न के सम्बन्ध में हथकरघा बुनकर समितियों तथा हथकरघा विकास नियमों द्वारा खरीदे गये यार्न पर रियायती दर से शुल्क लगता है। प्रोसेसिंग के सम्बन्ध में हथकरघे के कपड़े पर भी कुछेक रियायतें मिलती हैं। हथकरघा विकास नियमों तथा सहकारी समितियों के स्वामित्व वाली प्रोसेसिंग फैक्ट्रीयों में जब हथकरघा पर बने कपड़े की प्रोसेसिंग होती है तो उस पर उत्पादन शुल्क से पूर्णतया छूट दे दी जाती हैं। इसके अलावा हथकरघे के कपड़े की जब स्वतंत्र प्रोसेसरों के एककों में प्रोसेसिंग होती है तो उन पर रियायती दर से 60 प्रतिशत का शुल्क लगा करता है। जब स्वतंत्र प्रोसेसरों के एककों में हेक यार्न की और भी प्रासेसिंग की जाती है तो भी हेंक यार्न के लिए छूट दे दी जाती है।

2. कर सम्बन्धी इन रियायत के अलावा भारत सरकार हथकरघा का विकास करने हेतु निम्न प्रकार से भी सहायता प्रदान करती है :

(i) प्रत्येक बुनकर को सूती हथकरघे के बारे में 180 रुपये तक, रेशमी हथकरघे के बारे में 225 रुपये तक तथा बुनकर सहकारी समितियों से शेयर लेने के लिये राज्य सरकारों के जरिये ऋण-सहायता दी जाती है। राज्य सरकारों को भी बुनकर सहकारी समितियों की शेयर पूंजी में हिस्सा लेने के लिये और उन्हें सुदृढ़ बनाने हेतु सहायता दी जाती है। इन शीर्षों के अंतर्गत अब तक कुल मिलाकर 5.77 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

(ii) राज्य सरकारों को हथकरघा बुनकरों की शीर्ष समितियों की शेयर पूंजी में हिस्सा लेने तथा हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को विपणन सम्बन्धी समर्थन देकर उन्हें सुदृढ़

बनाने हेतु भी सहायता दी जाती है। उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करने तथा सहकारी क्षेत्र के बाहर बुनकरों को विपणन सहायता देने के लिए भी इसी प्रकार की सहायता दी जाती है।

(iii) हथकरघे पूर्व तथा हथकरघा पश्चात् दोनों ही के बारे में प्रासेसिंग सुविधाओं की स्थापना करने के लिए हथकरघा विकास निगमों तथा हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस शीर्ष के अंतर्गत अब तक कुल 624·82 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

(iv) देश के भिन्न-भिन्न भागों में हथकरघों पर बने माल की बिक्री बढ़ाने तथा हथकरघों पर बने माल के सम्बन्ध में जनचेतना में सुधार करने के लिए राष्ट्र स्तर के मेलों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है।

(v) हथकरघे के माल की बिक्री बढ़ाने के लिए एक वर्ष में 30 दिनों के लिए व राष्ट्र स्तर के मेलों तथा प्रदर्शिनयों के दौरान 20 प्रतिशत की विशेष रिबेट योजना की घोषणा की जाती है।

(घ) हथकरघा क्षेत्र को यार्न की सप्लाई करने हेतु कैपटिव क्षमता का सृजन करने के लिए सहकारी क्षेत्र में कताई मिलों की स्थापना करने हेतु एन.सी.डी.सी. के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों को सहायता दी जाती है। 13 मिलों का विस्तार करने व मिलों का आधुनिकीकरण करने तथा 6 मिलों की स्थापना करने के लिए इस सम्बन्ध में दी गई कुल सहायता 8.20 करोड़ रुपये हैं।

बिचौलियों की भूमिकाओं को दूर करने की दृष्टि से प्रतिमास बाजार में प्रचलित मूल्यों पर विभिन्न राज्य सरकारों के अभिकरणों को 23 हजार सूती यार्न की गाँठों की सप्लाई करने के लिए आई. सी. एम. एफ. के साथ व्यवस्था की गई है।

विपणन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा सीधे ही हथकरघे का कोई भी माल नहीं खरीदा जाता है। फिर भी जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है शीर्षस्थ विपणन समितियों की शेयर पूंजी को सुदृढ़ करने तथा हथकरघा विकास नियमों को उनके द्वारा बुनकर सहकारी समितियों तथा बुनकरों से खरीदारी बढ़ाने की दृष्टि से राज्य सरकारों की सहायता दी जाती है। साथ ही 14 राज्यों तथा 1 संघ क्षेत्र में जनता कपड़ा योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिससे हथकरघे के माल के विपणन में संवार करने में सहायता मिली है। भारत सरकार द्वारा 40 ट्राउन्ट और उससे नीचे के जनता क्लाथ सार्ट्स तथा 60 काउन्ट तथा लुंगियों के कपड़े के सम्बन्ध में 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रति वर्ग मीटर 1·25 रुपये की राज सहायता का भुगतान किया जा रहा है। 1979-80 की अवधि में जनता कपड़े का प्रत्याशित उत्पादन 1850 लाख वर्ग मीटर है जिसमें सीधे ही 4 लाख बुनकरों के लिए विपणन सहायता दिये जाने की व्यवस्था है।

**विवरण**

| राज्य का नाम | हथकरघों की संख्या |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 597 |
| कनाटक | 103 |

| | |
|---|---|
| केरल | 90 |
| तमिलनाडु | 550 |
| पांडिचेरी | 40 |
| राजस्थान | 142 |
| मध्य प्रदेश | 53 |
| उत्तर प्रदेश | 509 |
| दिल्ली | 6 |
| बिहार | 201 |
| उड़ीसा | 87 |
| सिक्किम | — |
| पश्चिम बंगाल | 198 |
| गोआ | नये |
| गुजरात | 34 |
| महाराष्ट्र | 185 |
| हरियाणा | 50 |
| हिमाचल प्रदेश | 2 |
| जम्मू तथा कश्मीर | — |
| पंजाब | 21 |
| आसाम | 695 |
| अरुणाचल प्रदेश | — |
| मणीपुर | 200 |
| मेघालय | 5 |
| मिजोरम | — |
| नागालैंड | नगे. |
| त्रिपुरा | 123 |
| योग : | 3891 |

**कोका कोला तथा आई. बी. एम. का व्यापार कार्य पुनः आरम्भ करने सम्बन्धी प्रस्ताव**

1155. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों आई. बी. एम. और कोका कोला द्वारा भारत में अपना व्यापार पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ।

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए इन फर्मों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में और अधिक रियायतें देने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**प्रदूषण रोकने के लिये औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन**

1156. **श्री पी. के. कोडियन्** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव का विचार कर रही है जिससे नये उद्यमियों के लिये अपनी परियोजनाओं की योजना बनाते समय ही आरम्भ से प्रदूषण रोकने के उपाय करना अनिवार्य हो जाये;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित संशोधन को संसद् में कब लाने का विचार है; और

(ग) सरकार ने क्या निम्नतम प्रदूषण नियंत्रण उपाय सुझाये हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनिमय में किये जाने वाले कुछ संशोधनों पर विचार किया जा रहा है जिनमें प्रदूषण नियंत्रण परिस्थितियों से सम्बन्धित अभ्युपायों पर जो औद्योगिक लाइसेंसों में शामिल किये जा रहे हैं के लिए प्रस्ताव भी है।

(ख) विधेयक को संसद में आगामी सूत्र में पेश किये जाने की संभावना है।

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार प्रदूषण निरोध तथा नियंत्रण के राज्य बोर्ड के परामर्श से उचित प्रदूषण नियंत्रण मानक निर्धारित करती है जो अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए अलग-अलग हो सकते हैं।

**राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत कपड़ा मिलें**

1157: **श्री निहाल सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत चलने वाली कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है तथा इनमें से प्रत्येक कपड़ा मिल पर कुल कितनी पूंजी लगाई गई है और प्रत्येक कपड़ा मिल द्वारा प्रत्येक माह कुल कितना कपड़ा तैयार किया जाता है; और

(ख) पिछले दो वर्षों से हानि में चलने वाली कपड़ा मिलों के नाम क्या-क्या हैं और उनमें कितना-कितना नुकसान हुआ है तथा हानि के लिए उत्तरदायी कारण क्या-क्या हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना)** : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम इस समय सरकार द्वारा हाथ में ली गई 8 अन्य वस्त्र मिलों के अलावा 101 राष्ट्रीयकृत वस्त्र मिलों को चला रहा है। इन मिलों में से प्रत्येक मिल में विनियोग की गई पूंजी से सम्बन्धित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जो सभा पटल पर रख दी जाएगी। अप्रैल, 1979 से दिसम्बर, 1979 की अवधि में अलग-अलग समग्र (कम्पोजिट) मिल द्वारा उत्पादित कपड़े की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सख्या एल. टी. 615/80)

(ख) हानि उठाने वाली मिलों (कताई व मिश्रित दोनों) के नाम व उनके द्वारा पिछले दो वर्षों में उठाई गई हानि की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सख्या एल. टी. 615/80)

हानि उठाने के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :

(1) पुरानी व गत-प्रयोग मशीनें।

(2) कम उत्पादकता ।

(3) अधिक श्रम-बल ।

(4) बिजली की अनिश्चित कटौतियां ।

(5) बिजली की कटौती व रुक-रुक कर बिजली का संभरण होने के कारण संयंत्र की क्षमता का कम उपयोग ।

**हरिजनों तथा कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिये विशेष पुलिस दल की स्थापना करना**

1158. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हरिजनों तथा कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए केन्द्रीय स्तर पर विशेष पुलिस बल की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है अथवा इसकी स्थापना व्यवहार्य है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**पिछड़े वर्ग आयोग का प्रतिवेदन**

1159. **श्री टी. आर. शमन्ना** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए नियुक्त किए गए आयोग ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछड़े वर्ग के लोगों की हालतों को सुधारने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**जघन्य अपराधों का वैज्ञानिक अध्ययन**

1160. **श्री रामलाल राही** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में बढ़ते हुए जघन्य अपराधों के बारे में कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो अध्ययन प्रतिवेदन की बातें क्या हैं और अपराधों की रोकथाम के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

**रंगीन टेलीविजन का उत्पादन**

1161. **श्री पी. जे. कुरियन ;**

**श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में रंगीन टेलीविजन सेटों का उत्पादन आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह सामान्य जनता को कब तक उपलब्ध हो जायेगा और कितने मूल्य पर;

(ग) क्या इस समय जो बहुत बड़ी संख्या में काले और सफेद चित्रों वाले टेलीविजन सेट हैं उन्हें रंगीन टेलीविजन सेट में बदलने की कोई वैज्ञानिक विद्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके फलस्वरूप उपभोक्ता को कितनी वित्तीय हानि होगी?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) देश में रगीन दूरदर्शन सेटों का निर्माण शुरू नहीं हुआ है किन्तु दिल्ली की एक प्राईवेट फर्म ने दावा किया है कि उन्होंने देश में बनाए जाने वाले प्रथम रंगीन दूरदर्शन रिसीवर सेट का निर्माण कर लिया है।

(ख) रंगीन दूरदर्शन लागू करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

**"वैस्ट बंगाल रिसेन्ट्स स्टेटमेंट आन गवर्नेंस पर्स" शीर्षक से समाचार**

1162. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "वैस्ट बंगाल रिसेन्ट्स स्टेटमेंन्ट आन गवर्नेंस पर्स" शीर्षक के के अधीन दिनांक 13 फरवरी, 1980 के "बिजनेस स्टन्डर्ड," कलकत्ता के अंक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलवाया गया है; और

(ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) समाचार में बताई गई बात कि गृह मंत्रालय में किसी ने ऐसा वक्तव्य दिया है सही नहीं है।

**जांच आयोग द्वारा व्यक्तियों के विरुद्ध की गई टिप्पणियां**

1163. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध आपात स्थिति की ज्यादतियों के आरोपों तथा व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रयोजनों के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग से सम्बंधित आरोपों की जांच करने के लिए पिछली दो केन्द्रीय सरकारों द्वारा जाँच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत गठित प्रत्येक आयोग ने प्रतिकूल टिप्पणियाँ की हैं और प्रत्येक मामले में ऐसी प्रतिकूल टिप्पणी का स्वरूप क्या है; और

(ख) आयोग के निष्कर्षों के बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो वह क्या है;

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) तथा (ख) जिन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं, उनके नाम और प्रयेक मामले में ऐसी प्रतिकूल टिप्पणियों का स्वरूप जाँच आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में दिया गया है।

ये रिपोर्ट लोक सभा के पटल पर रख दी गई थी। मारुति जाँच आयोग द्वारा की गई

सिफारिशों के मामले को छोड़ कर निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन भी लोक सभा के पटल पर रख दिये गये हैं।

**प्रेस दल द्वारा अपराधों का सर्वेक्षण**

1164. **श्री मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1980 में प्रेस-दल के सर्वेक्षण से यह पता चला था कि दिल्ली में अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वह दिल्ली पुलिस में इस कथन के प्रतिकूल नहीं हैं कि दिल्ली में अपराधों में कमी आ रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या दिल्ली में अपराधों का यह परस्पर विरोधी निर्धारण इस तथ्य के कारण तो नहीं है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली में हो रहे अपराधों की वास्तविक स्थिति छिपा रही है,

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवान)** : (क) (ख) और (ग) : सरकार का ध्यान तारीख 2-2-1980 और 6-2-1980 के इन्डियन एक्सप्रेस के लेखों और तारीख 11-2-1980 के टाइम्स आफ इंडिया के सम्पादकीय की ओर आकर्षित किया गया है। इन समाचार पत्रों की रिपोर्टों में अपने आप में यह लक्षित है कि कोई व्यवस्थित शहर-वार सर्वेक्षण नहीं किया गया था। जो कुछ किया गया है उससे यह प्रतीत होता है कि शहर के कुछ स्थानों से अलग-अलग मामलों के विषय में कुछ सूचना एकत्रित की गयी थी। इस प्रकार की सूचनाओं के आधार पर अपराध स्थिति के बारे में वैध निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस वर्ष के प्रथम दो महीनों में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अपराध आँकड़ों की वर्ष 1979 की उसी अवधि के आँकड़ों से तुलना करने पर यह पता चलता है कि दिल्ली में अपराध स्थिति (विवरण संलग्न है) में कुल मिलाकर सुधार हुआ है। अतीत की भाँति दिल्ली पुलिस द्वारा अपराध बुलेटिन जारी किये जाते हैं और दिल्ली पुलिस द्वारा किसी वास्तविक सूचना को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।

**विवरण**

| अपराध शीर्ष | 1-1-1979 से 28-2-79 तक | 1-1-80 से 29-2-80 तक |
|---|---|---|
| डकैती | 15 | 11 |
| हत्या और हत्या के प्रयास | 78 | 78 |
| लूटपाट | 92 | 72 |
| दंगे | 65 | 34 |
| छीना झपटी | 30 | 18 |
| चोट पहुंचाना | 292 | 275 |
| सेंध भारी | 542 | 555 |
| साईकिल चोरी | 921 | 952 |
| विविध चोरी | 2660 | 2798 |

| | | |
|---|---|---|
| मोटर-वाहन चोरी | 553 | 486 |
| विविध भा० दण्ड संहिता | 1657 | 1597 |
| कुल भा० दण्ड संहिता | 6905 | 6876 |

**दिल्ली में अपराधों की दृष्टि से और अधिक बिगड़ती हुई स्थिति**

1165. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अपराधों की दृष्टि से तेजी से बिगड़ती स्थिति के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उन्होंने दिल्ली पुलिस के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा की गई कटु आलोचना जिसे उच्चतम न्यायालय ने भी बरकरार रखा है, को देखा है,

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली में दिसम्बर, 1979 और जनवरी तथा फरवरी, 1980 के दौरान हुई डकैतियों, कत्लों और राहजनी की संख्या कितनी है,

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) इस वर्ष के पूर्व प्रथम दो महीनों में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत तुलनात्मक अपराध आँकड़े जो इसके साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं, से पता लगता है कि दिल्ली में अपराध स्थिति में सुधार हुआ है।

(ख) और (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरि राम बनाम पुलिस आयुक्त दिल्ली, आदि के मामले में अपने निर्णय में पुलिस अधिकारियों को भविष्य में शपथ-पत्र भरते समय और अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी थी। इसको दिल्ली पुलिस के विरुद्ध कटु आलोचना के रूप में नहीं कहा जा सकता है।

(घ) आँकड़े नीचे दिए गए हैं:—

| अपराध शीर्ष | दिसम्बर 1979 | जनवरी 1980 | फरवरी 1980 |
|---|---|---|---|
| डकैती | 4 | 5 | 6 |
| हत्या | 13 | 16 | 19 |
| राहजनी | 2 | 4 | 3 |

**टैंक के लिए नए अति आधुनिक इंजन का सफल परीक्षण**

1166. **श्री एन. के. शेजवलकर** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा अनुसंधान तथा विकास संस्थान ने 1,500 अश्व-शक्ति वाले एक अति आधुनिक युद्ध टैंक इन्जन का सफलता पूर्वक परीक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है और यह 'खेम करण' में मशहूर हुए विजयन्त टैंक से किस हद तक बेहतर है;

(ग) इसे भारतीय सेना की नियमित शस्त्र-शक्ति में कब तक ले लिया जाने की संभावना है,; और

(घ) इसके निर्माण में क्या-क्या देशी और विदेशी औद्योगिक का इस्तेमाल हुआ है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन सिंह)** : (क) और (ख) 1500 अश्व शक्ति वाला एक युद्ध टैंक इंजन तैयार किया गया है और इसका प्रारम्भिक परीक्षण किया जा रहा है। डिजायन की दृष्टि से यह विजयंत टैंक के इंजन से बेहत्तर है।

(ग) और (घ) इसका डिजायन पूर्णतया देश में ही बनाया गया है। यदि इस इंजन को सफल परीक्षण के दौरान और बाद में प्रतिरूप (प्रोटोटाइप) टैंकों पर जाँच करने के पश्चात ठीक पाया गया तो 1987/88 और आगे के वर्षों में इसका नियमित रूप से उत्पादन किया जा सकता है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैंने आसाम की नाकाबंदी के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। वे वायु तथा रेल परिवहन को अस्तव्यस्त करना चाहते हैं। इसलिये वे इसमें शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस (आई)···(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है, मैंने उसे अस्वीकृत कर दिया है। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें। (**व्यवधान**)

**श्री जार्ज फर्नांडिस** (मुजफ्फर पुर) : महोदय, कल आपने प्रो० मधु दंडवते द्वारा उठाये गये मुद्दे पर मंत्री महोदय से वक्तव्य देने की कहा था जो उन दो नेत्रहीनों के बारे में था जिनका पता नहीं लगा था। आज समाचार-पत्रों में एक समाचार आया है कि पदाधिकारियों द्वारा सभी अस्पतालों की तलाशी लिये जाने के बाद···(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर ध्यान दे चुका हूँ। मैंने उन्हें स्मरण करा दिया है।

**श्री जार्ज फर्नांडिस** : क्या वह वक्तव्य दे रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने आज के लिये आश्वासन दिया है।

**श्री जार्ज फर्नांडिस** : कार्यावली पत्रों में यह नहीं है। क्या वह आज वक्तव्य देंगे ?

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

**पेटेन्स, डिजाइन और व्यापार चिन्ह के महानियंत्रक का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, आवश्यक वस्तु अधिनियम, केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें, अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसाइटी लिमिटेड और भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा के बारे में विवरण**

**वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अन्तर्गत पेटेन्टस, डिजाइन और व्यापार चिन्ह के महानियंत्रक के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 545/80**)

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) वस्त्र (शक्ति चालित करघों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण (संशोधन आदेश, 1979 जो दिनांक 30 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां. आ० 377 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) सूती वस्त्र (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1979 जो दिनांक 30 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 378 (ङ) में प्रकाशित हुआ था । (ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 546/80)

(3) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 719 में प्रकाशित हुये थे ।

(ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 547/80)

(4) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखे ।

(ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी. 547/80)

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए । संख्या एल. टी. 548/80)

(एक) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 549/80)

**उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें, माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०, दुर्गापुर का विवरण और वार्षिक प्रतिवेदन, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि०, जेसप एण्ड कम्पनी लि० रिचर्डसन एण्ड क्रुडास लि०, तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड बम्बई के वर्ष 1978-79 के प्रतिवेदन ।**

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखत अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) सां० आ० 102 (ङ) जो दिनांक 19 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा जिसमें अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित वस्त्र उद्योग में पूर्णता अथवा अंशतः पटसन से निर्मित सामान, जिन पर उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय होगा, का उल्लेख है ।

(दो) सां० आ० 153 (ङ) जो दिनांक 10 मार्च 1980 के भारत के राजपत्र में

में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वाणिज्यिक वाहन (पुनर्विक्रय पर प्रतिबंध) आदेश, 1979 का निरसन किया गया है।

(**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.** 550/80)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 क की धारा 619क को उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(क) (एक) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० दुर्गापुर के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) माइनिंग एक एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० दुर्गापुर का वर्ष 1978-79 वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ। (**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.** 551/80)

(ख) (एक) इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि० नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.** 552/80)

(ग) (एक) जेसफ एण्ड कम्पनी लि० कलकत्ता का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियत्रक महालेखा परीक्षक को टिप्पणियाँ।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षी के बारे में एक विवरण।

(**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.** 553/80)

(घ) (एक) रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लि०, बम्बई का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.** 554/80)

(3) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12ख के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बम्बई के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति। (**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.** 555/80)

## गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों के सम्बन्ध में अध्यादेश

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया)** : महोदय, मैं श्री योगेन्द्र मकवाना की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 को उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) बम्बई पुलिस (गुजरात संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का संख्या 6) जो 15 नवम्बर, 1979 को गुजरात के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

(दो) पुलिस (दो उद्दीपन) (गुजरात संशोधन), अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 3) जो 18 जनवरी, 1980 को गुजरात के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था। (**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.** 556/80)

(2) मध्य प्रदेश राज्य सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (1979 का संख्या 10) जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1979 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

(दो) मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) निरसन अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 2) जो दिनांक 6 फरवरी, 1980 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

(**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.** 557/80)

**भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्ष 1978-79 का प्रतिवेदन 1978-79 के विनियोग लेखे रेल भाग-1 और भाग-2 तथा 1978-79 के लिये रेलवे के ब्लाक लेखे**

**वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर. वेंकटारमन)** : महोदय, मैं श्री जगन्नाथ पहाड़िया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक, संघ सरकार (रेल) के वर्ष 1978-79 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति।

(2) वर्ष 1978-79 के विनियोग लेखों, रेल भाग-1--समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) वर्ष 1978-79 के विनियोग लेखों, रेल भाग-2--विस्तृत विनियोग लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) वर्ष 1978-79 के ब्लाक लेखे (ऋण लेखों वाले पूंजी विवरणों सहित), तुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखे, रेल (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.** 558/80)

**नौसेना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, भारत अर्थमूवर्स लि०, प्राग टूल्स लि० तथा भारत डायनमिक्स लि० के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वार्षिक लेख आदि, व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन तथा संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसना छुट्टा (पहला संशोधन) विनियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 1 मई, 1980 के भारत के राज्यपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 75 में प्रकाशित हुए थे। (**ग्रन्थालय में रखे गये : देखिए संख्या एल. टी.** 559/80)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (एक) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(क) (एक) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.** 560/80)

(ख) (एक) प्राग टूल्स लि० सिकदराबाद का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण।

(**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.** 561/80)

(ग) (एक) भारत डायनमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेख परीक्षक की टिप्पणियाँ।

(दो) कम्पनी के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.** 562/80)

(3) (एक) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) परिषद के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) लेखे तथा परीक्षा प्रतिदेदन सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.** 563/80)

(4) (एक) व्यावहारिक जैनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79) के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति :

(**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.** 564/80)

**मारुति मामलों सम्बन्धी जांच आयोग का प्रतिवेदन**

**गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री वेंकट सुब्बया)** : मैं जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत मारूति मामलों सम्बन्धी **जाँच** आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी* संस्करण) तथा परिशिष्ट सभा पटल पर रखता हूँ। (**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.** 565/80)

*प्रतिवेदन का अंग्रेजी सस्करण 2 फरवरी, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

## राज्य सभा में संदेश

**सचिव :** महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 14 मार्च, 1980 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, को लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1980, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 14 मार्च, 1980 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, को लौटाने तथा यह बताने का निदेश मिला है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेवक, 1980, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 12 मार्च, 1980 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, को लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध से लोक सभा से कोई सिकारिशें नहीं करती है।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 1980, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 12 मार्च 1980, की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को अपनी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, को लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिशें नहीं करती है।"

**श्री मनी राम बागड़ी** (हिसार) : अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय :** आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है, और किस नियम के अधीन है ?

**श्री मनी राम बागड़ी :** नियम मैं क्या बताऊं। अध्यक्ष जी, मैं ला एण्ड आर्डर व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूँ कि 19 अंधों को दिल्ली के अन्दर गिरफ्तार किया गया है···

(व्यवधान)

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** (रानगिरी) : महोदय, मैं···के अधीन सूचना दी है ·· (व्यवधान)

**कुछ माननीय सदस्य :** किस नियम के अधीन ?

**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। ऐसा करना मेरा काम है। इसका निर्णय मुझे करना है। आप यह मुझ पर छोड़ दीजिए।

**श्री मनी राम बागड़ी :** अध्यक्ष जी, नियम 376 है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको अनुमति नहीं दी गई है।

**श्री मनी राम बागड़ी**। आप सोचिये, जरा मजाक को बन्द कीजिये। अंधों के साथ कितना जुल्म हो रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : वह वक्तव्य देंगे।

**श्री मनी राम बागड़ी** : अन्धों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, रेलगाड़ियों में पकड़े जाते हैं। कोई अन्धी सरकार ही इतना अन्धाधुन्ध काम करेगी। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : वह वक्तव्य देंगे।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : (डायमंड हार्बर) महोदय, मेरा नियम 376, 222 और 223 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न है इन दोनों नियमों के अनुसार हमारे लिये जब कोई मंत्री सभा के समक्ष झूठ बोले तो यह अनिवार्य है कि हम उसे उठाने हेतु अध्यक्ष महोदय की अनुमति मांगते हुए उनके ध्यान में लायें।

**अध्यक्ष महोदय** : यह मेरे विचाराधीन है और मुझे इस पर निर्णय करना है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मैं यह चाहता हूँ कि इस बारे में आप अपनी टिप्पणी करें : क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे फिर उठाऊँ ? बस।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको सूचित करूँगा (व्यवधान) हम आपको सूचित करेंगे।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : जी, नहीं, परन्तु···

**अध्यक्ष महोदय** : जब तक मुझे पर्याप्त जानकारी नहीं मिल जाती है, मैं सूचित नहीं कर सकता। परन्तु मैं आपको सूचित करूंगा।

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** : अध्यक्ष महोदय, आप हमें बार-बार यह कह रहे हैं कि सभा में शोर न करें और प्रक्रिया का पालन करें। महोदय, मैंने आपकी अनुमति मांगने के लिये आपको सूचना दी है और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ ···

**अध्यक्ष महोदय**: यही मैं कह रहा हूं।

**श्री बापू साहिब परुलेकर** : मैंने सूचना दी है कि मुझे शून्य काल में दो गुमशुदा नेत्र हीनों के बारे में तथ्य का उल्लेख करने की अनुमति दी जाये जिसके बारे में कल मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था कि मैं कल सभा को सूचित करूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : जी हां। वह आज सूचित करेंगे।

**श्री बापूसाहिबा परुलेकर** : क्या वह सूचित करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय**: जी हां।

**श्री जार्ज फर्नांडिस** : (मुजफ्फरपुर) महोदय, क्या आप शेख अब्दुला द्वारा राज्य विधान सभा में दिये गये वक्तव्य कि कांग्रेस (आई) मेरी सरकार को हटाने की कोशिश कर रही है के बारे में मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को गृहीत कर रहे हैं (व्यवधान) महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। क्या आप मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव गृहीत करेंगे ? मैं इतना ही पूछ रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बारे में निर्णय करूंगा। मैंने अभी तक निर्णय नहीं किया है।

**(व्यवधान)**

**श्री जार्ज फर्नांडिस** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत ही सगत है क्योंकि···

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर विचार करूंगा। आपने प्रस्ताव दिया है। मुझे इस पर विचार करना है।

**श्री जार्ज फर्नांडिस** : आपके पास अभी भी अवसर है कि ऐसे असंवैधानिक गैरकानूनी उपायों को रोकें।

**अध्यक्ष महोदय**: मैं इस पर विचार करूंगा। (व्यवधान)

**डा० फारुक अब्दुला** : (श्रीनगर) महोदय, मै चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो क्योंकि वह राज्य बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और वहाँ उत्पन्न किसी भी अस्थिरता से समूचे देश में और अशांति होगी। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री शिवकुमार सिंह। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आपको अनुमति नहीं है। आपको अनुमति नहीं दी गई है। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : उस विषय पर मेरे अपने तर्क है। इस पर मुझे निर्णय करना है।

**श्री ए.के. राय** : (धनबाद) अध्यक्ष महोदय, ··· * *

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इस पर निर्णय करूंगा। यह मुझे मिल गया है। यह मेरा परमाधिकार है कि मैं इस पर निर्णय करूं। यह मेरे विचाराधीन है और आप मुझसे अपने चेम्बर में लिख सकते हैं। अब श्री शिवकुमार सिंह।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### देश में भूमि कटाव की समस्या

**श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा)** : मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनिय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं, और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें। "देश में भूमि कटाव की समस्या"

**कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव)** : सरकार प्राकृतिक वनस्पति तथा भूमि संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से होने वाली भूक्षरण की समस्या के प्रति जागरुक है और उसने इस समस्या से निपटने के लिए उचित उपाय किए हैं।

मानव तथा पशुधन दोनों की संख्या में उच्च दर से वृद्धि होने के फलस्वरूप खाद्य, पशु आहार और इंधन की निरन्तर बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों अर्थात् मृदा जल तथा वनस्पति का अंधाधुन्ध उपयोग किया गया है। इससे नाजुक पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया है और इसके परिणामस्वरूप भूक्षरण की गम्भीर समस्या पैदा हो गई है।

---

* * कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि कुल 3280 लाख हैक्टार भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 1500 लाख हैक्टार क्षेत्र पानी तथा हवा के गम्भीर अपरदन से प्रभावित है। इसके अलावा, 96 लाख हैक्टार के अनुमानित क्षेत्र में झूम खेती (30 लाख हैक्टार) और कृषि योग्य बेकार भूमि (66 लाख हैक्टार) के कारण भूक्षरण हुआ है।

देश में भूक्षरण को मोटे तौर पर पानी तथा वायु से होने वाले भूक्षरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

**पानी से होने वाला कटाव :** पानी से होने वाले कटाव से देश के भूमि संसाधनों को न केवल इस लिए सबसे अधिक गम्भीर खतरा पैदा होता है कि यह सीधे मृदा को प्रभावित करता है, अपितु इसलिए भी कि इससे बहुदेशीय जलाशयों और टैंकों में गाद भर जाता है, बाढ़ें आती हैं तथा मीठे पानी की बहुत बड़ी मात्रा का ह्रास हो जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस तरीके से मृदा के पोषक तत्वों की कुल वार्षिक हानि 84 लाख मीटरी टन एन. पी. के बराबर होती है। टैंकों तथा बहूद्देशीय जलाशयों में समय से पहले गाद भरना विशेष रूप से पानी से होने वाले कटाव का गम्भीर परिणाम है। अनुभव से पता चलता है कि जलाशयों में गाद संचयन की औसत दर उस दर से कई गुणा अधिक है जिसका अनुमान उसके डिजाइन तथा निर्माण के समय लगाया गया था। इससे जलाशय के उपयोग की सम्पूर्ण अवधि में कमी आती है।

पर्वतीय तथा तलहटी के क्षेत्रों में भूस्खलन, भूमि के खिसकने और भारी वर्षा की प्रमुख समस्या होती है। किन्तु मैदानी इलाकों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात राज्यों में (तथा कुछ कम मात्रा में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में) गली अपरदन तथा ऊबड़-खाबड़ भूमि के क्षरण की समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है जिससे कृषि योग्य उपजाऊ भूमि को खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा आदिवासी जनसंख्या द्वारा झूम खेती की परम्परागत प्रणाली जारी रखने से बन संसाधन समाप्त हो गए हैं और इसके फल-स्वरूप उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र तथा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी निम्नकोटि की हो गई है। भूक्षरण और उसके परिणामस्वरूप गाद भरने से निकास मार्ग तग हो जाते हैं और नदियों के तल भर जाते हैं तथा नदियां अपना मार्ग बदल लेती हैं जिससे बाढ़ का संकट बढ़ जाता है। बाढ़ों से लगभग 80 लाख हैक्टार भूमि प्रभावित होती है और फसलों, मकानों तथा अन्य प्रकार की सम्पत्ति की क्षति होने से देश को प्रति वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपए की क्षति पहुँचती है।

**वायु से भूक्षरण :** वायु से भूक्षरण हरियाणा, राजस्थान, गुजरात राज्यों तथा तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। अनुमान है कि वायु से भूक्षरण के कारण लगभग 320 लाख हैक्टार क्षेत्र (जिसमें रेत के टीलों के अन्तर्गत लगभग 70 लाख हैक्टार क्षेत्र भी शामिल है) प्रभावित है।

निकास पद्धति सहित प्रभावित क्षेत्रों का उपयुक्त संरक्षण करने की आवश्यकता की ओर सरकार ने प्रथम पच वर्षीय योजना के आरम्भ से ही अपना ध्यान केन्द्रित कर रखा है। मृदा भूक्षरण को रोकने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम आरम्भ किए गए है। राज्य क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत के क्षेत्र के काफी बड़े भाग की कन्टूर ग्रेडिड बांधों से सुधारा गया है। ऊबड़-खाबड़ भूमि के सुधार, पर्वतीय क्षेत्रों में टैरस बनाना, वनरोपण एवं अन्य

इंजीनियरी के उपायों जैसी अन्य स्कीमें भी हैं। केन्द्रीय प्रयोजित क्षेत्र के कार्यक्रम में अन्य योजनाओं के साथ-साथ (1) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण-क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, (2) हिमालय क्षेत्र में एकीकृत मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण; (3) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम; (4) क्षारीय तथा अम्लीय भूमि का सुधार; (5) झूम खेती का नियंत्रण; (6) पटारी भूमि की सुरक्षा तथा ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों का स्थरीकरण; और (7) सामाजिक वानिकी जैसी योजनायें भी शामिल हैं। पिछली सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार प्रथम तीन योजनाओं के अलावा, अन्य योजनायें 1979-80 से राज्यों को हस्तान्तरित हो चुकी है।

1979-80 तक लगभग 666 करोड़ रुपये के व्यय से 231·8 लाख हैक्टार अनुमानित क्षेत्र विभिन्न मृदा संरक्षण उपायों के अन्तर्गत लिया जाएगा। इसमें राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 215·3 लाख हैक्टार और केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 16·5 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार करना शामिल है।

कटवीं योजना में बाढ़ के प्रकोप को कम करने की दृष्टि से चालू योजना की शेष अवधि के लिए 50 : 50 के शेयर के आधार पर 90 करोड़ रुपए के परिव्यय से सिंध-गंगा के बेसिन की बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण-क्षेत्रों में एकीकृत जल-विभाजक प्रबन्ध की एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना का प्रस्ताव किया गया है।

**श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, यह देश का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस देश में 328 मिलियन हैक्टेयर जमीन में से 90 मिलियन हैक्टेयर जमीन तो सोयल ईरोजन से, पानी से खराब होती है और लगभग 50 मिलियन हैक्टेयर जमीन विड इरोजन से नष्ट होती है। इस तरह 328 मिलियन हैक्टेयर में से 145 मिलियन हैक्टेयर जमीन हमारे देश की इससे प्रभावित है और इससे देश को जो नुकसान हो रहा है वह 700 करोड़ रुपया प्रति वर्ष फर्टि-लाइजर के रूप में होता है जो 6 हजार मिलियन टन जो ऊपर की सतह बहती है उसके कारण होता है और फ्लड के कारण 300 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का नुकसान हो रहा है। इस तरह से 1 हजार करोड़ रुपया प्रति वर्ष इस देश का जमीन के कारण व्यर्थ जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था इस वर्ष के बजट में रखी है और क्या इस गम्भीर समस्या को वह पूरी गम्भीरता से लेते हैं और इसके लिए पर्याप्त उपाय कर रहे हैं ?

**श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने सरकार का और सदन का ध्यान उस महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित किया है, जिसका देश को सामना करना पड़ रहा है और इस समस्या ने विश्व संगठनों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जैसा कि मैंने बताया है, हमारे हाथ में विभिन्न योजनाएं, हैं लेकिन वित्तीय संकट के कारण, हम समस्या से बहुत बड़े स्तर पर जूझने में समर्थ नहीं हुए हैं।

अब तक हम कटाव से क्षतिग्रस्त कुल क्षेत्र के केवल 13% भाग को ही ठीक करने में समर्थ हो पाए हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसा क्षेत्र लगभग 175 मिलियन हैक्टेयर का है और हम इस समस्या के केवल एक अंश के विषय में ही कार्यवाही करने में समर्थ हुए हैं। मैंने सभी योजनाओं का उल्लेख किया है और हम अन्य उपाय कर रहे हैं लेकिन इस अवसर पर मुझे यह अवश्य कहना है कि वास्तविक आवश्यकता तो इस बात की है कि हमारे

प्राकृतिक स्रोतों की रक्षा के लिए जनता जागरूक हो। जब तक कि सामान्य जनता में उस नुकसान के बारे में चेतना नहीं होगी जोकि बनों का सफाया करने, पेड़ों के अन्धाधुन्ध काटने और लालची ठेकेदारों की नियुक्ति के कारण हो रहा है, इस समस्या का केवल सरकारी उपायों उपायों से समाधान नहीं हो सकता।

यदि मैं यहां एक विशेष घटना का उल्लेख नहीं करता, तो मेरे लिए यह उचित नहीं होगा। मुझे गढ़वाल जिले की कुछ महिलाओं का यह उदाहरण अवश्य ही देना चाहिए—पेड़ काटने के लिए जब ठेकेदार जंगल में पहुंचे, तो वे महिलाएं पेड़ों के चिपट गईं और अपने पेड़ों को बचाने के लिए लालची ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से अपने शरीर को कटवाने का प्रस्ताव किया। ऐसी ही चेतना हमें अपने पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं के लिए जाग्रत करनी होगी और मुझे आशा है कि भूक्षरण, भू-संरक्षण और पेड़-पौधे तथा जीव-जन्तुओं की ओर यह सरकार जो ध्यान दे रही है, उससे यह समस्या यथा समय हल हो जाएगी।

**अध्यक्ष महोदय :** अब इस पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

**श्री सुभाष चन्द्र यादव (खरगोन) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बहुत गम्भीरता से लेना चाहता हूं और मैं समझता हूँ इस सदन को भी इस बात को बहुत गम्भीरता के साथ लेना चाहिए। जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया है, स्वायल इरोजन को रोकने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, मैं मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि स्वायल इरोजन दो प्रकार से कंट्रोल होता है बायोलोजी कन्ट्रोल और मेकेनिकल कन्ट्रोल। आप जो मेकेनिकल कन्ट्रोल कर रहे हैं उसमें एक प्रकार से पैसा बरबाद करते हैं उसका उतना फायदा नहीं पहुंचता है। मेरा निवेदन है कि यदि आप बायोलोजी कन्ट्रोल के माध्यम से इस दिशा में कार्य करते हैं तो नेचर का लाभ भी मिल सकेगा। सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि हर राज्य के स्तर पर एक रिसर्च सेन्टर खोला जाए तथा ब्लाक स्तर पर ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जोकि जनता को उससे अवगत करा सकें। अभी तक किसान तथा साइंटिस्ट्स भी बहुत गम्भीरता के साथ इस प्रश्न को नहीं ले रहे हैं कि कितनी भूमि का इरोजन हो रहा है। इसलिए राज्य स्तर पर रिसर्च सेन्टर खोले जायें जोकि लोगों को इस बात की शिक्षा दे सकें। यदि बायोलोजी कन्ट्रोल के माध्यम से आप स्वायल इरोजन को हल करते हैं तो उससे ज्यादा लाभ मिल सकेगा बजाए इसके कि आप मेकेनिकल कन्ट्रोल करें।

**श्री विरेन्द्र सिंह राव :** मैं माननीय मन्त्री महोदय का धन्यवाद करता हूं···

**एक माननीय सदस्य :** माननीय सदस्य का।

**श्री विरेन्द्र सिंह राव :** एक दिन वह मन्त्री भी हो सकते हैं। इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं इतना अधिक वहां बैठता रहा हूँ कि हर व्यक्ति मुझे मन्त्री लगता है। मुझे यह समझने में अभी समय लगेगा कि मैं सरकारी पक्ष में हूँ।

मैं सुझाव के लिए माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। इन सभी विषयों पर सरकार विचार कर रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, भूमि कटाव और हिमालय क्षेत्र में पेड़ लगाने से सम्बन्धित कई योजनाओं पर काम हो रहा है। हम अपने डी० पी० ए० पी० कार्यक्रम को भी

भी कार्यान्वित कर रहे हैं। खारी और क्षार वाली भूमि का उपचार करने की भी एक योजना है।

**अध्यक्ष महोदय** : पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में आपने कुछ कहा है ?

**श्री विरेन्द्र सिंह राव** : हमारी नई बन-नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस पर अभी विचार किया जा रहा है। यह एक अन्य प्रश्न है। मैं इस बारे में विस्तृत रूप से बताने की आवश्यकता नहीं समझता। जैसा कि मैंने कहा है, हम इस समस्या पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। प्रधान मंत्री को इस विषय में काफी चिन्ता है कि भूमि कटाव में वृद्ध हो रही है और हमारे पहाड़ पेड़-रहित होते जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में बनों के लिए बजट में अधिक राशि का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन वास्तविक आवश्यकता तो इस बात की है कि जनता को इस बारे में समझा कर उनकी चेतना को जाग्रत किया जाए। इस देश में 'चिपको' की तरह के और अधिक आन्दोलनों की आवश्यकता है।

---

## नियम 377 के अधीन मामले

### (एक) बिहार में पीने के पानी की समस्या।

**श्री राम अवतार शास्त्री (पटना)** : महोदय, नियम 377 के अधीन मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले उठाता हूं :—

आने वाले महीनों में पूरे बिहार में पीने के पानी का भारी संकट उत्पन्न हो जाने की आशंका है। यद्यपि गर्मी का मौसम शुरू होने में अभी देर है, लेकिन राज्य के विभिन्न भागों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अनेक क्षेत्रों में कुंए या तो सूखने शुरू हो गए हैं, अथवा उनमें जल स्तर तेजी से नीचा हो रहा है।

तालाबों, झीलों और नदियों में पानी नहीं है। पिछले वर्ष के सूखे का जो प्रभाव हुआ और जो स्थिति उत्पन्न हुई उसका पहले से ही अच्छी तरह पता था, लेकिन इस प्राकृतिक प्रकोप से निपटने के लिए कुछ नहीं किया गया।

अकाल ग्रस्त राज्य में पीने के पानी की सप्लाई को किसी भी राहत-कार्य में सम्मिलित किया जाता है। बिहार में परिस्थिति और अधिक चिन्ताजनक है। सरकारी अनुमानों के अनुसार लगभग 25,000 गाँव और पुरवा ऐसे हैं जहाँ पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं है। वे पड़ौसी गाँवों पर आश्रित रहते हैं।

समस्या के प्रति सरकारी दृष्टिकोण को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, यदि राज्य में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए।

बिहार में पानी के भारी संकट को दृष्टि में रखते हुए मैं सरकार से गम्भीरतापूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा कि वह राज्य में होने वाले जल संकट से निपटने के लिए ठोस उपाय करें।

**(दो) जीवन रक्षक औषधियों की कमी और उसके कारण रोगियों को हो रही कठिनाइयों के समाचार**

**डा० वसन्त कुमार पण्डित (राजगढ़)** : महोदय, नियम 377 के अधीन मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले उठाता हूँ :—

हाल ही में एम्पीसिलीन, ट्राइहाईड्रेट, क्लोरोकुइन फास्फेट, स्ट्रेप्टोमाईसिन' आयोडिन और रेट्रासाइक्लिन जैसी महत्वपूर्ण और जीवन-रक्षक औषधियों की काफी कमी हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकित्सा-उपचार में हो रही असुविधा के कारण सार्वजनिक, सरकारी और निजी अस्पतालों के रोगियों को बड़ी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उद्योग द्वारा कई करोड़ रुपये की आयातित औषधियों के अम्बार को न उठवाने के कारण स्टेट कैमीकल और फार्मेसिटिकल कारपोरेशन को विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

इसके परिणामस्वरूप, अनेक जीवन-रक्षक नुस्खों और महत्वपूर्ण औषधियों को रोक लिया गया है, जिसकी वजह से रक्तचाप, क्षय, मलेरिया और आप्रेसन से पूर्व उपचार पर असर पड़ा है। यह भी समझा जाता है कि बैंकों द्वारा हाल ही में ऋण पर लगाए गए नियंत्रण, सम्पूर्ण विश्व में लाइसैंसों को देने सम्बन्धी-प्रतिबन्धों को कड़े करने और किस्म नियन्त्रण करने तथा ऐसे अनेक अन्य कारणों की वजह से यह गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुई है। इसकी वजह से महत्वपूर्ण औषधियों की कीमतों में भी तेजी से वृद्धि हुई है।

उपरोक्त स्थिति चिन्ताजनक है। कैमीकल और फार्मेसिटिकल उद्योग को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके विषय में सरकार को शीघ्र ही कारगर उपाय करने चाहिए और जनता के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण तथा जीवन-रक्षक औषधियों को आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए उसे शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह सदन को बताए कि उपरोक्त गम्भीर समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री उत्तम भाई पटेल यहां नहीं हैं। श्री शैलानी।

**तीन अलीगढ़ में छात्रों के एक जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के समाचार**

**श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस)** : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

परसों दिनांक 17 मार्च, 1980 को अलीगढ़ में छात्रों के एक शांतिपूर्ण अनुशासित जुलूस पर वहां की पुलिस ने बर्बतापूर्वक चाठी-चार्ज किया जिसमें दर्जनों छात्र बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनमें अनेक छात्रों की गम्भीर चोटों के कारण हालत नाजुक है। विगत एक सप्ताह से बिना किसी ठोस कारण के जिला अधिकारियों ने नगर के समस्त स्कूल व कालिजों को बन्द करा दिया था और परसों जब छात्रों ने जिला-अधिकारियों के इस रवैये के विरोध स्वरूप एक शांतिपूर्ण एवं अनुशासित जुलूस का आयोजन किया और जैसे ही जुलूस मदार गेट क्षेत्र में पहुंचा तो पुलिस ने बिना किसी पूर्व सूचना एवं चेतावनी के निहत्थे एवं शान्तिप्रिय छात्रों पर निर्ममतापूर्वक लाठी चार्ज किया।

गत 8 मार्च को अलीगढ़ में ही जब कुछ नवयुवक डीजल एवं मिट्टी के तेल के वितरण

में हो रही धांधलेबाजी एवं अनियमितता की ओर जिला अधिकारियों को एक ज्ञापन देने के लिए जिला पूर्ति कार्यालय पर गये तो वहां भी पुलिस ने उन्हें बुरी तरह से पीटा और 16 नव-युवकों को पकड़ कर जेल में डाल दिया। मेरा आप से अनुरोध है कि आप सरकार से इस सम्बन्ध में पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ हस्तक्षेप करने के लिए कहें।

**(चार) बारपेटा (असम) में असामाजिक तत्वों द्वारा विधान सभा सदस्यों और एक मुख्य पार्षद पर कथित आक्रमण**

**श्री संतोष मोहन देव** (सिल्चर) : मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान भारत के सभी समाचार-पत्रों में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलवाना चाहूँगा, जो कि बारपेटा (असम) में विधान सभा के दो सदस्यों तथा एक मुख्य पार्षद पर हुए हमले के सम्बन्ध में है। यह एक गम्भीर मामला है। ऐसा लगता है कि असमाजिक तत्वों ने अब जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के विरुद्ध गैर-कानूनी हरकतें करनी शुरू कर दी है। ऐसे राजनैतिक संगठनों के नेताओं को धमकी दिए जाने के समाचार हमको प्राप्त हो रहे हैं, जिन्होंने विदेशी नागरिकों को खोजने के मामले में 1971 को आधार-वर्ष मान लिया है।

क्या गृह मंत्री यह आश्वासन देंगे कि विभिन्न राजनैतिक संगठनों के नेताओं और निर्वाचित लोक प्रतिनिधियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा उचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इसके लिए जिम्मेदार तत्वों के विरुद्ध सरकार कठोर कार्यवाही करेगी।

---

## स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी. सी. सेठी)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी सम्पत्ति को लेने सम्बन्धी सरकार की शक्ति एक सुस्थापित तथ्य है। इस शक्ति का औचित्य ठहराने के लिए--'समाज कल्याण सम्बन्धी विषय सबसे बड़ा कानून है' और 'सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से बड़ी होती है', ये दो नियम साधारणतः उद्धृत किए जाते हैं।'

इस सम्बन्ध में यह स्मरण किया जाए कि हमारे देश में सरकार के स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन करने सम्बन्धी सभी शक्ति लगभग चार दशाब्दियों से प्राप्त है। प्रथमतः सरकार को यह शक्ति भारतीय सुरक्षा अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत प्रदत्त की गई थी। सितम्बर, 1946 में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उस अधिनियम के समाप्त हो जाने पर भारतीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत सम्पत्ति अधिग्रहीत भूमि (शक्तियां जारी रहना) अधिनियम, 1947 की विधि के अधीन अधिग्रहीत ही रही। इसके साथ-साथ, संसद ने स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 का विधिकरण किया, जिसके अन्तर्गत सरकार को स्थावर सम्पत्ति के अधिग्रहण और अर्जन की शक्ति सौंपने के साथ-साथ यह व्यवस्था थी कि

भारतीय सुरक्षा अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत अधिग्रहीत सम्पत्तियों को 1952 के अधिनियम के अधीन अधिग्रहीत समझा जायेगा। यह अधिनियम 14 मार्च, 1952 को लागू हुआ था और शुरु में उस तारीख से छः वर्ष तक की अवधि के लिए था, लेकिन इसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही। स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1970, जो 11 मार्च, 1970 को लागू किया गया था, ने इसे स्थायी बना दिया, लेकिन यह व्यवस्था कर दी कि ऐसे मामले में जब सम्पत्ति उक्त अधिनियम लागू करने से पहले अधिग्रहीत की गई हो, तो संशोधन अधिनियम के लागू होने से तीन वर्ष की अवधि तक के और ऐसे मामले में, जब कोई सम्पत्ति उक्त अधिनियम लागू होने के बाद अधिग्रहीत की गई, तो सम्पत्ति का कब्जा सौंपने अथवा प्रदान करने या 1952 के अधिनियम की धारा 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए अधिग्रहीत सम्पत्ति को अधिग्रहण के अन्तर्गत रखा जा सकेगा।

वर्ष 1970 के संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद, अधिनियम लागू होने से पहले अधिग्रहीत की गई सम्पतियों को 10 मार्च 1973 तक अधिग्रहण के अन्तर्गत रखा जा सकेगा। अधिग्रहण की अधिकतम अवधि स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1973 के विधिकरण से 2 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत की गई अनेक सम्पत्तियाँ रक्षा मन्त्रालय, निर्माण और आवास मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के कब्जे में थीं। हालांकि अधिग्रहीत सम्पत्तियों का अर्जन करने और उनका अधिग्रहण समाप्त करने के लिए सरकार ने आवश्यक कार्यवाही की, फिर भी उनमें से अनेक सम्पत्तियों को छोडा नहीं जा सका और सरकार को उनकी 10 मार्च, 1975 के बाद भी आवश्यकता थी और इसलिए स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा अवधारण की अवधि पाँच और वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी। संशोधित अधिनियम में स्कमियों को देय मुआवजे की राशि के पंचवार्षिक संशोधन के लिए भी व्यवस्था की गई थी। यह व्यवस्था इस बात को ध्यान में रखते हुए की गई थी कि अनेक संपत्तियाँ सरकार द्वारा काफी समय पहले ली गई थी और उस समय नियत किए गए मुआवजे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। इतने वर्षों में किराए में काफी वृद्धि हुई है और रख-रखाव की लागत भी बढ़ गई है। ऊपर बताए गए कारणों की वजह से संपत्तियों के स्वामी सरकार अधिग्रहीत संपत्तियों को छोड़ देने के लिए दबाब डाल रहे हैं। मुआवजे की राशि के पंचवार्षिक संशोधन की व्यवस्था से संपत्तियों के स्वामियों के हितों की कुछ हद तक रक्षा हुई है।

तदानुसार, 10 मार्च, 1980 तक संपत्तियों को छोड़ा जाना अपेक्षित था। इन संपतियों में से कई संपत्तियों, जिनमें भूमि भी सम्मिलित हैं, पर राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा सैनिक कार्य-संचालन या अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रयोजनों से सम्बन्धित स्थायी किस्म के कीमती निर्माण भी किए गए हैं। अतः, रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहीत सम्पत्तियों, जिनमें भूमि शामिल है को छोड़ने अथवा अर्जित करने की कठिनाइयाँ मुख्य रूप से सामरिक महत्व के कारणों और निधि की कमी की वजह से हैं। इसी प्रकार निर्माण और आवास मंत्रालय के मामले में, उन संपत्तियों को उपरोक्त तारीख से आगे रखने की आवश्यकता वित्तीय कठिनाइयों के कारण कार्यालय के

लिए अत्याधिक अपर्याप्त स्थान की वजह से उत्पन्न हुई है। अतः, जब तक सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने अथवा छोड़ने सम्बन्धी निर्णय ले नहीं लिया जाता, तब तक सम्पत्तियो को सौंपने के प्रयोजन से निर्माणों का हटाना सार्वजनिक और रक्षा की दृष्टि से उचित नहीं होगा। इन सम्पत्तियों को तीन से पाँच वर्ष तक की अवधि के भीतर-भीतर अधिग्रहण से अर्जित करने अथवा मुक्त करने से सम्बन्धित एक चरणबद्ध कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम का इस प्रकार संशोधन किया जाना आवश्यक है कि अधिग्रहीत रखे जाने वाली अथवा अर्जित की जाने वाली सम्पत्तियों को अधिकतम अवधि को पाँच वर्ष और बढ़ा दिया जाए।

इन शब्दों के साथ, महोदय, मैं सदन को संशोधन विधेयक विचारार्थ सिपुर्द करता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्तुत हुआ।

"कि स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने विधेयक पर विचार किया जाए।"

कुछ संशोधन हैं। श्री नाडार, क्या आप प्रस्तुत कर रहे हें।

**श्री नीललोहिथादसन** (त्रिवेन्द्रम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस विधेयक को 15 मई 1980 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

**अध्यक्ष महोदय** : श्रीं डागा, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : मैं यह प्रस्ताव करता हूँ :

"कि स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को निम्नलिखित 7 सदस्यों की एक प्रवर समिति को भेज दिया जाए :

(1) श्री वृद्धि चन्द जैन
(2) श्री मनफूल सिंह
(3) श्री पी० सी० सेठी
(4) श्री ज्योतिर्मय बसु
(5) श्री जी० एम० बनातवाला
(6) श्री माधव राव सिन्धिया
(7) श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल

साथ में, इस समिति को यह हिदायत दी जाए कि वह अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपनी रिपोर्ट भेज दे।"

**अध्यक्ष महोदय** : श्री मधुकर, क्या अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

**श्री कमला मिश्र मधुकर** (मोतीहारी) : मैं यह प्रस्वात करता हूँ :

"कि स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सदनों की 7 सदस्यों वाली एक संयुक्त समिति को भेज दिया जाए, जिसमें इस सदन के निम्नलिखित 5 सदस्य हों :

(1) श्री समर मुखर्जी
(2) श्री चन्द्रजीत यादव

(3) श्री रामावतार शास्त्री

(4) श्री मूलचन्द डागा

(5) श्री पी० सी० सेठी

और दो सदस्य राज्य सभा के हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त ससिति के कुल सदस्यों के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों की होगी;

कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह अन्तिम दिन तक अपनी रिपोर्ट भेज देगी;

कि अन्य बातों में, संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सदन के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे अन्तरों और संशोधनों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा बनाए गए हों; और

कि यह सदन राज्य सभा से सिफारिश करे कि राज्य सभा कथित संयुक्त समिति में भाग ले और संयुक्त समिति में नियुक्त होने वाले 2 सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करे।'

**अध्यक्ष महोदय** : श्री चटर्जी।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : श्रीमान, उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक उन संपत्तियों के अधिग्रहण की अवधि को बढ़ाने से सम्बन्धित है, जो अन्यथा मुक्त की जाती थीं और उस अध्यादेश का स्थान लेने के लिए हैं, जो इस बीच जारी किया गया था।

महोदय, मुद्दा यह है कि जो कुछ कार्यवाही इस सम्बन्ध में चल रही है, वह एक पंच-वार्षिक कसरत है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं बताया है कुछ मामलों में 1939 में भारतीय सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया था और यह अधिग्रहण वर्षों-वर्षों तक चलता रहा और यह पंचवार्षिक कसरत इसकी अवधि पाँच और वर्षों के लिए बढ़ाने हेतु की जा रही है।

अब, महोदय, मैं यह स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि सरकार हर बार यह कहती है कि अर्जन का मामला विचाराधीन है। अधिनियम में सम्पत्तियों का अर्जन करने और अधिग्रहण के अन्तर्गत सम्पत्तियों को रखने की व्यवस्था पहले ही है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कृपया सदन को अपने विश्वास में लें और वे यह बताएं कि इन सम्पत्तियों के लिए कितना वार्षिक किराया दिया जा रहा है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ।

इसके पीछे दो बातें हैं किराए का भुगतान तो किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे चहेते मकान-मालिक है, जिनकी सम्पति को कभी भी नहीं छोड़ा जायेगा, क्योंकि किराया नियमित आय का एक साधन बन गया है। दूसरी बात यह है कि जब तक अपने क्रिया-कलापों का विस्तार करते हुए सरकार अपने भवनों का स्वयं निर्माण करना शुरु नहीं कर देती, यह समस्या कभी नहीं सुलझाई जा सकती। प्रत्येक सरकार, प्रत्येक सार्वजनि कसंस्था इस समस्या का सामना कर रही है।

श्रीमान्, अब देश के विभिन्न भागों में किरायों की दरों में अब हुई वृद्धि के विचार से संशोधन का अर्थ होगा कि वे वर्तमान बाजार-दर किराये के लिये मांग करेंगे। यदि हम किराये का पूंजीगत मूल्य लेते हैं तो मुझे विश्वास है, प्रत्येक व्यक्ति इस बात पर सहमत होगा कि निर्माण लागत की तुलना में इस रूप में बहुत अधिक राशि दी जा चुकी है। किराये की इस बड़ी

राशि से बचा जा सकता था। सम्पत्ति के मालिकों की वास्तविक कठिनाइयां हैं। यदि वे साधन-सम्पन्न नहीं हैं और प्राधिकारियों को प्रभावित नहीं कर सकते तो उनकी सम्पत्तियां अधिग्रहण के अन्तर्गत बनी रहेंगी और वे इन्हें रिलीज नहीं करा सकेंगे। एक अन्य समस्या यह है कि बहुत से मामलों में इमारतें राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की सहायता से बनी हैं। इन्हें सरकार को अत्यधिक दरों पर किराये पर दिया जाता है। सरकारी क्षेत्र में निर्माण-कार्य नहीं हो रहा है। यदि सरकार जमीन अधिग्रहण करें और इस पर निर्माण-कार्य करें तो यह कार्य बड़े पैमाने पर होगा जिससे रोजगार उपलब्ध होगा और ठेके की प्राईवेट पद्धति भी खत्म हो जाएगी और इससे निजी ठेकेदार रास्ते से हट जायेंगे। इस प्रकार के कानूनों को जारी रखने से दो प्रकार के प्रभाव होंगे। एक यह है कि यह सरकारी क्षेत्र में निर्माण-कार्य गतिविधियों को नुकसान पहुँचा रही है। दूसरा यह है कि किरायों के रूप में बहुत अधिक राशियां दी जा रही हैं। कोई व्यक्ति विवाद नहीं कर सकता कि 'प्रभुताधिकार' एक ऐसा मामला है जो विद्यमान रहना ही चाहिए अर्थात् सार्वजनिक प्रयोजन के लिए निजी सम्पत्ति को अर्जित करने सम्बन्धी अस्तित्व में होना चाहिए। लेकिन जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि इससे अन्य कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं और मैं इस विषय पर इस गरिमा युक्त सदन के दो मिनट लेना चाहता हूँ। यह मुकदमेबाजी का विषय बन गया है। वस्तुतः यह अधिनियम पुराने अधिग्रहण को बनाये रखता है लेकिन सम्पत्तियों के अर्जन और अधिग्रहण के लिए समेकित और उचित कानून आवश्यक है। केन्द्रीय सरकार को भी इस मामले पर स्पष्ट रूप से विचार करना चाहिये। बहुत से मामलों में अधिग्रहण अथवा अर्जन सम्बन्धी आदेश में हमने पाया है कि यह मुकदमेबाजी का लाभदायक स्रोत बन गया है। हमें ऐसे मामलों का पता है जिनमें आदेश करने से पूर्व पार्टियों को गैर-सरकारी रूप से पता चल जाता है कि सरकार सम्पत्ति का कब्जा लेने जा रही है और रोकादेश ले लिये जाते हैं। जो प्रगति में आड़े आते हैं। बहुत से मामलों में सरकारी परियोजनायें रुकी पड़ी हैं।

श्रीमान्, अब समय आ गया है जब सरकार इस मामले पर, जहां तक केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सम्पत्तियों का सम्बन्ध है अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विचार करें वे एक ऐसा कानून बनायें जो सम्पत्तियों के अर्जन और अधिग्रहण के अधिक कारगर तरीकों की व्यवस्था करें। यह मेरा तर्क है। मैं इस गरिमायुक्त सदन को बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के छुट-पुट विधान और तदर्थ विधान से मात्र ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जायेंगी जैसी कि अब हम पाते हैं और इससे मुख्य समस्या हल नहीं होती है। यदि हम इस प्रकार के विधानों के उद्देश्य और कारणों के विवरण का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि इसी प्रकार का विचरण और इसी प्रकार के बहाने बताये जाते हैं : 'यह विचाराधीन है कि क्या सम्पत्ति अधिग्रहीत की जाये अथवा न की जाये।' अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि हालांकि इस अधिनियम में सम्पत्तियों का अधिग्रहण करने की व्यवस्था की गई है तथापि ऐसी कितनी सम्पत्तियां वस्तुतः अधिगृहीत की गई है ? यदि कोई भी नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ? इसके अतिरिक्त मैं जानना चाहता हूँ कि कितना किराया दिया जा रहा है; किन-किन सम्पत्तियों को वे अधिगृहीत करना चाहते हैं; क्या अधिग्रहण की राशि का भुगतान किश्त द्वारा करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता ? ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाये।

इस समय यह भावना है कि कुछ मामलों में एक गिरोह कार्य कर रहा है। मुझे विश्वास है कि बहुत सी सम्पत्तियों के लिये सरकार लाखों रुपये दे रही है। यदि मैं गलती पर नहीं हूँ तो हमें मालूम है कि पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता में एक इमारत के मामले में, जिसे रक्षा मंत्रालय ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। मासिक किराये के रूप में लगभग एक लाख अथवा इससे अधिक राशि दी जा रही है। सरकार निर्माण-कार्य स्वयं शुरू क्यों नहीं कर सकती ? प्राईवेट पार्टियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण दिया जा रहा है। सरकार को जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्तीय सहायता क्यों नहीं मिलती, जब कि वे प्राईवेट निर्माण-कार्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता दे रहे हैं। इस बारे में कोई सदेह नहीं है कि इस विधेयक का अनुमोदन किया जाना है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे सामान्य तरीके से इस मामले को हल न करें। इस मामले में हमारे राजकोष को हानि हो रही है। सरकारी एजेंसियों के हितों की उपेक्षा करके प्राइवेट निर्माण-कार्य एजेंसियां लाभ कमा रही हैं। बहुत सी राशि थोड़े से व्यक्तियों के पास पहुँच रही है। यदि उचित जांच की जाये, जन-गणना की जाये तो सचाई मालूम हो जाएगी। आजकल अधिकांश बड़ी इमारतें थोड़े से व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं और ये व्यक्ति अपनी सम्पत्तियों पर भारी किराया और लाभ ले रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से इस मामले पर अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक विचार करने के लिये अनुरोध करता हूँ। इस विधेयक का अनुमोदन किया जाना है अन्यथा अधिग्रहण सम्बन्धी समस्त आदेश खत्म हो जायेंगे। इसे एक पांच-वर्षीय धार्मिक कृत्य न माना जाये। इसके लिए एक विधेयक लाया जाये और अवधि बढ़ाई जाये। वर्ष 1939 से बाद में 41 वर्ष तक सम्पत्तियाँ अधिग्रहण के अन्तर्गत रहेंगी और उनमें से कुछ का हाल ही में किये गये अर्जन से समस्या हल नहीं होगी।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : (बसीरहाट) : श्रीमान्, मैं इस विधेयक के कुछ पहलुओं का उल्लेख करना चाहूँगा। मैं श्री चटर्जी द्वारा कही गई प्रत्येक बात से सहमत हूँ कि यह नौकरशाही का रोजमर्रा का कार्य बन चुका है और सरकार वास्तव में इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दे रही है कि इन अधिगृहीत सम्पत्तियों का निपटारा किस प्रकार प्रभावी ढंग से किया जाये और जितना अधिक विलम्ब वे इस मामले में किया जा रहा हैं उतनी ही अधिक यह समस्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। इस विधेयक में एक बड़ी त्रुटी मुआवजे की दरों के बारे में है। मुआवजे के बारे में मुझे इस बात की जानकारी है कि विशेष रूप से बड़े शहरों जैसे बम्बई, कलकत्ता आदि में कुछ बड़े-बड़े प्राइवेट सम्पत्ति के मालिक हैं और उनके लिये यह बहुत ऊपयोगी व लाभदायक हो सकता है, यदि उनकी बड़ी सम्पत्तियाँ सरकार द्वारा अधिगृहीत कर ली जायें और उन्हें प्रति वर्ष रखा जाये और उन्हें निश्चित आय होती रहे। लेकिन मैं माननीय मंत्री से जब वे उत्तर दें यह स्पष्ट करने के लिये कहूगा कि ऐसी अधिगृहीत सम्पत्तियों के लिये मुआवजे की दरें वही दरें हैं जो वर्ष 1939 में अथवा 1942 में निर्धारित की गई थीं। यद्यपि 40 वर्ष की अवधि गुजर चुकी है तथापि इसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किये गये हैं और नहीं कोई संशोधन किये गये हैं। संशोधन का प्रावधान है और अब यदि वे इस विधेयक को पास कर देते हैं और इसकी अवधि पाँच वर्ष के लिये बढ़ा देते हैं तो पाँच वर्ष की इस अवधि के दौरान अन्य संशोधन किया जा सकता है। लेकिन सचाई यह है कि मुआवजे की दरें अधिकांशतया संशोधित नहीं की गई हैं और वे दरें वहीं हैं जो 1939-1946 की अवधि के दौरान निर्धारित की गई थीं। प्रत्येक व्यक्ति

एक बड़ा सम्पत्ति मालिक नहीं है। मैं जानता हूं कि कलकत्ता शहर में अर्थात् कम आय वाले और मध्य आय वर्ग के बहुत से व्यक्तियों ने अपने खुद के मकान बनाये हुए हैं। ये मकान कई वर्षों से अधिगृहीत किये गये हैं। शायद मकान मालिक सरकारी सेवा में था और कलकत्ता से बाहर किसी स्थान पर नौकरी कर रहा था। इन वर्षों के दौरान वह सेवा से निवृत्त हो गये हैं और अब वह और उनके परिवार के पास अपनी बूढ़ी माता के साथ, रहने के लिये कोई अन्य स्थान नहीं है। उन्होंने बारम्बार अभ्यावेदन दिये हैं कि उन्हें अपने मकान वापिस दिये जाने चाहिये अथवा सेवा-निवृत्त होने के बाद वे कहां जाये ? इस प्रकार के बहुत से वास्तविक मामले हैं लेकिन ऐसा कोई प्रावधान अथवा प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा कठिनाई के ऐसे वास्तविक मामलों पर विचार किया जाये और यदि आवश्यक हो तो ये सम्पत्तियां मकान-मालिक को लौटा दी जायें।

एक अन्य प्रकार का उदाहरण जो मैं दे सकता हूं वह ग्रामीण क्षेत्र में किसी हाई स्कूल का है। मैं मंत्री महोदय से इसे नोट करने के लिये कहना चाहता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि वह इस प्रकार का उत्तर नहीं दे सकते हैं। बंगलादेश की सीमा के बहुत निकट 24 परगना जिले के बसिरहाट सब-डिवीजन में बिठारी नामक एक स्थान है। वहां पर एक हाई स्कूल है जो गांव के छात्रों की आवश्यकता पूरी करता है। वर्ष 1971 के बंगलादेश युद्ध के दौरान सेना द्वारा यह क्षेत्र अपने नियंत्रण में लिया गया था। और इस पर किसी सैनिक यूनिट द्वारा कब्जा किया गया था। बाद में युद्ध समाप्त होने के बाद यह स्कूल की सम्पत्ति रिलीज कि गई थी। लेकिन मैं खेद के साथ कह रहा हूं कि इस स्कूल को अधिगृहीत करने और इसका उपयोग करने के लिये कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। युद्ध के दौरान इसे क्षति भी हुई थी क्योंकि यह सीमा के बहुत निकट है। तथापि उन्हें अधिगृहीत करने के लिये और न ही क्षति के लिये मुआवजा दिया गया है। वहां पर बहुत छोटे लोग रहते हैं और स्कूल के मुख्याध्यापक पत्र लिखते जा रहे हैं लेकिन इनका कोई परिणाम नहीं निकलता है। ऐसे मामलों के लिये क्या हो रहा है ? क्या ऐसे वास्तविक मामलों की जांच करने के लिये पर्याप्त तंत्र है ? इस बारे में मुझे नहीं पता है।

तीसरा मुद्दा जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि विशेष रूप से बड़े शहरों में बहुत सी इमारतें हैं जो राज्य सरकारों की हैं। हम जानना चाहते है श्री सोमनाथ चटर्जी भी जानना चाहते थे कि किराये के रूप में प्रति वर्ष कितनी राशि दी गई है और दी जाने वाली देय बकाया राशि कितनी है ? श्री सिद्धार्थ शंकर राय के शासन काल से और अब भी पश्चिमि बंगाल की सरकार शिकायत कर रही है, राज्य के वित्त मंत्री भी शिकायत कर रहे हैं कि ऐसी इमारतों के लिये, जो राज्य सरकार की हैं और जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधीगृहीत किया गया है, किराये की बकाया राशि के रूप में लाखों और करोड़ों रुपये की भारी राशि राज्य सरकार को देय है और इस देय बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। यह अन्य रास्ता है जिसके द्वारा राज्य आर्थिक कठिनाइयों में डाल दिये जाते हैं। इन मामलों का किस प्रकार समाधान किया जायेगा ? मैं उनसे इस बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।

इस बात से मैं सहमत हूं कि ऐसा आवश्यक हो सकता है कि रक्षा सेवाओं के कुछ अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को कलकत्ता, बम्बई आदि जैसे शहरों में नियुक्त करना पड़े

और इन अधिकारियों को वहां विभिन्न कारणों से रखना पड़े, लेकिन मुझे इसमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता जिससे इन चालीस वर्ष की अवधि के दौरान रक्षा मंत्रालय अथवा निर्माण और आवास मंत्रालय अपने अधिकारियों के आवास के लिये अपने मकान बनाने की पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं कर सका। इन इमारतों के अधिगृहीत करने को कमी समाप्त नहीं किया जायेगा। कलकत्ता अथवा बम्बई जैसे शहर में रक्षा सेवा के अधिकारी और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी वहां सदैव ही रहेंगे। उन्हें वहां रहना पड़ेगा। अत: अपने कर्मचारियों के आवास के लिये अपना किसी प्रकार का आवास कार्यक्रम शुरू करने की बजाय वे इन इमारतों, कुछ प्राइवेट मकानों और कुछ राज्य सरकार की स्वामित्व वाली इमारतों पर कब्जा करते जाते हैं। देय राशि चुकाई नहीं जाती है, किराया नहीं दिया जाता है। जैसा मैंने बताया है कि कुछ मामलों में मुआवजा नहीं दिया गया है, जहां इसका मालिक छोटा व्यक्ति होता है अथवा स्कूल प्रबंधक बोर्ड है। वस्तुत: यह विधेयक पारित किया जायेगा लेकिन यह पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है क्योंकि अर्जित करने और अधिग्रहण करने से उत्पन्न सभी समस्याओं से निपटने के लिए इसमें व्यवस्थाएं नहीं हैं। मेरा विचार था कि वह अपनी प्रारंभीक टिप्पणियों में इस बारे में कुछ कहेंगे। लेकिन उन्होंने सावधानी पूर्वक वे पेचीदा मामले छोड़ दिये जो बहुत से लोगों के लिए भारी जटिलता पैदा कर रहे हैं और उन्हें कष्ट पहुँचा रहे है। अत: मैं आशा करता हूँ कि जब वह उत्तर देंगे तो वह इस सदन को विश्वास में लेंगे और यह नहीं कहेंगे। मैं अभी आया हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि जनता शासन के दौरान क्या हुआ था। क्योंकि प्रत्येक बात के लिये इन $2\frac{1}{2}$ वर्षों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह कई वर्षों से हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह कृपया मेरे द्वारा उठाये गये मुद्दों का जवाब दें।

**श्री पी. सी. सेठी :** मैं इस अधिनियम में असंगतियों का उल्लेख करने के लिये माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी और अपने अत्यन्त प्रिय मित्र और इस सदन के बहुत पुराने सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त का अत्यन्त आभारी हूँ। लेकिन मैं चटर्जी का इस बात को मानने के लिये आभारी हूं कि इसमें असंगतियां हैं जिनका उन्होंने उल्लेख किया है। मैं आशा करता हूँ कि जब हम इस पर पारस्परिक रूप से विचार-विमर्श करेंगे वह इन बातों का उल्लेख करेंगे और हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचेंगे।

लेकिन समय की मांग है कि यह विधेयक पारित किया जाये। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है और मैं यह स्वीकार कर रहा हूँ कि इसमें असंगतियां हैं। मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि कठिनाइयां हैं। मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि कठिनाइयों वाले कुछ मामले हैं। माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी मामलों को मैंने सावधानीपूर्वक नोट कर लिया है। उन्होंने मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिये भी कहा है जो इस स्थिति में मेरे लिये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये इमारतें निर्माण और आवास, इस्पात प्राधिकरण, रक्षा आदि जैसे विभिन्न विभागों द्वारा किराये पर ली गई हैं। लेकिन यह मालूम करना और तथ्य संग्रह करना ठीक है कि वह विभाग कौन सा है जिसने ऐसा किया है लेकिन अन्तत: यह धनराशि भारत सरकार की संयुक्त निधिसे जा रही है। अत: मैं अपने मंत्रालय से आंकड़े एकत्र करने का प्रयास करूँगा और इसे सदस्यों के लिये परिचालित करूंगा।

तथापि इन आंकड़ों के कारण जो मैं माननीय सदस्यों के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

उनके द्वारा दर्शाई गई समस्या का आयाम उतना बड़ा नहीं है जो उन्होंने उल्लेख किया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार विभिन्न राज्यों में अधिग्रहण के अधीन 98,000 एकड़ भूमि में से इस मंत्रालय द्वारा 40 करोड़ रुपये का मुआवजा देकर लगभग 77,000 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है। केवल 21,000 एकड़ भूमि रह गई है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यह लगभग 1/5 भाग है।

**श्री पी. सी. सेठी** : कृपया अन्य दृष्टि से देखिए कि लगभग 4/5 भाग निपटाया जा चुका है। लेकिन 1936 से 1946 तक कुछ नहीं किया गया था। यही कारण है कि यह मामला एक जगह से दूसरी जगह घूमता है। वस्तुत: सही अर्थों में वर्ष 1970 में यह अधिनियम लाया गया था। तब से इसे वर्ष 1973 में तीन वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है और तदन्तर दोबारा 1975 और 1977 में बढ़ाया गया है। आखिरी तारीख खत्म हो गई है। यही कारण है कि हमें यह अध्यादेश लाना पड़ा था। और अब मैं इसे कानून का रूप देने के लिए सदन के पास आया हूं। मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों को सावधानी पूर्वक नोट कर लिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह मध्याह्न: भोजन का समय है। आप मध्याह्न भोजन के पश्चात् दोबारा बोल सकते हैं।

**श्री पी.सी. सेठी** : हम संशोधन बाद में ले सकते हैं। पहले मुझे अपना भाषण समाप्त करने दीजिये।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आप माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों का उत्तर अवश्य दें। आप इन पर मध्याह्न भोजन के दौरान विचार करें और मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना उत्तर दें।

**अध्यक्ष महोदय** : सभा मध्याह्न 2 बजे भोजन के लिये स्थगित हुई।

**इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।**

**लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म०प० पर पुन: समवेत हुई।**

---

## स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक जारी

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

**श्री पी. सी. सेठी** : श्रीमान्, मैं स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों का उत्तर दे रहा था। मैं कह रहा था कि समस्या का आयाम इतना बड़ा नहीं हैं, रक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में 98,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण की जा रही हैं, उन्होंने लगभग 77,000 एकड़ भूमि अर्जित करती है और लगभग 21,000 एकड़ भूमि बाकी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 6600 एकड़ भूमि भी रिलीज कर दी है। वस्तुत: मार्च, 1970 से पूर्व अधिगृहीत की गई भूमि सहित उनके पास 14,576 एकड़ भूमि शेष रह गई है। अधिग्रहण के लिये मंजूर किया गया क्षेत्र 6,424 एकड़ है, अधिगृहीत किये जाने वाला प्रस्ताविक क्षेत्र ये प्रस्ताव विभिन्न चरणों में हैं-- 1819 एकड़ है; अधिग्रहण समाप्त करने के लिये मंजूर किया गय क्षेत्र 1733 एकड़ है।

अधिग्रहण समाप्त किया जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्र .. 543 एकड़
पुनरीक्षणाधीन मामले ... 4057 एकड़

जहां तक इमारतों का सम्बन्ध है रक्षा मंत्रालय के पास केवल 83 इमारतें हैं

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कहां पर सारे भारत वर्ष में ?

श्री पी. सी. सेठी : जी हां। 10 मार्च 1970 के पश्चात के इस अधिगृहण के सहित। इनमें से आठ मामलो में अधिगृहण तथा चार मामलों में अधिग्रहण को समाप्त करने की स्वीकृति पहिले ही दी जा चुकी है। दो सम्पत्तियों का अधिग्रहण किया जाने का विचार है और शेष 69 के सम्बन्ध में पुनरीक्षण किया जा रहा है।

माननीय् सदस्यों द्वारा कुछ अन्य प्रश्न भी पूछे गये थे —सरकार द्वारा कितना किराया अदा किया जा रहा है ? उस समय मैंने कहा था कि मेरे लिए तत्काल उत्तर देना मुश्किल होगा परन्तु मेरे भाग्य से बीच में भोजन काल आ गया। यद्यपि मुझे अपना दोपहर का भोजन छोड़ना पड़ा मैं अब उस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में हूँ। इमारतों के लिए प्रति वर्ष किराये के रूप में 32, 25, 636 लाख की अदायगी की जा रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह केवल रक्षा मन्त्रालय हेतु इमारतों के संबंध में है ?

श्री पी. सी. सेठी : मेरे विचार से यह सभी इमारतों के लिए है। मैंने उनको सभी के सम्बन्ध में आंकड़े देने को कहा था। मैं पुनः इसकी जांच करूगा और आपको सूचित करूंगा। भूमि के लिए 13, 81, 434 रु० का किराया अदा किया जा रहा है। कलकत्ता में हम 176 लाख वर्ग फुट कार्यालय आवास का निर्माण कर रहे हैं। 2000 रिहायशी एककों का कलकत्ता में निर्माण किया जा रहा है। बम्बई में 2600 रिहायशी एकक निर्माणाधीन हैं। परन्तु कलकत्ता के हाल में मेरे राजधानी के दौरे के दौरान मैंने मुख्य मन्त्री के साथ विचार विमर्श किया। इस सम्बन्ध में कुछ विवाद है कि उस क्षेत्र को जिसमें हम सरकारी मकानों का निर्माण करना चाहते हैं वह उस क्षेत्र को किसी अन्य प्रयोजन के लिए चाहते हैं। अतः हम पुनः उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्यों के पास कोई प्रस्ताव है अथवा इस बारे में उनके कोई विचार हैं तो जब मामला ठोस रूप ग्रहण करेगा तो मैं आपसे सुझाव लूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप कितना क्षेत्र चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप क्या चाहते हैं ? आप कितना क्षेत्र चाहते हैं। मैं आप को पत्र लिखूंगा।

श्री पी. सी. सेठी : दिल्ली में 6.28 लाख वर्ग फुट कार्यालय आवास और 15300 रिहायशी एककों का निर्माण किया जा रहा है। दिक्कतों के वास्तविक मामले भी हैं। निर्माण और आवास मन्त्रालय ने 10 मार्च 1980 से एक वर्ष के भीतर रिहायशी एकक रिलीज करने का चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। यह निर्णय हाल ही में लिया गया है।

सरकारी बैंक निजी व्यक्तियों को ऋण दे रहे हैं जो आगे मकान सरकार को किराये पर देते हैं। एक यह प्रश्न भी श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा पूछा गया था। इमारतों का कार्यक्रम धन की उपलब्धता को ध्यान में रख कर आरम्भ किया जाता है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इमारतों के निर्माण की गतिविधि एक दम रूक नहीं जायेगी। हम देश को ऐसा नहीं बनाना

चाहते जहां पर सारी इमारतें सरकार की हों। अन्यथा समस्या का सामना करने में दिक्कत होगी। अन्त में यदि भारत उस स्थिति की ओर अग्रसर हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं परन्तु इस समय···

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : सरकारी कार्यालयों का दुरुपयोग।

**श्री पी. सी. सेठी** : मैंने यह नोट किया है कि गैर-सरकारी लोगों को बैंकों तथा अन्य वित्तीय सस्थानों से ऋण दिये जा रहे हैं और

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : ऐसे भी वित्तीय स्रोत हैं जहां से सरकार धनराशि प्राप्त कर सकती है।

**श्री पी. सी. सेठी** : मैंने आपके सुझाव को नोट कर लिया है।

कितनी सम्पत्तियों का अधिग्रहण किया गया है और कितनी का अधिग्रहण समाप्त किया गया है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ 10-3-70 स 31-5-1979 तक रक्षा मन्त्रालय के अधिग्रहण के अधीन 98000 एकड़ भूमि में से 139 रिहायशी एकक तथा 32 कार्यालय भवन रिलीज कर दिये गए हैं। अतः हम न्यूनतम सभव सीमा तक समस्या को घटाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कुछ दोष रह गए हैं मुझे माननीय सदस्यों के साथ अथवा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के साथ परामर्श करने में कोई आपत्ति नहीं जो अपनी मूल्यवान सलाह देने को तैयार हैं। विपक्ष की ओर बैठे हुए श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे व्यक्ति ने भी इस बात को अनुभव किया है कि विधेयक को पारित किया जाना है। श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री गुप्त ने भी यही कहा है। अतः इस को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। स्कूल की इमारत स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहण की गई 83 सम्पत्तियों में से नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे 1971 के युद्ध के दौरान उपयोग में लाया गया था। ऐसे मामलों में सिविल अधिकारियों के परामर्श के साथ अनुग्रह पूर्वक क्षति पूर्ति देने की एक अलग से योजना है और रक्षा मंत्रालय को इस मामले का आगे विचार करना होगा तथापि, चूंकि माननीय सदस्य ने यह मामला उठाया है हम रक्षा मन्त्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह एक निर्धन गांव का स्कूल था।

**श्री पी. सी. सेठी** : यह सच है परन्तु 1971 में इसका उपयोग सेना प्रयोजनों के लिए किया गया था।

**श्री इन्द्र जीत गुप्त** तब उसके लिए कुछ धनराशि की अदायगी करें।

**श्री पी. सी. सेठी** : यह अदायगी करने का काम मेरे मन्त्रालय का नहीं है परन्तु आपने जो कुछ कहा है मैंने उसे नोट किया है। हम रक्षा मन्त्रालय को यथा शीघ्र निर्णय करने को कहेंगे।

**श्री इन्द्र जीत गुप्त** : किराये के बकाया का क्या होगा ?

**श्री पी. सी. सेठी** : वह आंकड़े मेरे पास हैं। मैं वह आंकड़े आपको उपलब्ध कर दूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि कोई माननीय सदस्य अपने संशोधन वापस लेना चाहता है तो ठीक है अन्यथा मैं संशोधनों को मतदान के लिए रखूंगा। श्री नाडर क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

**श्री ए. नीलकोहियरसन** । जी, हां । मैं अपना संशोधन संख्या 8 वापस ले रहा हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या उन्हें अपना संशोधन संख्या 8 वापस लेने की अनुमति है। कोई विपत्ति नहीं है।

**संशोधन संख्या 8 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मधुकर, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

**श्री के. एम. मधुकर** : जी, नहीं । मैं वापस नहीं ले रहा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री डागा क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

**श्री मूलचन्द डागा** : मैं अपने संशोधन पर कुछ कहना चाहूँगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मन्त्री के उत्तर के साथ चर्चा समाप्त हो चुकी है। प्रश्न यह है कि क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं। यदि आप बोलना चाहते हैं तो आपको तीसरे वचन की अवस्था पर समय दिया जायेगा। अब क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

**श्री मूल चन्द्र डागा** : जी, हां। मैं अपना संशोधन वापस ले रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष महोदय** : क्या श्री डागा को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

**अनेक माननीय सदस्य** : जी हां।

**संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब श्री मधुकर क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

**श्री के. एम. मधुकर** : जी नहीं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अब श्री के. एम मधुकर का संशोधन संख्या 11 मतदान के लिए रखूंगा।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :—

"स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम 1952 का और संशोधन करने वाले अधिनियम पर विचार किया जाये"।

**प्रस्ताव स्वीकृति हुआ**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं विधेयक पर खण्ड वार विचार आरम्भ करूंगा। खण्ड 2 पर श्री शमन्ना का एक संशोधन है।

**श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण)** : मैं अपना संशोधन संख्या। प्रस्तुत करता हूँ।

मेरे इस संशोधन का कुछ प्रयोजन है। विधेयक में यह बताया गया है कि चरणबद्ध रूप में दो वर्षों अथवा पाँच वर्षों में सम्पत्ति के अर्जन के लिये उपबन्ध किया जायेगा। परन्तु मेरा विचार है कि यदि आपको 15 वर्षों की अवधि के लिये अधिग्रहण और अर्जन हेन्ड खुली शक्ति प्राप्त हो तो यह अवधि बहुत लम्बी होगी नए मामलों के लिये अवधि कम की जानी चाहिये थी ? अधिग्रहण और अर्जन के समुचित विनियमन के लिये एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिये

था। इसको देखते हुए सरकार के तथा कुछ सीमा तक मालिक के हितों के लिये एक साधारण कानून पेश किया जाना चाहिये था।

अधिग्रहण की प्रक्रिया में आवश्यक विलम्ब के कारण भ्रष्टाचार के लिये तथा अपने प्रभाव के प्रयोग के द्वारा अधिग्रहण की प्रक्रिया को उलटने के अवसर पैदा होंगे। बंगलौर में एक मामले में विलम्ब के कारण भूमि की कीमत लगभग दोगुना हो गई है। एक अन्य मामले में अपने प्रभाव का उपयोग करके इमारत वापस ले ली गई है और उसे दोगुना किराये पर दे दिया गया है। अतः इन परिस्थितियों के अन्तर्गत अच्छा यह है कि अधिग्रहण और अर्जन के बारे में एक व्यापक कानून होना चाहिये।

इस सम्बन्ध में यदि मैं यह कहूँ कि नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के कारण जो कि राज्य में एक केन्द्रीय कानून है, बहुत रिश्वत पैदा हो गई है क्योंकि नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत भूमि के अधिग्रहण के लिये अधिक कीमत देनी होती है जबकि यदि भूमि का अधिग्रहण सेना के द्वारा अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये किया जाये तो इसकी कम दाम पर कीमत अदा की जायेगी। इससे असुविधा पैदा हो गई है। अतः यह अच्छा होगा कि राज्य के हितों में नगरीय भूमि, अधिकतम सीमा अधिनियम को समाप्त किया जाये क्योंकि इतने वर्षों के पश्चात भी यह अधिनियम प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ है। जो प्रभुत्व वाले और धनवान हैं वे सरकार से अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। मैंने ऐसे अनेक मामले बताये हैं जिनमें व्यक्तियों के अनुमति प्रदान की गई है, जिनको काफी लाभ पहुँचा है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि जनता के हितों में तथा गरीबों के हितों के संरक्षण के लिये विशेष रूप से गन्दी बस्तियाँ हटाने से सम्बद्ध अर्जन के मामलों में अच्छा होगा कि नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम को, जैसा कि कर्नाटक पर लागू है, समाप्त कर दिया जाये और राज्य इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त कानून बनाये। सरकार ने इस बात के लिये गंभीर कदम नहीं उठाये कि अर्जन प्रक्रिया में विलम्ब को समाप्त किया जाये। यदि वे इस उद्देश्य के लिये 15 वर्ष का समय लेते हैं तो यह अवधि बहुत अधिक है और यह बहुत अनुचित है। अतः मैं विधेयक के उपबन्धों का बिरोध करता हूँ और अपने संशोधन पर आग्रह करता हूँ।

**श्री पी० सी० सेठी :** इस अवस्था पर यह कहा जाना कि पाँच वर्ष की अवधि बहुत अधिक है। मैंने कहा है कि हम एक वर्ष में पुराने मामलों को पुनरीक्षण करने वाले हैं। परन्तु वे पाँच वर्षों के स्थान पर चार वर्ष का प्रस्ताव कर रहे हैं। मैं दो अथवा तीन वर्षों का प्रस्ताव कर सकता था। यदि यह आवश्यक हो तो मैं अभी भी इसे कर देता। परन्तु मंत्रीमंडल के पास जाने की औपचारिकता तथा अन्य बातें जरूरी हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूँ कि हम निरन्तर जागरूक हैं और हम लम्बित मामलों का विभाग को दिये गये निर्धारित एक वर्ष के समय के भीतर पुनरीक्षण करने का प्रयास करेंगे। अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अपने संशोधन कर आग्रह न करें।

**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन संख्या 1 पर आग्रह कर रहे हैं।

**श्री टी० आर० शमन्ना :** जी हां,।

**उपाध्यक्ष महोदय :** ठीक है। मैं संशोधन संख्या 1 को मतदान के लिये रखूँगा।

**संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि : "खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खण्ड 3**

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या श्री शमन्ना खण्ड 3 के लिये अपने संशोधन संख्या 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पेश कर रहे हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया**

**खण्ड 4**

**श्री पी० सी० सेठी** : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"पृष्ठ 2, पंक्ति 25, :—

"इस अधिनियम" शब्दों के स्थान पर "वह नियम" शब्द रख दिये जायें (संख्या 9)

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह सरकारी संशोधन है । उन्हें इस बारे में कुछ बताना चाहिये कि इन्हें किस कारण से बदला जा रहा है । उन्हें हमें बताना चाहिये कि हमें क्यों इसको स्वीकार करना चाहिये ।

**श्री पी० सी० सेठी** : श्री इन्द्रजीत गुप्त जैसे बुद्धिमान, प्रतिष्ठित तथा पुराने सदस्य के लिये यदि मुझे कुछ शब्दों में बताना पड़े तो मुझे फिर सब कुछ बताना होगा ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है ।

"पृष्ठ 2, पंक्ति 25 :—

"इस अधिनियम" शब्दों के स्थान पर "वह नियम" शब्द रख दिये जायें (संख्या 9)"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खंड 4, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया**

**खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये**

**श्री पी० सी० सेठी** : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये"

**श्री मूलचन्द डागा** : अगर लेजिस्लेशन को इस प्रकार से पास किया गया तो पार्लियामेंट लिये मैं समझता हूँ कि सोचने की बात होगी कि वह अपना काम ठीक कर रही है अथवा नहीं ।

हम लोगों ने इसको 1939 में पास किया था। इसको पास किए हुए करीब 40 साल हो गए हैं। पांच बार इसका रिवीजन हो चुका है। हमेशा मिनिस्टर की तरफ से और हमारी तरफ से भी एक ही तरह की बातें कही जाती रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो इसका परपज था क्या वह अधीन हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने इस सदन को जो आश्वासन दिया था उसको मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूँ।

जैसाकि 'लोकसभा वाद-विवाद' खंड ग्याहरह, तीसरा सत्र 1971, कालम 38 में प्रकाशित हुआ था, प्रधान मंत्री ने कहा था :

"यह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई आपातस्थिति की घोषणा के परिणाम-स्वरूप केवल आवश्यक कानून की व्यवस्था करता है। हमने प्रयास किया है कि हमारे नागरिकों के सामान्य व्यवसायों में कम से कम हस्तक्षेप हो।"

चर्चा के भते पर गृह मन्त्री, श्रीकृष्ण चन्द्र पन्त ने कहा था :

"जबकि सदन के सभी वर्गों द्वारा इसको समर्थन प्राप्त हुआ है, चर्चा के दौरान कुछ मसले उठाये गये हैं। इनमें से एक यह था कि यह कानून आपात स्थिति के बाद लागू रहना चाहिये। एक लोकतांत्रिक देश में भावनायें स्वाभाविक हैं और मैं उनका आदर करता हूँ। मैं यह कह सकता हूँ कि हमारा अभिप्राय यह है कि इसे आपात स्थिति के बाद लागू न रखा जाये।"

परपज यह था कि जरूरत हो तो जमीन रखी जाय और अगर जरूरत न हो तो उस जमीन को फौरन छोड़ दिया जाय। अब इस एक्ट को कोई देखे तो पायेंगे कि इसके सैक्शन्स को किसी ने इमप्लीमेंट नहीं किया। इस 1952 के ऐक्ट के सेक्शन्स 5, 6 को देखा जाय, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी सरकार ने इन धाराओं को कार्यान्वित किया है अथवा नहीं और हमें केवल "हां" कहना ही है।

मैंने एक सवाल किया है राजस्थान की जमीन के बारे में, जो जमीन ले ली गई है; उसका उत्तर मिला है। मार्च 1976 में बाड़मेर जिले में 133 एकड़ जमीन ली गई लेकिन उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला। 1976 में डिफेंस ने ली जमीन, लेने के बाद उत्तर दे रहे हैं कि उक्त जिले के कलेक्टर और रक्षा विभाग तथा छावनी के अधिकारियों के बीच मतभेद होने के कारण उस जमीन का मुआवजा नहीं अदा किया गया है। झगड़ा अभी भी तय नहीं हुआ है डिफेंस परपजेज के लिये ली गई या नहीं। अगर किसी के सिविल राइट्स हैं जमीन पर और 1976 में आप जमीन ले लेते हैं और 1980 में यह जवाब देते हैं उसका मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि डिफेंस और कलेक्टर के बीच में बात तय नहीं हुई, तो आप बतायें यह कहाँ का न्याय है। और यह उत्तर 19-3-80 का है।

दिसम्बर 1972 में बाड़मेर में 190, 68 एकड़ जमीन ली गई और 7 साल के बाद उसका मुआवजा दिया गया। मैंने जब कहा था तो स्पीकर साहब ने कहा था कि मुझे इस पर बोलने का मौका मिलेगा। मेरा कहना था कि सेलेक्ट कमेटी में भेजने से कोई आसमान नहीं टूटता था। मैंने कहा कि 7 मार्च को निकला हुआ जो आपका आर्डिनेंस है उस पर सारे लोग बैठ कर विचार कर लेते कितनी जमीन चाहिये, इसकी क्या जरूरत है कौन सी हमको जमीन

लेनी है, किस जमीन को हमें छोड़ना है। डिफेंस का नहीं बता सकते फौर पब्लिक परजेज। मैं कहता हूँ सैक्शन 17 लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत, एज ए चैयरमैन मुझे याद है कि जो मुझे जमीन ऐक्वायर करनी थी उसका पजेशन 15 दिन के अन्दर ले लिया। और हाई कोर्ट कहता है कि पावर्स हैं सेक्शन 17 के अधीन जिसके अन्तर्गत आप पब्लिक परपजेज के लिये लैंड एक्वायर कर सकते हैं।

अगर पार्लियामेंट के कोई प्रोसीडिंग्स पढ़ेगा तो कहेगा कि 1939 में इमरजेंसी में जमीन ली गई, लेने के बाद उसका परपज क्या था ? क्या वह परपज फुलफिल हो रहा है ? जमीन ले ली गई, लेकिन बेकार पड़ी हुई है और उस पर वहाँ काम करने वाले सैनिक ही जो वहाँ रहते हैं वही खेती करते हैं। गंगानगर में जमीन ले ली है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने संशोधन किया। 1975 में पहले संशोधन हो चुका था। इनका विभाग सोचता है कि टाइम जा रहा है, 7 मार्च आ गई है चलो आर्डिनेंस निकाल दो। मेम्बर्स को समय मिलेगा नहीं जो अपना दिमाग लगा सके। अगर आप मिनिस्टर का जवाब पढ़ लें तीनों प्रोसीडिंग्स में तो पायेंगे एक सा ही उत्तर सभी मंत्रियों द्वारा दिया गया है।

सभी मंत्रियों द्वारा वह उत्तर दोहरा दिया गया है। यह तीनों आप पढ़ लीजिये, वही रिप्लाईज है, कहीं कोई चेंज नहीं है। अब मिनिस्टर कहते हैं कि हम जल्दी काम कर लेंगे। **(व्यावधान)** मैंने 1977 और 1975 के उत्तर को पढ़ा है, आप मेहरबानी करके उसको पढ़ लीजिये। आज यह बात ठीक हुई कि हमारे जो उधर बैठने वाले सदस्यों ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि "मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है और मैं आपका संशोधन स्वीकार करता हूँ"। तब वह चुप रह गये। तो हमको यह मालूम हुआ। जब वह सिद्धान्तों की बात करते हैं तो संशोधन क्या है ?

अमैंडमैंट हमारा यही था कि आप एक सलैक्ट कमेटी में बैठकर थोड़े दिन विचार कीजिये। इसमें कोई गलत बात नहीं कही थी। मैंने यह नहीं कहा कि मैं बिल की अपोज करता हूँ। मैंने कहा था कि हमें इस विषय पर विचार करना चाहिये। आपने उसे मंजूर नहीं किया तो मैंने उसे विद्-ड्रा कर लिया।

**एक माननीय सदस्य** : क्यों विद्-ड्रा किया ? नहीं करना चाहिये था।

**श्री मूलचन्द डागा** : यह मेरी गलती है, लेकिन मैं पार्टी के डिसिप्लिन में रहना चाहता हूँ इसलिये विद्-ड्रा किया। पार्टी में रहकर भी मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो बिल आते हैं, आप यह बताइये कि उसमें पब्लिक परपज क्या है ?

वाक्यांश है "अन्य प्रयोजनों के लिये"।

अदर-परपज के लिये कितनी-कितनी जमीन ले ली है, क्यों ले रखी है और कब से ले रखी है ?

**श्री प्रकाश चन्द सेठी** : सारा बताया है।

**श्री मूलचन्द डागा** : जो आपने बताया है, मैं उसे पूरी तरह से समझ गया हूँ। आप इसे एकत्रित नहीं कर सकते। उत्तर उसमें है। मैंने पढ़ लिया, सुन लिया कि आप डाटा कलैक्ट करेंगे।

इसलिये मैं कह रहा था कि अगर बिल में कुछ बातें इम्पलीमेंट करना चाहते हैं और आप

जो मुआवजा देना चाहते हैं 1980 में तो उस मुआवजे का क्या आधार होगा ? इस बिल में कुछ नहीं है। क्या कम्पैन्सेशन मिलेगा, किस रेट पर देंगे, इसमें यह कुछ नहीं है।

**श्री कमला मिश्र मधुकर** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पहले बोलने नहीं दिया। जो कुछ मैंने दिया था, उसको भले ही हाउस ने रिजैक्ट कर दिया हो लेकिन मैं उसपर दृढ़ हूँ।

सेठी जी जरा ध्यान दें, वह मित्र आदमी हैं, उन्होंने जो रास्ता अपना लिया है वह दौड़ने के समान है। दौड़ना चाहते हैं, फिर गिरिये, फिर उठिये और फिर दौड़िये। यह बिल आपने 1952 में बनाया, 1975 में उसमें अमेंडमेंट लाये और 1980 में अध्यादेश जारी किया और अब फिर उसी रूप में बिल लाना चाहते हैं। आपने जो ज्ञापन दिया है, उसमें यह है कि—

"विधेयक का खंड 2 स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 की धारा 6 की उपधारा (1क) में कुछ संशोधन करने के लिए है जिससे कि अधिग्रहण के अधीन सम्पत्ति जितनी अधिकतम अवधि तक रखी जा सकती है, उस अवधि को पांच वर्ष तक के लिए और बढ़ा दिया जाए।"

मैं यही चाहता था कि सरकार को इस बारे में एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाना चाहिए। माननीय सदस्य, श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री इन्द्रजीत गुप्त, के तर्कों को पूर्ण रूप से मानते हुए भी मैं कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक बहुत जल्दबाजी में लाया गया है। इससे बाद में बहुत कठिनाइयां होंगी।

मुझे चम्पारन जिले का अनुभव है कि गंडक प्राजेक्ट के लिए बहुत-सी जमीन ली गई, मगर न तो लोगों को मुआवजा मिल पाया है और न ही वहां कोई काम हो सका है। इससे छोटे-छोटे लोगों को बहुत परेशानी होती है। उन परेशानियों को दूर करने के लिये इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं है। शाहजहांपुर में डिफेंस के लिए जमीन ली गई है। बहुत से लोक ठेके पर लेकर लाभ उठा रहे हैं, लेकिन डिफेंस के लिए न कोई निर्माण हुआ है और न कोई काम हो रहा है। वह जमीन डिफेंस डिपार्टमेंट के काम में नहीं आ रही है। जरूरत इस बात की है कि देश में बड़े पैमाने पर भवन-निर्माण का काम हो।

हमारे जिले मौतिहारी में केन्द्रीय सरकार के कई कार्यालय है। उसकी वहां पर कोई जमीन नहीं है और कोई मकान भी नहीं बन रहे है। उन मकानों का किराया दिया जा रहा है, मगर उस किराये की रकम से अच्छे मकान बन सकते हैं। यह काम बड़े पैमाने पर शुरु किया जाना चाहिए . मैं मंत्री महोदय के उद्देश्य से सहमत हूं, लेकिन जिस ढंग से काम किया जा रहा है, उससे उस उदेश्य की पूर्ति नहीं होने वाली है। अगर इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाता, जहाँ इस पर सम्यक रूप से विचार होता, तो एक काम्प्रहैसिव बिल हमारे सामने आ सकता था, जिसमें बार-बार संशोधन करने की जरूरत न पड़ती। जितने बड़े पैमाने पर जमीन ले कर निर्माण करने की जरूरत है, वह काम भी हो सकता था।

मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने मेरी भावना को नहीं समझा और इस संशोधन को नहीं माना। वह अब भी इस बात पर विचार करें कि छोटे लोगों की जमीन लेकर उन्हें मुआवजा देने के विषय में जल्दी कार्यवाही की जानी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया है, आज बड़े लोग सरकारी जमीन को ठेके पर लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार को कोई लाभ नहीं हो रहा है। न ही

वहां कोई निर्माण हो रहा है। मंत्री महोदय इस बारे में आशवसन दें कि वह इस बारे में क्या कदम उठाना चाहते हैं। उनकी नीति और उद्देश्य से सहमत होते हुए भी मैं चाहता हूँ कि काम उचित रूप से हो और इस विधेयक को व्यापक बनाया जाये, ताकि आगे चलकर कठिनाइयां न हों।

**श्री प्रकाश चन्द सेठी :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री डागा और मधुकर, की भावना की कद्र करता हूँ। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। कि यह तो डिफेंस डिपार्टमेंट और स्टेट के रेवेन्यु डिपार्टमेंट के बीच का झगड़ा है। मैं राजस्थान में सैकड़ों मामले ऐसे निकाल सकता हूँ, जहां रेवेन्यु डिपार्टमेंट या पी० डब्ल्यू० डी० ने सड़क बनाने के लिए किसानों की जमीन ली है और उसका मुआवजा दस बीस सालों के बाद भी नहीं दिया गया है। अगर डिफेंस डिपार्टमेंट और रेवेन्यु डिपार्टमेंट के बीच में कोई मतभेद है—और वे मतभेद 1971 और 1972 में भी थे—तो यह मामला तो आपसी बातचीत से ही तय हो सकता है। एक स्टेट सबजैक्ट है और एक सेंट्रल सबजैक्ट है।

मुझे कानून का उतना ज्ञान नहीं है, जितना कि श्री डागा को है। लेकिन मैं उनकी एक बात सुधारना चाहता हूँ। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मुझे जानकारी देने के लिए कहा था। श्री डागा तो चले गये लंच खाने। वह जानकारी मैंने यहां दे दी है।

**एक माननीय सदस्य :** आप उन्हें खाने पर बुलायें।

**श्री पी. सी. सेठी :** खाना तो राजस्थान में बनता है। ऊपर इतना घी होता है। बीकानेर के पापड़ मशहूर हैं। अगर वह पार्लियामेंट के सब सदस्यों को लाकर दें, तो अच्छा होगा।

जहां तक डिफेंस डिपार्टमेंट की आवश्यकता का सम्बन्ध है, मेरी कांस्टीट्युएन्सी में उसने म्हों में फायरिंग रेंज के लिए जमीन ले रखी है। आप कहेंगे कि फायरिंग तो सात दिनों में एक दिन होता है, बाकी दिन वहां गायों को चरने दिया जाये। यह समव नहीं है। एक्सपेंशन को भी देखना पड़ता है। अगर डिफेंस डिपार्टमेंट ने चारे की कोई जमीन ले रखी है, तो कल वहां पर किसी नये कमबैट कालेज का फायरिंग रेंज बन जाता है, जहां नये वैपन्ज के इस्तेमाल की प्रैक्टिस की जा सकती है। तो इन चीजों को देखते हुए डिफेंस के ऐक्वीजीशन या रिक्वीजिशन के बारे में आम तौर पर कोई आम सलाह नहीं दी जाती। डिफैंस मिनिस्ट्री क्या करती है उसका पता दूसरी मिनिस्ट्रीज को भी नहीं लगता क्योंकि वह डिफेंस का सवाल है, उसकी चर्चा न तो पार्लियामेंट में की जा सकती है और न डिफेंस मिनिस्ट्री हम से करती है। हां, हाउसिंग के बारे में आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कभी-कभी जमीन अस्पताल के लिए लेनी पड़ती है क्योंकि आपको बीमारी हो जाय और उसके लिए माकूल इन्तजाम न हो तो काम कैसे चलेगा ? इसमें यह बात जरूर है कि एनामलीज हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि अभी तक ऐडआक बैसिस पर चलता चला आ रहा है आप ने कहा कि इसका एक ही उत्तर आया है पिछले चार पांच सालों में तो अगर आप पिछली बहस उठा कर देखें तो उसमें जो प्रश्न और मुद्दे उठे हैं वह भी तीनों चारों सालों में एक ही उठे हैं। यह तो ऐसी बात है कि इसमें डिफेंस का और उनका फैसला नहीं हुआ तो मिनिस्टर क्या करेगा ? उसको तो वही जवाब देना है जो हकीकत है। मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें ब्यूरोक्रेटिक डिले है।

इस विलम्ब की जहां तक सम्भव हो सके कम कर दिया जाना चाहिए । मैं तो यह चाहूँगा कि इसमें विलम्ब बिल्कुल भी न हो, मैं यहाँ तक कह सकता हूं···, कि जब हम किसी सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेते हैं तो जैसा कि चटर्जी ने सुझाव दिया है, यदि पूरी क्षतिपूर्ति का दिया जाना सम्भव न हो तो कुछ न कुछ तो अग्रिम रूप से दिया ही जाना चाहिए ताकि जिस व्यक्ति की सम्पति पर अधिकार किया गया हो वह पूर्णरूप से भूखा न रहने पावे, मैं इन भावनाओं की कद्र करता हूँ। मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जब किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो क्षतिपूर्ति चाहे कुछ भी हो उसके स्थान पर उसके परिवार को तुरन्त ही 5000 अथवा 10,000 रुपये दे दिये जाते हैं। कुछ इसी तरह से साधनों को देखते हुए वित्तीय स्थिति तथा दूसरी परेशानियों के आधार पर क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। ये महत्वपूर्ण सुझाव हैं जिन्हें विचार में लिया जाना चाहिए। मैं श्री डागा से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात को समझें कि हमने उसे अपने अधिकार में अभी अभी लिया है और हम डीजल तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई करने में जुटे हुए हैं, इसलिए इसे बहुत ही कम प्राथमिकता दी गई थी और एक अध्यादेश को पारित करना आवश्यक हुआ, एक मंत्री दो विभागों के कार्य देख रहे हैं तथा प्राथमिकताएं डीजल और मिट्टी के तेल को दी जानी थी न कि इस अध्यादेश को, यदि हम इस अध्यादेश को चयत समिति को भेजते हैं तो उसे कुछ भी लाभ नहीं होगा, मैं इस से सहमत हूं कि हमें एक व्यापक कानून लाना चाहिए था परन्तु यह कोई अन्तिम तो नहीं है, सन् 1939 से हम इसे कई बार तदर्थ रूप में लायें हैं, इसलिए एक बार और इसे देखने दीजिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि अधिनियम सशोधित रूप में, पारित किया जा ।ये

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

---

## अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के पच्चीसवें प्रतिवेदन पर विचार

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम अगले मद पर जाते हैं जो अनुसूचित जातियों और जन, जातियों के आयुक्त के पच्चीसवें प्रतिवेदन पर विचार करने के सम्बन्ध में है ।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के वर्ष 1977-78 के पच्चीसवें प्रतिवेदन पर जो फरवरी 1980 को सभापटल पर रखा गया था विचार करती है। संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत भारत सरकार देश में अनुसूचित जातियों और जन-जातियों की स्थिति की जाँच करने व उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुसूचित-जातियों और जन जातियों के लिए एक आयुक्त नियुक्त करती है और उनके प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जाता है, इस प्रतिवेदन को राज्य सभा के पटल पर 1 फरवरी 1980 को तथा प्रतिवेदन को उसके हिन्दी रूपान्तर के साथ इस सभा के पटल पर 2 फरवरी 1980 को रखा गया था। भारत सरकार इस प्रतिवेदन को बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज मानती है क्योंकि यह देश की अनुसूचित जातियों और जन जातियों की स्थिति के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण सुझाव तथा काफी

जानकारी देता है, इस प्रतिवेदन को उन सभी राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को भेज दिया जाता है जो इसके कार्यान्वियन से सम्बद्ध होते हैं क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा सीधे ही इसका कार्यान्वियन करना होता है। यह प्रतिवेदन अनुसूचित जातियों और जन जातियों की दशा के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्ध रखता है। परन्तु सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आर्थिक विकास को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण पहलू समझती है। जहां तक इन समुदाओं के आर्थिक विकास का सम्बन्ध है सरकार इस मामले में पूर्ण रूप से सतर्क है, जहां तक हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों का प्रश्न है इस सम्बन्ध में आर्थिक पिछड़ापन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, यदि उनका आर्थिक उत्थान हो जाता है और यदि वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर हरिजनों पर अधिक अत्याचार नहीं होंगे। इसलिए सरकार यह देखने के लिए अधिक उत्सुक है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आर्थिक उत्थान हो और इसके लिए सरकार ने अनेक योजनाएँ बनाई हैं।

राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति कल्याण निगम बनाया गया है और उन्हें केन्द्रीय सरकार अधिक से अधिक धन दे रही है। अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान के लिए अनुसूचित जनजातीय उप-योजना भी है और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लिए इस योजना के लिए प्रत्येक वर्ष एक निश्चित राशि निर्धारित कर दी जाती है, अनुसूचित जातियों के लिए 1975 में वर्तमान प्रधान मंत्री जो कि उस समय भी प्रधान मंत्री थे, ने राज्य मंत्रियों को निर्देश दिए थे और उस सम्मेलन की अनुवर्ती कार्यवाही में एक विशेष अंग भूत योजना बनाई गई थी। इसलिए अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए अब सभी राज्यों में एक विशेष अंगभूत योजना है। जनजातियों के कल्याण के लिए एक जनजातीय उप-योजना है और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए एक विशेष अंग भूत योजना है।

जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है जनजातीय उपयोजना को केन्द्रीय सहायता दी जाती है और इसलिए इस योजना के अन्तर्गत कई कार्य किये जाते हैं। विशेष अंगभूत योजना के लिए भी सरकार निधियों की व्यवस्था कर रही है और राज्य सरकारें इसका कार्यान्वयन कर रही हैं।

जहां तक अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की स्थिति का सम्बन्ध हैं तो उनकी स्थिति अभी भी दयनीय है, वे सबसे अधिक पिछड़े हुए हैं और पिछड़े हुए ही नहीं हैं अपितु वे गरीबी की सीमा रेखा से भी नीचे रह रहे हैं, महोदय, सदन को शायद यह जानकर प्रसन्नता नहीं होगी कि अनुसूचित जातियों के 66 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के 18 प्रतिशत लोग बन्धक मजदूर हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने हाल ही में एक नमूना सर्वेक्षण किया है और उस सर्वेक्षण के अनुसार अनुसूचित जातियों के 66 प्रतिशत और अनुसूचित जन-जातियों के 18 प्रतिशत लोग बंधक मजदूर हैं। इसलिए, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए तथा उनके आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा कई कार्य किये जाने आवश्यक हैं।

जहां तक साक्षरता का प्रश्न है 1931 में अनुसूचित जातियों में साक्षरता 1·93 प्रतिशत थी। 1961 में यह बढ़कर 10·27 प्रतिशत हो गई। 1971 आक्षरता 14·7 प्रतिशत हो गई थी, जहां तक अनुसूचित जनजातियों का सम्बन्ध है, उनमें 1931 में साक्षरता का प्रतिशत 0·7 प्रतिशत

था। 1961 में 8·54 प्रतिशत था और 1971 में यह बढ़कर 11·30 प्रतिशत हो गया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर देश में शेष वर्गों की आबादी की साक्षरता, जो कि 33·80 प्रतिशत है, की तुलना में यह स्थिति एक अच्छी स्थिति नहीं हैं। इसलिए महोदय इस सम्बन्ध में अभी काफी कुछ करने को है। सरकार इस विषय में काफी सतर्क है क्योंकि इस साक्षरता का अनुपात स्वयं ही इस बात का द्योतक है कि अभी भी उनके लिए काफी कार्य करने बाकी हैं। चूंकि वे साक्षर नहीं हैं और आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हैं इसलिए वे समाज की उच्च जातियों पर निर्भर करते हैं। उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि मजदूरी है परन्तु वे भूमिहीन हैं। चूंकि वे भूमिहीन मजदूर हैं इसलिए एक नया धनी वर्ग देश के कई भागों में उभर आया है और वे लोग (धनी लोग) इन भूमिहीन मजदूरों पर अत्याचार करते हैं जहां तक अत्याचारों का सम्बन्ध हैं, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कतिपय कदम उठाये गये हैं।

हाल ही में गृह मंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों, राज्यपालों और उप-राज्यपालों को पत्र लिखे हैं जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए गये थे। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त मौजूद हैं परन्तु हमें इस देश में लोगों के विचारों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जैसे कि दूसरे सदन में एक माननीय सदस्य द्वारा यह उचित ही बताया गया था कि इस सम्बन्ध में यदि कोई कुछ कर सकता है तो वे इस देश के धार्मिक नेता ही कर सकते हैं। मुझे निश्चित रूप में उनसे कुछ योगदान की आशा है। वे इस सम्बन्ध में कितना कर सकते हैं यह मैं नहीं जानता हूँ। परन्तु मुझे इस बात की खुशी होगी यदि वे इस देश से छुआछूत को दूर करने तथा इन समुदायों के कल्याण में रुचि दिखाने के लिए आगे आयें, यदि मैं इस देश में विदेशी मिशनरियों के विषय में कुछ कहूँ तो वह सम्भवतया अप्रासांगिक नहीं होगा, ईसाई मिसनरियाँ हमारे देश के आंतरिक भागों और हमारे वनों में काफी सराहनीय कार्य कर रही हैं। इनकी तुलना में देश के धार्मिक नेता इन समुदायों जो कि इस देश में सबसे अधिक दलित तथा पिछड़े समुदाय हैं, की उन्नति के लिए कार्य करने हेतु अभी तक भी आगे नहीं आये हैं।

महोदय, इस कारण से, कि उनमें निरक्षरता है, आर्थिक पिछड़ापन है तथा क्योंकि ये लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, 1975 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं, संसद के दोनों सदनों में नागरिक अधिकार संरक्षण विधेयक पारित किया गया था और यह एक कानून बन गया था।

इस कानून के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए कुछ प्रावधान किये गये हैं, और यदि उन्हें सचमुच में कार्यान्वित किया जाता है जिसके लिए कि हम सभी राज्य सरकारों पर जोर दे रहे हैं, तो इससे अनुसूचित जाति समुदायों को पर्याप्त संरक्षण मिल सकेगा।

**प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर)** : इससे पर्याप्त संरक्षण नहीं मिल रहा है।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : जैसे कि ठीक ही इंगित किया गया है, सरकार इसको करने के लिए बचनबद्ध है। इसलिए, गृह मंत्री ने एक पत्र लिखा है जिसमें इस कानून को क्रियान्वित करने के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्तों की व्यवस्था की गई है, मैं स्वयं राज्यों द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा करने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहा हूँ। मैंने गुजरात का दौरा

किया है और मैंने गुजरात सरकार के कार्य की समीक्षा की है, दूसरा राज्य जहां का मैंने दौरा किया है वह महाराष्ट्र है। हाल ही में अर्थात् पिछले रविवार को मैं महाराष्ट्र में था और मैंने महाराष्ट्र की स्थिति की भी समीक्षा कर ली है। इस प्रकार की समीक्षा के परिणामस्वरूप काफी सुधार कर लिया गया है। गुजरात के लिए जो विशेष अंगभूत निधि निर्धारित की गई थी वह 2·87 प्रतिशत थी। अब उन्होंने इसे बढ़ाकर लगभग 4·4 प्रतिशत कर दिया है। महाराष्ट्र में भी मैंने उन्हें निर्धारित निधि को बढ़ाने के लिए कहा है और यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्धारित की गई इस राशि में वृद्धि कर दी जाती है तो इस दिशा में काफी कार्य किया जा सकता है और उनका आर्थिक रूप से उत्थान किया जा सकता है। सरकारी सेवाओं तथा साथ ही राजनैतिक संस्थानों में इन समुदायों के लिए आरक्षण मौजूद है। परन्तु जहां तक सरकारी सेवाओं में आरक्षण का सम्बन्ध है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि इसे केवल तृतीय श्रेणी की सेवाओं में ही किया जाता है। जहां तक प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों की सेवाओं का सम्बन्ध है अभी भी पिछली रिक्तियों को भरना बाकी है। हम राज्य सरकारों तथा बैंकों की सेवाओं तथा दूसरे संस्थानों पर जोर दे रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की नियुक्तियाँ करने में आगे आना चाहिए ताकि पिछला बकाया शेष न रहने पाये।

जैसे कि मैंने प्रारम्भ में कहा है यह सरकार देश की अनुसूचित जातियों और अनुचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए बचनबद्ध है चाहे उनकी जाति कोई भी क्यों न हो। हम इस देश के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए बचनबद्ध हैं। यह भारत सरकार का विशेष उत्तरदायित्व हो जाता है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत विशेष उत्तरदायित्व का भार भारत सरकार पर ही रहता है। इसलिए भारत सरकार ने इस समुदाय की रक्षा की है।

इसलिए यह प्रतिवेदन सदन के सम्मुख प्रस्तुत है।

मैं इसे सदन के सम्मुख विचार विमर्श के लिए रख रहा हूँ। मैं इस विचार विमर्श के लिए इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा रखता हूँ और मुझे विश्वास है कि सदस्य अपने सुझावों महत्वपूर्ण सुझावों तथा रचनात्मक सुझावों को लेकर आगे आयेंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों को इस महत्वपूर्ण विषय के विचार विमर्श में भाग लेने के लिए तथा भारत सरकार को अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए स्वागत करता हूं और इस विषय में मैं सभी माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम उसे क्रियान्वित करने के लिए तथा यह देखने के लिए कि इस दिशा में कुछ सचमुच में कर लिया गया है, भरसक प्रयत्न करेंगे।

इसी के साथ मैं प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूँ।

**प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ**

**उपाध्यक्ष महोदय :** "कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1977-78 के पच्चीसवें प्रतिवेदन पर जो 1 फरवरी 1980 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

अब श्री चन्द्रजीत यादव,

**प्रो० एन० जी० रंगा** : क्या वे राज्यों को परिचालित किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों को बताने की कृपा करेंगे ;

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : कृपया इन्हें पढ़ दीजिए । मैं इन्हें पहले ही पटल पर रख चुका हूँ ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री चन्द्रजीम यादव को पुकारा है ।

**श्री चन्द्रजीत यादव** : (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष जी, पिछले 33 वर्षों के बाद आज भी यह देश के लिये सब से दुख, चिन्ता और शर्म की बात है कि हमारे देश की आबादी का इतना बड़ा भाग, जो अनुसूचित जातियों और जन जातियों के नाम से जाना जाता है, बहुत ही दयनीय स्थिति की जिन्दगी बसर कर रहा है । यह दुख की बात है कि हमारे देश की जो आबादी है, उस का आधा भाग आज गरीबी की सीमा के नीचे रहता है और उस गरीबी की सीमा के नीचे रहने वालों में सब से ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पददलित समझे जाने वाले वे लोग हैं जो इन दो वर्गों के लोग हैं ।

अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने इस में व्यक्तिगत दिलचस्पी ली है, सरकार बहुत सतर्क है और इस के लिये काम कर रही है । लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि पिछले 33 वर्षों से यही गीत गाया जा रहा है । चाहे शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट हो, चाहे इस सदन के अन्दर भाषण हों, चाहे इस देश के प्लानिंग कमीशन के दस्तावेज हों, चाहे इस देश की राजनीतिक पार्टियों के प्रस्ताव हों,—जहां भी आप देखेंगे- यही गीत गाया जाता है और सभी अपनी हमदर्दी इस वर्ग के साथ दिखलाते हैं । लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद यह दुख की बात है कि इस देश का इतना बड़ा हिस्सा न केवल अपनी रोटी के लिये, न केवल अपनी रोजी के लिये, न केवल मकान के लिये, न केवल इन्सानी जिन्दगी बसर करने के लिये बल्कि अपनी जिन्दगी और इज्जत के लिये भी दूसरों पर मुहताज है । इस से बढ़ कर किसी देश के लिये राष्ट्रीय कलंक और शर्म की बात नहीं हो सकती है । मैं समझता हूं- आज राष्ट्र का तकाजा है कि सरकार इस बात का निश्चय करे कि किस तरीके से अपनी सारी योजनाओं को, अपने सारे आर्थिक कार्यक्रमों को, अपने सारे सामाजिक कार्यक्रमों को इस तरह फिर से निर्धारित करे कि सब से ज्यादा प्राथमिकता इस बात को दी जाय कि कैसे इन की गरीबी को मिटाया जा सकता है । मंत्री जी ने ठीक ही कहा है और हर रिपोर्ट में ऐसा कहा जाता है कि इस का मूल कारण गरीबी है, लेकिन प्रश्न यह है कि यह गरीबी कैसे मिटेगी ? इन की गरीबी को मिटाने के लिये सरकार का क्या इरादा है ?

पिछले दिनों इस बात का काफी ढिंढोरा पीटा गया कि सतकार हरिजनों को जमीन बांट रही है । इस तरफ थोड़े-बहुत कदम उठे भी, इस बात से कोउ इन्कार नहीं कर सकता, लेकिन जिन जमीनों का बटवारा किया गया, उसका नतीजा इस देश में क्या हुआ ? जो मौजूदा रिपोर्ट है, वह खुद इस बात को कहती है इसके इन्ट्रोडक्शन में कहा है कि 2 मिलियन हैक्टेअर-- इस में 2 बिलियन एकड़ लिखा है, जो गलत है, रिपोर्ट के मुख्य भाग में हैक्टेअर लिखा है—

"अतिरिक्त घोषित की गई लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि में से मुश्किल से 25 प्रतिशत क्षेत्र का ही वितरण किया गया है, वितरित की गई भूमि का केवल एक तिहाई भाग ही अनु-

सूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को मिल पाया है।" सारी जमीन जो मिली और बांटी गई, उस का 8 फ़ीसदी हिस्सा ही शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दिया गया। कहां से इस तरह से गरीबी दूर हो सकती है, अगर सरकार का यही रुख होगा और इस तरह से सरकार काम करेगी इनके लिए तो निश्चित रूप से इन गरीबों की गरीबी नहीं मिट सकती आज स्थिति यही है। इस देश के अन्दर 60.45 मिलियन ऐसे हैं जो नौकरी पेशा लोग है और इन में 50.24 मिलियन ऐसे लोग हैं, जो केजुअल लेबरर्स हैं। ये कौन लोग केजुअल लेबरर्स है ? यह सारी दुनिया जानती है और सारा देश जानता है कि इन केजुअल लेबरर्स में सब से बड़ी संख्या शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज और दूसरे अत्यन्त गरीब और बेकवर्ड सारोज की है। देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, यह खुद सरकार मानती है, जो या तो बिल्कुल बेकार हैं या अर्द्ध-बेकार हैं लेकिन उन के लिए क्या किया जा रहा है और उन की तरफ क्या कोई ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे उन को काम मिल सकता है। क्या सरकार की कोई निश्चित योजना इस के लिए है ? कोई योजना इसके लिए नहीं है। मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि बोडेड लेबरर्स 66 परसेन्ट अनुसूचित जातियों में और 18 परसेन्ट अनुसूचित जनजातियों में हैं। यह हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि आजादी के 33 साल बाद भी इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों में शोडेड लेबरर्स रहा कहाँ सरकार के दिल में ऐसा जजबा है या उस के दिमाग में ऐसी बात है कि इस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर उसके दिमाग में ऐसी बात थी, तो क्यों नहीं इस बात को प्राथमिकता दी गई। अगर प्राथमिकता दी गई होती, तो एक पंचवर्षीय योजना में और अधिक से अधिक दो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस देश से वोडेड लेबर बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए थी लेकिन उस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है और महज उस के लिए कुछ करने के गीत गा दिये जाते हैं, महज शाब्दिक हमदर्दी की बातें की जाती हैं लेकिन जब योजना बनती है और जब उन के लिए धन उपलब्ध कराने की बात आती है, तो इस बात को बिल्कुल नजरान्दाज कर दिया जाता है और जब सरकार के लिए कुछ करने की बात आती हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है।

अभी मंत्री महोदय ने चर्चा की कि मौजूदा प्रधान मंत्री जी के जमाने में एक खास एक्ट पास किया गया जिस से जो इस देश के गरीब लोग हैं, जिन को आज छुआछुत का शिकार होना पड़ता है, उन्होंने उनके लिए एक विशेष एक्ट बनाया है, जिस को पी.सी.आर. बात कहते हैं, मगर यह जो रिपोर्ट है, इस में क्या कहा गया है, यह मैं आप को पढ़ कर एक्ट सुनाना चाहता हूँ :

"ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त सामाजिक वातावरण की जानकारी रखता हो, ऐसे तर्क नही दे सकता है कि छुआछुत की भावना में सच्चे रूप में कोई कमी हुई है। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून में कुछ अनुच्छेदों के अन्तर्गत ऐसे असक्षम क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने और उनका पता लगाने तथा उनके लिए विशेष अदालतों की स्थापना करने और छोटे मोटे मुकदमों की सुनवाई करने तथा सामूहिक दण्ड लगाने के प्रावधान किये गये हैं, परन्तु काफी बड़े पौमाने पर अनुसूचित जातियों के विरुद्ध शारीरिक हिंसा की घटनाओं के बाद भी अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने न तो किसी विशेष अदालत की ही स्थापना की है और न किसी छोटे मोटे मुकदमों की सुनवाई की है अथवा कोई सामूहिक दण्ड ही लगाया है और छुआछूत की

इन जघन्य प्रवृतियों के अनुसरण में कारन की इन शक्तिशाली धाराओं को कार्यरूप नहीं दिया जा पाया हैं, किसी भी राज्य सरकार द्वारा अभी तक कानून में अपेक्षित सर्वेक्षण नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में इस बात से सहमति प्रकट करना असम्भव सा हैं कि कानून को वांछित तत्परता से लागू कर दिया गया है।" मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की शासन व्यवस्था है, उसमें जिस ढंग के लोग बैठे हुए हैं, जिन विचारों के लोग बैठे हुए हैं, आप चाहे कितने ही कानून बना लीजिए, उन कानूनों का पालन नहीं होता और कानून का अगर पालन नहीं होता है तो वह इसलिए है कि पालिटीकल लीडरशिप में यह बिल.पावर नहीं है कि ईमानदारी से इस बात को इम्पलीमेंट कराए। आप के विभागों में जो आप की सारी मशीनरी है, उस के अन्दर ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जो दसवीं और बीसवीं सदी के मध्यकालीन युग की जहनियत रखते हैं। कानून तो बन जाता है, रुपया उपलब्ध करा दिया जाता है लेकिन छुआछूत इस देश में कायम रहेंगी। इस देश में साम्प्रदायिकता कायम रहेगी। इस देश में न कोई बलवे और दंगे हो सकते थे और न इस देश में गरीब हरिजनों की बस्तियां जलाई जा सकती थीं, अगर ईमानदारी से ऐसे लोग इस मशीनरी में होते जिन में जजवा होता, जिन में निष्ठा होती इन लोगों के लिए कुछ काम करने की, लेकिन अब तक क्या हुआ है। मैं पार्टी से ऊपर उठ कर इस बात को कहना चाहता हूं कि यह किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, एक प्रदेश का सवाल नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय सवाल है। आज पार्टीयों को इस बात की होड़ नहीं लगानी चाहिए कि किसने इन के लिए क्या काम किया और किस की जिम्मेदारी है। मैं किसी पार्टी को जिम्मेदार ठहराने की बात नहीं कह रहा हूं। इस में हम सब भागीदार रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार की अधीनस्थ सेवाओं में जहाँ सरकार द्वारा 1951 के बाद के समय-समय पर जारी किये गये नियम तथा विनियम उनकी जारी किये जाने की तिथि से लागू हो जाते हैं, 1 जनवरी 1978 तक प्रथम श्रेणी (वर्ग क), द्वितीय श्रेणी (वर्ग ख) तथा तृतीय श्रेणी (वर्ग ग) में अनुसूचित जातियों को दिया गया प्रतिनिधित्व क्रमश: 4.49, 6.93 और 11.46 प्रतिशत तथा इसी अवधि तक अनुसूचित जनजातियों को दिया गया प्रतिनिधित्व क्रमश: 0.84, 0.87 तथा 0.21 प्रतिशत था जबकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित किया गया आरक्षण क्रमश: 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत था।

33 साल बाद यह स्थिति है। क्या हम उनके लड़के तैयार नहीं कर सकते ? क्या इन जातियों के अन्दर होनहार लड़के नहीं हैं? क्या उनमें क्षमता नहीं है ? क्या उनको शिक्षित, प्रशिक्षित करके आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था ? यह सब इसलिए नहीं होता है कि जो इसको कार्यान्वित करते हैं न उनमें इसके लिए भावना है, न जजवा है और न उनके पास इस सब के लिए कोई विचार है। फिर यह काम कैसे हो ?

श्रीमन्, एट्रोसिट्रीज की चर्चा यहां की गई। इसकी फिगर्स में देना नहीं चाहता। इस रिपोर्ट में वे सब दी गई है कि सन् 1976 के अन्दर वे करीब 42 परसेंट और 77 के अन्दर 75 परसेंट बढ़ गई हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस गवर्नमेंट हो या जनता गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंटों के अन्दर हरिजनों के ऊपर हमले और अत्याचार बराबर बढ़ते गये हैं। पिछले दो महीनों में हमने क्या देखा ? इंसान का दिल टूट जाता है जब ये घटनाएँ देखने को मिलती हैं। यह जानकर आश्चर्य होता है कि बीसवीं शताब्दी के अन्दर बिहार प्रदेश में पिपरा जैसे गाँव पर

हमला किया जाता है, पूरा का पूरा गाँव जला दिया जाता है। छह महिलाओं और चार बच्चों को जिन्दा जला दिया जाता है। भाले की नोंक पर दो साल के बच्चे को उछाल कर मार दिया जाता है। जब गरीब हरिजनों और उनकी औरतों और बच्चों के साथ यहाँ यह होता हो तो दुनिया के और देशों के सामने या संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर कैसे हम रेसियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कुछ कह सकते हैं। यह सब आज हमारे देश के अन्दर हो रहा है। और वहाँ हो रहा है जहाँ प्रेजीडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है, किसी पार्टी की हुकूमत नहीं है। उन प्रधान मंत्री की हुकूमत में यह सब हो रहा है जिनके लिए बराबर यह कहा जाता है कि वे हरिजनों की सबसे ज्यादा हमदर्द हैं। पर हो क्या रहा है ? मैं प्रार्थना करके कहना चाहता हूँ चाहे प्रधान मंत्री हों या कोई और मंत्री हों, इसको किसी राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। आज केन्द्रीय सरकार यह नहीं कह सकती कि राज्य सरकारें काम नहीं कर रही हैं। आज आगरा में मुरादाबाद में क्या हो रहा है ? वहाँ तो राष्ट्रपति शासन है प्रधान मंत्री जी जब प्रधान मंत्री नहीं थी तो बेलची जा सकती थीं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। उन्होंने अच्छा काम किया था बेलची जा करके। उनके वहाँ जाने से देश का ध्यान उधर गया था। उस वक्त अगर प्रधान मंत्री जी जबकि उनके हाथ में शक्ति नहीं थी, बेलची जा सकती थीं तो क्या कारण है कि अब वे पिपरा नहीं जा सकती थीं ? उस समय वे सारे हिन्दुस्तान में जा करके दूसरों को दोष देती रहीं, सारे हिन्दुस्तान में जाकर उन्होंने दूसरों पर आरोप लगाया। मेरा ख्याल है उस समय शायद उन्होंने यहाँ भी कहा था कि यह सरकार लोगों की रक्षा नहीं कर सकती। मगर दुःख की बात है, शर्म की बात है कि अब प्रधान मंत्री रहते हुए वे पिपरा नहीं गयीं जहां कि 16 आदमी जिन्दा जला दिये गये। प्रधान मंत्री जी नारायणपुर तो चली गयीं जहाँ कोई मरा नहीं था, कोई घर नहीं जालाया गया था। चूँकि उत्तर प्रदेश की विरोधी दल लोकदल सरकार का तख्ता पलटना था, उसे बरखास्त करना था इसलिए वे नारायणपुर चलीं गयीं। मगर प्रधान मंत्री जी को पिपरा जाने का मौका नहीं मिला। यह कोरी राजनीति है लोगों का प्रेम नहीं।

इसलिए श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि इन प्रश्नों को आज राजनीति से परे रखना चाहिए। आज इनकी समस्या क्या है ? यह आज सबसे ज्यादा गरीब तबका है। भुखमरी अगर होती है तो इसी तबके के लोग सबसे ज्यादा मरते हैं। आज छूआछात के एकमात्र शिकार इसी तबके के लोग हैं। कितने स्कूल और कालेजों में इनके लड़कों को वजीफा दिया जाता है ? सैकड़ों, हजारों की तादाद में इनके लड़कों को इस देश के अन्दर वजीफा दिया जाता है। लेकिन उनका वजीफा दूसरे लोग खा जाते हैं, बहुत-सी जगह पर हरिजन लड़कों को साल भर वजीफा नहीं मिला। उनकी पढ़ाई छूट जाती है। उनके खिलाफ हम क्या कार्यवाही करते हैं जो लोग इनके वजीफे खा जाते हैं। गरीब, हरिजनों के नाम पर झूठे दस्तखत बना करके कर्जे ले लिये जाते हैं और उनकी कुर्की होती है। देश में कुछ लोग, निहित स्वार्थों के लोग उनके वजीफे खा जाते हैं। उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ? उनको मुश्किल से ही कोई मदद मिलती है उद्योग धंधा चलाने के लिए। सरकारी कर्मचारी जिस तरह से उन्हें परेशान करते हैं, गरीब तबके के लोग उस वजह से उधर जाने की हिम्मत तक नहीं करते हैं। आज गरीब चार करोड़ लोग ऐसे हैं जो छोटे-छोटे उद्योगों में काम कर रहे हैं, जूते बना रहे हैं, चमड़ा बनाने आदि के काम कर रहे हैं। इन चार करोड़ लोगों की हालत सबसे ज्यादा दयनीय है। सरकार की नीति यह है कि जूता बाटा बनाएगा चाहे इस देश में जातिपात या परम्परागत रूप से जूते बनाने की व्यवस्था रही है।

अगर उन को छोटी मशीनें दे दी जाएं, कर्जे का प्रबन्ध कर दिया जाए तो वे बेहतर माल तैयार करके आपको दे सकते हैं। लेकिन इस देश में टाटा ट्रकों की चेसिस बनाएगा, बसों की चेसिस बनाएगा, इस्पात पैदा करेगा, और उसके साथ साथ साबुन और तेल और दूध का पाउडर भी वही बनाएगा, ऐसी व्यवस्था चल रही हो। हिन्दुस्तान लिवर विदेशी कम्पनी है वह भी इस तरह का सामान बना रही है। इस सब पर गहराई से सोचा जाना चाहिये। ऐसा सामान जैसे टैरिलीन है, नायलोन है और जो लग्जरी है इसको हमारे जैसा गरीब देश बरदाश्त नहीं कर सकता है। जरूरत आज इस बात की है कि काटेज इण्डस्ट्री चाहे पावरलूम से चले या हथकरघे हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए, लोगों को छोटी-छोटी मशीनें दी जाए जहां पहनने के लिए कपड़ा तैयार हो सके। पूरी की पूरी साबुन इण्डस्ट्री, जूता बनाने की इण्डस्ट्री, साइकिल के पुर्जे बनाने की इंडस्ट्री, कृषि औजार बनाने की इण्डस्ट्री आदि इण्डस्ट्रीज पर हमें खुले दिमाग से विचार करना होगा और देखना होगा कि क्या ये चीजें गृह उद्योगों में, लघु उद्योगों में नहीं बनाई जा सकती हैं। हिन्दुस्तान के पास प्रतिभा है, इसका हुनर है जो उसका पूरा फायदा उठाया जाना चाहिये। यह जरूरी नहीं है कि 18 वीं और 19 वीं शताब्दी के ही तरीके हम अपनाएं। हम उनको छोटी-छोटी मशीनें दे सकते हैं, नया तकनीक उनको उपलब्ध करवा सकते हैं, कर्जा और सहायता उनको दे सकते हैं, विशेषज्ञों की मदद उनको दे सकते हैं, बाजार उनके लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। यह सब कुछ किया जाए तो इन लोगों की स्थिति पहले से कहीं अच्छी हो सकती है।

**श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर)** : आप स्टील मिनिस्टर रहे हैं आपने क्यों नहीं किया।

**श्री चन्द्रजीत यादव** : आप ठीक कह रहे हैं। मैंने इसलिए पहले कहा है कि किसी एक व्यक्ति को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि पिछले 33 साल के अंदर जितनी भी सरकारें आई हैं उनकी नीतियों का क्या नतीजा निकला है और आज समय की यह मांग है कि हम इस सारी समस्या पर ठंडे दिल से विचार करें और देखें कि इन नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिये ताकि उनकी दयनीय स्थिति जो इस समय है, वह दयनीय आगे चल कर न रहे। इस वास्ते चूंकि मंत्री महोदय ने सुझाव मांगे हैं, इसलिए मैं सुझाव दे रहा हूँ।

मेरा पहला सुझाव यह है कि जो जमीन पर सरपलस निकली है और जो आज तक बांटी नहीं गई है, उसको बांटने के लिए सरकार को वार फुटिंग पर कार्रवाई करनी चाहिये और गांव के स्तर पर जमीन का बटवारा करने के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिये जिसमें मैं इन्हीं वर्षों के लोगों को लिया जाए जिनको यह जमीन मिलनी है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि पूरी औद्योगिक नीति पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिये। जो, जो सामान गृह या लघु उद्योग में बन सकता है सरकार को देखना चाहिये कि वह सामान वहीं बनाया जाए और जो लोग परम्परा से किसी काम को करते आ रहे हैं, उनको उस काम में प्राथमिकता दी जाए, चाहे मशीनें देने के मामले में या कर्जा देने के मामले में या किसी और मामले में हो या उनके लिए बाजार उपलब्ध करने की बात हो।

मकान की इनकी समस्या भी बहुत गम्भीर है। उनके वास्ते सस्ते सामान को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आने वाली दो योजनाओं में सरकार खास तौर से इस बात को देखे कि

देश के जो गरीब लोग हैं अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग हैं उनको मकान बना कर दे और इस जिम्मेदारी को सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए।

सरकार को गम्भीरता से यह भी सोचना चाहिए कि स्पेशल कोर्ट्स जिनकी काफी चर्चा इन दिनों हुई है और यह नाम काफी बदनाम भी हुआ है, क्या इन लोगों के लिए नहीं बनाई जानी चाहिए और समरी ट्रायल की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए और इनके सुपुर्द पिपरा काण्ड जैसे मामलों को सौंप कर समरी ट्रायल की व्यवस्था करके दोषी लोगों को सजा नहीं दिलवाई जानी चाहिए ताकि आगे से इन लोगों पर इस तरह के हमले और इस तरह के जो अमानुषिक अत्याचार है, आक्रमण है उनको रोका जा सके ? मैं समझता हूँ कि सरकार को इस दिशा में उचित कदम उठाना चाहिए।

श्रीमन्, इस सरकार को हरसाल, केवल यह रिपोर्ट ही नहीं बल्कि इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद सरकार के विभिन्न विभागों ने उस रिपोर्ट में जो खामियां सामने लायी गई जो सुझाव दिये गये उनका किस प्रकार पालन किया है, इस बात की रिपोर्ट भी हमें मिलनी चाहिये। और मैं चाहूंगा कि अगले बजट सेशन में, जो सुझाव रिपोर्ट में दिये गये हैं उनके इमप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट भी सरकार सदन के सामने रखे ताकि हमें पता चले कि उनके पालन के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। यह केवल पार्लियामेंट के अन्दर नहीं बल्कि विधान मंडलों के अन्दर भी इस प्रकार की रिपोर्ट सरकार को देनी चाहिये।

मेरा आखिरी सुझाव है कि इस संसद की एक कमेटी हो जिसको वाच डाग कमेटी की संज्ञा दी जा सकती है जो देखे कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमिश्नर की जो रिपोर्ट आती है उसका कैसे पालन किया गया और कौन सी सिफ़रिश ऐसी है जिसको नहीं माना गया है। इस बात को देखने के लिये एक सदन की कमेटी होनी चाहिये जो समय समय पर अपनी रिपोर्ट इस सदन को देती रहे ताकि सदन जान सके कि उसको कार्यान्वित करने के लिये क्या किया जा रहा है।

**श्री सूरज भान** (अम्बाला) : इसी रिपोर्ट को देखने के लिये कमेटी है :

**श्री चन्द्रजीत यादव** : वह कमेटी नहीं। बल्कि वाच डाग किस्म की कमेटी बने जो देखे कि कितना पालन हो रहा है, और कितने का पालन नहीं हुआ है और उसके लिये जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिये।

यह बराबर सब की नजर में आता है कि एक गांव में झगड़ा हो रहा है, जो सालों चलता है और उसका नतीजा यह होता है कि आखिर में मर्डर होता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी सोते रहते हैं। ऐसी पुलिस और सरकारी कर्मचारी, जिनके क्षेत्र में इस प्रकार के तनाव होते हैं और वह समय पर कदम नहीं उठाते हैं, उनके खिलाफ सरकार को सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिये। महज ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा, अगर जरूरत पड़े तो उनको अदालतों के अन्दर प्रोसीक्यूट करना चाहिये कि उनके रहते हुए उनके क्षेत्र के अन्दर इस तरह का तनाव बढ़ा और ऐसी दुर्घटना घटी। अगर सरकार ऐसा करे तो कम से कम राष्ट्र के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है इतने लोग गरीब हैं, दयनीय स्थिति में हैं, पीने का पानी नहीं है, पेट भरने के लिये सूखी रोटी नहीं, बच्चों के लिये दवाई नहीं और उनकी बहू बेटियों की इज्जत और जिन्दगी पर अनायास हमले का मौका मिलता है, कम से कम उस कलंक से राष्ट्र बच सकता है।

# १६ मार्च, १९८० को प्रदर्शन के बाद दो नेत्र हीनों के लापता होने के बारे में वक्तव्य

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : सुबह अध्यक्ष महोदय, ने सदन को आश्वासन दिया था कि दो नेत्रहीन लापता व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो प्रश्न कल उठाया गया था उसके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, ने गृह मंत्री को निदेश दिया था कि दिन की बैठक में उसके सम्बन्ध में एक विवरणिका सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जानी चाहिए, हम जानना चाहते हैं कि क्या उक्त विवरणिका सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जा रही है।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : नेत्रहीनों के राष्ट्रीय संघ द्वारा यह कहा गया था कि 16 मार्च 1980 के प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लखनऊ से श्री विजय सिंह तथा हरिशंकर नामक जो दो व्यक्ति आये थे उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे बताया गया है कि इसमें से एक व्यक्ति श्री हरि शंकर को लखनऊ पुलिस द्वारा लखनऊ में ढूढ़ लिया गया है, लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार लखनऊ से 16 मार्च के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आठ नेत्रहीन विद्यार्थी दिल्ली आये थे और हरिशंकर भी उनमें से एक था, इन व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैं :

1. हरिशंकर सुनार
2. अरुण तिवारी
3. नाथू राम
4. बरसाती
5. राम मिलन
6. सुखी राम
7. संजीव कुमार त्रिपाठी
8. शिव प्रकाश शुक्ला

ये सभी व्यक्ति 17 मार्च 1980 की सुबह लखनऊ वापस पहुँच चुके हैं।

लखनऊ पुलिस द्वारा यह बताया गया है कि विजय सिंह का लखनऊ से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का है और बताया जाता है कि वह पंचकूइयां मार्ग, नई दिल्ली में रह रहा है।

जांच के दौरान, यह सत्यापन किया गया है कि विजय सिंह नामक एक व्यक्ति जो बहादुरगढ़ का निवासी है, पंचकुइयां मार्ग स्थित अंध विद्यालय में उपस्थित है परन्तु उसने कहा है कि उसने 16 मार्च, 1980 के कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का जो रिकार्ड पुलिस के पास है उसके अनुसार, विजय सिंह का पता इस तरह था, 'विजय सिंह, पुत्र श्री राम लाल, निवासी गंगी टिक्कर, विजय धारा, सिहंद, देवरिया।" देवरिया के वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक से फोन पर सम्पर्क किया गया और उन्होंने पूछ-ताछ करने के बाद सूचना दी है कि दिल्ली पुलिस के रिकार्ड में दिया गया पता सही नहीं है और इस नाम का कोई गाँव देवरिया जिले में नहीं है।

दिल्ली पुलिस द्वारा आगे जांच-पड़ताल किए जाने पर मालूम हुआ है कि विजय सिंह

नाम का कोई व्यक्ति 16 मार्च, 1980 के प्रदर्शन में भाग लेने के लिए गोरखपुर से आया था। मामले की सचाई का पता लगाने के लिए गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक से अनुरोध किया गया है। विजय सिंह का पूर्ण और सही ब्यौरा पता लगाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि उसकी तलाश की जा सके।

## अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के 25 वें प्रतिवेदन 6 पर विचार (जारी)

**श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** (मालापुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयुक्त के वर्ष 1977-78 के 25 वें प्रतिवेदन पर चर्चा आरम्भ करते हुए गृह मंत्री ने विशेषरूप से यह कहा था कि सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए वचन बद्ध हैं। यह स्पष्ट है कि उसी 'बचनबद्धता' को ध्यान में रखते हुए कुछ ही सप्ताह पहले सभा-सटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा आरंभ की गई है। यही नहीं, इस संसद की प्रथम वैधानिक कार्यवाही के रूप में, सरकार ने 45 वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करके अपना संकल्प व्यक्त भी कर दिया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति सरकार की वचनबद्धता की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मैं कुछ ज्वलंत तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए सरकार का विशेष ध्यान उन पर दिलाना चाहूँगा और अनुरोध करूंगा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि मेरे कुछ सुझावों कार्यान्वित करने हेतु उन पर गंभीरता से विचार किया जाए, शुरु में मैं कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 32 वर्ष बाद भी, सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय देने का हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य इन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए अभी तक एक बचन ही बना हुआ है। उनकी समस्या की महत्ता को जानने के लिए, हमें सबसे पहले उनकी वास्तविक संख्या पता करनी चाहिए। पहले 1978 के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त प्रवर समिति, जिसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन करना था, के संयोजक के रूप में मुझे बतलाया गया था कि अनुसूचित जातियों के कम से कम एक करोड़ लोगों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार, अनुसूचित जातियों से भी वहुत शिकायतें मिली हैं। सरकार की एक महत्वपूर्ण वचन बद्धता के रूप में संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त करके इन समुदायों की सूचियों में संशोधन किया जाना है ताकि हम यह जान सके कि देश में उनकी वास्तविक संख्या क्या है। 1971 की जनगणना के अनुसार, उनकी संख्या लगभग 13 करोड़ थी। सारे देश के 600 से भी अधिक तालुकों में उनका प्रतिशतता 20 से अधिक है इसी प्रकार, हमारे देश में 300 तालुकों में आदिवासी जनसंख्या 50 प्रतिशत से भी अधिक है। इसके अलावा, 1980.81 में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े ही महत्वपूर्ण पहलू पर विचार किया जाने वाला है और वह है जनगणना की कार्यवाही जिसमें हमारे देखने में आया है कि जिन लोगों को आँकड़े एकत्र करने का दायित्व सौंपा गया है, वे जहाँ तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़ों का संबंध है उसमें मुनासिब दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वे पटवारी के घर में बैठ जाते हैं। और वह जो कुछ बतलाता है वही लिख लेते हैं। जनगणना कार्यवाही में ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कार्यवाही का पर्यवेक्षण अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कुछ लोगों द्वारा

किया जाना चाहिए ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि कार्य सही ढंग से किया जाय और ठीक ढंग से सही आंकड़े लिए जायें।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनाजातियों की सामाजिक स्थिति संतोष जनक नहीं है। हमें मालूम है कि अनेक कानूनों के बावजूद अस्पृश्यता कई रूपों में कायम है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता समाप्त करने के बारे में है। इस अभियान में तेजी लाने के लिए 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम बनाया गया था। 1976 में, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया था जिसमें कठोर उपायों की व्यवस्था की गई थी। इन दोनों अधिनियमों के बीच, जब मैं ने आंकड़े एकत्र किए तब अस्पृश्यता के दर्ज किए गए मामलों की संख्या लगभग 22,470 थी। उनमें से केवल 19,893 मामले ही न्यायालय में ले जाए गए हैं। इनमें से भी केवल 3402 मामले समझौते द्वारा समाप्त कर दिए गए और 6,178 मामलों में दण्ड दिया गया। इन मामलों में शामिल कुल लोगों में से उन लोगों की संख्या एक चौथाई भी नहीं है जिनके विरूद्ध कार्यवाही की गई हो। इससे साफ पता चलता है कि अनेक कानूनों के बावजूद, अस्पृश्यता की प्रथा बरकरार है। गांवों में अस्पृश्यता अभी भी कई रूपों में देखने को मिलती है। जिस कुएं से सारे लोग पानी लेते है उससे उन्हें पानी नहीं लेने दिया जाता। कोई सांझा नाई नहीं है। न ही कोई सांझा पुरोहित है। धोबी को भी सब की समान सेवा करने की अनुमति नहीं दी जाती। इसके अतिरिक्त, जिन स्थानों पर वे लोग रहते हैं उन्हें गांव के बाहर रखा गया है और उन्हें हरिजन बाड़ा आदि कहा जाता है जिनकी संख्या इस देश में करीब 5 लाख है और वे नगरों के बाहरी क्षेत्रों में हैं। यदि हम इन समानान्तर गांवों को समाप्त नहीं करते, तो इन अनुसूचित जनजातियों को जीवन की मुख्य धारा में शामिल करना संभव नहीं होगा।

आन्ध्र शुदेश के दीवी सेमा में ज्वार माटा आया था। कमजोर वर्ग के लोगों के सभी मकान बह गए थे। मकानों का निर्माण करते समय वहां यह योजना बनाई गई है कि सभी समुदायों के लिए मकानों का निर्माण पूरी तरह सुसंबद्ध ढंग से किया जाए। अब हम देखते हैं कि वहां कोई समानान्तर गांव नहीं है। जब तक इस तरह की कार्यवाही नहीं की जाती और उसे कार्यान्वित नहीं किया जाता तब तक हम अस्पृश्यता को समाप्त नहीं कर पाएंगे।

**श्री एम. गोपाल रेड्डी** (निजामाबाद) : क्या आप हर गांव में ज्वार माटा चाहते हैं ?

**श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : जी हां, मैं सारे देश में सामाजिक ज्वार भाटे की कामना करता हूं।

इस विषय पर चर्चा करते हुए हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि जब तक पुरोहित वर्ग के रवैए में कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक हम किसी सामाजिक सुधार वर्ग का अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक पुरोहितों और धर्माधिकारियों के माध्यम से सभी लोगों के रवैए में परिवर्तन नहीं होता तब तक सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना असंभव होगा। अतः देश के सभी वर्गों और सभी भागों से एक देश व्यापी जन-आन्दोलन होना चाहिए। असमानता के विरूद्ध संघर्ष जब तक नहीं होगा, अस्पृश्यता समाप्त नहीं की जा सकती। यदि इस तरह का आन्दोलन शुरु नहीं किया जाता है तो किसी भी तरह के कानून सामाजिक समानता नहीं ला सकेंगे।

इन समुदायों का आर्थिक स्तर बहुत ही दयनीय है। जनसंख्या में अधिकांश संख्या इन्हीं लोगों की है, लेकिन जिस तरह वे काम करते हैं और जो पारिश्रमिक उन्हें मिलता है वह उनकी मेहनत के अनुकूल नहीं है। 1961 की जनगणना के अनुसार, कुल जनसंख्या में से श्रमिक वर्ग 43 प्रतिशत है। राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिए जो मजदूर वर्ग अकेले अनुसूचित जातियों से आता है उसका प्रतिशत 47.7 है जबकि अनुसूचित जनजातियों से आने वाला मजदूर वर्ग 57 प्रतिशत है। 1971 की जनगणना के अनुसार, कुल जनसंख्या में श्रमिक वर्ग का प्रतिशत 33 है। यहां भी राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिए अकेले अनुसूचित जातियों से आने वाला मजदूर वर्ग 36 प्रतिशत है, जबकि अनुसूचित जनजातियों में आने वाला मजदूर वर्ग 38 प्रतिशत है। इसके अलावा, 1871 की जनगणना से स्पष्ट पता चलता है कि अनुसूचित जातियों से आने वाला 82 प्रतिशत मजदूर वर्ग केवल प्राथमिक क्षेत्रों से ही आता है, जैसे कि खेतिहर मजदूर और अर्थव्यवस्था के अन्य प्राथमिक क्षेत्र, जबकि अनुसूचित जनजातियों से आने वाले मजदूर वर्ग का 92 प्रतिशत इन प्राथमिक क्षेत्रों में लगा हुआ है। इससे साफ जाहिर है कि हमारे देश में मजदूर वर्ग में कोई गतिशीलता नहीं है और हम मजदूर वर्ग का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उचित उपयोग करने में असमर्थ हैं क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था उस तरह की है जिसमें समाज बटा हुआ है। जब तक कि विभिन्न व्यवसायों में कार्यात्मक गतिशीलता नहीं होगी, हम अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मजदूर वर्ग का अधिकतम उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसिलिए, उनकी विवशता के कारण अधिक काम और कम मेहनताने की प्रथा चली आ रही है। हमारे यहां खाद्य उत्पादन बहुत अधिक होने पर भी जिसे वे ही पैदा करते हैं, वे लोग अपना अनाज खरीद पाने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास क्रय शक्ति का अभाव है जिसका सीधा सा कारण यही है कि उन्हें अपनी मेहनत के मुताबिक पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। अतः यदि हम उनके विकास के लिए इधर उधर कुछ आबंटन करते हैं तो वही काफी नहीं है जब तक किशेष आवंटनों के साथ कोई पृथक योजना निकायन हो, तब तक हम उन्हें राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में शामिल नहीं कर सकेंगे। एक विशेष आदिवासी उप-योजना है। यहां मैं एक गलत धारणा को दूर करना चाहूंगा। अधिकांश लोग यह समझते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जन जातियों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि वे सामाजिक जीवन की मुख्य-धारा में रह रहे हैं। यह धारणा गलत है। अनुसूचित जनजातियों को अस्पृश्यता के सामाजिक कलंक को नहीं भोगना पड़ता जबकि अनुसूचित जातियों को यह बरखाश्त करना पड़ता है। इसके अलावा, आदिवासियों को अपमान और अत्याचारों का शिकार नहीं होना पड़ता क्योंकि वे अलग-अलग जगहों पर रह रहे हैं। उदाहरण के तौर पर नागालैंड और मेघालय दो आदिवासी राज्य हैं चार आदिवासी संघ शासित क्षेत्र हैं—अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नागर हवेली, मणिपुर और मिजोरम। वहां आदिवासी लोग ऐसे आदिवासी समाज में रह रहे हैं जहां उन पर अत्याचार किए जाने की कोई गुंजाइस नहीं है, जबकि अनुसूचित जातियों के लोग सारे देश में बिखरे हुए हैं। वे समाज में रहते हैं और हर तरह के अत्याचार उन्हें सहने पड़ते हैं। इसलिए इन लोगों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता है।

यह सोचना कि सामान्य आर्थिक विकास के लाभ उन तक पहुँच रहे हैं, भ्रामक धारणा है। आर्थिक विकास के सारे लाभ हरिजन वाड़ों के प्रवेश द्वार तक पहुँच कर रुक जाते हैं। यदि विद्युतीकरण कार्यक्रम आरंभ किया जाता है तो वह केवल हरिजन बस्तियों तक ही पहुँचता है

और वहीं ठहर जाता है, यदि परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है, तो उनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है। कारखाने बनते हैं तो उनके पास निवेश करने के लिए धन नहीं होता। इसलिए, यदि उनके लिए निवेष नहीं किया जाता, तो उनके लिए यह संभव नहीं होगा कि वे आर्थिक विकास के लाभ प्राप्त कर सकें।

1971 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जातियों की साक्षरता केवल 14.67 प्रतिशत है, जबकि शेष जनसंख्या के संबंध में यह 33.80 प्रतिशत है। अतः उन्हें वास्तव में शिक्षित करने के लिए काफी कुछ किया जाना है। जब तक हम उन्हें साक्षर नहीं बनाते तब तक वे यह समझ पाने में असमर्थ रहेंगे कि उन्हें वास्तव में कौन कौन से संरक्षण प्राप्त हैं, संविधान में उनके लिए क्या उपबंध किए गए हैं और उनके लिए जितनी सुरक्षा और लाभों की व्यवस्था की गई है वे उनका अधिकतम उपयोग कैसे करें। इसलिए सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियों के लिए अधिक धन आबंटित किया जाना चाहिए और छात्रावासों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें।

ब्यौरा देखने पर मालूम होगा कि इस समुदाय की बालिकाओं में साक्षरता का प्रतिशत लड़कों की अपेक्षा बहुत कम है। अतः प्रोत्साहन के रूप में, लड़कियों के लिए अधिकाधिक पृथक छात्रावासों का निर्माण किया जाना चाहिए और उन्हें अधिक छात्रावृत्ति दी जानी चाहिए।

आरक्षण के बारे में, जिस पर इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है, मैं संविधान के अनुच्छेद 335 पर बल देना चाहुँगा जिसके अन्तर्गत विशिष्ट रूप से यह व्यवस्था है कि भर्ती अथवा पदोन्नति की जा सकती है "दक्षता के अनुरक्षण का यथोचित सम्मान करते हुए।" "दक्षता" और "उपयुक्तता" के आवरण में इस उपबंध की भावना का अनेक बार उल्लंघन किया जा चुका है। जब तक "दक्षता" के साथ "न्यूनतम अपेक्षित अर्हता" के खण्ड को निकाल कर इस अनुच्छेद में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक अन्याय की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

हमें इस बात की भी जानकारी है कि सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की जो व्यवस्था है, उसे भी आज तक पूरी तरह कार्यरूप नहीं दिया गया है।

एक और बात जिस पर मैं बल देना चाहूंगा, यह है कि यदि कोई ऐसा हरिजन उम्मीदवार हो जिसने लिखित परीक्षा बहुत ऊंचे अंकों से उत्तीर्ण की हो, तो साक्षात्कार में उसे भी आरक्षण कोटे में डाल दिया जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि यदि आरक्षण न हो, तो अब तक कोई भी हरिजन उम्मीदवार श्रेणी एक और श्रेणी दो सेवाओं में नहीं आ पाता? अतः यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में अच्छा निकल रहा हो, तो उसे आरक्षण कोटे में नहीं रखा जाना चाहिए और उसे सामान्य कोटे में लिया जाना चाहिए। जो लोग इन उपबंधों को सख्ती से लागू नहीं कर रहे हैं, उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की कोई व्यवस्था न हो तब तक न्याय की आशा नहीं की जा सकती।

जहाँ तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचारों का संबंध है, जिस पर काफी चर्चा भीहो चुकी है, हमने देखा है कि आयोग ने विभिन्न उपाय सुझाए हैं, वे एहतियाती,

निवारक और पुनर्वास संबंधी उपाय हैं। कुछ समय से, विशेषकर जनता शासन के दौरान, इन अत्याचारों ने 'संगठित आक्रमण" का रुप ले लिया है और जिन स्थानों पर अत्याचार हुए हैं वहां का दौरा करने पर मैंने पाया कि इनसे निपटने के लिए ठीक से कार्यवाही नहीं की गई। निस्संदेह, वे अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं लेकिन जो बात मेरे देखने में आई वह यह है कि इन मामलों में झगड़े की जड़ वह जमीन है जो श्रीमती गाँधी के शासन काल में वितरित की गई थी। यदि हम वह भूमि फिर से उन्हें न दिला सके, तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। अतः, अत्याचारों के मामलों पर विचार करते हुए आयोग ने पुनर्वास संबंधी उपायों के अतिरिक्त विभिन्न एहतियाती, निवारक और दण्डात्मक उपायों का सुझाव ठीक ही दिया है। इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए जब तक कोई पृथक निकाय नहीं होगा, तब तक न्याय की आशा करना असंभव है। इन लोगों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था तो है लेकिन उनका पालन कार्यान्वयन करने के बजाय उल्लंघन में अधिक किया जाता है। जब तक इस समुदाय के कल्याण संबंधी उपायों की देखभाल करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें उचित ढंग से कार्यान्वित किया जाए, कोई पृथक मंत्रालय नहीं बनाया जाए तब तक यह संभव नहीं होगा कि उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए तथा जो सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है उस सरकार द्वारा केवल उनके लिए चलाए गए सभी विकास कार्यक्रमों के लाभ उन तक पहुँच सकें।

अतः इन व्यक्तियों के प्रति सरकार और जनसामान्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना आवश्यक है अन्यथा उनकी सुरक्षा और उनकी बेहतरी के लिए संविधान में किए गए उपबंधों का वास्तविक लाभ उन तक पहुँचना संभव नहीं होगा।

**श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ)** : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के जो प्रतिवेदन समय-समय पर यहां प्रस्तुत किए जाते हैं, और संविधान के वे उपबंध जिनके प्राधिकार के अन्तर्गत ये प्रतिवेदन पेश किए जाते हैं, वे हमारी उस राष्ट्रीय नीति की ओर इंगित करते हैं जिसके अनुसार गत दो दशकों से यही अपेक्षा की जाती रही है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का उत्पीड़न समाप्त हो, हमारे यहाँ उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निचले वर्गों का सदस्य वर्षों से जो शोषण होता रहा है वह समाप्त हो, और यही भावना हमारे संविधान में निहित है और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए ये प्रतिवेदन हमारे सम्मुख लाए जाते हैं।

यह समस्या सामाजिक आर्थिक स्वरुप की है। मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि यह कोई धार्मिक समस्या नहीं है। यह तो सामाजिक-आर्थिक समस्या है। ये लोग जो गरीब हैं, जो वांचित हैं, और जिन्हें हम सामाजिक रूप से हरिजन कहते हैं, वे केवल हिन्दू समुदाय में ही नहीं हैं। मैं अपनी पूरी शक्ति और पूरी सामर्थ्य के साथ इस सदन में घोषणा करना चाहता हूँ कि इस तरह के निर्धन दयनीय और अभागे लोग केवल हिन्दू जाति में ही नहीं बल्कि अन्य धार्मिक वर्गों में भी हैं।

हम उस संविधान और ऐसी समाज व्यवस्था अथवा सामाजिक निदेश तथा सरकार के अधीन रहते हैं जिसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है और जो जैसा कि मैं कह चुका हूँ, इस परम्परागत

उत्पीड़न को समाप्त करना चाहती है। अतः मैं यह समझने में असमर्थ हूं, और मेरे भाई जो अनुसूचित जाति के हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं और बौद्ध हैं, यह समझ पाने में असमर्थ हैं···

**एक माननीय सदस्य :** सिखों के बारे में क्या है ?

**श्री अडुआर्डो फैलीरो :** मैं अभी उनके बारे में भी कहूँगा। हम इन विशेषाधिकारों, बल्कि, वे विशेषाधिकार नहीं हैं, वे उनकी वजह से हैं, को केवल हिन्दू और सिख समुदाय तक ही सीमित करने में निहित न्याय को समझ पाने में असमर्थ हैं।

अब मैं सिख समुदाय की समस्या पर बोलूँगा। कारण यह बताया जाता है कि जाति व्यवस्था केवल हिन्दू समाज में ही है, कि ईसाई धर्म जाति को नहीं मानता, कि इस्लाम धर्म में जाति को मान्यता नहीं है और, इसीलिए, ईसाईयों और मुसलमानों में अनुसूचित जातियों के होने का सवाल ही नहीं उठता। महोदय, मैं आपके माध्यम से, सदन से यह पूछना चाहता हूं कि हिन्दुओं के अलावा, सिखों को भी अनुसूचित जातियों के रूप में संरक्षण प्रदान करने का औचित्य क्या है। सिख धर्म भी जाति व्यवस्था को नहीं मानता। हालाँकि सिख धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है, इसे मान्यता नहीं है, फिर भी व्यवहार में वास्तविकता इसके विपरीत है और जातिगत भेदभाव सिखों में भी है। अतः अनुसूचित जाति मूल के सिखों को भी यह संरक्षण दिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अनुसूचित जाति मूल के अन्य लोगों को भी, जो ईसाई अथवा इस्लाम धर्म के हैं, संरक्षण दिया जाना चाहिए।

मैं कहना चाहूँगा कि हमारे धर्म-निरपेक्ष जनतंत्र में राज्य का इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है कि कौन किस धर्म को मानता है अथवा किसी धर्म को नहीं मानता। यह तो व्यक्तिगत मामला है और राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। राज्य का काम तो इस पर विचार करना है कि कहीं सामाजिक भेद भाव तो नहीं हो रहा, आर्थिक विषमता तो नहीं है और फिर उन लोगों को संरक्षण प्रदान करना जिन्हें इसकी जरूरत है। यहाँ मैं यह कहना चाहूँगा कि मुझे शर्म से अपना सर झुकाना पड़ता है, ईसाई धर्म के सभी लोगों को इस बात पर शर्म से अपना सर झुकाना पड़ता है कि सिद्धाँत रूप में उनके बीच कोई जाति व्यवस्था न होने पर भी, वे जाति व्यवस्था को मानते हैं और भेदभाव करते हैं।

मैं स्वयं उस ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र का हूँ जहाँ अनुसूचित जाति मूल के लोगों की बहुतायत है। उस क्षेत्र में, और उससे भी अधिक दक्षिण में केरल और तामिल नाडु में अनुसूचित जाति मूल के ईसाई धर्मी लोगों की जनसख्या बहुत अधिक है। यहां तक कि चर्च के सीमा क्षेत्र में भी, जहाँ कहा जाता है कि वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, स्वर्ण ईसाइयों और अनुसूचित जाति मूल के ईसाइयों के लिए अलग-अलग बैंचे हैं। हमारे कब्रिस्तानों में उनके लिए भिन्न व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार, मुसलमानों में भी हालांकि मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं मुस्लिम समाज को भलीभांति नहीं जानता हूं, सैयद और शेख होते हैं, (व्यवधान) और शिया तथा सुन्नी होते हैं। यहां मुसलमान भाई बहुत अच्छे वक्ता हैं और वे बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, यह तो उन्हीं की जिम्मेवारी है कि वे माननीय संसद के समक्ष अपनी बात रखें।

किन्तु, मुझे नव बौद्धों के पक्ष में अवश्य कहना होगा। वे लोग जाति को नही मानते।

डा० अम्बेडकर जाति प्रथा के खिलाफ थे और वे सामाजिक एकता के महान समर्थक थे। लेकिन यह कोई कारण नहीं है कि नव-बौद्धों को सुविधाएं न दी जाएं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था न की जाए।

मैं फिर अपने ही गांव की बात लेता हूं जहाँ युवा मित्र हैं जो अनुसूचित जाति मूल के हैं, लेकिन चूंकि वे ईसाई हैं इसीलिए उन्हें मेडीकल कालेजों में और इन्जीनियरिंग कालेजों तथा रोजगार में स्थानों के आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाती है। ये लोग खेतों में कई-कई घंटे काम कर के भी अध्ययन करते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन वे उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, और मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में एक भी डाक्टर या एक भी इंजीनियर उन समुदायों का नहीं है। उन्हें इसी पददलित स्थिति में रखा जाता है। यह स्थिति कायम नहीं रह सकती। इसे बना नहीं रहने देना चाहिए और इसीलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जो लाभ तथा सुविधाएं हिन्दू धर्म और सिख धर्म के अनुसूचित जाती के लोगों को दी जाती हैं, वे लाभ तथा सुविधाएं ईसाई धर्म अथवा बुद्ध धर्म से सम्बद्ध तथा इन धर्मों को मानने वालों को भी दी जानी चाहिए। सरकार कह सकती है कि ईसाई और बुद्ध धर्म के अनुसूचित जाति के लोगों को ये लाभ दिये जाएंगे। हमारी जनसंख्या के बड़ी तादात वाले इस अभागे वर्ग को, लाभ मिलने चाहिए।

एक बात तो यही है कि उन्हें भी लाभ मिलने चाहिए। अब मैं माननीय राज्य मंत्री को, जो गुजरात के हैं, यह बताना चाहूँगा कि पिछली संसद के दौरान गुजरात तथा अन्य राज्यों में मोची जैसे लोगों के अतिरिक्त वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने हेतु एक विधेयक पेश किया गया था। वह विधेयक एक सीमित उद्देश्य के लिए था, लेकिन उसे सदनों की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया था और अन्य वर्गों के लोगों तथा अनुसूचित जाति के अन्य वर्गों को ये सुविधाएं देने के व्यापक प्रश्न पर विचार किया गया था। इस तरह के लोग बहुत हैं। मेरे अपने ही प्रदेश गोवा में, हिन्दू समुदाय के ही बहुत लोग हैं— गौड़ मराठा समाज तथा अन्य जिन्हें ये लाभ मिलने चाहिए और इसीलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि अनुसूचित जातियों को उपलब्ध लाभ गुजरात में ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों में भी अन्य वर्गों के लोगों को दिए जाने के सवाल पर विचार किया जाए।

इस सरकार विशेष में मेरे पूर्ण विश्वास है क्योंकि यह वर्गरहित जातिरहित समाज के लिए वचनबद्ध है। इसके धर्म-निरपेक्ष सिद्धांतों को किसी ने चुनौती नहीं दी है। अतः, सरकार में और गृह मंत्री श्री मकवाना मैं जो इतने कम समय में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, पूरा भरोसा रखते हुए, हमें यकीन है कि इन समस्याओं को हल किया जाएगा। ये समस्याएं वास्तविक हैं और लम्बे समय से चली आ रही हैं। इसे यह न समझ लिजिए कि मैं किसी एक मत की ओर से दलील दे रहा हूं। यदि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ईसाइयों, बौद्धों तथा मुसलमानों को अनुसूचित जाति के लाभ न मिलें, तो क्या होगा ? मणिपुर में, आदिवासी मूल के हिन्दुओं को ये लाभ नहीं मिल रहे हैं, केवल ईसाइयों को दिए जा रहे हैं। अतएव, ये धार्मिक भेदभाव समाप्त होने चाहिए और इस मामले में धर्म का उल्लेख किन-किन, सामाजिक-आर्थिक हालात पर विचार करते हुए कोई एक समान नीति अपनाई जानी चाहिए।

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए)

*श्रीकृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बगला में बोलना चाहूंगा। महोदय, हम यहाँ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये आयुक्त के पचीसवें प्रतिवेदन पर बहस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि आजादी मिलने के 33 वर्ष बाद भी हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, यह पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। इस समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। संविधान (पैंतालिसवां सशोधन) विधेयक पर हुई बहस में भाग लेते समय मैंने यह कहा था, जिसका उल्लेख अभी कुछ समय पहले श्री फैलीरो द्वारा भी किया गया था, कि ये सुविधायें नव-बौद्धों को भी दी जानी चाहिए और अनुसूचित जातियों के उन सब लोगों को भी किलनी चाहिए जो ईसाई बन गये हैं। संविधान (पैंतालिसवाँ संशोधन) विधेयक के संबंध में पहले पहल मैंने यह बात कही थी और आज बहुत से सदस्य वही बात कह रहे हैं। श्री परुलेकर ने भी मेरी बात का समर्थन किया था।

मैं अब मुख्य विषय पर आता हूं। महोदय, हमें अनुसूचित जातियों, हरिजनों तथा आदिवासियों की समस्या का पूर्णरुपेण अध्ययन करना पड़ेगा। इसके साथ बहुत सी सामाजिक आर्थिक तथा भावात्मक समस्याएं जुड़ी हुई हैं। यदि हम इस समस्या का अध्ययन एक माननीय समस्या के रूप में करें तभी इसे हल करने में सफलता मिलेगी। इस प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार और कुछ राज्य सरकारों को छोड़ कर अधिकाँश राज्य सरकारों ने आयोग द्वारा पहले की गई सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है। मैं प्रतिवेदन के कुछ अंशों को यहां उद्धत कर रहा हूं। प्रतिवेदन के पहले ही पृष्ठ पर यह बताया गया है :

कमजोर वर्गों की सुरक्षा के सबंध में संविधान के अनुच्छेद 46 में दिए गए ठोस आश्वासन फीके पड़ गये। जबभी कोई घटना होती थी तो सार्वजनिक मंचों से तथा संसद में इस मामले को हर बार पहले से अधिक उठाया जाता था और इस पर इतना अधिक वाद-विवाद होता था कि समस्या अब इतनी अधिक गंभीर हो गई है कि केवल आंकड़े इकट्ठे करने से काम चलने वाला नहीं है। इसके बारे में मानवीय असफलता और राष्ट्रीय वचनवद्धता के रूप में वाद-विवाद हुआ था।"

यह बात प्रतिवेदन में स्वीकार की गई है। कुछ ही समय पहले माननीय सदस्य श्री चन्द्रजीत यादव ने अपने भाषण में खेतिहर मजदूरों तथा बंटाईदारों के बारे में उद्धरण दिया था। मैं उन उद्धरणों और आँकड़ों को दोहराऊंगा नहीं। इस प्रतिवेदन में लिखा है :

"अनुसूचित जातियों के 290 लाख कामगारों में से 150 लाख (51.8%) खेतिहर मजदूर हैं तथा 80 लाख (27.9%) 1971 में काश्तकार थे।" महोदय, ऐसी स्थिति है। हमारे देशवासियों का यह सबसे निर्धन वर्ग है जिनको दबाया जा रहा है और जिन पर आज भी अत्याचार किए जा रहे हैं। मैं इस वाद-विवाद में किसी दलीय दृष्टिकोण से भाग नहीं ले रहा। लेकिन हमें यह बताया गया था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस समस्या को हल करने के लिए 'आपात स्थिति के दिनों में कोई बीस-सूत्री या चौबीस सूत्री या चार-सौ बीस सूत्री कार्यक्रम तैयार किया था। वे यह दावा करते हैं कि उन्होंने बन्धुवा मजदूरों की समस्या को हल कर लिया है। लेकिन इस प्रतिवेदन में जो लिखा है वह मैं उद्धत करता हूँ :

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

"हमारे पूर्व प्रतिवेदनों में देश के बन्धुवा मजदूरों की समस्या को बार-बार उठाया गया था। एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि 10 में से 8 ऐसे राज्यों में जहां बन्धुवा मजदूरों का पता लगाया जा सकता है, बन्धुवा मजदूरों की संख्या लगभग 20 लाख बैठेगी। यदि बन्धुवा मजदूरों का देश के अन्य भागों में भी पता लगाया जाये तो यह संख्या बहुत अधिक बढ़ जायेगी। दूसरी ओर 1976 से, जब बन्धुवा मजदूर व्यवस्था उन्मूलन के लिए केन्द्रीय कानून प्रवृत्त हुए थे केवल 1.05 लाख ही बन्धुवा मजदूरों का पता लगाया गया है और उनमें से केवल 31.000 को ही पुनर्वासित किया गया है।"

सभापति महोदय, इससे यह पता लगता है कि अब तक केवल 31,000 बन्धुवा मजदूरों को ही पुनर्वासित किया गया है और उनका बहुत बड़ा भाग अब भी दासता की स्थिति में रह रहा है। मैं आपका ध्यान इस प्रतिवेदन के एक अन्य भाग की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें यह लिखा है :

"मल को सिर पर ढोने की प्रथा नगरपालिकाओं द्वारा तत्काल समाप्त की जानी चाहिए और गैर-सरकारी तथा नगरपालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को इस कार्य के लिए वैकल्पिक उपकरण दिए जाने चाहिए।"

अतः इस प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि कई नगरपालिकाओं तथा नगर-निगमों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अब भी अपने सर पर मल ढोना पड़ता है। ऐसी स्थिति है। इसके बाद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की बेरोजगारी की स्थिति के बारे में इस प्रतिवेदन में बताया गया है :

"अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के शिक्षित लोगों के बीच बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यद्यपि सरकारी उपक्रमों में, जहां रोजगार के अधिक अवसर हैं' आरक्षण आदेशों को लागू करवाये जाने के लिए कदम उठाये गये हैं, गैर सरकारी क्षेत्र इन आरक्षण आदेशों के प्रवर्तन क्षेत्र से बाहर है।"

अतः उनके बीच बेरोजगारी की समस्या आज भी बढ़ रही है। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह यह देखे कि गैर-सरकारी क्षेत्र में भी उनके लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की जाये। अब मैं भूमि सुधार तथा भूमि वितरण के बारे में कुछ बोलूंगा। मैंने आंकड़ों के जरिये यह दिखाया है कि इनमें से अधिकांश लोग खेतिहर मजदूर तथा बंटाईदार हैं। उन्हें अब तक मकान के लिए भूमि नहीं दी गई है ?

महोदय, मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि कम से कम मेरे राज्य में, अर्थात, पश्चिम बंगाल में भूमि-सुधार को उचित रूप से लागू किया गया है, वहां खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए कानून द्वारा व्यवस्था की गई है और बटाईदारों को भूमि के अधिकारी के रूप में दर्ज कर लिया गया है। उन्हें वे मालिकान्य अधिकार दे दिए गए हैं जो, जहां तक मुझे जानकारी है, किसी और राज्य में नहीं दिए गए हैं। महोदय, इसके अलावा मेरे राज्य में उनके लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण की भी व्यवस्था की गई है ताकि वे सुचारु रूप से और दक्षता से खेती कर सकें। श्री चन्द्रजीत यादव ने यह बताया है कि 20 लाख एकड़ फालतू भूमि में से अभी तक केवल 25% भूमि का ही वितरण किया गया है। महोदय, केवल मेरे राज्य पश्चिम

बंगाल में ही 8 से 10 लाख एकड़ भूमि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में विपरित की गई है जिनमें से लगभग 95% अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बंटाईदारों के लिए राष्ट्रीकृत बैंकों से ऋण की व्यवस्था की गई है। इस संदर्भ में मैं यह बताना चाहूँगा कि गत दिसम्बर और जनवरी के महीनों में अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों की समिति के चेयरमैन श्री भोला पासवान शास्त्री ने, जो दूसरे सदन के एक माननीय सदस्य हैं, घटना-स्थल पर ही अध्ययन के लिए पश्चिम बंगाल की यात्रा की थी। विस्तृत जाँच करने तथा घटना-स्थल पर ही अध्ययन करने के बाद उन्होंने सरेआम यह कहा था कि देश में पश्चिम बंगाल की भारतीय साम्यवादी दल (मा०) के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार ही एकमात्र ऐसी राज्य सरकार है जिसने वास्तविक में भूमि सुधार किए है जिन्होंने भूमिहीन मजदूरों और अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों, में भूमि वितरित की है और जिन्होंने बंटाईदारों को मालिकाना अधिकार दिए हैं और उनके लिए राष्ट्रीकृत बैंकों से ऋण की व्यवस्था की है। माननीय गांधीवादी श्री भोला पासवान शास्त्री ने खुले दिल से यह स्वीकार किया था कि अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के लिए पश्चिम बंगाल में भारतीय सम्यवादी दल (मा०) के नेतृत्व वाली वाम पंथी सरकार द्वारा जो प्रशंसात्मक कार्य किए गए हैं वे सारे देश में किसी अन्य सरकार द्वारा नहीं किए गए हैं। मैं इससे गर्व का अनुभव करता हूँ। मैं केन्द्रीय सरकार तथा सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध करता हूं कि वे उस सरकार को गिराने का षडयंत्र करने की बजाय पश्चिम बंगाल की वाम पंथी सरकार का अनुसरण करें और उसके कार्य क्रमों को लागू करें। आपको यह समझना चाहिए कि वे सीमित संवैधानिक तरीके से कितने प्रगतिशील कदम उठा रहे हैं। महोदय, अन्य विषयों को लेने से पहले मैं आपका ध्यान इस प्रतिवेदन के पृष्ठ चार की ओर दिलाऊंगा जहां यह कहा गया है :

"हरिजनों पर किए गए अत्याचारों के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि 1974 से 1976 की अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों के लोगों पर किए गए अत्याचारों में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।" लेकिन महोदय, जून 1975 से 1976 तक की अवधि "आपात स्थिति" की अवधि थी, यह स्वीकार किया जाता है कि आपात-स्थिति के दौरान भी हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों के लोगों पर किए गए अत्याचारों में 41% प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह तथ्य इस प्रतिवेदन में दर्ज है। मैं अब आपका ध्यान दूसरे पहलू की ओर दिलाऊंगा। प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टर प्राइजिज (बी.पी.ई.) से यह पता करना संभव नहीं हुआ था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को कितना प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था। दरअसल बी.पी ई. इस बारे में रुकावटें पैदा कर रहा है। मैं प्रतिवेदन में से एक उद्धरण देता हूं :

"हमारे अत्यधिक प्रायासों और बार-बार याद दिलाने के बावजूद सरकारी सेक्टर के उपक्रमों में अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व से संबधित आँकड़े ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टर प्राइजज द्वारा हमें उपलब्ध नहीं कराये गये। एक ऐसे संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा, जिर पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए किए गए प्रावधानों की जाँच का दायित्व सौंपा गया हो, पूछे गये प्रश्नों के प्रति बी.पी.ई. द्वारा उदासीनता का रुख अपनाया जाना बहुत खेद की बात है।

यह कितनी खेद जनक स्थिति है। अन्य विषयों को लेने से पहले सभापति महोदय, में आपका ध्यान, और आपके जरिये इस सदन तथा पूरे देश का ध्यान इस प्रतिवेदन में दी गई एक अन्य बात की ओर दिलाऊंगा :

"इस तथ्य के बावजूद, रोजगारों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण से संबंधित भारत सरकार की नीतिया तथा आदेश वही नीं हैं जो रज्य सरकारों के हैं। राज्य सरकारों ने अलग-अगल नीतियों का अनुसरण किया है। जबकि संघ सरकार ने और अधिकांश राज्यों ने इस बारे में कोई भी कानून नहीं बनाये हैं। तीन राज्यों ने आरक्षण संबंधी कानून बनाये हैं। जबकि कुछ राज्यों ने पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है। कुछ राज्य इस बारे में संघ सरकार से भी आगे चले गये हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने कानून द्वारा पदोन्नति से भरे जाने वाले 2,000/-रु० वेतन तक के पदों में भी आरक्षण की व्यवस्था की है जबकि भारत सरकार में यह आरक्षण केवल न्यूनतम ग्रुप 'ए' तक ही है।"

इस प्रतिवेदन में लिखा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसने 2000/-तक के वेतन वाले पदों में कानून के जरिये आरक्षण की व्यवस्था की है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी केवल ग्रुप 'ए' तक के पदों में ही आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है।

पश्चिम बंगाल सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उत्थान के लिए अधिक प्रयास कर रही है। महोदय, पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार ने अ०जा० तथा अ०ज०जा० के लोगों आदिवासियों और अन्य कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक वित्तीय निगम की स्थापना की है। ये लोगों को लघु, ग्रामीण तथा घरेलू उद्योगों की स्थापना करने में सहायता देरहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हम वामपंथी तथा कम्यूनिस्ट इस समस्या को किस दृष्टिकोण और किस पहलू से देखते हैं। हमारा विचार है कि अनुसूचित जातियों तथा आदिवासियों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि त्रिपुरा की वामपंथी सरकार ने आदिवासी लोगों के उत्थान को ध्यान में रख कर त्रिपुरा में एक 'स्वावत आदिवासी जिला बनाया है। किसी अन्य राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। महोदय हम पहाड़ी क्षेत्रों में अल्प-संख्यक भाषाओं को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। नेपाली भाषा के लिए एक अकादमी स्थापित की गई है। आदिवासियों संथालों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने उनकी संथाली लिपी 'अल्चिकी' को मान्यता दे दी है, जो किसी और राज्य में नहीं किया गया है। महोदय, अपने संविधान के टार्च तथा उसकी सीमा के भीतर ही हम सार्वजनिक पूर्णहित को ध्यान में रखकर इन तरीकों से कार्य करते जा रहे हैं।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि धर्म किसी भी व्यक्ति का अपना निजी मामला है। आज भी समाज में अनुसूचित जातियाँ, आदिवासी और अस्पृश्यता आदि क्यों विद्यमान हैं? वे इसलिए विद्यमान हैं क्योंकि जिस वर्ग के हाथ में शासन चलाने की शक्ति है, वह वर्ग हमेंशा अपने स्वार्थों को बनाये रखने के लिए तथा लोगों का वर्ग-शोषण करने के लिए धर्म और धार्मिक भावनाओं को इस्तेमाल करता रहा है। अस्पृश्यता का निवारण इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि हम सामन्तवादी दृष्टिकोण से चलते रहे हैं। यदि सिर्फ संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करके

हम पूंजीवादी और सामन्तवादी राज्य अर्थव्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास करते रहेंगे तो इस समस्या का कभी भी समाधान नहीं होगा। महोदय, इसलिय हमें वर्तमान सामाजिक-आर्थिक सरकारी ढांचे को पूरी तरह समाप्त करना होगा। क्योंकि यह आदमी द्वारा आदमी के शोषण पर आधारित है। आवश्यकता आज इस बात की है कि हम एक नया राज्य-ढांचा खड़ा करें और मानव समानता तथा सभी के लिए समान अधिकार और समान अवसर का दृष्टीकोण अपनायें। केवल तभी हम जातिवाद, अस्पृश्यता तथा ऐसी अन्य बुराइयों को दूर कर पायेंगे, जो सारे राष्ट्र के लिए शर्म की बातें है और ये बातें राष्ट्र के नाम पर धब्बा हैं।

महोदय, आज हमारे देशवासियों का पांचवां हिस्सा पशुओं जैसी उप-मानवीय दशा में जीवन व्यतीत कर रहा है। एक किसान भी अपने गाय बैलों को इससे अधिक स्नेह और प्यार से रखता हैं। वह अपने पशुओं को पोषक आहार देने के लिए सुबह चार पजे उठता है। लेकिन हम क्या करते हैं ? हमने बेलची और कई अन्य स्थानों पर देखा है कि हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया। हम अफ्रीका में अपनाई जा रही वर्गभेद तथा रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज बुलन्द करते हैं। लेकिन हमारे अपने देश में वर्ग भेद पर आधारित समाज में हमारे देश वासियों का पांचवां हिस्सा पशुओं की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है। इस स्थिति पर हम सभी के सिर शर्म से झुक जाने चाहिए। इसलिए, मैं कहता हूँ कि हमें समग्र और व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। यदि हम वर्तमान सामाजिक, आर्थिक तथा राज्यकीय ढांचे को समाप्त करके एक नये ढाँचे का निर्माण करें, जो समता और सबके लिए समान अधिकार पर आधारित हो और काम के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल करलें, तभी हम इस बुराई को दूर करने में प्रगति कर सकेंगे। इसलिए आइये हमें एक दूसरे पर राजनीतिक गंदगी उछालना छोड़ दें। आइये हम आज सभी राजनीतिक दलों, सभी मजदूर संघों, सभी कृषक संगठनों, और सभी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधियों की एक गोल मेज सम्मेलन बुलायें। आइये हम सब मिलकर खुले दिल से और गंभीरता से इस शर्मनाक समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करें। अस्पृश्यता निवारण के लिए समय बद्ध कार्यक्रम के साथ एक आन्दोलन चलाना होगा। जी हाँ, यह इस प्रतिवेदन में दर्ज है कि प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि 5 वर्ष के भीतर अस्पृश्यता को दूर कर दिया जायेगा। लेकिन ऐसा कहाँ हुआ है ? जैसे-जैसे वर्ष बीतते गये हैं यह समस्या और अधिक जटिल होती चली गई है। मुझे आशा है कि यदि अन्य सभी राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्य का अनुसरण करेगी जो वह संविधान की सीमाओं के भीतर ही कर रही हैं, तो यह समस्या बहुत हद तक हल हो सकती है। भूमि को भूमि सुधारों के जरिये भूमिहीन मजदूरों तथा बंटाईदारों में बाँट दिया जाये और बंटाईदारों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण की व्यवस्था कर दी जाये। खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दीजिये। नगर पालिकाओं तथा निगमों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अपने सिर पर मल ढोने के काम से मुक्त कर दिया जाये। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक 'भारतीय' के नाम से जाना जाना चाहिए, न कि हरिजन या अनुसूचित जाति के रूप में और नहीं बंगाली या असमिया के रूप में। सभी को 'भारतीय' पुकारा जाना चाहिए और सबका आदर किया जाना चाहिए। गैर-असमियों को अब असम से निकाला जा रहा है, यह कितनी शर्म की बात है। यदि हम समग्र दृष्टिकोण नहीं अपना

सकते, यदि हम सभी प्रकार के अत्याचार शोषण तथा ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन नहीं छेड़ सकते तो हम इस समस्या को समूल नष्ट नहीं कर सकते। मैं अनुसूचित जाति के लोगों के दु:ख से अच्छी तरह परिचित हूं। कई नेता यह कहते हैं कि उनकी समस्या को हल करने का उपाय जाति संघर्ष है। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मेरा विचार है कि हमें वर्ग-संघर्ष छेड़ना होगा, हम देखते हैं खेतिहर मजदूरों, बंटाईदारों, कारखानों मजदूरों आदि में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जातियों के नहीं हैं फिर भी उनका शोषण किया जा रहा है। इस लिए हमें संयुक्त वर्ग संघर्ष छेड़ना होगा जैसा कि हमने पश्चिम बंगाल में किया है। हम देखते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि में हरिजनों पर अत्याचार किए गए हैं। लेकिन ऐसे मामले पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा केरल में देखने को नहीं मिलते। ऐसा क्यों है ? महोदय, स्वतंत्रता आन्दोलन के साथ-साथ हमने जातिवाद, अस्पृश्यता आदि के खिलाफ भी राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानन्द आदि के नेतृत्व में संघर्ष किया है। वामपंथी आन्दोलन तथा मार्कसवादी आन्दन का पश्चिम बंगाल तथा केरल में अधिक प्रचार है। इसी के कारण हम पश्चिम बंगाल में संघर्ष द्वारा अस्पृश्यता का निवारण कर सके हैं। मैं अन्य सभी राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करुंगा कि वे दलगत सम्बन्धों को छोड़कर हमारे द्वारा रखे गए उदाहरण का अनुसरण करें। यदि आप वास्तव में गरीबी दूर करना चाहते हैं, यदि आप इस बारे में गंभीर हैं तो आप इस देश को समाजवादी देश घोषित कर दें आप यह घोषणा कर दें कि आप इस देश के लिए एक समाजवादी संविधान बनायेंगे। आप यह घोषित करदें कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला होगा, जाति एक व्यक्तिगत विषय होगा। मैं आप सब को यह दृष्टिकोण अपनाने और एक समय-बद्ध कार्यक्रम के साथ इस बुराई के खिलाफ संयुक्त तथा एक जुट होकर संघर्ष करने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

धन्यवाद, महोदय।

**श्री सुन्दर सिंह** (फिल्लौर) : समापति महोदय, आपने इनको इतना ज्यादा समय दिया है। अब आप मुझे मौका दें, ताकि मैं उनकी बातों का जवाब दे सकूं।

**सभापति महोदय** : यह समय उनकी पार्टी को आवंटित है और सदस्य उस समय में बोलने के हकदार हैं।

आप कृपया यह देख लें कि भारतीय साम्यवादी दल (मा०) को 30 मिनट का समय आवंटित है और वे 30 मिनट ही बोले हैं।

श्री हरसिंह मकवाना।

**श्री सुन्दर सिंह** : मुझे बोलने का मौका दें, मैं, जो वह बोले हैं, उसका जवाब दूंगा।

**सभापति महोदय** : आप कल बोलिएगा। कल तैयारी करके उनकी बात का जवाब दीजिएगा। (व्यवधान)

आप ऐसा नहीं कर सकते। कृपया उन्हें बोलने दें।

**श्री नरसिंह मकवाना (मैंदुका)** : समापति महोदय, माननीय गृहमंत्री ने जो रिपोर्ट सभा-गृह में पेश की उसके बारे में में अपने विचार रखना चाहता हूँ।.....

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : उस ओर की अनिश्चित स्थिति को देखते हुए ससदीय कार्यमन्त्री

को वहां होना चाहिए। उन्हें नियन्त्रित करने के लिए वहा कोई नहीं हैं। हर एक आदमी खड़ा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि श्री मकवाना इस विषय को उस विषय के प्रभारी कैबिनेट मन्त्री से भी अधिक अच्छी तरह सम्भाल सकते हैं। लेकिन संसदीय कार्य मन्त्री को कम से कम वहां उपस्थित तो रहना चाहिए···

**सभापति महोदय** : मैं माननीय सदस्य को यह सूचित कर दूँ कि सदन के सदस्य एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करते। यह कार्य पीठासीन अधिकारी का है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

**श्री नरसिंह मकवाना** : इस रिपोर्ट पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें हैं। इनके साथ असहमत होने का तो कोई सवाल नहीं है लेकिन सवाल यह है कि यह जो रिपोर्ट आई है उसको बराबर तफसील से देखा जाए तो हमारा यह विश्वास है कि जिन उसूलों पर हम खड़े हैं उन उसूलों से हमारा विश्वास डिग जाता है। खास तौर से महात्मा गांधी ने इस देश के लोगों को जो सिखाया और इस देश के गरीब लोगों को उन्होंने जो वचन दिया वह 32 साल की आजादी के बाद भी पूरा नहीं हो रहा है। हर साल लोक सभा के अन्दर ऐसी रिपोर्ट पेश की जाती है, उसके ऊपर चर्चा होती है, मगर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए वह नहीं उठाए जाते हैं। हर साल यह जो कमिश्नर हैं वह रिपोर्ट पेश करते हैं। वह बहुत से सुझाव भी रखते हैं। मगर उन सुझावों पर पूरा-पूरा अमल नहीं होता है। अभी सभा-गृह जिस रिपोर्ट पर विचार कर रहा है उसको तफसील से देखें तो हमें क्या मिलता है ? इस रिपोर्ट के अन्दर देश के गरीब लोगों और हरिजनों पर पिछले तीन सालों के अन्दर जो अत्याचार हुए उसका पूरा इतिहास है। हिन्दू समाज के लिए यह बड़ी कलंक-कथा है बड़े कलंक का टीका है। इस टीके को खत्म करने के लिए सरकार की भी जिम्मेदारी है और इस सभा गृह की भी जिम्मेदारी है, ऐसा मैं मानता हूँ। कमिश्नर ने जो सुझाव दिए हैं वह सुझाव दिये हैं वह सुझाव सिर्फ कागज में और फाइल में ही रहते हैं, उन पर अमल नहीं होता है। मिसाल के तोर पर मैं बताना चाहता हूँ, पिछली रिपोर्ट के अन्दर कमिश्नर ने सुझाव दिया था कि जो खानगी उद्योग धन्धे हैं, व्यापार है, उस के अन्दर भी हरिजन और आदिवासियों के लिए नौकरी में परसेंटेज तय होना चाहिए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उद्योग मंत्रालय ने इस बात को अस्वीकार किया, उन्होंने इससे इनकार किया उन्होंने यह कहा कि इसके लिए तो खानगी उद्योगों के साथ मिल कर कोई रास्ता निकालना चाहिए। इस लिये मेरा यह कहना है कि इसके बारे में कोई कानून नहीं अपनाएंगे और कानून में तब्दीली नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी आदमी जिसके अन्दर खून है वह इस रिपोर्ट को पढ़ेगा तो उसकी आँखों से आंसू के सिवाय और कुछ नहीं निकल सकता है। आप देखें, बेलछी में अत्याचार हुआ, पारस बीघा में हुआ, पिपरा में हुआ, बढ़ैया में हुआ, पूर्णिया में हुआ। इस तरह 77, 78 और 79 के सालों को आप देखें तो ये अत्याचार के वर्ष हैं।

सारे देश में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो यह कह सके कि हमारे यहां यह नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य अभी यहां पर बोले मगर उनके राज्य में भी यह जुल्म हो रहे हैं। इस तरह से इस देश का कोई राज्य और डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं है जहां पर जुल्म नहीं हो रहे हों। आज हम इस रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं तो हमें इसके लिए कुछ तय करना चाहिए।

सबसे बड़ी दुःख की बात यह है कि जब हरिजनों पर जुल्म होते हैं तो सरकार की तरफ से, खास तौर पर पुलिस की तरफ से जो इन्तजाम होना चाहिए और मदद मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है। बहुत सारे केकेज में तो हरिजनों पर जो जुल्म होते हैं उनके लिए पुलिस ही जिम्मेदार होती है। इसके बारे में सरकार की तरफ से जो भी जवाब दिया जाए वह अलग बात है लेकिन जो स्थिति है वह बहुत ही गम्भीर है। आगरा में 1978 में क्या हुआ ? हरिजनों का इसमें क्या गुनाह था ? उन्होंने सिर्फ डा० अम्बेडकर के नाम पर जुलूस निकाला था लेकिन वहां पर हरिजनों को मारा-पीटा गया और पुलिस ने भी गोलीबार किया। तो इसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। महात्मा गांधी और सरदार पटेल के राज्य गुजरात में भी हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं। ऐसा क्या हो रहा है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए ?

सन् 1977 में जब सरकार बदली तो उस समय यह हवा चली कि हरिजनों का सुख खत्म करो। सारे देश में हरिजनों के खिलाफ एक वातावरण तैयार हुआ जिसकी वजह से सारे देश में हरिजनों की पिटाई हुई और उनकी जमीनें छीनी गई। इसको रोकने के लिए हमको विचार करना चाहिये। हमको लगता है कि हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी पहली वजह है छुआछुत। कमिश्नर ने भी इस रिपोर्ट में कबूल किया है और कहा है कि छुआछूत पहला कारण है। दूसरा कारण यह है कि जहां पर हरिजन मजदूरी करते हैं और अपनी पूरी पगार मांगते हैं तो वहां पर उनकी पिटाई होती है। वहां पर हरिजनों को मजबूर किया जाता है, जमीदारों की तरफ से, कि बिना मजदूरी के वे जमीदारों के खेतों में काम करें। जहां पर हरीजनों को छोटी-छोटी जमीनें मिली भी हैं वहां उनसे वह छीनी जाती हैं। अगर देश में पिछले तीन सालों का सर्वे किया जाए तो हजारों लाखों एकड़ जमीन हरिजनों से छीन ली गयी है और उनको मारा पीटा गया है। यह उनपर जुल्म होने का तीसरा कारण है।

चौथा कारण यह है कि जहां कहीं हरिजनों में खूबसूरत माँ, बहन और बेटियां हैं वहाँ पर उनके साथ अत्याचार बलात्कार होता है। सरकार इसको रोक नहीं पाती है। डिमोक्रेसी की वजह से या किसी और वजह से सरकार पर दबाव आता है—चाहे यह सरकार हो या कोई दूसरी सरकार—लेकिन पिछले तीन सालों में हरिजनों पर जो अत्याचार हुए हैं उनको गरीब आदमी और हम लोग भूल नहीं सकते हैं। देश के कोने-कोने में लोगों के मन में यह बात बैठ गयी है कि पुलिस हरिजनों की रक्षा नहीं कर सकती है। इसलिये जैसा कि श्री चन्द्रजीत यादव ने सुझाव दिया है कि इन मामलो को निपटाने के लिए खास अदालतों का निर्माण किया जाए।

**श्री सुन्दर सिंह** : सभापति महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य जो बातें कह रहे हैं वह बातें तो हम लोग रोज ही कहते हैं कि हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हमें तो इसके लिए हल निकालना होगा।

**सभापति महोदय** : प्वाइन्ट आफ आर्डर तो प्रोसीजर के सम्बन्ध में होता है। यह आपका प्वाइन्ट आफ डिसार्डर है।

**श्री नरसिंह मकवाना** : सबसे बड़ी दुःख की बात यह है कि—हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली से 40 किलोमीटर नजदीक कंझावला गांव में हरिजनों पर क्या हो रहा है ? हरिजन

वहाँ से गांव छोड़कर भागना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी सलामती नहीं है। वहां के लोग बड़े पैसे वाले हैं और वे हरिजनों को मार रहे हैं।

20 जुलाई, 1979 को कुछ गांवों के बड़े किसानों, बड़े लोगों ने श्री चरणसिंह का नारा लगाकर जलूस निकाला और हरिजनों के खेत को उजाड़ दिया, हरिजनों को मारा-पीटा, उनके खेतों में जो माल पड़ा था उनको खत्म कर दिया और सरकार कुछ नहीं कर सकी। आज गांवों के अन्दर हरिजन जिन्दा है, मगर जिन्दा नहीं है वह मुर्दा है, उनके रक्षण के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है।

पिछले चुनाव के अन्दर जब श्रीमती इन्दिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को अपार बहुमत मिला, मगर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उन चुनावों में देश के कई भागों के अन्दर हरिजनों को वोट डालने नहीं दिया गया। जो देश के नागरीक हैं वे पिछले चुनावों में अपने मत का उपयोग नहीं कर सके। इन चीजों को दूर करने के लिये हमारी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। जहां तक कानून और व्यवस्था को सम्भालने का प्रश्न है, यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, गरीब लोगों आदिवासियों को हरिजनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन इन मसलों में राज्य सरकारें कुछ नहीं कर पाती हैं या वे जानबूझ कर नहीं करती हैं। ऐसी हालत में मेरा आपके द्वारा मन्त्री जी से विनम्र निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार को विधान के मुताबिक, हरिजनों, आदिवासियों और गरीब लोगों को जो अधिकार दिये गये हैं, उनकी सुरक्षा के लिये कदम उठाने चाहिये। अगर इस प्रकार के कदम नहीं उठायें जायेंगे तो वहाँ के गरीब लोगों और हरिजनों के अन्दर विश्वास और हिम्मत पैदा होने वाली नहीं है। यह भी मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूँ।

इस अनुसूचित जाति और जनजाति की रिपोर्ट पर कमीशन ने जो ग्यारह सिफारिशें की हैं, सुझाव रखे हैं, उन सुझावों को सरकार कितना स्वीकार करती है, इस बात का स्पष्टीकरण मन्त्री जी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सुझाव नं० पांच पर यह कहा गया है कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जमीन छीन ली गयी है, उनकी मां-बहनों की ईज्जत लूटी जा रही है, ऐसे केसों के लिये, मैं मन्त्री जी से उम्मीद करता हूं कि वे एक स्पेशल अदालत बनायेंगे, ताकि उन केसों को जल्दी से जल्दी हल किया जाए।

बहुत से लोगों ने हरिजनोत्थान के बारे में कहा है कि विधान के 30 साल के अन्दर जो सुविधायें इनको दी गयी हैं उसकी वजह से वे बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत पैसे वाले हो गये हैं, मगर ये सब बातें गलत हैं। इसके बारे में बहुत से कमीशन बैठे हैं और वे कहते हैं कि थोड़े के लोगों को नौकरियां तो जरूर मिली हैं, प्रोमोशन भी हुए हैं, मगर 85 फीसदी हरिजन और आदिवासी भूखे मर रहे हैं। देहातों में उनके पास खाने के लिए न अनाज है, न रहने के लिए घर और पहनने के लिये कपड़ा है, वे लोग गुलामी की जिन्दगी बसर कर रहे हैं। बहुत से लोग प्रचार कर रहे हैं कि सरकार ने विधान के अन्दर जो हरिजनों को सुविधायें दी हैं, वे खत्म कर देनी चाहिए। इसी वजह से हरिजनों को जो नौकरियां मितली हैं, उनके प्रोमोशन होते हैं, वे उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट और हाईकार्ट में जाते हैं। गुजरात के अन्दर मैडिकल कालेज में पोस्ट-ग्रेजुएट हरिजन डाक्टरों को प्रोमोशन मिला तो वहां के लोग हाई कार्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे ले आए। अगर हमारी सरकार और हम कुछ करना चाहते हैं और यह सदन कुछ

करना चाहता है तो उनकी इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए हमें सोचना चाहिए। अब तो राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार में भी जाति के नाम पर संगठन बनने लगे हैं। कर्मचारी लोग अपनी मांगों को पूरा करने के लिए यूनियनें बनाते हैं, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी ट्रेड यूनियन में काम करने वाला व्यक्ति हूं, सारी राज्य सरकारों में जाति के आधार पर संगठन बन रहे हैं। शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स का संगठन बन रहा है। उन संगठनों का यही काम है कि जहां शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नौकरी मिलती है, प्रोमोशन मिलता है, वे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले आते हैं। इस बात को रोकने के लिये सरकार को कुछ इन्तजाम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर विधान में हरिजनों और आदिवासियों के लिये इन्तजाम नहीं किया गया, तो जो आपने विश्वास दिलाया है, वह खत्म हो जाएगा।

एक बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि गुजरात के अन्दर मोची जाति के जो लोग हैं उन को शेडयूल्ड कास्ट्स में लेना चाहिये। जब हमारा संविधान बना था, उस समय शेडयूल्ड कस्ट्स में वही लोग लिये गये थे जिन को हिन्दू समाज के लोग अस्पृश्य मानते थे। गुजरात में मोची जाति की आबादी 5 लाख है, लेकिन वे अनटचेबिल्ज़ नहीं गिने जाते थे, हिन्दू समाज के लोगों के साथ रहते थे, उनके खाने -पीने में भी शामिल होते थे, बल्कि वे खुद हरिजनों के साथ अस्पृश्यता करते थे। सारे देश के अन्दर मोची अस्पृश्य हैं, अनटचेबिल हैं, लेकिन गुजरात की बात अलग है, वहां वे अस्पृस्य नहीं हैं। जिन माननीय सदस्य ने इस बात का जिक्र किया है, मैं उन से कहना चाहता हूं कि किसी वजह से जो गलती उस वक्त हो गई थी, उस को अब इस सभा से आग्रह कर के सुधारना पड़ेगा, लेकिन इस के लिए ऐसी बात कहना ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि गुजरात के मोचियों का जो सवाल है, उस के बारे में हमारी सरकार फौरन कुछ कदम उठायेगी।

इस रिपोर्ट को मैंने ध्यान से पढ़ा है, दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इस को पढ़ा है—सभी सदस्यों को यह देख कर दुख होता है कि हमारे 32 साल के स्वराज्य के बाद भी इस देश में लाखों लोगों की यह हालत है—इन के सुधार का काम तभी आगे बढ़ सकता, जब सरकार इस बारे में कुछ कदम उठाये।

**श्री सूरज भान (अम्बाला)** : सभापति महोदय, मैं श्री मकवाना जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं—उन्होंने इस रिपोर्ट पर काफी जल्दी यहां पर डिस्कशन शुरू करा दिया है। लेकिन एक बात का दुख भी है और वह यह कि यह रिपोर्ट पिछले साल राज्य सभा में पेश हो चुकी थी, लेकिन लोक सभा में पिछले सेशन में पेश की गई। उस के बाद जब मैंने इस पर डिस्कशन के लिये" नो-डे-येट-नेम्ड मोशन" का नोटिस दिया तो उसी दिन गवर्नमेन्ट की तरफ से नोटिस आ गया कि इस पर डिस्कशन होगा। लेकिन इस की नकल हमें कल शाम को मिली है, इस लिए इसको पढ़ने का हमें बिलकुल टाइम नहीं मिला। क्या नौकरशाही यह चाहती है कि मेम्बर्स इस रिपोर्ट को पढ़े बगैर इस बहस में हिस्सा लें? इस से पहले इस रिपोर्ट को कहां छुपा कर रखा गया था, कौन इसको छुपाये बैठा रहा इस बात की एन्कवायरी होनी चाहिये, हरिजनों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होनी चहिये।

आप ने 8 घन्टे का टाइम इस पर बहस के लिये दिलवाया है, इस के लिये मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं।...

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : अब 10 घन्टे हो गये हैं।

श्री सूरज भान : यह तो और भी अच्छी बात है, अब मेम्बरो को अपने दिल की बात ज्यादा खुल कर कहने का मौका मिलेगा।

सभापति जी, हिन्दुस्तान में हरिजनों की क्या हालत है एक शायर ने कहा है—

गुनहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं वाकिफ,
सजा तो जानता हूं मैं, खुदा जाने खता क्या है।

हजारों सालों से हमारी क्या हालत है ? हम ने कौन सा गुनाह किया है ? क्यों हमारे साथ एट्रासिटीज हो रही हैं—यह किसी ने नहीं बताया। हरिजनों ने हिन्दुस्तान को कुछ दिया है, हमेशा से देते चले आये हैं, रिजर्वेशन के हिसाब से तो आप ने कुछ मामूली सा ही उनको दिया होगा। आप रामायण काल से ले लीजिये, वेद को छोड़ कर जिस को ईश्वरी ज्ञान बतलाया जाता है, जो किसी इन्सान की लिखी हुई किताब नहीं है हमारे यहां दो ही एसी सामाजिक या धार्मिक किताबें रह जाती हैं-जिन को सब मानते हैं—एक महाभारत और दूसरी रामायण। महाभारत महर्षि वेद व्यास ने लिखी, जो एक मल्लाह की बेटी के पेट से पैदा हुए थे। दूसरी किताब रामायण महर्षि बाल्मीकि ने लिखी जो खुद एक अछूत थे। इन दोनों किताबों को देने वाले हरिजन थे। इसी तरह से भारतीय संविधान को देने वाले—डा० बाबा साहेब अम्बेडकर भी एक अछूत थे। आप देखिये हरिजनों ने हिन्दुस्तान को कुछ दिया ही है, लिया कुछ भी नहीं—फिर भी उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है।

अब मैं सब से पहले एट्रासिटीज पर आता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस राज में एट्रासिटीज ज्यादा हुई और कुछ कहते हैं कि जनता के राज में ज्यादा हुई। लेकिन मैं कहता हूं कि एट्रासिटीज सब से पहले "राम" के काल से शुरू हुई। राम ने शम्बूक मुनि का गला काटा था, जब कि वह भगवान की पूजा कर रहे थे। उनका क्या कुसूर था ? एट्रासिटीज वहां से शुरू होती हैं और उस के बाद लगातार होती आई। ऐसा क्यों होता है ? मैंने पहले कहा है कि इस के लिये जिम्मेदार कौन है—यह अलग बात है लेकिन इस को रोका कैसे जाय ? मैं यहां पर सब से पहले कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सब से पहला सुझाव यह है सि आप स्टेट लेवल पर साल में कम से कम एक बार शेडयूल्ड कास्ट्स शेडयूल्ड ट्राइब्स के मेम्बर्स तथा कुछ अन्य मेम्बर्स जो इस में इन्टरेस्ट रखते हैं, उन की ग्रुप-वाइज मीटिंग कीजिये। साल में एक बार हम मिलें और अपने दिल की बात आपके सामने कह सकें, अपने सुझाव दे सकें, आप को रास्ता दिखा सकें। हम बता सकें कि हमें वहां क्या दुख हैं और उनका इलाज क्या है। साल में कम से कम एक वार ग्रुपवाइज इसकी मीटिंग हो जाए।

सभापति महोदय, एट्रोसिटीज के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरा ख्याल है, इस के तीन कारण हैं। पहला कारण सामाजिक है, छुआछूत है और उस का आधार यहां का जात-पात का सिस्टम है। जब तक जात-पात का सिस्टम खत्म नहीं होगा, तब तक एट्रोसिटीज खत्म नहीं हो सकतीं। कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर की जाए। मैं तो कहता हूं कि आप जात पात और छुआछूत को खत्म कर दीजिए, हम रिजर्वेशन नहीं मागेंगे। आप खत्म कर दीजिए छुआछूत को, इस किस्म की जंजीरों को और उस के लिए मैं एक सुजाव देना चाहता हूं। जात-पात तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अनटचेबिलिटी, छुआछूत को बढ़ावा देने वाली धार्मिक किताबें यहां पर मौजूद हैं, उन का रिव्यू क्यों नहीं किया

किया जाता। कुछ किताबों में यह लिखा है कि शूद्रों के साथ ज्यादती करना, महिलाओं के साथ ज्यादती करना आप का अधिकार है। जब तक वे किताबे मन्दिरों में पढ़ाई जाएंगी और धार्मिक सभाओं में रोज ये उपदेश दिये जाते रहेंगे, तब तक छुआछूत नहीं मिटेगी। मैं मांग करता हूं कि ऐसी धार्मिक किताबों का रिव्यू कर के ऐसे पोर्शनों को—अगर आप उन किताबों को बैन नहीं कर सकते—निकलवा दें। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि हम ने सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया हुआ है, छुआछूत दूर करने के लिए एक्ट बनाया हुआ है और दूसरी तरफ जिन किताबों से छुआछूत को बढ़ावा मिलता है, और शंकराचार्य ऐसी बात को बढ़ावा देने की बातें कहते हैं, उनका रिव्यू नहीं करते, तब तक यह समस्या हल नहीं होगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि ऐसी किताबों का रिव्यू होना बहुत जरूरी है।

इस का दूसरा कारण है लैंड प्राब्लम। उस के लिए कानून तो स्टेट्स में बने हुए हैं लेकिन जब तक उन का इम्पलीमेंटेशन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा, और इम्पलीमेंटेशस के लिए मैं लाजमी तौर पर एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप यह चाहते हैं कि सरप्लस जमीन मिले जोकि हरिजनों को दी जा सके, तो उस के लिए फैमीली की डेफीनशिन को रिवाइज करना होगा। आज एक कुनबा है, तो उस कुनब में 20, 20 आदमी शामिल हैं। आप फैमीली प्लानिंग की बात कहते हैं और कहते हैं कि तीन बच्चे हों और अब तो दो बच्चों की बात कहने लगे हैं। जब ऐसी बात है तो फैमीली की डेफीनीशन में यह होना चाहिए कि 5 से ज्यादा उस के मेम्बर नहीं होंगे। अगर आप मेरे इस सुझाव को मान लेते हैं, तो आप को काफी सरप्लस जमीन मिल जाएगी वरना कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहे कुछ भी कहते रहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं कि अकसर यह देखने में आता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, तो उन इलेक्शनों के बाद हरिजरों पर अत्याचार होते हैं। जब कोई हरिजन सरपंच, एम० एल० ए० या एम०पी० बन कर आता है, तो अकसर दूसरे जो ताकतवर लोग हैं, वे इन कमजोर वर्गों के लोगों को दबा लेते हैं और ये कमजोर होने के कारण उन का मुकाबला नहीं कर सकते। इस के लिए मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि सेन्टर की इस में कुछ न कुछ रेस्पोन्सीबिलिटी होनी चाहिए - आप इस मामले को प्योरली स्टेट्स पर छोड़ देते हैं और यह कह दिया जाता है कि यह स्टेट का सबजेक्ट है। मुझे याद है कि पिछले साल जब तामिलनाडू में एक जगह पर हरिजनों पर अत्याचार हुए, वहां पर जब एक पार्लियामेंटरी कमेटी ने जाने की बात की, तो वहां की स्टेट गर्वमेंट ने यह कह दिया, यू केन नाट कम। आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। इस तरह से वहाँ जा कर कमेटी उस मामले को भी नहीं देख सकती। अगर यह सिचुएशन रहती है और सेन्टर तमाशा देखते रहे, तो यह ठीक बात नहीं है। आर्टीकिल 46 जो हमारे कांस्टीट्यूशन की है, उस में सेन्टर पर हरिजनों के प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी है कि वह उन के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। उन लोगों पर अत्याचार होते रहें, और यह कह दिया जाए कि यह तो स्टेट का मामला है क्योंकि ला एण्ड आर्डर स्टेट का सबजेक्ट है, यह मेरी समझ में उचित बात नहीं है। इस के शिए मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि सेन्टर में एक सैल बनाया जाना चाहिए और वह सैल मिनिस्ट्री आफ होम एफेयर्स में बनना चाहिए।

एक बात यह कहनी है कि सिविल प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट में यह प्रोविजन है कि स्पेशल कोर्टस बनाई जा सकती हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितनों स्टेट्स ने इन लोगों के लिए

ऐसी स्पेशल कौर्टस बनाई हैं। एक स्टेट ने भी नहीं बनाई हैं। मैं नहीं चाहता कि जूडीशियेरी को क्रीटीसाइज करूं लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहता हुं। तामिलनाडू में तैंजावूर जिले में ग्राम किलवेनमकी में 32 हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया था। और जिस वक्त केस कोर्ट में चला तो हाई कोर्ट का फैसला था कि अमीर और सोशल स्टेट्स के आदमी कत्ल कर ही नहीं सकते। वे सब के सब छूट गये, किसी एक को भी सजा नहीं हुई। इसलिए स्पेशल कोर्ट बननी चाहिये.

मैं अपनी स्टेट हरयाणा, जहाँ से मैं आता हूं, का जिक्र करना चाहता हूँ, वहाँ हुये अत्याचार की जानकारी देना चाहता हूं। इसमें कोई व्यक्ति इन्वोल्व नहीं है बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट इन्वोल्व है। दाहिना नाम का एक वहां गाँव है जिसका एक हरिजन पकड़कर, एक चोरी के मामले में, थाने में ले जाया जाता है। इंकवायरी के नाम पर पकड़कर ले जाया जाता है। वहाँ पर उस पर ट्रार्चर होता है। उसकी बीबी थाने में खाना लेकर जाती है। उससे कहा जाता है कि तुम उसे खाना नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती ? क्योंकि वह आदमी थाने के आंगन में कपड़े से ढका हुआ लेटा हुआ था। वह लेटा नहीं था बल्कि उसकी लाश उस कपड़े से ढकी हुई थी। हकीकत यह थी कि पुलिस के टार्चर के कारण वह मर चुका था। महीला थाने से रोती हुई घर जाती है। उसके तीन दिन बाद दिल्ली पुलिस हरियाणा जाती है। पता नहीं किस केस के लिये जाती है। उस पुलिस द्वारा उस महिला को उसके घर से बुलाया जाता है और पुलिस का सब इंस्पेक्टर उसे गोली से उड़ा देता है। इसमें एक स्टेट नहीं दो स्टेट इन्वाल्व हैं। आपने नारायणपुर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को बरखास्त किया इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि अगर किसी सरकार को भी डिसमिस किया जाना था तो सबसे पहले हरयाणा सरकार को डिसमिस किया जाता जहाँ कि इस प्रकार का काण्ड होता है।

सभापति महोदय, इसके विषय में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता, केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। हर जिले के एस० पी० और डी० सी० को ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये और सी० आर० में एक कालम होना चाहिये कि उस आदमी का इन आदिवासियों और हरिजनों के प्रति एटीच्यूड क्या है। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जो ऐसे केसिज के विक्टिम्स हों उन्हें फुल कम्पेनसेसन दिया जाय और जो असल मुल्जिम हों ऐसे स्ट्रोसिटीज के केसिज के उन्हें केवल सजा नहीं मिलनी चाहिये बल्कि उसकी सारी प्रापर्टी भी कंसफीसकेट कर लेनी चाहिए। यह न हो कि मुल्जिम को सजा हो गयी तो उसकी जमीन और उसकी प्रापर्टी से उसके बच्चे और परिवार के लोग आराम से गुजर-बसर कर सकें। अगर उसकी प्रापर्टी का कंसफीकेशन भी हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। जैसे कि हरिजन एक कमाने वाला मर जाता है तो बच्चे भूखे हैं। तीसरा मेरा सुझाव है कि जिस एरिये में भी ऐसी घटना होती है, उस एरिये में क्लेक्टिव फाइन होना चाहिए। कुछ सेन्सेटिव स्टेट्स में कुछ सेन्सेटिव एरियाज हैं जिनके कि आरम्स लाइसेंसिज कैंसिल किये जाने चाहिए और वहाँ के अनलाइसेंस्ड आर्म्स भी ले लेने चाहिए। हरिजन और आदिवासी लाठी से कैसे इन हथियारों का मुकाबला कर सकता है। नहीं तो मुझे यह कहने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हरिजन और आदिवासियों को भी लिवरल्ली आर्म्स के लायेंसेंस देने चाहिए। अगर आप दूसरों को आर्म्स दें तो हरिजन और आदिवासियों को भी निहत्था न रहने दें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । आज हरिजन और आदिवासियों में इन अत्याचारों के कारण एक जागृति आ चुकी है । पुराने लोग तो इन जुल्मों को बर्दाश्त कर लेते थे लेकिन उनके नौजवान बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं । उनका खून खौलता है और इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं । अगर इन चीजों को ठीक ढंग से टेकल नहीं किया गया तो इस देश में हरिजन और आदिवासियों के ऐसे तत्व भी हैं जिनमें बटवारे की सेप्रेटिज्म की भावना चल रही है । मैं आपको कहना चाहता हू कि इस को समय रहते चैक कर लीजिए, वरना यह मुल्क लावे पर खड़ा है । मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ, आपको चेतावनी दे रहा हूं कि अगर हरिजन और आदिवासियों ने भी सिर उठा लिया तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा । मैं नहीं चाहता कि देश में किसी के मन में सेप्रेटिज्म की भावना आये । अगर वक्त पर इस चीज को रोका नहीं गया तो हरिजन और आदिवासी भी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खड़ा हो सकता है ।

एक बात मैं जमीन के बारे में भी कहना चाहता हूँ । जहाँ मैंने सरपलस एक्ट वगैरहा की बात कही वहाँ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हरिजन जो अपने पैसों से जमीन खरीदते हैं वह जमीन भी उन से छीन ली जाती है । आप राइट आफ प्रीयेम्शन हक शुफा की बात सुन कर हैरान होंगे । एक गरीब हरिजन कोई जमीन खरीदता है, उसकी जमीन को किसी से एप्लीकेशन दिलवा कर के और ज्यादा पैसे दे कर के ले लिया जाता है । ऐसे मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ । पंजाब में पहली बार एक कानून बनाया कि जहां हरिजन टेनेंट कोई जमीन खरीदता है तो राइट आफ प्रीएम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा । अब वह खतम कर दिया गया है । आप स्टेट्स को सुझाव दें कि अगर कोई हरिजन या आदिवासी या दूसरा मुजायरा भी अपने पैसे स जमीन खरीदता है तो इस पर राइट आफ प्रीएम्पशन लागू नहीं होना चाहिये ।

लैंड के बारे में एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कंभावला की जो टैंडेंसी है उसको आप को कर्ब करना चाहिये । एक अर्से से वहाँ यह सब हो रहा है । इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता ।

इनके वास्ते स्कालरशिप्स का एमाउन्ट भी आपको बढ़ाना चाहिये । प्रोफैशनल इंटीट्यूशेंस में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जैसे डाक्टर हैं, इंजीनियर है उनको इंटरेस्ट फ्री लाँग टर्म लोन दिए जाने चाहिये । प्रोफेशन में आने के बाद उन से इन लोन्स को वापिस लिया जा सकता है ।

इन लोगों को स्कालरशिप लेने में भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । हर साल उन से हरिजन होने का सर्टिफिकेट माँगा जाता है । मेरा सुझाव है कि एक बार ही उनको एटाइटलमेंट कार्ड बना कर दे दिया जाए और हर साल उस कार्ड पर उनको पैसा देने की व्यवस्था कर दी जाए ।

फारेन जो स्टडी के लिए जाते हैं उन में हरिजनों और आदिवासियों की संख्या और उन के लिए स्कालरशिप का नम्बर बढ़ाया जाना चाहिये ।

आपने एक बुनियादी बात कही है कि जब तक इनकी इकोनौमिक हालत नहीं सुधरेगी, अनटचेबिलिटी भी नहीं जाएगी । इनकी आबादी देश में 25 प्रतिशत है । मेरा सुझाव है कि बजट का 25 परसेंट इनके लिए रिजर्व किया जाए । किसी स्टेट का कोई प्लान तब तक मंजूर न किया जाए जब तक उसका 25 प्रतिशत भाग इनके लिए मुकर्रर न हो ।

1978 में एक वर्किंग ग्रुप इनके लिए एप्वाइंट हुआ था। उसने रिपोर्ट पेश की जिसको अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों संबंधी कार्यकारी दल तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबधित प्रतिवेदन इस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट के फर्स्ट पेज पर यह लिखा है :

गृह मत्री ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों आदि के कल्याण संबंधी प्राथमिकता कार्यक्रम तथा कार्य नीति तैयार करने के लिए 8 दिसम्बर, 1977 को एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की थी। मत्री महोदय ने अभी कहा कि श्रीमती इदिरा गांधी ने 1975 में एक भाषण दिया था और उसके आधार पर यह रिपोट बनी। मुझे खदशा था कि कहीं इस रिपोर्ट को फेंक न दिया जाए। मुझे खुशी है कि इसको आप एडाप्ट कर रहे हैं। चुंकि जनता पार्टी के राज्य में हुआ है इस वास्ते मुझे खदशा था।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने यह कहा कि उनके भाषण के मुताबिक स्पेशल कम्पोनेंट प्लान रखा गया है।

**श्री सूरज भान** : मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आप इसको एडाप्ट कर रहे हैं। मुझे डर यही था कि कहीं इसको फेकने दिया जाए इस आधार पर कि जनता पार्टी के राज्य में ऐसा हुआ है।

आज बिड़ला देश का सबसे बड़ा जुलाहा है, टाटा सब से बड़ा लुहार है और बाटा सब से बड़ा चमार है। इन के जो भी प्रोफेशन हैं इनके पास जो भी टैक्नीक है, इनको जो कुछ भी आता है वह सब इन से छीना जा रहा है। कुछ तो इन लोगों के पास आप रहने दें। इन लोगों को इंटरेस्ट, फ्री लोन दें, इनके वास्ते इंडस्ट्रियल शैड्ज बनाएं, डिस्ट्रीबयूशन एजंसीज में इनको इनका शेयर दें तभी इनको हालत सुधरेगी। बहुत से और सुझाव हैं जो बाद में दिए जा सकते है।

नैशनलाइज्ड बैंक्स की एक डी. आर. आई स्कीम है। मैं चाहता हूं कि इन बैंकों से इन लोगों को कम से कम पच्चीस परसेन्ट लौन दिया जाना चाहिये।

अब मैं सार्विसिस के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। इतने साल की आजादी के बाद 1178 को जो पोजिशन थी वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइबज के लिए साढ़े 22 परसेंट का रिजर्वेशन है, पंद्रह परसेंट हरिजनों के लिए और साढ़े सात परसेंट शैड्यूल्ड ट्राइल्ज के लिए। क्लास 1 में आप देखें कि सेंट्रल सर्विसिस में शैड्यूल्ड कास्टट्स 4.49 प्रतिशत थे और शैड्यूल्ड ट्राइल्ज 0.84 प्रतिशत। क्लास 2 में 6.33 परसेंट और .-74 परसेंट। क्लास 3 में 11.46 प्रतिशत और 2.01 प्रतिशत। रिजर्व बैंक जो गवर्नमेंट आफ इंडियाका है उस में इन दोनों का कम्बाइंड रिजर्वेशन 1.88 प्रतिशत ही था। इसी तरह से स्टेट बैंक में 1.36 प्रतिशत था। सैपेरेट फिगर्ज इन्होंने नहीं दी है। इतनी बुरी हालत है। हर स्टेट में यह हालत है। मैं केवल बीमारी प्वाइन्ट आउट करना नहीं चाहता। अगर आप ईमनदारी से चाहते हैं कि इन की हालत सुधारे तो आपको इसके उपाय करने होंगे। वैस्ट बंगाल, उड़ीसा और मणिपुर ने एक्ट बना दिए हैं। वैस्ट बंगाल ने तो बहुत अच्छा काम किया है। उसने पीनल क्लाज की व्यवस्था कर दी है। अगर कोई अफसर ठीक काम नही करेगा तो उसको पीनेलाइज किया जा सकेगा। मामूली चोरी कोई करता है तो उसके लिए तो सजा का प्रावधान है लेकिन रिजर्वेशन जिस के वास्ते संविधान में व्यवस्था है, अगर उस व्यवस्था को कोई लागू नहीं करता

है तो उस के लिए कोई सजा नहीं है। मैंने एक बिल पिछले सप्ताह इंट्रोड्यूस किया है इसके बारे में और अगर आप एश्योरेंस दे देते हैं कि आप इसके बारे में सैंट्रल एक्ट बनाएंगे तो मैं अपना बिल वापिस लेने के लिए तैयार हूँ। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जब तक एक्ट नहीं बनेगा और स्टेट्स में भी वैसी ही व्यवस्था नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा।

सभापति महोदय, उनकी सर्विस असोसियेशन्स बनी हुई हैं उनको भी रिकग्नीशन दीजिये। मिनीस्ट्री आफ होम अफेयर्स की तरफ से आर्गूमेंट आता है कि कास्ट के आधार पर हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं। जब कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि शेड्यूल्ड कास्ट कोई कास्ट नहीं है। उन्होंनें कहा है अनुसूचित जाति कोई जाति नहीं है, यह कई जातियों का मिश्रण है, न कि कोई एक जाति है। इसलिये आपके सामने कठिनाई नहीं आनी चाहिये।

मेरा सुझाव है कि अगर आप उनकी हालत सुधारना चाहते हैं तो हरिजनों और आदिवासियों के लिए एक सैपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिये। वैस्ट पंजाब से जब कुछ लाख शरणार्थी आये थे तो उनके लिये आपने एक रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री बनायी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हजारों साल से करोड़ों रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिये आप क्यों नहीं अलग से मिनिस्ट्री बना सकते हैं? पाकिस्तान से तो कुछ लाख शरणार्थी ही आये थे, जब कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स हजारों साल से करोड़ों की तादात में रिफ्यूजीज हैं। इसलिये इनके लिये अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिये।

एट्रोसिटीज का मतलब यही नहीं कि किसी का गला काट दिया। एक और एट्रोसिटी उनके साथ हो रही है। आज जैनियों के गुरू कीं, मुसलमान भाइयों के धार्मिक नेताओं, सिखों के धार्मिक नेताओं के जन्म दिन की छुट्टियां हैं लेकिन किसी हरिजन नेता के जन्म दिन की छुट्टी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर, गुरु रविदास, महर्षि बालमीकि के जन्म दिन की कोई छुट्टी नहीं है। पिछली बार गुरु रविदास के जन्म दिन की छुट्टी की थी जनता पार्टी ने, लेकिन अब उसको भी कैन्सिल कर दिया गया। इस लिये मेरी माँग है कि महर्षि बालमीकि, गुरु रविदास और बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिन की छुट्टी होनी चाहिये। और अगर नहीं कर सकते तो आप सारी छुट्टियां बन्द कर दें, और हिन्दुस्तान में केवल दो छुट्टियाँ ही रहें— एक 15 अगस्त की और दूसरी 26 जनवरी की।

आखिरी बात मुझे यह कहनी है कि रिवीजन आफ़ दी लिस्ट आफ शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूड ट्राइट्ब्स के लिये पार्लियामेंटरी कमेटी जरूर बननी चाहिये। एक कमेटी काँग्रेस ने 1968 में बनायी थी, जनता पार्टी ने भी बनायी थी। इसकी जरूरत क्यों है? आज अकेले असम में 35 लाख आदिवासी ऐसे हैं जो चाय के बागों में काम करते हैं लेकिन उन्हें राजनीतिक कारणों से अनुसूचित जन-जाति के रूप में मान्यता नही दी गई है। दिल्ली में भी कानून है कि 1952 के बाद जो यहां आ कर बसते हैं उनको शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं माना जायगा। वह हरियाणा में शेड्यूल्ड कास्ट्रस हैं, लेकिन देहली में आकर नहीं माने जाते। मेरा निवेदन है कि हिन्दुस्तान में कम से कम 1 करोड़ हरिजन आदिवासी ऐसे हैं जिनको उनके हकूक से वंचित रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जम्मू और कश्मीर में हरिजन और आदिवासी नहीं हैं? काफी हैं। लेकिन एक भी मेम्बर उस स्टेट से उनका प्रतिनिधित्व यहां नहीं करता है। इस लिये मेरी मांग है कि इस प्रकार की एक कमेटी बननी चाहिये ताकि इस

प्रकार अपने अधिकारों से वंचित जो करीब 1 करोड़ के हरिजन और आदिवासी हैं उनको भी हम शेड्यूल्ड कास्ट्स की श्रेणी में शामिल कर सकें और उनके अधिकारों को उनको वापस दे सकें। धन्यवाद।

**सभापति महोदय,** आपने वह सारा समय ले लिया है जो आपकी पार्टी को आवंटित था। यह बात आपकी और आपके सदस्यों की सूचना के लिए है।

**श्री अरविन्द नेतम** : सभापति महोदय, कुछ कहूं उससे पूर्व मैं गृह मंत्री जी को और कमिश्नर जिनकी रिपोर्ट है उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत मेहनत से बहुत अच्छी रिपोर्ट इस सदन के सामने उन्होंने पेश की है। यह 25 वीं रिपोर्ट है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जितनी मेहनत यह कमेटी करती है उस पर अगर पिछले 25 साल से गौर करें तो पायेंगे कि उसका जो परिणाम आना चाहिये वह हमें नहीं दिखता। इसलिये कि जितनी भी रिपोर्टस आयी हैं करीब करीब उन सब में बहुत सी पुरानी समस्याओं का भी जिक्र किया गया है। अभी सदन में बहुत से हमारे साथियों ने जो हरिजन और आदिवासियों की समस्याओं के बारे में कहा है, मैं मुख्यत: आदिवासी क्षेत्र और उनकी समस्याओं के बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कहा है।

सबसे पहले मैं आपके माध्यम से गृह-मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि हरिजन और आदिवासियों की समस्याएं मुख्यत:आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक भी हैं। आदिवासियों की समस्याए मुख्यत: आर्थिक हैं। इस रिपोर्ट के चैप्टर 8 में अगर देखेंगे तो उसमें जितने भी सुझाव व उल्लेख हैं, यह सब आर्थिक समस्याओं से संबंधित हैं।

मैं गृह-मंत्री जी से खासतौर पर एक चीज कहना चाहूंगा कि इस सदन में, लोक-सभा में, संसद् में इतनी रिपोर्टें पेश की गई हैं, उनमें सुझाव दिये गये हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जा सका है और अगर कहीं किया भी गया है तो उसका परिणाम ठीक नहीं आया है।

जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, उनमें प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है। मैं मध्यप्रदेश के बस्तर जिले से आता हूँ, मैं जानता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार के लिये बस्तर जिला एक पनिशमेंट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। यह प्रशासन व्यवस्था आजादी के पहले भी वही थी, और आज भी वही है। जिन आदिवासी क्षेत्रो को सजा का जिला माना जाता है, उनमें अगर किसी जिम्मेदार अधिकारी को सजा के तौर पर भेजें तो आप क्या उमीद उनसे कर सकते हैं कि जितने भी विकास के कार्य और योजनाएं हैं उनको वह वहाँ सही ढंग से लागू कर सकेंगे।

संविधान की धारा 275 में उल्लेख है, मैं उसका अंतिम वाक्य पढ़ रहा हूं—

"जो उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण की उन्नति करने के प्रयोजन के लिए अथवा उस के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य ने भारत सरकार ... के"

इसके मुताबिक सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मैं समझता हूँ कि केन्द्रीय सरकार की स्थिति ऐसी है कि वह संसद् और राज्य सरकार के बीच पोस्ट-आफिस का कार्य कर

रही है ।मैं चाहता हूँ कि राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में जो प्रशासन व्यवस्था होनी चाहिये, उसमें कहीं न कहीं केन्द्रीय सरकार का दखल होना चाहिये । केन्द्रीय सरकार से काफी पैसा जाता है । उसका किस ढग से वहां उपयोग होता है, इसकी सही तस्वीर केन्द्रीय सरकार के सामने नहीं आती । यह सबसे बड़ी समस्या है ।

संविधान के तहत पाँचवें शड्यूल में है कि गवर्नर की वहाँ पर विशेष भूमिका है आदिवासी क्षेत्रों के लिये और हर साल गवर्नर को राष्ट्रपति को रिपोर्ट देनी पड़ती है । यह रिपोर्ट गवर्नर सीधे-सीधे राष्ट्रपति को भेज देते हैं, ऐसी स्थिति में गवर्नर का रोल भी महत्वपूर्ण रोल है । मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार में भी और राज्यपाल के व्यक्तिगत अधिकारों में भी कहीं न कहीं आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित व्यवस्था में कोई कंट्रोल होना चाहिये ताकि समय-समय पर सही तस्वीर राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति को दे सकें ।

आप इस रिपोर्ट पार्ट 1 के पेज 18,19 में देख लीजिये, इसमें जो गवर्नरों को अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेजनी चाहिये थी, उसमें कुछ ऐसे राज्यों का हवाला है जिनकी रिपोर्ट निर्धारित समय के अन्दर नहीं पहुँची हैं । इसमें बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों के नाम हैं ।

इसी तरीके से जो ट्राइबल एडवाइजरी काउन्सिल होती है हर राज्य में उनकी मीटिंगों के बारे में भी इसके पेज 19 में लिखा है कि आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और वैस्ट बंगाल में सब जगह 1977-78 में केवल एक बार मीटिंग हुई है । सिर्फ वैस्ट बंगल में ही दो बार मीटिंग हुई है । यह महत्वपूर्ण काउंसिल होती है राज्य सरकार के लिये, जब कि इसकी बैठकें बहुत ज्यादा होनी चाहियें, हम देखते यह हैं कि एक साल में एक-एक मीटिंग ही हुई है ।

मैं कहना चाहता हूँ कि राज्यों की ट्राइबल एडवाइजरी कौंसिल की मीटिंग कम से कम दो तीन महीने में एक बार होनी चाहिए । यह बहुत महत्वपूर्ण संस्था है ।

जैसा कि मैं ने कहा है, मुख्य समस्या आर्थिक विकास की है । अगर आप चैप्टर 8-ट्राइबल डेवेलपमेंट, पेज 125 को देखें, तो उससे साफ जाहिर होता है कि अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के अभाव में कोई काम नहीं हो पा रहा हैं । मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूँ :--

"यह विदित हुआ है कि इस अवधारण जो स्वीकार करने में पर्याप्त समय लगा है कि जनजाति विकास का कार्य प्रत्येक विकास विभाग की जिम्मेदारी है । सभी राज्यों में जनजाति विकास विभागों के अधीकार अभी भी वरिष्ठ अधिकारी नहीं है ।"

यह सब से बड़ा लैकुना है । जितने भी ट्राइबल ब्लाक्स हैं, जिनके माध्यम से हम आदिवासियों का विकास करना चाहते हैं, मैं मध्य प्रदेश की बात कह सकता हूँ वहां ऐसे अफसर नियुक्त किये गये है, जो न तो सक्षम है और न ही तीव्र गति से काम करा सकते हैं । जब तक केन्द्रीय सरकार देश के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था में सुधार नहीं करेगी, तब तक हम चाहे जितना भी पैसा खर्च करें और कितनी भी योजनाये बनायें, वह सब बेकार होगा । रिपोर्ट के पेज 125 परदो उदाहरण दिये गये हैं : बिहार का सिमदेगा ब्लाक और उड़ीसा का गुनुपुर ब्लाक । अगर गृह मंत्री महोदय इन दो उदाहरणों पर विचार करेंगे, तो वह स्वयं महसूस करेंगे कि ऐसी व्यवस्था के रहते हुए करोड़ों रुपये खर्च करने पर भी आदिवासियों का विकास नहीं हो सकेगा ।

जहाँ तक जंगलों का सम्बन्ध है, आदिवासी जीवन में जगल का सहत्वपूर्ण स्थान है। आज विभिन्न राज्यों की जंगल-नीति केवल राज्यों के हितों की ही रक्षा करती है, आदिवासियों के हितों की रक्षा नहीं करती है। राज्य प्रशासन के द्वारा जितने भी काम जंगल में हो रहे हैं, उन सब को राज्य सरकार केवल अपनी आय बढ़ाने के लिए कर रही है। मैं मध्य प्रदेश की बात कह सकता हूं कि वहाँ सारी फारेस्ट प्रोड्यूस, वनोपज, का दोहन, एक्सप्लायटेशन, केवल व्यापारियों या प्राईवेट कंट्रेक्टर्ज के माध्यम से होता है। इस रिपोर्ट में सिफारिस की गई है कि आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह काम आदिवासियां के को-आपरेटिव्ज के द्वारा किया जाना चाहिए।

आदिवासियों को जंगलों से लकड़ी आदि की जो सुविधाएं मिलती रही हैं, राज्य सरकारें उनमें दिन-ब-दिन कटौती करती जा रही हैं। यह नहीं होना चाहिए। आदिवासियों की रक्षा और विकास के लिए उनको किसी न किसी तरीके से जंगल के साथ इनवाल्व करना चाहिए। कमिश्नर साहब ने यह रिपोर्ट मेहनत करके बहुत अच्छे ढंग से तैयार की है। मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय फारेस्ट पालिसी के बारे में गम्भीरता से विचार करें।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारें बहुत प्लान्टेशन कर रही हैं। मेरे जिले में प्लान्टेशन केवल सागवान का हो रहा है, जो आदिवासियों के आर्थिक जीवन में बहुत सहायक नहीं हो सकता है। प्लान्टेशन उन पेड़ों, विशेषकर फलदान वृक्षों, का होना चाहिए, जो आदिवासी जीनव में आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसके बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा खास कर के एक्साइज के बारे में। उस दिन मैंने एक्साइज पालिसी के बारे में कहा था। इस समय मैं खास तौर से यह कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के बारे में इस में लिखा है :

> "मध्य प्रदेश सरकार ने पहिले ही नई उत्पादन शुल्क नीति लागू की थी और पांच जिलों तथा रायगढ़ जिले के बस्तर, सरगुजा, झबुआ, मांडला और जसपुर तहसील को इसके अंतर्गत लाया गया था। 1 अप्रैल, 1977 से यह नीति अन्य जिलों यथा रायपुर, बिलासपुर सिफी, और रायगढ़ के समूचे जिले में लागू की गई।"

इस रिपोर्ट में जिस ढग से बात कही गई है वहाँ तक तो सब है, पर आज जो स्थिति है वह ठीक इसके उलटे है। पिछले दो सालों से राज्य सरकार ने अपनी प्राय बढ़ाने के लिए ये सारी सुविधाएं वापस ले ली हैं। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी गृह मंत्री से कहना चाहूँगा कि आदिवासियों का शराब से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। उनके धर्म से, उनकी सामाजिक परम्परा से शराब जुड़ी हुई है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। इसलिए राज्य सरकार केवल अपनी आय बढ़ाने की दृष्टि से उसके बारे में न सोचे। मैं चाहूंगा कि इसके अलावा और भी जितने आदिवासी क्षेत्र हैं वहां शराब चाहे ठेकेदारों के माध्यम से चल रही हो या सरकार अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से चला रही हो, आदिवासियों को उसके लिए छूट मिलनी चाहिए, पीने के लिए और बनाने के लिए। मैंने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 अप्रैल के पहले इन नीतियों को लागू नहीं किया गया तो हम इसके खिलाफ आन्दोलन करेंगे, यह मैं गृह मत्री से विशेष रूप से कहना चाहता हूं क्योंकि इसमें हमारी धार्मिक

भावनाओं को ठेस पहुँचती है । जो नई पालिसी सरकार ने बनाई है हम उसको बिलकुल बर्दाश्त नहीं करेंगे ।

अंत में खासतौर पर इम्पैक्ट आफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जो रिपोर्ट में कहा गया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छी बात कही गई है । आदिवासी क्षेत्र में अगर आप बिना सोचे समझे उद्योग लगाएंगे तो हमारे सामाजिक जीवन पर उसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उद्योग बढ़ें परन्तु उसके बढ़ने के पहले क्या-क्या काम्पलीकेशंस हमारे सामाजिक जीवन मे होते हैं उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, तब वहाँ इंडस्ट्री खोलनी चाहिए । जितनी भी हमारी बड़ी-बड़ी खनिज सम्पदा है वह आदिवासी क्षेत्र में है, लेकिन मैं समझ नहीं सका, इतने साल आजादी के बाद भी आज तक वह चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, वह वहाँ छोटे उद्योग लगाने के बारे में सोच नहीं सकी । खास कर आदिवासी क्षेत्रों में मैं यह चाहूंगा कि बड़े उद्योगों के बजाय छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय । उद्योग से हमारे आदिवासी जीवन में कोई काम्पीकेशन पैदा न हो इसका ध्यान रखा जाय । इसी सदन में फिफ्थ लोक सभा में यह बात आई थी, बेलाडीला में, बस्तर जिले में जो हम लोगों ने सामाजिक समस्याएं झेली हैं वह हम लोग जानते हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्री के मामले में छोटे उद्योगों को ज्यादा महत्व दिया जाय ।

दूसरी बात इस रिपोर्ट में कही गई है, उसे उद्धृत कर के मैं खत्म कर रहा हूं—

"तथापि, यह आश्चर्यजनक है कि मध्य प्रदेश में बस्तर और उड़ीसा में फूलबनी जैसे पिछड़े जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है । इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि पूंजीगत राजसहायता के प्रयोजन के लिए आग्राह्य पिछड़े क्षेत्रों की सूची में सभी उप योजना क्षेत्रों और आदिक जाति क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि जनजाति क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए उपक्रमी आकर्षित हो सकें । वास्तव में जनजाति क्षेत्रों के लिए अधिक राज सहायता देने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।"

यह जो बात रिपोर्ट में कही गई है, मैं गृह मंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर वह चाहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से हम उन्नति करें और वहाँ की जो खनिज सम्पदा है उसका ठीक ढंग से हम उपयोग कर सकें तो यह जो रिकमेंडेशन है इस पर विशेष तौर से वह ध्यान देंगे और इंडस्ट्री से हमें जो भी समस्याएं हो रही हैं, जैसा मैंने कहा उस ओर भी ध्यान देंगे और मैं चाहूंगा कि आनेवाले साल में भारत सरकार की ओर से बड़ी इंडस्ट्री के लिए बिना इस बात का सर्वे किए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ताकि हमें सामाजिक समस्याओं का सामना न करना पड़े ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार कमिश्नर साहब को और माननीय गृह मंत्री को भी धन्यवाद देता हूं । कमिश्नर साहब ने यह बहुत अच्छी रिपोर्ट पेश की है और काफी अच्छी सिफारिशें की ह ।

**श्री डी० पी० यादव (मुंगेर)** : सभापति जी, यह रिपोर्ट 25 वीं रिपोर्ट है और हमें आजाद हुए आज 33 वर्ष हो गए हैं । 33 साल में हम 25 बार इस रिपोर्ट को देख चुके हैं । दोनों पक्ष, इधर वाले भी और उधर वाले भी, 6 साल से मैं भी इसका पार्टनर हूँ इसलिये इसका

दोष और गुण सभी को स्वीकार करना चाहिये, मैं भी स्वीकार करता हूं, मैं भागने वालों में से नहीं हूं।

अब सवाल यह है कि हमारा विचार क्या है ? रिपोर्टें आती और जाती रहेंगी। एक से एक बढ़िया शब्दों में कितनी ही रिपोर्टें आई हैं उसका आप अन्दाज कर लीजिये। सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी में मैंने पुछवाया कि कितनी रिपोर्टें आई हैं तो पता चला कि कुल मिलाकर 37 हजार रिपोर्टें, छोटी और बड़ी सभी मिलाकर आई हैं। केवल हरिजनों पर नहीं, सभी मामलों की यह रिपोर्टें हैं। लेकिन इन रिपोर्टों पर जो होता है वह सभी जानते हैं।

इस रिपोर्ट में जितनी भी रेकमेंडेशन्स हैं उनसे अधिक अगर कोई बोले तो मैं उसको बेकार समझता हूँ। इससे ज्यादा कोई बोल ही नहीं सकता है। सवाल इसके इंप्लीमेन्टेशन का है। विचार और व्यवहार में कैसे इसको लावें—यह सवाल आता है। उदाहरण के लिए मैं मकवाना जी से आग्रहपूर्वक कहूंगा कि इस सम्बन्ध में सबसे मौलिक मुद्दा इस देश के मानस को तैयार करने का है। उदाहरण स्वरूप एक हरिजन खेत में, खलिहान में काम करे, खलिहान तक अनाज को ले आवे वहाँ तक अनाज में कोई छूत नहीं हुई लेकिन जब वह अनाज कोठी में चला जावे तो कोठी के मालिक का अनाज सछूत हो गया और हरिजन अछूत हो गया जिसने कि उस अनाज को पैदा किया। इस विचार को हमें परिवर्तित करना होगा।

इसी प्रकार से देहातों में सभी बच्चे घरों में ही पैदा होते हैं और प्रसूतिगृह में सबसे पहला काम करने वाली दाई जो होती है वह किसी न किसी प्रकार शेड्यूल्ड कास्ट महिला ही होती है। बच्चे को पालने पोसने वाली महिला अछूत और जब बच्चा बड़ा हो गया तो वह सछूत। हमें आज इस बात पर विचार करना होगा कि इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं। यह एक खास मुद्दा है जिस पर आपको सोचना विचारना होगा।

रह गई बात आँसुओं की तो आंसू दो तरह के होते हैं—घड़ियाली आँसू और सहृदयी आँसू। घड़ियाली आँसूओं से इस देश को बचायें—यह एक मुद्दा भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हम बड़ी-बड़ी बातें हरिजनों के उद्धार की करते हैं लेकिन केवल बात करने से कुछ नहीं होगा। इस देश के खजाने में और कुर्सी में हरिजनों की जो मांग है और जितना उसका हिस्सा है, कम से कम उसका बटवारा कर देने की क्षमता हमारे मन में होनी चाहिये। अगर बटवारा कर देने की क्षमता नहीं होगी तो फिर आप समझ लें कि जब जनता सरकार आई तो उसने अंत्योदय प्रोग्राम चला दिया और उससे पहले बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजानों में जमीन का बटवारा किया गया था दो सौ स्क्वायर गज मैक्सिमम प्रति परिवार। जनता सरकार ने अंत्योदय के अर्न्गत एक भैंस या तीन बकरियाँ दे दी थीं। रोते हुये बच्चे को जिस प्रकार से भुनभुना पकड़ा दिया जाता है उसी तरह से एक भैंस या पांच बकरियाँ दे दीं और अंत्योदय हो गया। उसकी जो नेशनल नीड्स हैं, नेशनल स्टेण्डर्ड के आधार पर जो मौलिक नीड्स बनाई गई हैं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस देश के एक नागरिक की, एक हरिजन की मिनिमम नीड्स क्या हैं, सबसे पहले उनके आधार पर एक नीड-बेस्ड प्रोग्राम बनाइये और यह निश्चय कीजिये कि सबसे पहले हरिजन को मिलेगा और उसके बाद सवर्णों को मिलेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिये।

अब रह गई बात—इम्प्लीमेन्टेशन की। समय बहुत कम है—मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं

कहना चाहता हूं जहां तक संस्कार बनने और बनाने का ताल्लुक है, मैंने शिक्षा मंत्री की हैसियत से बड़े नजदीक से देखा है कि शिक्षकों का सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ा हाथ होता है। मकवाना जी से मेरा निवेदन है, वह इस समय यहाँ नहीं हैं, उनके साथी यहाँ पर बैठे हैं, वे एक बात नोट करें कि इस देश में शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की बहाली केवल पेमेन्ट या रोजी-रोटी के लिये नहीं कीजिये, बल्कि मजबूत शिक्षक, खूब निष्ठावान और सजग शिक्षक इस देश में बहाल कीजिये। ऐसे शिक्षक तैयार किये जायं तो बहुत अच्छा होगा। मेरा सुझाव है कि कम से कम एक लाख ऐसे शिक्षक जरूर तैयार किये जायं जो हरिजन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें।

मैंने रिपोर्ट में केन्द्रीय विद्यालय की चर्चा भी पढ़ी थी। मुझे खुशी है कि केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण में मैंने भी योगदान दिया है। मैं यह मांग करूंगा कि केन्द्रीय विद्यालयों में अधिक से अधिक बच्चे हरिजनों और आदिवासियों के लिये जायं। कानून बनाने वाले लोग बड़े चालाक होते हैं, धूर्त होते हैं—होता क्या है कि सरकारी नौकरियों के लिये पार्लियामेंट और असेम्बली में कानून पास करा कर आटोनामस बाडी बना देते हैं और उसको गैरसरकारी कह देते हैं। सारी सुख-सुविधायें उसमें डाल दी जाती हैं, चाहे हरिजन-आदिवासी चूल्हे में जायं, उसकी किसी को चिन्ता नहीं होती है। इस प्रकार से ठगी और धूर्तता से बनी संस्थायें आज शोषण के अड्डे बन गये हैं। वहां भी इनको बराबर का अधिकार दिया जाये, तभी ईमान्दारी से आप हरिजनों का उद्धार कर सकते हैं।

एक उदाहरण मैं हाल का देता हूं—मेरी समझ में इस देश में राज तीन आदमी करते हैं—दारोगा, बी० डी० ओ० और उससे ऊपर उठें तो कलैक्टर। 11 जून, 1979 की बात है—मेरे अपने क्षेत्र में एक हरिजन की हत्या हुई, उसका नाम था—जगदेव पासवान। ता० 17 तक उसकी कोई एफ. आर, आइ. नहीं लिखी गई। जब मैं लौट कर आया और उस क्षेत्र में गया तो वहां जो दरोगा थे और जो तत्कालीन मंत्री थे, कहने लगे कि अब यादव जी आ गये हैं, इस लिये कुछ हंगामा होगा। इसलिये एफ. आई. आर. दर्ज की जाय और दफा 164 में वह दर्ज की गई। उसके बाद असेम्बली में बड़ा हंगामा हुआ, चूंकि एक हरिजन की हत्या हुई है, इस लिये कुछ करना चाहिये। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कहिये—वहाँ श्री राम सुन्दर दास मुख्य मंत्री थे, उन्होंने बयान दिया कि हम स्पेशल कोर्ट बनायेंगे, लेकिन जगदेव पासवान की हत्या का काग्नीजेंस उस वक्त तक नहीं लिखा गया। सात दिन तक मैं जेल में रहा और उसके बाद मैंने कहा कि जब तक इस हत्या काण्ड की जांच ठीक से नहीं होगी, मैं जेल में रहना पसन्द करूंगा, तब जाकर एफ. आई. आर. लाज हुआ। मैंने यह एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखा है। मैं यह नहीं कहता कि मैं ही ऐसा हीरो हूँ जो हरिजनों के लिये अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन यह एक एक्जाम्पिल है, तर्क है। आज इस सदन को इसकी गहराई में जाकर देखना होगा। मैं भाई रामविलास पासवान से भी निवेदन करूंगा—अगर इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि हरिजनों के साथ जो एट्रासिटीज की घटनायें होती हैं—उनके पीछे कुछ इतिहास की गहराई में हम को जाना होगा। उदाहरण के लिये पिपरा काण्ड की बहुत चर्चा हुई है—14 हरिजनों को मारा गया, लेकिन प्रश्न यह है कि यह घटना क्यों घटी? इस घटना के पहले 26 कुर्मी लोगों की हत्या किस प्रकार से हुई, उस हत्या का ओरिजिन क्या

था, मेरा मतलब है दोनों हत्याओं का ओरिजिन क्या था—उसकी गहराई में जाना चाहिये। इसके लिये सोशल इकानामी और सोशल कल्चर दोनों जिम्मेदार हैं। इन तमाम बातों को लेकर हम सोचेंगे तब समस्या का समाधान होगा। नारे-बाजी या वोट लेने के लिये या अखबारों में नाम छपाने के लिये कि हमने पार्लियामेंट में स्पीच दी या रेडियो पर हमारी स्पीच आ जाय—इस तरह के घड़ियाली आँसू बहानेवाली बात से काम नहीं चलेगा। हमें यह देखना है कि जितनी भी क्राइम रिपोर्टस् हैं उन सब में कुछ हरिजन हैं और कुछ सवर्ण हैं—इसका कारण क्या है ? इसका आर्थिक कारण है या वे क्रिमनल्ज क्यों बने हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उनका आपस में टकराव क्यों है ? यह गौर करना होगा।

अन्त में मैं इतना ही कहूँगा कि इस देश के हरिजनों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े लोगों को किसी की दया का पात्र नहीं बनाइये। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भाषण दे दिया या कुछ कह दिया तो उससे उनका उद्धार हो जायगा या चौधरी चरणसिंह ने भाषण दे दिया तो उससे उनका उद्धार हो जाएगा—ऐसी बात नहीं है। यदि आप हरिजनों को किसी की दया का पात्र बनायेंगे तो वह कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा, उसके अन्दर जो आत्मबल चाहिये, वह नहीं आ सकेगा। उसके संस्कार को जगाइये, इसके लिये जिन उपायों की आवश्यकता है, उसके लिये दोनों पक्ष आपस में बैठकर बात करें और मैं समझता हूँ सारा सदन और सारा देश इसके लिये तैयार रहेगा।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मकवाना साहब को भी धन्यवाद देता हूँ—वे इसको यहाँ लाये और मुझे भी बोलने का अवसर मिला।

**श्री दलीपसिंह भूरिया (झाबुआ)** : सभापति महोदय, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूति जन-जातियों की रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की और उस पर इतनी जल्दी चर्चा करने का मौका मिला, इसके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

माननीय मंत्री महोदय ने आदिवासी प्लान्ज के बारे में चर्चा की। मैं भी मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र से आता हूँ, मेरे क्षेत्र में भी आदिवासी तीन सब प्लान्ज चल रहे हैं। यह बड़ी बिडम्बना है कि जब हम आँकड़ों की बात करते हैं तो हमें इस रिपोर्ट में करोड़ों के आँकड़े मिलते हैं, लेकिन जब हम गाँव में पिछड़े हुये आदिवासियों के मकानों को देखते हैं, तो जो हालत आज से 32 साल पहले थी, वही हालत आज भी दिखाई देती है। अगर मैं यह कहूँ कि शोषण का कोई अड्डा है, भ्रष्टाचार की कोई चरागाह है तो वह आदिवासी एरिया है। हम को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, मनीलेंडर हो, दुकानदारी का काम करने वाला हो, 30 साल पहले उसकी क्या आमदनी थी और आज उसकी क्या आमदनी है, आदिवासी एरिया में जाकर ही उसको देखें तो वह लखपति हो गया है, लेकिन आदिवासी आज भी वही है, जहां पहले था।

बैंकों के द्वारा ऋण देने की बात कही गई है। जब हमारे देश में सहकारिता आन्दोलन चला, हमारे बैंकों का नेशनलाइजेशन करके गरीब किसानों को लोन दिये गये, लेकिन उसके बाद यह शिकायतें आने लगी कि उन कमजोर वर्गों को जो लोन दिये गये, उनमें अधिकांश फर्जी थे। उन सोसायटियों में जो पदाधिकारी थे, वे सब खा गये, क्योंकि वे उन कमजोर वर्गों को ऊपर उठने नहीं देना चाहते थे। आज वे किसान डिफाल्टर हो गये हैं।

सभापति महोदय, मेरी यह मांग है कि हमारे जो आदिवासी किसान हैं, उनके कर्जे माफ होने चाहिए। आज वे बैंकों के कर्जे में डूबे हुए हैं और दूसरे बैंक उनको लोन नहीं देना चाहते हैं। मैं खास तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि मेरे इस सुझाव पर विचार किया जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे श्री चन्द्रजीत यादव ने एक बात यह कही और यह ठीक बात कही, कि अत्याचार जो होते हैं, वे खासकर हरिजन आदिवासी एरिया में होते हैं। उनकी इस बात से मैं सहमत हूँ, मगर इस रिपोर्ट में यह साफ लिखा हुआ है कि 1976-77 और 1978 में 75 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई और यह जनता पार्टी के राज्य में हुई है। मैं एक ताजा उदाहरण देना चाहता हूं और यह मेरे जिले का मामला है। एक आदिवासी, हमाली का धंधा करने वाला 35 वर्षीय भील खुमजी, 9 फरवरी को एक बाजार में आया था और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तीन घन्टे के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वह पुलिस कस्टडी में मारा गया। यह खेदजनक घटना है। हमारी प्रधान मंत्री ने भी यह कहा है कि हमारा जो पुलिस विभाग है, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा पुलिस का क्या कर्तव्य होना चाहिए। हमारे यहां थाना रानापुर में पहले एक आदिवासी पुलिस कस्टडी में मर गया था। यह दूसरी घटना है वे क्यों मारे जाते हैं, यह देखने की बात है। उनमें कुछ खामियाँ रहती हैं और वे ये हैं कि वे पुलिस को रिश्वत नहीं देते। रिश्वत लेने के लिए पुलिस उनको मारती है। हमारे होम मिनिस्टर साहब को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर आदिवासी और पिछड़ी जातियों के लोग रहते हैं, वहाँ पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिएं।

शिक्षा की बात अब मैं करता हूं। आजादी के बाद गांव-गाँव में स्कूल खोले गये। प्राइमरी स्कूलों में अगर हम देखें तो लाखों लड़कों के नाम दर्ज होते हैं मगर पास होने में उनका परसेन्ट जीरो रहता है। पहले पहली कक्षा में उनका नाम लिखा जाता है और पाँचवी क्लास के बाद जाने के बाद फिर वापस पहली क्लास में नाम दर्ज हो जाता है। इस तरह की बातों को भी समाप्त करना चाहिए।

एक बात यह और कहना चाहता हूं कि दूध, दलिया बाँटने का काम भी प्राइमरी स्कूलों के टीचर को सौंप दिया जाता है और इसी में ही दिन भर उनका खराब हो जाता है। और बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती इसको चलाने के लिए कोई दूसरी एजेन्सी होनी चाहिए। आदिवासी जो भीख नहीं मांगता है, आज उसको दूध दलिया खाने के लिए दिल बड़ा करता है, इसको पाने के लिये कीमती समय बरबाद करता है। इसके साथ ही एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि गाँवों में जो स्कूल खुले हैं, वे काफी दूरी पर हैं और शहरों से टीचर वहाँ पर रोज साइकिलों पर आते हैं और दो, चार घंटे ही वहाँ रहते हैं। और चले जाते हैं इसके अलावा यह भी होता है कि महीनों तक वे स्कूल नहीं जाते हैं और फर्जी हाजरी, एटेडेंस हो जाती है। इस मामले को भी देखा जाना चाहिये और इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि 5 किलोमीट के अन्दर एक आश्रम अवश्य होना चाहिये जिसमें 200 लड़के रहने की व्यवस्था होनी चाहिये और वे एक साथ रहें और वहीं पर उनके पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस मामले में गुजरात राज्य अच्छा है। मैंने जो यह सुझाव दिया है, उसके लिये पूरा खर्चा शासन को उठाना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था हमारे होम मिनिस्टर को करनी चाहिये, जिससे हमारे यहां जो आदिवासी

लोग हैं, वे आगे आएं और पढ़ने लिखने के बाद उनको अच्छी नौकरी मिले। एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि यहाँ पर रिजर्वेशन की बात आई है। हमारे मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला है, जहाँ पर 85 प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं।

मगर आप देखेंगे कि वहाँ का जो कलेक्टरेट है वहां तीन सौ बाबू रहते हैं। अगर कोई आदिवासी वहाँ जाकर अपनी पोस्टिंग के लिये कहता है तो कहा जाता है कि यहाँ पोस्टिंग राजनीतिक व्यक्ति करते हैं। वहां तीन सौ बाबूओं में से आपको एक भी आदिवासी नहीं मिलेगा। आपको इन पिछड़े हुये जिलों के साथ न्याय करना पड़ेगा। वहां एक भी व्यक्ति आदिवासी नहीं है, सब दूसरे वर्ग के लोग हैं। उन्होंने एका किया हुआ है। इस पर भी मन्त्री महोदय को विचार करना होगा।

आज हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को दूर करना होगा। हमारे समाज को इसके ऊपर उठना होगा। जो हमारी प्रधान मंत्री इन्दिरा जी कहती हैं तभी जा कर वह हो सकेगा नहीं तो हम लोग भी संसद में भाषण कर के चले जाएंगे और समाज वहीं का वहीं पिछड़ा हुआ रह जायेगा। इसको कैसे ऊपर उठाया जायें इसके लिये हमें करनी और कथनी के अन्तर को दूर करना होगा।

जैसा कि अभी हमारे साथियों ने कहा कि अगर आपको आदिवासियों की हालत को सुधारना है तो इनके लिये आपको एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। आजकल क्या होता है कि कोई भी वर्ग का आदमी आदिवासी इलाके में जाता है जहां उसके पास पहले एक बस होती है, वहाँ दस साल के बाद वह दस बसों का मालिक हो जाता है। शराब का ठेकेदार अगर वहां आता है तो वह भी पांच सालों में बहुत पैसे वाला बन जाता है। यह सब किस का पैसा है ? यह कहाँ से आया है सब आदिवासियों का पैसा है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग इतना पैसा देते हैं मगर वहाँ जो केनाल है, उसमें क्रेक है। उस क्षेत्र में पानी जाना चाहिये। जिस क्षेत्र को आज हराभरा दिखाना चाहिये वह हराभरा नहीं दिख रहा है। उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है और बराबर पानी नहीं मिल रहा है। उसको सींचा जा रहा है। आदिवासियों के बारे में आपको खास तौर पर देखना होगा कि उन्हें सभी सुविधाएं मिलें। आदिवासी देश के लिये इतनी कुर्बानी किये हैं, उन लोगों ने देश के लिये इतना संघर्ष किया है और वे आज रोजी-रोटी को भी तड़फ रहे हैं।

इंडस्ट्रियल एरियाज कहाँ बनने हैं ? वे पिछड़े हुये इलाके में नहीं बनते हैं क्योंकि वहां पानी नहीं मिलता है, रहने को और सुविधायें नहीं मिलती हैं। फैक्ट्री के जो बड़े-बड़े लोग और मैनेजर आते हैं उनके बच्चों के पढ़ने की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिये आपको उन पिछड़े हुये इलाकों में मकानों की, पानी की, जमीन की, बिजली की सभी प्रकार की व्यवस्थायें करनी होंगी तभी वहाँ इंडस्ट्रीज डवलप्ड होंगी।

मेरा क्षेत्र झबुआ है। वहाँ मेघनगर में फास्फोराइट मिलता है। उस फास्फोराइट से वहाँ सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर का कारखाना खोला जाना चाहिये। इसके लिये भी आपको सब सुविधाओं की वहां व्यवस्था करनी होगी। अगर आप इन सुविधाओं की वहाँ व्यवस्था नहीं करते हैं तो आदिवासी वहीं का वहीं रहेगा, उसके इलाके का विकास नहीं होगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। नेताम साहब ने भी यह बात कही है कि शराब का सम्बन्ध आदिवासियों के धार्मिक त्योहारों से जुड़ा हुआ है। अगर दीवाली है, होली है, शादी ब्याह है तो दूसरे समाज वाले तो अगर वत्ती और नारियल से पूजा करते हैं लेकिन आदिवासी शराब से पूजा करता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि शराब पीना अच्छा नहीं है। मगर जिनका धार्मिक परम्पराओं से सम्बन्ध है उनको तो इसकी छूट मिलनी चाहिये, सुविधा मिलनी चाहिये।

अन्त में मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया और मंत्री महोदय ने मेरी बातों को सुना। इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री पी. के. कोडियन (अडूर)** : सभापति महोदय, हरिजनों और अन्य निर्बल वर्गों पर जो अत्याचार हुए हैं, उनकी और स्वभावतः समूचे देश का ध्यान गया है।

सभी समझदार लोग, चाहे वे किसी भी समुदाय अथवा जाति के हैं, हरिजनों पर होने वाली हिंसा और अत्याचार की बढ़ती घटनाओं पर अत्यधिक चिन्तित हैं। मैं हाल के महीनों में देश के विभिन्न भागों से प्राप्त विभिन्न घटनाओं के ब्योरे पर नहीं जाना चाहती हूँ। परन्तु मैं एक बात कहना चहता हूं कि यह अत्याचार कोई हाल की घटनाएं नहीं हैं। अत्याचार पहले भी हुए है और अत्याचार अभी हो रहे हैं और अत्याचार आगे भी होते रहेंगे। मैं अत्याचारों की घटनाओं के आँकड़े दिखाकर यह बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूं कि सबसे अधिक अत्याचार किसी विशेष क्षेत्र में अथवा किसी विशेष दल के शासन में हुए हैं। मेरे विचार में ऐसा करना बेकार और निरर्थक है। सत्ता में चाहे कोई भी दल हो, हरिजनों और अन्य निर्बल वर्गों पर होने वाले अत्याचारों पर इस देश के सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वह सत्तारूढ़ है अथवा विपक्ष में है, चिन्ता होनी चाहिए क्योंकि हरिजनों और अन्य निर्बल वर्गों पर होने वाला अत्याचार राष्ट्र के लिए अपमान है। क्या कारण है कि सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों के बावजूद, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयुक्त द्वारा अपने नवीनतम प्रतिवेदन और पिछले प्रतिवेदनों में दिए गए विभिन्न अच्छे सुझावों के बावजूद और संसद की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति संबंधी स्थायी समिति द्वारा दिए गए अति उत्तम सुझावों के बावजूद यह अत्याचार हो रहे हैं ? ऐसा क्यों हो रहा है ? हम ऐसी लगातार होने वाली हिंसा और हत्याओं से हरिजनों और अन्य निर्बल वर्गों को क्यों नहीं बचा सक रहें हैं ? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आज हिंदु जाति में जाति संबधी गलत धारणा और जाति विभाजन तथा सामाजिक गलत धारणा बहुत पुरानी व्याप्त है ?

कुछ माननीय सदस्यों ने इन अत्याचारों के कारणों का विश्लेषण करते समय यह बताया कि इसका मुख्य कारण अथवा पहला कारण जाति संबंधी गलत धारणा और जाति विभाजन है और जब तक जाति विभाजन है, ऐसे अत्याचार होते रहेंगे। मैं इस विचार से पूरी तरह सहमत नहीं हूं परन्तु साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों और अन्य निर्बल वर्गों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनमें जातिगत भेदभाव और जाति संबंधी गलत धारणाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं माननीय सदस्यों और मंत्री महोदय को यदि यह सुनना चाहते हैं, यह बताना चहता हूँ कि हमें गावों, जो भारत का देहात है, ग्रामीण भारत है की ओर आँखे खोलनी हैं और गाँवों में बढ़ते हुए सामाजिक तनावों के वास्तविक कारणों का पता लगाना है। मेरे विचार

में कुछ समय से देश के विभिन्न भागों से अत्याचारों के बारे में जो समाचार प्राप्त हुए हैं वे गांवों में सम्पत्तिवान लोगों द्वारा जागरुक हरिजनों और अन्य दुर्बल वर्गों का, जिन्होंने अपने अधिकारों पर जोर देना शुरू कर दिया है, दमन करने के प्रयास का परिणाम है। जब हरिजन और अन्य निर्धन लोग जमीन पर अपने अधिकारों पर जोर देते हैं, अपनी जमीन पर मकान के निर्माण के अधिकारों पर जोर देते हैं, जब उनके पास कृषि के लिए थोड़ी सी जमीन है, जब वे काम करने के अपने अधिकार पर जोर देते हैं और अपने कार्य के लिए लाभप्रद मजूरी की मांग करते हैं, जब निर्धन हरिजन, जो अनेक क्षेत्रों में छोटे खेतिहर मजदूर हैं, अपने अधिकारों पर जोर देते हैं तो सम्पत्तिवान् लोग ( चाहे वे पुराने सामंतवादी किस्म के हैं जो पुरानी सामंत वादी व्यवस्था के अवशेष हैं, अथवा नवधनाढ्य वर्ग के हैं जो प्रगतिशील जाति अथवा पिछड़ी जाति के हैं) इन निर्धन व्यक्तियों पर हमला कर देते हैं। क्योंकि उनमें हजार वर्ष पुराने इतिहास में पहली बार खड़े होकर अपने अधिकार माँग सकने की हिम्मत आई है। आज हमारे देश के गांवों में बढ़ते हुए तनाव का यही मूल कारण है। जमींदार और नवधनाढ्य लोग हमारे गांवों में विद्यमान जातिगत गलत धारणाएं और जाति विभाजन का उपयोग कर रहे हैं जिससे वे अपनी श्रेणी के लोगों के हितों को लाभ पहुँचा सकें। दूसरे शब्दों में (खेतिहर श्रमिकों, भूमिहीन किसानों द्वारा अपने संगठन बनाए जाने से और अपने अधिकारों पर जोर दिए जाने से तथा उनके लिए संघर्ष आरम्भ किए जाने के परिणामस्वरूप भारत के गाँवों में श्रेणी संघर्ष और जाति संघर्ष के बीच अन्तर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इसलिऐ हमें ग्रामीण भारत में हो रही गतिविधि के महत्वपूर्ण पहलू, भारत के गाँवों में सामाजिक-आर्थिक परिवर्त्तनों के लिये होने वाले सघर्ष को ध्यान में रखना होगा। इसलिऐ जब तक गाँवों में हो रही गतिविधि के इस पहलू को समझा नहीं जाता है, किसी भी तरह के सुझाव, उस तरफ के मंत्रियों की बड़ी-बड़ी बातें, इस देश के निर्धन व्यक्तियों की रक्षा नहीं कर सकेंगे। यह मेरा अनुभव है। मैंने पिछले अनेक वर्षों से खेतिहर श्रमिकों, हरिजनों तथा अन्य लोगों के साथ काम किया है और मैं संपूर्ण देश में घूमा हूं। मै भारत में लगभग सभी राज्यों के गाँवों में गया हूँ और मैंने इन निर्धन व्यक्तियों के अनेक संघर्षों में भाग लिया है। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, गांवों में बढ़ रहे संघर्ष का यह मुख्य कारण है। इसलिए मैं कह रहा हुं कि ऐसा कुछ समय और होता रहेगा क्योंकि सामन्ती प्रथा के पुराने अवशेष और नवधनाढ्यों ने यह महसूस करना शुरु किया है कि भारत के गाँवों में नये उग्रवादी ताकतें उभर आऐ हैं और अब हरिजन तथा अन्य निर्धन लोग गुलामों की तरह रहने को तैयार नहीं हैं परन्तु अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हो गये हैं और गुलामों की भाँति रहने की बजाए अपने अधिकारों के लिए मरने को उद्यत हैं, और तब वे हिंसा और अत्याचार बंद कर देंगे, इस लिए मेरा प्रश्न यह है। सरकार ने विभिन्न कदमों की घोषणा की है और हाल में प्रधान मत्री ने स्वयं यह घोषणा की है कि बीससूत्री कार्यक्रम आदि आरम्भ किए जएंगे और इससे भूमि, हीन लोगों तथा खेतिहर श्रमिकों को कुछ रियायतें मिलेंगी। प्रश्न यह है कि क्या ऐसी घोषणा करने के बाद श्रीमती इन्दिरा गाँधी और उनकी सरकार इन निर्धन व्यक्तियों की सहायता करेगी जिससे वे जमीन के छोटे से प्लाट पर अपने मकान बना सकें अथवा अपने लिए न्यूनतम मजूरी तथा इसी प्रकार के अन्य अधिकार कानूनी रूप से निर्धारित करवा सकें। जब ये निर्धन व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए सघर्ष करेंगे तो क्या श्रीमती इंदिरा गाँधी तथा उनकी सरकार

मंत्री महोदय, श्री मकवाना तथा अन्य सहयोगी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु उद्यत इन निर्धन व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए पूरी ताकत तथा राज्य के अधिकार के साथ आगे आयेंगे । यह मौलिक प्रश्न है । इन निर्धन व्यक्तियों के बीच काम कर रहे व्यक्ति के नाते मुझे यह मौलिक प्रश्न पूछना पड़ा है ।

आपातकाल के दौरान जब 20 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया गया था, देश के विभिन्न भागों के निर्धन लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आगे आये । परन्तु उन्हें काफी दुख उठाने पड़े और हर जगह राज्य का शासन उनको संरक्षण देने में असफल रहा, इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि आप ईमानदार हैं तो देहातों में घोषणाओं के विरुद्ध सघर्ष कर रहे इन निर्धन व्यक्तियों का समर्थन करें ।

उनके समकक्ष जो मूल प्रश्न है वह आर्थिक समस्या का है । मैंने पहिले ही जमीन, मजूरी आदि का उल्लेख किया है । क्या यह सुनिश्चीत करने हेतु ऐसी कोई व्यवस्था है कि त्रुटियों के बावजूद भी विभिन्न राज्यों में भूमि अधिकतम सीमा कानूनों को लागू किया जायेगे । महोदय, आप भूमि अधिकतम सीमा कानून के क्रियान्वयन के परिणाम से अवगत होंगे । कितनी फालतू भूमि आफग्रहीत की गई है और कितनी वितरित की गई है ? आहुमा के प्रतिवेदन में तो आंकड़े दिखाए गए हैं वे बताते है कि इस संबंध में प्रगति पूरी तरह से असंतोष जनक हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि भूमि अधिकतम सीमा कानून की क्रियान्वित सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है । इसी प्रकार मजूरी का प्रश्न है । क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था है कि कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम मजूरी को लागू किया जाये ? क्या आप कह सकते हैं कि अधिकांश राज्यों में ऐसी व्यवस्था विद्यमान है ।

**सभापति महोदय** : आपका समय पूरा हो गया है । कृपया अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए ।

**श्री. पी, के. कोडियन** : मैं वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ । अंत में मेरी मंत्री महोदय से अपील है कि वह यह सुनिश्चित करें कि मूल आर्थिक प्रश्न का संतोषजनक ढंग से हल किया जाये, प्रस्ताव विचारार्थ करते समय मंत्री महोदय ने स्वयं कहा कि मुख्य प्रश्न यह है कि उनकी आर्थिक समस्याएं किस प्रकार हल की जायेगा । मुझे आशा है कि वह इस संबंध में ठोस कार्यवाही करेंगे ।

---

## कार्य मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन

**गृह मंत्रालय में और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बईया)** : मैं कार्य मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

---

**मध्याह्न पश्चात् 6·00 बजे**

**तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार 20 मार्च, 1980/30 फाल्गुन, 1901 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।**

---

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472 पुरानी साईकिल मार्किट दिल्ली-6